सप्तम माला, खण्ड 21, अंक 1, सोमवार, 23 नवम्बर, 1981/2 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(सातवां सत्र)

(खण्ड 21 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 1, सोमवार, 23 नवम्बर, 1981/2 अग्रहायण, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—2
यूरोपीय संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	3—4
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	4—12
*तारांकित प्रश्न संख्या 3	4—12
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	12—216
*तारांकित प्रश्न संख्या 1, 2, 4 से 10 और 12 से 20	12—26
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 5, 7, 8, 10 से 187 और 189 से 230	26—216
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	216—226
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण के लिये समझौता	216—226
सभा पटल पर रखे गये पत्र	227—235
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	236—259
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला के देवली गांव में 18 नवम्बर, 1981 को 24 हरिजनों की सामूहिक हत्या का समाचार	
श्री सत्य साधन चक्रवर्ती	236
श्री जैल सिंह	241
श्री झारखण्डे राय	24
श्री उत्तम राठौड़	254
श्री धर्मवीर सिंह	2 7
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था के बारे में वक्तव्य	256—271
श्री आर० वेंकटरामण	
नियम 377 के अधीन मामले	265—271
(एक) रानीखेत और लैंसडाउन क्षेत्रों के लिये नगरपालिका	

* किसी नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
बोर्ड स्थापित करने हेतु छावनी अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता	
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	265
(दो) विहार के कुछ भागों में पानी की कमी तथा अकाल की स्थिति को दूर करने के लिये उपाय करने की आवश्यकता	
श्री रणजीत सिंह	266
(तीन) रेशम के धागे के मूल्य में वृद्धि के कारण रेशम उद्योग में संकट	
श्री जैनुल बशर	266
(चार) गलगंड नियंत्रण के लिये उपाय करने की आवश्यकता	
डा० बसंत कुमार पंडित	268
(पांच) नई दिल्ली स्थित वोट क्लब पर कामगारों द्वारा विरोध रैली	
श्री सत्य साधन चक्रवर्ती	270
(छः) केन्द्रीय सरकार द्वारा रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय को अपने नियन्त्रण में लेने की आवश्यकता	
श्री रशीद मसूद	271
तेल उद्योग (विकास) संशोधन विधेयक	271
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	271
श्री रेणुपद दास	272
श्री जेवियर अराकल	274
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	275
श्री जगपाल सिंह	276
श्री गिरधारी लाल व्यास	278
श्री टी० आर० शमन्ना	279
श्री राम सिंह यादव	280
श्री ईरा मोहन	282
श्री मूल चन्द डागा	283
श्री कमला मिश्र मधुकर	284
श्री हरिकेश बहादुर	286
श्री जी० एम० बनातवाला	287

विषय	पृष्ठ
श्री बापूसाहेब परुलेकर	288
खण्ड 2 तथा ।	
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	289
श्री रामावतार शास्त्री	293
सिनेमा कर्मकारों और सिनेमा थियेटर कर्मकार (रोजगार का विनियमन) विधेयक	295—306
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री बसंत साठे	295
श्री अजीत बाग	297
श्रीमती कृष्णा साही	301
श्री ईरा महोन	302
श्री मूल चन्द डागा	305—306

लोक सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

सप्तम लोक सभा

अ

अंकिनीडू, श्री एम० (मछलीपटनम)

अंकिनीडू, प्रसाद राव, श्री पी० (बापतला)

अग्रवाल श्री सतीश (जयपुर)

अजीत प्रसाद सिंह, श्री (प्रतापगढ़)

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)

अनवर अहमद, श्री (हापुड़)

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद (बिलासपुर)

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस० (अनकापल्ली)

अब्दुल समद, श्री (बैल्लोर)

अब्दुल्ला, डा० फारूक (श्रीनगर)

अब्बासी, श्री काजी जलील (डुमरिया गंज)

अमरीन्द्र सिंह, श्री (पटियाला)

अर्जुनन, श्री के० (धर्मपुरी)

अराकल, श्री जेवियर (एरणाकुलम)

अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस (नरसापुर)

अशफाक हुसैन, श्री (महाराज गंज)

अहमद, बेगम आबिदा (बरेली)

अहमद, श्री मोहम्मद असरार (बदायूं)

अहमद, श्री कमालुद्दीन (बारंगल)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बंकुरा)

आजमी, डा० ए० यू० (जौनपुर)

आजाद, श्री गुलाम नबी (बाशिम)

आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)

आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)

आर्य, श्री कुम्भा राम (सीकर)

इ

इन्द्रवेश, स्वामी (रोहतक)

इन्द्राकुमारी, श्रीमती (अलीगढ़)

इम्बीचीबाबा, श्री ई० के० (कालीकट)

ई

ईरा अनबारासु, श्री (चिंगलपट्टू)

ईरा मोहन, श्री (कोयम्बटूर)

उ

उइके, श्री छोटे लाल (मांगला)

उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बडागरा)

उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय)

एक्का, श्री क्रिस्टोफर (सुन्दरगढ़)

ओ

ओडेरदा, श्री मालदेव जी० एम० (पोरबन्दर)

क

कंडास्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोडे)

कर्ण सिंह, डा० (उधमपुर)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

कमला कुमारी, कुमारी (पलामू)

कर्मा, श्री लक्ष्मण (बस्तर)

करुणानिधि, श्री थाझाई, एम० (नागापट्टिनम्)

कलानिधि, डा० ए० (मद्रास मध्य)

कश्यप, श्री जयपाल सिंह (आंवला)
काजी सलीम, श्री (औरंगाबाद)
कादरी, श्री एस० री० (शिमोगा)
कामाक्षैया, श्री डोडू (नेल्लोर)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (माले गांव)
किदवई, श्रीमती मोहसिना (मेरठ)
कुचन, श्री गगाधर ए० (शोलापुर)
कुंवर राम, श्री (नवादा)
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री (अमालापुरम)
कुन्हम्बू, श्री के० (कान्नानौर)
कुरियन, प्रो० पी. जे. (मवेलीकारा)
कुलनदईवेलु, डा. वी. (चिदम्बरम)
कृष्ण, श्री एम. एस. (माण्डया)
कृष्णन्, श्री जी. वाई. (कोलार)
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री (महाराजगंज)
कैंयर भूरण, श्री (रायपुर)
कैलासशांते, श्रीमती (मोहनलालगंज)
कोचक, श्री गुलाम रसूल (अनन्तनाग)
कोडियन, श्री पी. के. (अडूर)
कोसलराम, श्री के. टी. (तिरुचेन्डूर)
कौशल, श्री जगन्नाथ (चंडीगढ़)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)

ख

खाँ, श्री आरिफ मोहम्मद (कानपुर)
खाँ, श्री गयूर अली (मुजफ्फरनगर)
खाँ, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री मलिक एम. एम. ए. (एटा)
खाँ, श्री महमूद हसन (बुलन्दशहर)

ग

गंगवार, श्री हरीश कुमार (पीलीभीत)

गधावी, श्री भेरावदन के. (बनासकांठा)
गामित, श्री छीतूभाई (माण्डवी)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (मेडक)
गांधी, श्री राजीव (अमेठी)
गाडगिल, श्री वी० एन० (पुणे)
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)
गायकवाड़, श्री आर. पी. (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (कैराना)
गिरी, श्री सुधीर (कन्टई)
गिरिराज सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
गुफरान आजम, श्री (बेतुल)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (बसीरहाट)
गुलशेर अहमद, श्री (सतना)
गुलाम मोहम्मद खां, श्री (मुरादाबाद)
गोजागिन, श्री एन. (बाह्य मणिपुर)
गोपालन, श्रीमती सुशीला (अलप्पी)
गोमांगो,श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयल, श्री कृष्ण कुमार (कोटा)
गोहिल, श्री जी. वी. (भावनगर)
गौंडर, श्री ए. सेनापति (पलानी)
गौडा, श्री एच. एन. नन्जे (हसन)
गौडा, श्री डी. एम. पुत्ते (चिकमगलूर)

घ

घोरपाड़े, श्री आर. वाई. (बेल्लारी)
घोष, श्री नीरेन (दमदम)
घोष, श्रीमती विभा गोस्वामी (नवद्वीप)

च

चन्द्रपाल सिंह, श्री (अमरोहा)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)

चन्द्रशेखर सिंह, श्री (बांका)

चक्रधारी सिंह, श्री (सरगुजा)

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन (कलकत्ता-दक्षिण)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (जादवपुर)

चतुर्भुज, श्री (झालावाड़)

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती (खजुराहो)

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. वी. (दावनगेरे)

चरणजीत सिंह, श्री (दक्षिण दिल्ली)

चरण सिंह, श्री (बागपत)

चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)

चव्हाण, श्री एस. बी. (नांदेड़)

चावडा, श्री ईश्वर भाई खोडा भाई (आनन्द)

चिगवांग कोनयक, श्री (नागालैंड)

चिन्नस्वामी, श्री सी. (गोबिचेट्टिपलयम)

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या (विजयवाड़ा)

चौधरी, श्री ए. बी. ए. मनी खान (माल्दा)

चौधरी, श्री के. बी. (बीजापुर)

चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बराव (एलुरु)

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश (अमरावती)

चौधरी, श्री मनफूल सिंह (बीकानेर)

चौधरी, श्री मोती भाई आर. (मेहसाना)

चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)

चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहामपुर)

चौबे, श्री नारायण (मिदनापुर)

चौहान, श्री फतेहभान सिंह (धार)

छ

छांगुर राम, श्री (लालगंज)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)

जगपाल सिंह, श्री (हरिद्वार)

जाखड़, श्री बलराम (फिरोजपुर)

जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)

जाफर शरीफ, श्री सी. के. (बंगलौर उत्तर)

जदेजा, श्री दौलत सिंह जी (जामनगर)

जमीलुर्रहमान, श्री (किशनगंज)

जगदीप सिंह, श्री (गोधरा)

जयनारायण रौत, श्री (सलूम्बर)

जयनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)

जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजांपुर)

जेठमलानी, श्री राम (बम्बई उत्तर-पश्चिम)

जेना, श्री चिंतामणि (बालासोर)

जैन, श्री निहाल सिंह (आगरा)

जैन, श्री भीकूराम (चांदनी चौक)

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र (जोधपुर)

जैनुल बशर, श्री (गाजीपुर)

जैल सिंह, श्री (होशियार पुर)

झ

झा, श्री कमलनाथ (सहरसा)

झा, श्री भोगेन्द्र (मधूबनी)

झारखंडेराय, श्री (घोसी)

ट

टन्डन श्री प्रभुनारायण (दमोह)

टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

टुडु, श्री मनमोहन (मयूरगंज)

ठ

ठाकुर, श्री शिवकुमार सिंह (खंडवा)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डामोर, श्री सोमजी भाई (दोहद)
डूंगर सिंह, श्री (हमीरपुर)
डेनिस, श्री एन. (नागरकोइल)
डोगरा, श्री गिरधारी लाल (जम्मू)

त

तपेश्वर सिंह श्री (बिक्रमगंज)
तारिक अनवर, श्री (कटिहार)
तिरकी, श्री पीयूष (आलीपुरद्वार)
तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश (इलाहाबाद)
तिवारी, प्रो. के. के. (वक्सर)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि (बलरामपुर)
तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)
तिवारी, श्री रामगोपाल (जंजगीर)
तुर, श्री लहना सिंह (तरनतारन)
तेइयेंग, श्री सोबेंग (अरुणाचल-पूर्व)
तैयब हुसैन, श्री (फरीदाबाद)

थ

थामस, श्री स्कारिया (कोट्टायम)
थूगोन, श्री पी.के. (अरुणाचल-पश्चिम)
थोरट, श्री भाऊसाहिब (पंढरपुर)

द

दंडवते, श्रीमती प्रमिला (बम्बई उत्तर-मध्य)
दंडवते, प्रो. मधु (राजापुर)
दलबीर सिंह, श्री (झहडोल)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दंडपाणि, श्री सी. टी. (पोल्लाची)

दाभी, श्री अजीत सिंह (कैरा)

दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)

दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)

दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)

दिगम्बर सिंह, श्री (मथुरा)

दुबे, श्री विन्देश्वरी (गिरिडीह)

दुबे, श्री रामनाथ (बांदा)

देव, श्री वी. किशोरचन्द्र एस. (पार्वतीपुरम)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवराजन, श्री बी. (रसिपुरम)

देवीलाल, श्री (सोनीपत)

देसाई, श्री बी. वी. (रायचूर)

ध

धोटे, श्री जाम्बुवंत (नागपुर)

न

नन्दी येल्लैया, श्री (सिद्दिपेट)

नगीना राय, श्री (गोपालगंज)

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री (आंतरिक मणिपुर)

नटराजन, श्री कुमबुम एन. (पेरियाकुलम)

नामरत्नम, श्री टी. (श्री पेरंबदूर)

नामग्याल, श्री पी. (लद्दाख)

नायर, श्री बी. के. (क्विलोन)

नायकर, श्री डी. के. (धारवाड़-उत्तर)

नायक, श्री जी. देवराय (कनारा)

नायक, श्री मृत्युंजय (फूलबनी)

नायडू, श्री पी. राजगोपाल (चित्तूर)

नारायण, श्री के. एस. (हैदराबाद)

नहाटा, श्री बी. आर. (मन्दसौर)

नीखरा, श्री रामेश्वर (होशंगाबाद)

निहाल सिंह, श्री (चन्दौली)

निहाल सिंह, बाला श्री जी. एस. (संगरूर)
नाडार, श्री ए. नीलालोहिथादसन (त्रिवेन्द्रम)
नेगी, श्री टी. एस. (टिहरी गढ़वाल)
नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)
नेहरू, श्री अरुण कुमार (रायबरेली)

प

पंडित, डा. बसन्त कुमार (राजगढ़)
पटनायक, श्रीमती जयन्ती (कटक)
पटनायक, श्री बीजू (केन्द्रपाड़ा)
पट्टाभिरामा राव, श्री एम.वी.पी. (राजामुन्द्री)
पत्तुस्वामी, श्री डी. (वन्डावाशी)
पटेल, श्री अमृत (गांधीनगर)
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद (भड़ौच)
पटेल, श्री उत्तमभाई एच. (बलसार)
पटेल, श्री सी. डी. (सूरत)
पटेल, श्री मोहनलाल (जूनागढ़)
पटेल, श्री शान्तुभाई (साबरकंठा)
पदायाची, श्री एन. एस. रामास्वामी (तिन्डीवनम)
पनिका, श्री रामप्यारे (राबर्टसगंज)
परमार, श्री हीरालाल आर. (पाटन)
पराशर, प्रो. नारायण चन्द (हमीरपुर)
परुलेकर, श्री बाबूसाहिब (रत्नगिरि)
पलानीअप्पन, श्री सी. (सलेम)
पवार, श्री बालासाहिब (जालना)
पाइलट, श्री राजेश (भरतपुर)
पाटिल, श्री ए. टी. (कोलाबा)
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे (अहमदनगर)
पाटिल, श्री बसन्तराव (सांगली)
पाटिल, श्री विजय एन. (इरन्दोल)
पाटिल, श्री शिवराज वी. (लातूर)

श्री पाटिल, शंकरराव (बारामती)

पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटिल, श्री बीरेन्द्र (बागलकोट)

पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)

पांडे श्री कृष्णचन्द (खलीलाबाद)

पांडे, श्री केदार (बेतिया)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)

पार्थसारथी, श्री पी. (राजमपेट)

पारधी, श्री केशवराव (भंडारा)

पाल, प्रो. रूपचन्द (हुगली)

पासवान, श्री रामविलास (हाजीपुर)

पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)

पुलैया, श्री दारूर (अनन्तपुर)

पुष्पादेवी सिंह, कुमारी (रायगढ़)

प्रधानी श्री के. (नौरंगपुर)

प्रभु, श्री आर. (नीलगिरि)

प्रसन्न कुमार, श्री एस. एन. (चिकबल्लापुर)

प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)

पेंचालैया, श्री पसाला (तिरुपति)

पोटदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)

फ

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर (उदीपी)

फर्नांन्डीस, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)

फुलवारिया, श्री बिरदा राम (जालोर)

फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बनातवाला, श्री जी. एम. (पोन्नानी)

बंसीलाल, श्री (भिवानी)

बर्मन, श्री पलाश (बलूरघाट)

बेरवा, श्री बनवारीलाल (टोंक)
बरवे, श्री जे. सी. (रामटेक)
ब्रार, श्रीमती गुरविन्दर कौर (फरीदकोट)
बरोट, श्री मगनभाई (अहमदाबाद)
बहेरा, श्री रामबिहारी (कालाहाँडी)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बाग, श्री अजित (सीरमपुर)
बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)
बागुन, सुम्बरूई श्री (सिंहभूम)
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)
बालन श्री ए० के० (ओट्टापालम)
बालानन्दन, श्री ई० (मकुन्दपुरम)
बालेश्वर राम, श्री (रोसेड़ा)
बीरबल; श्री (गंगानगर)
बीरेन्द्र सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)
बूटासिंह, श्री (रोपड़)
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री (सम्भल)
बैठा, श्री डूमरलाल (अररिया)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित-आँगल-भारतीय)
बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव (श्रीकाकुलम)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)
भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० सीतामढ़ी)
भगवानदेव, आचार्य (अजमेर)
भट्टाचार्य श्री सुशील (वर्दवान)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भीखाभाई, श्री (वांसवाड़ा)

भीमसिंह, श्री (झुन्झुनू)
भूरिया, श्री दलीपसिंह (झाबुआ)
भोई, डा० कृपासिंधु (सम्बलपुर)
भोये, श्री रेशमा मोतीराम (धुले)
भोले, श्री आर० आर० (बम्बई दक्षिण-मध्य)

म

मकवाना, श्री नरसिंह (ढ़ंढुका)
मण्डल, श्री मकुन्द (मथुरापुर)
मण्डल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मण्डल, श्री घनिकलाल (झंझारपुर)
मणि, श्री के० बी० एस० (पेरम्बलूर)
मधुकर, श्री कमला मिश्र (मोतीहारी)
मन्नीलाल, श्री (हरदोई)
माधुरी सिंह, श्रीमती (पुर्णिया)
मालन्ना, श्री के० (चित्रदुर्ग)
मावणि, श्री रामजी भाई (राजकोट)
मलिक, श्री लक्ष्मण (जगतसिंहपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)
मसुदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)
महन्ती, श्री बृजमोहन (पुरी)
महाजन, श्री वाई० एस० (जलगांव)
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)
महाटा, श्री चित (पुरलिया)
महावीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महालगी, श्री आर० के० (ठाणे)
महाला, आर० पी० (दादर तथा नगर हवेली)
महेन्द्र प्रसाद, श्री (जहानाबाद)
माने, श्री आर० एस० (इचलकरांजी)
मायातेवर, श्री के० (डिन्डिगल)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मल्लु, श्री अनन्त रामुल, (नगरकुरनूल

मिश्र, श्री नित्यानन्द (बोलनगीर)

मिश्र, श्री उमा कान्त (मिर्जापुर)

मिश्र, श्री राम नगीना, (सलेमपुर)

मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)

मिश्र, श्री हरिनाथ (दरभंगा)

मिश्र, श्री गार्गीशंकर (सिवनी)

मीणा, श्री राम कुमार (सवाई माधोपुर)

मिर्धा, श्री नाथू राम (नागौर)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पसकुरा)

मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)

मुखोपाध्याय, श्री आनन्दगोपाल (आसनसोल)

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद (बहराइच)

मुबारक शाह, श्री ख्वाजा (बारामूला)

मुत्तंमवार, श्री विलास (चिमूर)

मुथुकुमारन, श्री आर० (कुड्डालौर)

मुन्डाकल, श्री जार्ज जोसफ (मुक्तुपुजा)

मुरुगैयन, श्री एस० (तिरुपत्तूर)

मुल्तान सिंह, चौधरी (जलेसर)

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर (मैसूर)

मेहता, प्रो० अजित कुमार (समस्तीपुर)

मेहता डा० महपति राय एम० (कच्छ)

मैत्रा, श्री सुनील (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)

मोतीलाल सिंह, श्री (सीधी)

मोदक, श्री विजय (आरामबाग)

मोरे, श्री रामकृष्ण (खेड़)

मोहम्मद इस्माइल, श्री (बैरकपुर)

मोहिते, श्री यशवन्त राव (कराड़)

मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)

य

यादव, डा० गोलम (रायगंज)

यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)

यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नौज)

यादव, श्री डी० पी० (मूंगेर)

यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)

यादव, श्री आर० एन० (परभणी)

यादव, श्री रामसिंह (अलवर)

यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)

यादव, श्री सुभाष चन्द्र (खरगोन)

युसुफ, श्री मोहम्मद (सिवान)

र

रंगा, प्रो० एन० जी० (गुन्टूर)

रवाणी, श्री नवीन (अमरेली)

रशीद मसूद, श्री (सहारनपुर)

रहीम, श्री ए० ए० (चिरयिन्किल)

राउत, श्री भोला (बमहा)

राकेश, श्री आर० एन० (चैल)

राजदा, श्री रत्नसिंह (बम्बई दक्षिण)

राजन, श्री के० ए० (त्रिचर)

राजामल्लू, श्री के० (पेद्दापल्लि)

राजू, श्री पी० वी० जी (वोब्रिली)

राजेश कुमार सिंह, श्री (फिरोजाबाद)

रणजीत सिंह, श्री (चतरा)

रणवीर सिंह, श्री (केसरगंज)

राय, श्री रामचन्द्र (आस्का)

राठवा, श्री अमरसिंह (छोटा उदयपुर)

राठौर, श्री उत्तम (हिंगोली)

राणे, श्रीमती संयोगिता (पणजी)

राम अवध, श्री (अकबरपुर)

राम, श्री रामस्वरुप (गया)

रामकिंकर, श्री (बाराबंकी)

रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई (मयूरम)

राममूर्ति, श्री के० (कृष्णगिर)

रामुलु, श्री एच० जी० (कोप्पल)

राय, श्री ए० के० (धनबाद)

राय, श्री एम० रामन्ना (कासरगोड)

राय, श्री रामायण (देवरिया)

राय, डा० सरदीश (बोलपुर)

राय प्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)

राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)

राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)

राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर)

राव, श्री जलगांव कोडाला (खम्मम)

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द (भद्राचलम)

राव, श्री एम० नागेश्वर (तेनालि)

राव, श्री पी० वी० नरसिंह (हनमकोंडा)

रावत, श्री हरीश चन्द्रसिंह (अलमोड़ा)

राही, श्री रामलाल (मिसरिख)

रियान, श्री बाजूबन (त्रिपुरा पूर्व)

रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री के० ओबुल (कड़प्पा)

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर (कुरनूल)

रेड्डी, श्री जी० एस० (सिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री टी० दामोदर (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दूपुर)

रेड्डी, श्री पी० वेंकट (ओंगोल)

रोथुआभा, डा० आर० (मिजोरम)

ल

लकप्पा, श्री के० (टुमकुर)

लक्ष्मनन्, श्री जी० (मद्रास उत्तर)

लास्कर, श्री निहार रंजन (करीमगंज)

लारेंस, श्री एम० एम० (इदुक्की)

व

व्यास, श्री गिरधारी लाल (भीलवाड़ा)

वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (आरा)

वर्मा श्री जयराम (फैजाबाद)

वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)

वर्मा, श्रीमती उषा (खेरी)

वर्मा, रघुनाथ सिंह (मैनपुरी)

वर्मा, श्री रवीन्द्र (बम्बई उत्तर)

वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद (कोडरमा)

वर्मा, श्री शिवचरण (मछलीशहर)

वाघ, डा० प्रताप (नासिक)

वाजपेयी श्री अटल बिहारी (नई दिल्ली)

वाउनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र (बुलढाना)

विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)

वीरभद्रसिंह, श्री (मण्डी)

विश्वास, श्री अजय (त्रिपुरा पश्चिम)

वेंकटरामन, श्री आर० (मद्रास दक्षिण)

वेंकटसुब्बय्या, श्री पी० (नन्दयाल)

वेलू श्री एम० एम० (अर्कोनम)

वैंराले, श्री मधु सूदन (अकोला)

श

शंकरानन्द, श्री वी० (चिक्कोड़ी)

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़)

शनमुगम, श्री पी० (पांडिचेरी)

शमन्ना, श्री टी० आर० (बंगलौर दक्षिण)

शर्मा, श्री कालीचरण (भिण्ड)

शर्मा, श्री चिरंजीलाल (करनाल)

शर्मा, श्री नन्द किशोर (बालाघाट)

शर्मा, श्री नवल किशोर (दौसा)

शर्मा, श्री प्रताप भानु (विदिशा)

शर्मा, श्री सुन्दर (जबलपुर)

शर्मा, श्री विश्वनाथ (झाँसी)

शर्मा, डा० शंकरदयाल (भोपाल)

शाक्य, श्री दयाराम (फर्रुखाबाद)

शाक्य, श्री रामसिंह (इटावा)

शाक्यवार, श्री नाथुराम (जालौन)

शास्त्री, श्री धर्मदास (करोलबाग)

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपुर)

शास्त्री, श्री रामतार (पटना)

शास्त्री, श्री हरिकृष्ण (फतेहपुर)

शिगंडा; श्री डी०बी०(दहानू)

शिवप्रकाशम्, श्री डी०एस०ए०(तिरुनेलवेली)

शिवशंकर, श्री पी०(सिकन्दराबाद)

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगाँव)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)

शेजवलकर, श्री एन० के०(ग्वालियर)

शैलानी, श्री चन्द्रपाल (हाथरस)

श्री निवास प्रसाद, श्री वी०(चामराजनगर)

ष

बाडंगी श्री रुद्र प्रताप (जमशेदपुर)

स

संखवार, श्री आशकरन (घाटमपुर)

संगमा, श्री पी०ए०(तुरा)

सईद, श्री पी०एम०(लक्षदीप)

सज्जन कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)

सत्यदेवसिंह, प्रो०(छपरा)

सतिवेन्द्रन, श्री एम०एस०के०(रामनाथपुरम)

सतीश प्रसाद सिंह, श्री (खगरिया)

सैमीनुद्दीन, श्री (गोड्डा)

साठे, श्री वसन्त (वर्धा)

सारण, श्री दौलतराम (चुरू)

सावंत, श्री ी०एम० (उस्मानाबाद)

साहा, श्री अजित कुमार (विष्णुपुर)

साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)

साहा, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)

साहू, श्री नारायण (देवगढ़)

साहू, श्री शिवप्रसाद(रांची)

सिंगारावाडीवेल, श्री.एस०(तंजावुर)

सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)

सिन्हा, श्रीमती किशोरी (वैशाली)

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी (शिवहर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)

सिंह, श्री धर्मवीर (बाढ़)

सिंह, श्री सी०पी०एन०(पडरौना)

सिंह, डा०वी०एन० (हजारीबाग)

सिंह, श्री धर्मगज (शाहबाद)

सिंह, श्री वी०डी०(फूलपुर)

सिंह देव, श्री के०पी० (ढकानाल)

सिदनाल, श्री एस०वी० (बेलगाम)

सुखबन्स कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)

सुखाड़िया, श्री मोहन लाल (उदयपुर)

सुन्दरराजन, श्री एन० (शिवकासी)

सुन्दरसिंह, श्री (फिल्लौर)

सुब्बा, श्री पी०एम० (सिक्किम)

सुब्बुरमण, श्री ए०जी० (मदुरै)

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)

सूरजभान, श्री (अम्बाला)

सूर्यनारायण सिंह, श्री (बलिया)

सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह (बीदर)

सेठ, श्री इब्रहीम सुलेमान (मेजेरी)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेठी, श्री पी०सी० (इन्दौर)

सेन, श्री ए०के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

सेन, श्री सुबोध (जलपाईगुडी)

सेबस्तियन, श्री ए०ए०दोराई (करूर)

सेलवाराजू, श्री एन० (तिरुचिरापल्ली)

सैनी, श्री मनोहरलाल (कुरुक्षेत्र)

सौनकर श्री कलानाथ (वस्ती)

सोरन श्री शिबू (दुमका)

सोरन श्री हरिहर (क्योंझर)

सोलंकी, श्री नटवर सिंह (काप्ड़बंज)

सोलंकी, श्री बाबूलाल (मुरैना)

स्टीफन, श्री सी०एम० (गुलबर्गा)

स्पैरो, श्री आर०एस० (जालन्धर)

स्वामी, डा० सुब्रहमण्यम (बम्बई उत्तर-पूर्व)

स्वामी, श्री के०ए० (विशाखापत्तनम)

स्वामीनाथन, श्री आर०बी० (शिवगंगा)

स्वामीनाथन, श्री बी० एन०(पुद्दकोट्टई)

ह

हन्नान मोल्लाह, श्री (उलबेरिया)

हरिकेश बहादुर, श्री (गोरखपुर)

हसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)

हाकमसिंह, (भटिंडा)

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र (दुर्गापुर)

हेमब्रम, श्री सेत (राजमहल)

होरो, श्री एन०ई० (खूंटी)

क्ष

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई (बाड़)

त्र

त्रिपाठी, श्री कमलापति (वाराणसी)

त्रिपाठी, श्री रामनारयण (बिल्हौर)

त्रिलोकचन्द, श्री (खुर्जा)

अध्यक्ष

श्री बलराम जाखड़

उपाध्यक्ष

श्री जी० लक्ष्मनन्

सभापति तालिका

श्री गुलशेर अहमद

श्री सोमनाथ चटर्जी

श्री हरिनाथ मिश्र

श्री के० राजामल्लू

श्री चन्द्रजीत यादव

श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही

सचिव

श्री अवतार सिंह रिखी

———

भारत सरकार

मन्त्रिमण्डल के सदस्य

प्रधान मन्त्री (सभी मंत्रालय/विभाग जिनको नीचे निर्दिष्ट नहीं किया गया)	... श्रीमती इन्दिरा गांधी
वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री	... श्री प्रणव मुखर्जी
विदेश मंत्री	... श्री पी. वी. नरसिंह राव
गृह मंत्री	... ज्ञानी जैल सिंह
सत्रार मन्त्री	... श्री सी. एम. स्टीफन
वित्त मन्त्री	... श्री आर. वेंकटरामन
ऊर्जा मन्त्री	... श्री ए. वी. ए. गनी खान चौधरी
योजना मन्त्री	... श्री एस.वी. चव्हाण
रेल मन्त्री	... श्री केदार पाँडे
नौवहन और परिवहन मंत्री	... श्री वीरेन्द्र पाटिल
सूचना और प्रसारण मन्त्री	... श्री वसन्त स.ठे
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री	... श्री प्रकाशचन्द्र सेठी
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री	... श्री शिवशंकर
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री	... श्री वी. शंकरानंद
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	... श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
संसदीय कार्य तथ निर्माण और आवास मंत्री	... श्री भीष्म नारायण सिंह
कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई और नागरिक पूर्ति मन्त्री	... श्री राव वीरेन्द्र सिंह
उद्योग तथा श्रम मंत्री	... श्री नारायण दत्त तिवारी

सिंचाई मन्त्रालय में राज्यम-त्री	··· श्री जियाउर्रहमान अंसारी
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	··· श्री भागवत झा आजाद
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	··· श्री चरणजीत चानना
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	··· श्री चन्दूलाल चन्द्राकर
शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	··· श्रीमती शीला कौल
संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	··· श्री सीताराम केसरी
वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	··· श्री खुर्शीद आलम खान
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	··· श्री निहार रंजन लास्कर
ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री	··· श्री विक्रम महाजन
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	··· श्री योगेन्द्र मकवाना
संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री	··· श्री कार्तिक उरांव
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री	··· श्री शिवराज वी० पाटिल
कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री	··· श्री बालेश्वर राम
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	··· श्री सी०के० जाफर शरीफ
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	··· श्री बूटा सिंह
विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रोनिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री	··· श्री सी०पी०एन० सिंह
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री	··· श्री दलबीर सिंह
श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री	··· श्रीमती रामदुलारी सिन्हा
वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री	··· श्री सवाई सिंह सिसोदिया
कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री	··· श्री आर०वी० स्वामीनाथन
गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	··· श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या

उप मन्त्री

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री	... श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ
वित्त मंत्रालय में उप मंत्री	... श्री मगन भाई बरोट
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री	... कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी
कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मन्त्री	... कुमारी कमला कुमारी
रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग और शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री	... श्री मल्लिकार्जुन
नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री	... श्री बृजमोहन महन्ती
संचार मंत्रालय में उप मन्त्री	.... श्री विजय एन० पाटिल
श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री	... श्री पी० वेंकट रेड्डी
उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री	... श्री पी० ए० संगमा
पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री	... श्री पी०के० थुंगन

———

लोक सभा

सोमवार, 23 नवम्बर, 1981/-2 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

एक माननीय सदस्य : महोदय, हम आपका स्वदेश लौटने पर स्वागत करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत धन्यवाद।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, हम लगभग दो महीने के अन्तराल के बाद मिल रहे है। सभा को सूचित करते हुए मुझे दुख हो रहा है कि हमारे भूतपूर्व साथियों अर्थात सर्वश्री सदाशिव दाजी पाटिल, सुरेश चन्द देव, चौ० लहरी सिंह, श्रीमती शिवराज वढी नेहरु और श्री राजाराम दादा साहिब निम्बालकर का निधन हो गया है।

श्री सदाशिव दाजी पाटिल 1967-70 के दौरान चौथी लोक सभा के सदस्य थे तथा वह महाराष्ट्र राज्य के संगाली चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। इससे पहले वह 1952-57 के दौरान पुरानी वम्बई राज्य विधान सभा के सदस्य थे।

एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने लोगों के शैक्षिक उत्थान में सक्रिय भाग लिया और वह कई शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। वह ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास तथा कृषकों के कल्याण में काफी रूचि रखते थे।

वह 20 सितम्बर 1981 को 70 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गये।

श्री सुरेश चन्द्र देव 1952-57 के दौरान प्रथम-लोक सभा के सदस्य थे तथा आसाम के कच्छार लुशाई पहाड़ी चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह 1957-66 के दौरान राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

वह कर्मठ स्वतन्त्रता सेनानी थे उन्होंने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया तथा कई बार जेल गये।

वह एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा बहुत से संगठनों से सम्बद्ध थे। उन्होंने युवा किसान तथा श्रमिक आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया।

उनका कलकत्ता में 27 सितम्बर 1981 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

चौ० लहरी सिंह 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य थे तथा पंजाब राज्य के रोहतक चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। इससे पहले 1946-61 के दौरान वह पंजाब विधान सभा के सदस्य थे। कई वर्षों तक पंजाब सरकार में मन्त्री भी रहे हैं। अपने मन्त्रीत्व काल में उन्होंने मेरे गांव में प्रथम औषधालय खोला था जिसके लिए मैंने 1947 में निवेदन किया था।

एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों की हिमायत की तथा ग्रामीण उत्थान में विशेष रूचि ली।

उनका रोहतक में 4 अक्तूबर 1981 को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

श्रीमती शिवराजवती नेहरु 1955-57 के दौरान प्रथम लोक सभा की सदस्य थी तथा उत्तर प्रदेश के लखनऊ चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके बाद वह 1957-78 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रही।

वह एक स्वतन्त्रता सेनानी थीं। उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा जेल भोगी।

सामाजिक कार्यकर्ता के रुप में वह बहुत से संगठनों से सम्बद्ध रहीं और महिलाओं व बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करती रही। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में भी पर्याप्त रूचि ली।

उनका लखनऊ में 19 अक्तूबर 1981 को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

श्री राजाराम दादा साहिब निम्बालकर 1971-77 के दौरान पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा महाराष्ट्र के कोल्हापुर चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

वह एक व्यापारी तथा कृषक थे उन्होंने संसदीय कार्यवाही में गहन रूचि ली।

उनका बम्बई में 8 नवम्बर 1981 को 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

इन साथियों के निधन पर हम शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभी सभा शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजने में मेरा साथ देगी।

सभा अपना दुख व्यक्त करने के लिए कुछ क्षणों के लिए खड़ी होगी।

(इसके पश्चात सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे)

यूरोपीय संसदीय शिष्टमन्डल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से माननीय श्रीपाल बरगीस तथा यूरोपीय संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों, जो हमारे सम्मानीय अतिथियों के रूप में भारत यात्रा पर आये है, का स्वागत करने में मुझे अपार हर्ष हो रहा है। इस शिष्टमंडल के अन्य सम्माननीय सदस्य हैं: श्री हन्स आर० नोर्ड, श्री विलहैल्म एफ० टी० हान श्री पीटर एन० प्राइस, श्री मारडोन रिचार्ड सेलिमैन, श्री पोल, एम० ई० ई० मार्क, श्री विन्सटन जे० ग्रिफाइटस, श्री गेरहर्ड स्किमिड और श्री सीन फ्लैंगान।

भूतकाल में भी हमारे यहां यूरोप से संसदीय शिष्टमंडल आते रहे है और हमारे यहाँ से यूरोप के जाते रहे। तथापि यूरोप के सीधे संसदीय चुनावों, जो कि जून 1979 में हुए थे, के बाद यूरोपीय संसद के शिष्टमंडल का यह प्रथम दौरा है। यह शिष्टमंडल कल दोपहर बाद यहा पहुंचा है और भारत में लगभग एक सप्ताह रहेगा। अब जैसा कि आप देख रहे है विशेष प्रकोष्ठ में बैठे है। हम शुभ कामना करते है कि उनका हमारे देश में ठहरना बहुत खुशियों से परिपूर्ण तथा सफल रहे उनके माध्यम से हम यूरोपीय संसद को अपनी शुभ कामनायें तथा बधाई देते हैं।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने देवली कांड के सम्बन्ध में 388 के तहत नोटिस दिया था। (व्यवधान)

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री रामविलास पासवान : आप इसको इतना आसानी से नहीं ले सकते। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैं कहां आसानी से ले रहा हूं, मैंने तो पहले ही कह दिया है। ···(व्यवधान)···

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, 388 का महत्व है (व्यवधान) इतनी बड़ी घटना घट गई। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए ऐसा मत करिए मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे दी है और आज इस पर सदन में चर्चा की जा रही है। अब इसके बाद और कुछ नहीं (व्यवधान)··· प्रश्न आचार्य भगवान देव

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० पी० गायकवाड़।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : एक-एक, दो-दो साल के बच्चों को मारा जा रहा है रोज घटनाएं हो रही हैं, पुलिस द्वारा अपराध किए जा रहे हैं ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सदन कानून से ही चल सकता है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, ठीक है अपकी बात। मैंने अलाऊ कर दिया है । श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : प्रश्न संख्या 3 (व्यवधान)

श्री दारुट पुलप्या : हम उत्तर नहीं सुन पा रहे है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अलाऊ कर दिया है ।···(व्यवधान)

क्या आप इस तरीके से सभा चला सकते है ? मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे दी है ···(व्यवधान) कृपया नहीं···मैं नहीं कर सकता ···(व्यवधान) कोई प्रश्न नहीं।

बहुत से माननीय सदस्य : हाउस नहीं चलेगा, हाउस नहीं चलेगा।

श्री मूलचन्द डागा : हम उत्तर नहीं समझ सकते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर पहले ही एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे दी है। यह उचित तरीका नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

इस समय श्री राजेश कुमार सिंह, श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर सभा पटल के पास फर्श पर बैठ गये (व्यवधान)*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कांडला पत्तन का राजस्थान नहर के साथ जोड़ा जाना

*3. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल राजस्थान नहर परियोजना प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा जिसमें इस नहर को कांडला पत्तन के साथ जोड़े जाने की व्यवस्था थी और नौगम्य योजना थी ;

(ख) क्या यह सच है कि मूल परियोजना राजस्थान राज्य के रेगिस्तानी सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापक हित में है और यदि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के बड़े भागों को कांडला पत्तन के साथ जोड़ दिया जाये तो वह औद्योगिक व वाणिज्यिक दृष्टि से इन भागों के लिये लाभप्रद हो सकती है; और

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा मूल परियोजना क्रियान्वित न किये जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) राजस्थान नहर परियोजना को 1956-57 को प्रारम्भिक रिपोर्ट में कांडला बन्दरगाह को राजस्थान नहर से जोड़ने की परिकल्पना नहीं की गई थी। परन्तु इस प्रश्न के विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा विस्तारपूर्वक जांच की गई थी और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, राजस्थान नहर परियोजना के निर्देशन समिति ने 1965 में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए इस विचार को छोड़ देने का निर्णय किया था;

"(1) कि यह एक महंगा प्रस्ताव है, क्योंकि राजस्थान नहर बोर्ड द्वारा तैयार किए गए प्रारम्भिक अनुमानों से पता चलता है कि राजस्थान नहर में नौचालन संबन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने पर 70 करोड़ रुपये से अधिक लागत आएगी और इसके अतिरिक्त राजस्थान नहर के अन्तिम सिरे (टेल) से कांडला बन्दरगाह तक एक लिंक के निर्माण के लिये 140 करोड़ रुपये की और धनराशि अपेक्षित होगी।

(2) कि राजस्थान नहर परियोजना लॉक्स, वाष्पोकरण और अवशोषण के कारण 1000 क्यूसेक जल की निरन्तर होने वाली हानि को बर्दाशत नहीं कर सकती यह जल लगातार राजस्थान नहर के हिस्से से प्राप्त करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक लागत 2 लाख एकड़ की सिंचाई की हानि होगी।"

तद्नुसार इस मामले पर आगे विचार नहीं किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ वे मेरी अनुमति के बिना कह रहे हैं उसमें से कुछ भी सभा की कार्यवाहीमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने एलाउ कर दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : न चलने दीजिये। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं कानून तोड़ते है। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जवाब देंगे कालिंग एटेंशन में। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय कोई चीज अगर करना चाहते है तो हिसाब से करिये। मैंने एलाउ कर दिया है। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने 388 में एलाउ नहीं किया है। कालिंग एटेंशन किया है। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक तरफा नहीं हो सकता। (व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: इसलिए सबसे पहले किया है (**व्यवधान**) *

अध्यक्ष महोदय : अपनी सीट पर जाइये। (**व्यवधान**)* सभा की कार्यवाही में कुछ भी सम्मिलित नहीं कियां जा रहा है। मैंने उनको अनुमति नहीं दी। जो भी कहा जा रहा हैं मेरी अनुमति के बिना कहा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिये। जो लोग बैठे हैं वे क्या सोचते होंगे आपके और हमारे प्रति। (**व्यवधान**) यह गलत है। यह सभी संसदोय लोकतंत्र के पूर्णमया विरुद्ध है। आप अपमे पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जड़ों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपकी और मेरी भावना में कोई अन्तर नहीं है। जो आपके दिल में है वही मेरे दिल में है। लेकिन हिसाब से काम चलता है। (**व्यववान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको अनुमति नहीं दी। मैंने कल अटेंशन लिया है। यह गम्भीर विषय है इसीलिपे मैंने लिया है काल अटेंशन, वरना नहीं लेता। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको शोभा देता है जो आप यहां खड़े होकर बात कर रहे हैं, आप सरकार यहाँ भी नहीं चलने दे रहे हैं, वहाँ की तो बात ही नहीं है। (**व्यवधान**)

आप बैठिये, कोई हद होती है। आप कहियेगा काल अटेशन में सारी बात। पहले आप अपनी सीट पर जाइये। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात मैं तब सुनूंगा जब आप अपनी बात कहना चाहेंगे। लेकिन कहने का ढ़ंग होता है। मैंने किसी बात से आपको आश्वस्त किया हुआ है मैं कोई चीज दवा कर नहीं रहने दूंगा। लेकिन आप यह कहें कि आपकी ही मर्जी से डिस्कशन हो, यह भी नहीं चलेगा। (**व्यवधान**)

आपने मुझे अपनी मर्जी से यहाँ भेजा है, मुझे बुला लीजिए। मैं नहीं करुगा। मैंने सबसे पहले जरूरी समझा था काल अटेंशन इसी मसले पर इसीलिये लिया है (**व्यवधान**)

आप पूरे माहोल को बिगाड़ते हैं। आप अतिक्रमण कर रहे हैं हर एक बात का। यह अच्छा नहीं है। यह शोभा नहीं देता है आपको। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपत्ति नहीं की कहां कर रहे हैं। वह एक आदमी है वह चाहे इधर हो या उधर हो। मेरे दिल में भी उतने ही उद्‌गार हैं जितने आपके में हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं करुंगा। मुझे इस सभा को चलाना है। जब तक मैं यहां पर हूं, मैं निष्पक्ष रहूंगा। में हरेक को सुनूगां। प्रत्येक बात पर कानून के अनुसार चर्चा की जायेगी। इस तरीके से नहीं। कृपया व्यवस्था बनाइये। मुझे आदेश नहीं दिये जायेंगे (**व्यवधान**) *

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो कालिंग अटेंशन पर सुनूंगा, उससे पहले नहीं सुनूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप डिस्कस कीजिए, लेकिन हिसाब से लूंगा, कोई चीज छिपाकर नहीं लूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप कुछ सुनाना चाहते हैं तो ढ़ंग से सुनूंगा, ऐसे नहीं। डिस्कशन और भी करेंगे, जो कहोगे डिस्कशन करेंगे लेकिन ऐसे नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : धींगामस्ती से बिल्कुल नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, और कोई मोशन होगा तो देखूंगा, लेकिन करुंगा हिसाब से। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका कोई भी और मोसन लेने को तैयार हूं अगर करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं हिसाब से ही करुंगा। मैं इस पर बाजिद हूं, क्योंकि मैंने सोचकर इसे रखा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे साथ सहानुभूति कीजिये, साथ दीजिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप और मोशन दीजिये, वह ले लूंगा। लेकिन मेरा साथ दीजिये, तब करुंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एडजार्नमेंट मोशन इस तरह नहीं ले सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप मुझे बता देंगे तो ठीक है, मैं गलती मान लूंगा। मेरे पास आकर मुझे समझा दीजिये या मैं उसको समझा दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं सुनूंगा। अब आप बैठिये। और कोई मोशन दीजिये ले लूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बुद्धि चन्द्र जैन (व्याधान)

अध्यत्र महोदय : कोई मोशन दीजिए, तो मैं देख लूंगा (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप ऐसा करेंगे, तो कोई डिस्कसन नहीं हो सकेगा। अगर आप इत्मीनान से काम करेंगे, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो आप मुझसे पूछते हैं, वह कालिंग अटेंशन नोटिस में क्यों नहीं पूछते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कोई और मोशन दे दें। मैं वह मोशन ले लूंगा। एजर्नमेंट मोशन नहीं हो सकता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने उचित नहीं समझा॥ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कलिंग अटेंशन नोटिस अलाऊ किया है। अगर आप उससे सन्तुष्ट नहीं हैं, तो आप रूल 184 में दे सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं हो सकता है। आई एम नोट गोइंग टु डिसक्लोज ऐनीथिंग : (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जैन।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने जब ब में कहा है कि यह महंगा प्रस्ताव है। मगर इससे होने वाले भारी लाभ को देखते हुए यह प्रस्ताव महंगा नहीं है। इस प्रस्ताव के अन्तर्गत राजस्थान कैनाल को कांडला से जोड़ना है, जिससे बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर का सीयावर्ती तथा रेगिस्थानी क्षेत्र सिंचाई से लाभान्वित होगा और नैवीगेबल स्कीम से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब औद्योगिक एवं व्यवसायिक दृष्टि से लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान नहर इच्छोगिल नहर का नाम करेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस स्थिति में केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का निर्णय लेने के लिए तैयार है, यदि हां, तो किस प्रकार और यदि नहीं, तो क्यों नहीं। (व्यवधान)

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कोई नारे वाजी नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हाउस नहीं चलेगा तो डिस्कस कैसे करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो करवा रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर हाउस न चलने से डिस्कस हो सकता है तो ठीक है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं वगैर कानून के बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं। नहीं हो सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं किया जा सकता। यह राज्य विषय है। मैं स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। मैं अपना कार्य जानता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे दिल में मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा दर्द है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नौ, 193 मंडल जी दे गए, वह में कर दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही अस्वीकार कर दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं हो सकता। मैंने काल अटेंशन मंजूर कर रखा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐडजर्नमेंट मोशन नहीं हो सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : काल अटेंशन पर करिए, तसल्ली नहीं होगी तो किसी दूसरे पर कर लीजिएगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जवाब तो गृह मन्त्री ही देंगे। वह गृह कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार हैं। प्रधान मन्त्री जबाब क्यों देंगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप दुराग्रह से काम क्यों करवाना चाहते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कुछ नहीं मैंने उनको अनुमति नहीं दी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां पर आप कानून को नहीं चलने दे रहे हैं, वहां पर कैसे कानून चलाना चाहते हैं। अपने बनाए हुए कानून को आप यहां पर चलाना नहीं चाहते हैं। आप डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यही सारी बातें तो आप उसमें कहेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इनको आप एक चिट्ठी लिखवा दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब इन्कार किया है ? आप इस तरह से क्यों खड़े हैं, आप बैठते क्यों नहीं हैं ? पहले आप अपनी सीटों पर जाइये। आप मेरे साथ जबर्दस्ती कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मत चलने दीजिए, मेरा क्या है। मेरी सभा तो है नहीं, यह तो आप की ही सभा हैं। आपको डिस्कस करना हो तो कर लीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, मेरे से जो अन्याय करवा रहे हैं। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मेरे से अन्याय मत करवाइए। आप बैठ जाइए। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम 193 में कर लूंगा। मैंने वादविवाद को समाप्त नहीं किया। यह नियमानुसार होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, नियम 388 के तहत मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। (···(व्यवधान)···

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि रुल 388 को आप काम में क्यों नहीं ला रहे हैं ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैं इनकी सज्जनता पर अभी भी विश्वास रखे हुए हूं । ··· (व्यवधान)···

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर सुन लीजिए। मैं नियम 388 के तेहत इसको उठा रहा हूं । इस नियम में लिखा हुआ है ···

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसमें कन्सेन्ट नहीं दी है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन आवर में प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता है ।

श्री रामविलास पासवान : लेकिन आप मेरी बात सुन लीजिये । नियम 388 में लिखा है ।

"कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह प्रासंगित नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायगा ।

अध्यक्ष महोदय इसमें पहली बात तो यह है । कि क्वेश्चन आवर में प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता है । दूसरी बात यह है कि मैंने इसको एलाउ नहीं किया है । मैंने इसकी कन्सेन्ट नहीं दी है । मैंने सिर्फ काल-एटेन्शन एलाउ किया है फिर भी आप की तसल्ली न हो तो कोई मोशन दे दें, 193 में ले लेंगे ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप कहते हैं कि हाउस में काम कायदे-कानून के मुताबिक होगा । हम लोग भी कायदे-कानून के तेहत कार्यवाही चलाने देने के लिये तैयार हैं। लेकिन जब आपके पास कायदे-कानून के अन्तर्गत नियम 388 का मोशन आया है ···

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसको एलाउ नहीं किया है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : लेकिन क्यों एलाउ नहीं किया है—इस बात को बतला दें ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है । बस, मैंने एलाऊ नहीं किया है । फिर भी आप सन्तुष्टि न हो तो मैं इस पर चर्चा नहीं करता । मेरे पास प्रकट करने के लिए कुछ नहीं है ।

आप की सन्तुष्टि न हो तो आप 193 में या 184 में मोशन दीजिये

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : लेकिन इसमें आपको क्या परेशानी है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे और कुछ नहीं बतलाना है यह किया जा सकता··· (व्यवधान)

श्री राजेश कुमार सिंह : यह बड़ा गम्भीर मामला है । आप अपने विवेक से इसकी गम्भीरता को देखें ···

अध्यक्ष महोदय : हर बात की हद होती है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सारी बातों को देखा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सोच रहा हूं कि आज आप लोग छुट्टी के मूड में हैं। आप काम करने के मूड में नहीं हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप न तो कोई डिस्कशन करना चाहते हैं और न संसद को चलने देना चाहते है और जब संसद नहीं चलेगी' तो आप कैसे बोलेंगे और किस बात पर डिस्कशन होगा। मैं गरीब अकेल आदमी हूं और आपके 50 आदमी खड़े हैं (व्यवधान) आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। किसी भी बात की हद होती है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सारा कुछ करवाना चाहता हूं लेकिन आप करवाने दें तब न। अभी ध्यानाकर्षण शुरू होना है। उस पर ठीक ढग से बोलिए, कंस्ट्रक्टिव ढंग से बोलिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब बारह बजने वाले हैं। मैं बुला रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने से आप समझते हैं कि हो सकता है तो ऐसे ही चलने दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे रखना ही नहीं चाहते हैं। आप तो हाउस ही नहीं चलने दे रहे हैं। आप तो अपनी बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो चला रहा हूं मैं कालिंग अटेंशन करवा रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो चला रहा हूं। मैं तो आपसे हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूं एक से नहीं सभी से कर रहा हूं। लेकिन आप तो हाउस अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आपका काम है कि आप हाउस चलने दें। अगर आप नहीं चाहते तो न चलने दीजिए। आपका एक घंटा जाया हुआ है, आप एक घंटा और जाया करेंगे। इसी काम को हम और अच्छी तरह से करा सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस काम को हम 193 में करा सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जिद्द क्यों करते हैं? आप इसे क्यों पसन्द करेंगे आपको मुझे सहयोग देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बताइये, कौन-सा नहीं किया? मैंने कोई गलत बात नहीं की है।

आपने जितना करना था वह कर लिया। अब बहुत हो गया हैं अब आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो 184 में ले लूंगा। कौन रोकता है ? मैंने परसों भी कहा था। जार्ज सहाब बैठे हुए हैं, बोलते नहीं हैं। 184 में ले लेता हूं, मुझे क्या तकलीफ है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो ले लूं लेकिन आप तो बैठें। यह मैंने पहली बात कही है।

अध्यक्ष महोदय : भाई, आप इसकी गम्भीरता को नहीं समझते। मैं किसी और सब्जेक्ट को भी ले सकता था, सबसे पहले मैंने इसे ही क्यों लिया। यह मेरी तरफ से यह इस बात का द्योतक है। मैंने इसलिए अनुमति पहले ही दिन के लिए दी है मैंने सोचा था कि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह तो सारा होगा, जब मैं कालिंग अटेंशन शुरू करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं निन्दा करूंगा निन्दा नहीं करूं तब बताना। कालिंग अटेंशन शुरू होने दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं करूंगा, अब आप बैठिए। आप मेरी एक बात सुन लीजिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली विकास प्राधिकरण की किराया खरीद योजना के अधीन मकानों का आवंटन

*1. **आचार्य भगवान देव** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किस्तों के आधार पर मकानों के आवंटन की पंजीकरण की वह तारीख क्या है जहां तक मकान आवंटित कर लिए गए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष 15 अगस्त को आवंटन के लिए रिलीज किये गये मकानों के मामले में ऐसे लोगों की जिन्होंने अपनी पारी के अनुसार विशिष्ट रुप से अशोक विहार में उक्त मकानों के आवंटन के लिये आवेदन किये थे, उनकी पारी के बावजूद उनको मकानों का आवंटन नहीं किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और ये मकान उन्हें कब तक आवंटित किये जायेंगे ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण तथा आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन के लिए दिए गए मकानों के अनुसरण में पंजीकृत व्यक्तियों से जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए है उनके आधार पर 1976 तक विभिन्न सामान्य पंजीकरण योजनओं के संबन्ध में जिस नंजीकृत तारीख तक किराया खरीद के आधार पर मकानों का आवंटन किया गया है वह, तारीख मध्यम आय वर्ग फ्लैटों की 19.7.1980, निम्न आय वर्ग के फ्लैटों की 15.4.1981 तथा जनता फ्लैटों के लिए 4.1.1977 है ।

(ख) पिछले वर्ष 15 अगस्त को आवंटन के लिए फ्लैट रिलीज नहीं किए गए ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पक्षियों के शिकार पर प्रतिबन्ध

*2. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपने देश में विशेषकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में तीतर और बटेर तथा अन्य ऐसे पक्षियों के, जिनकी नस्ल नष्ट हो जाने की आशंका है, शिकार करने तथा उन्हें पकड़ने के बारे में भारतीय वन्य जीवन बोर्ड द्वारा अभिव्यक्त चिंता की जानकारी है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों द्वारा देश के किसी भाग में पक्षियों, विशेषकर ऐसे पक्षियों का, जिनकी नस्ल नष्ट हो जाने की आशंका है, शिकार करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में इस मामले को राज्य सरकार के साथ अविलम्ब उठाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय वन्य प्राणि बोर्ड की पक्षियों से सम्बन्धित विशेषज्ञ समिति ने 12 सितम्बर, 1981 को हुई अपनी बैठक में विशेषकर राजस्थान, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में तीतर और बटेर की संख्या में काफी कमी होने के बारे में चिन्ता व्यक्त की तथा इसने सिफारिश की है कि इस मामले को सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ उठाया जाय।

(ख) और (ग) तदनुसार, यह मामला सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है। वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के तहत अधिनियम की अनुसूचि में उल्लिखित ऐसे पक्षियों के, जिनकी नस्ल नस्ट हो जाने की आशंका है, शिकार करने पर पूरे देश में पहले ही प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। सभी राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे विदेशी पर्यटकों द्वारा बन्य प्राणियों के शिकार करने को प्रोत्साहित न करें।

सिंचाई परियोजनाओं पर निगरानी

*4. **श्री जयनारायण रौत** :

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में सिचाई परियोजनाओं के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सिंचाई परियोजनाओं को मानीटरिंग परियोजना स्तर, राज्य स्तर और केन्द्र स्तर पर की जानी अपेक्षित होती है। केन्द्रीय जल आयोग में एक मानीटरिंग यूनिट की स्थापना दी गई है जो विभिन्न राज्यों में 66 बृहद सिंचाई परियोजनाओं को मानीटरिंग कर रहा है।

राज्य सरकारों को राज्य स्तर और परियोजना स्तर पर मानीटरिंग यूनिट स्थापित करने की सलाह दी गई है। 15 राज्यों ने राज्य स्तर पर और कुछ परियोजना के लिए परियोजना स्तर पर मानीटरिंग सेल स्थापित किए हैं।

सूखे से प्रभावित खड़ी फसल को बचाने के लिए तात्कालिक कदम

*5. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में हाल के सूखे से प्रभावित खड़ी फसल को बचाने के लिए तात्कालिक कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने जिन राज्यों में पिछले साल भयंकर सूखा पड़ा था उनके किसानों को बिजली और उर्वरक सस्ते दामों में देने का प्रबन्ध किया है ;

(घ) इस वर्ष खरीफ की फसल की नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ड़) क्या इस साल कुछ राज्य भयंकर सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां,

(ख) सरकार ने खरीफ की खड़ी फसलों के लिए सिंचाई की सुविधायें प्रदान करने हेतु किसानों को बिजली, डीजल व नहरी पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए तात्कालिक कदम उठाये।

(ग) जी, नहीं। लेकिन केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को छोटे व सीमान्त किसानों के लिए लागत के क्रमशः 25 प्रतिशत व 33/1/3 प्रतिशत के हिसाब से बीजों, उर्वरक आदि पर आदान सम्बन्धी सहायता प्रदान की गयी।

(घ) हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जहां

अगस्त के मध्य से सितम्बर के अन्त तक के लम्बे अर्से के सूखे के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा, देश के अधिकांश भागों में खरीफ की फसलों वस्तुत: सामान्य या सन्तोषजनक बतायी जाती हैं।

(ड़) हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश राज्यों ने अपनी खरीफ की फसलों के सम्बन्ध में सूखे की परिस्थितियों का अनुभव किया। लेकिन इन राज्यों में अक्तूबर व नवम्बर के दौरान हुई वर्षा रबी फसलों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई।

आयातित चीनी का उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण

***6. श्री एच० एन० नन्जे गोड़ा :**

श्री बी बी देशाई : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने शेष 1.9 लाख टन आयातित चीनी की बिक्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से करने का निर्णय किया है, क्योंकि व्यापारियों ने इसे उठाने में आना-कानी की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि व्यापारियों के लिए अक्तूबर मांस के फ्री कोटे के रूप में पेश की गई 25000 टन आयातित चीनी में से व्यापारियों ने केवल 14000 टन चीनी की बोली लगाई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य व्यापार निगम को जिसने आयातित चीनी का गोदाम द्वारा मूल्य 5200 रूपये प्रति टन निर्धारित किया है, वित्त मन्त्रालय द्वारा 5110 रुपये से 5120 रु० प्रति टन के बीच मूल्य स्वीकार कर लेने के निर्देश दिए गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस चीनी की बिक्री उचित दर की दुकानों से खुले बाजार के मूल्यों की भांति कुछ कम मूल्य पर करनी होगी ; और

(ड.) यदि हां, तो उचित दर दुकानों के माध्यम से इसकी सप्लाई कब तक किए जाने की सम्भावना है और सरकार को इससे कुल कितनी हानि उठानी पड़ेगी ?

कृषि तथा पुनर्निर्माण तथा सिचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) यह हमेशा सरकार पर निर्भर करता है कि वह आयातित चीनी का इस्तेमाल किस प्रकार करे। नवम्बर और दिसम्बर, 1981 के महीनों की लेवी चीनी की आवश्यकताओं के एक भाग को पूरा करने के लिए नीलामी द्वारा बाजार में खुली बिक्री के लिए कुछ मात्रा निर्मुक्त किए जाने का निर्णय करते समय यह निर्णय किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित चीनी में से क्रमश: 1.59 लाख मीटरी टन और 39,000 मीटरी टन चीनी का उपयोग किया जाए।

(ख) जी नहीं। कुल 24,467 मीटरी टन आयातित चीनी के लिए बोली लगायी थी।

(ग) चीनी का गोदाम द्वारा पर मूल्य 5200 प्रति मीटरी टन होने की दृष्टि में, कृषि मन्त्रालय ने राज्य व्यापार निगम को परामर्श दिया था कि वे उन बोलियों को स्वीकार कर लें जबकि 5101 रुपये से 5552 रुपये प्रति मीटरी टन आयातित चीनी के रैंज में थीं।

(घ) और (ड़) नवम्बर और दिसम्बर, 1981 के महीनों के लिए लेवी चीनी सम्बन्धी कमी को पूरा करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु रूप से जारी रखने की दृष्टि" से राज्य व्यापार निगम को निर्देश दिया गया है कि वे बदलने के आधार पर 306.74 रुपये से 360.49 रुपये प्रति क्विंटल तक रैंज के मूल्यों पर राज्य सरकारों/भारतीय खाद्य निगम को 1.98 लाख मीटरी टन आयातित चीनी देने की व्यवस्था करे जिससे राज्य व्यापार निगम अपेक्षाकृत कम मूल्य पर वर्ष 1981 और 1982 के निर्यात सम्बन्धी वायदों को पूरा करने के लिए चीनी खरीद सके। आयातित चीनी के निपटान का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इस कार्य को पूरा होने पर ही कुल लाभ अथवा हानि का हिसाब लगाया जाएगा। राज्य व्यापार निगम सामान्यतया किसी वर्ष के कुल वाणिज्यिक परिचालन, परिचालन-लाभों के प्रति संतुलित की गई परिचालन हानियों को ध्यान में रखता है और उसी को उनके तुलन-पत्र, जो कि राज्य व्यापार निगम के कुल वाणिज्यिक कार्य का सूचक होता है, में हिसाब में रखा जाता है। इसकी दृष्टि में चीनी मौसम 1980-81 में चीनी के आयात के बारे में राज्य व्यापार निगम की हानि/लाभ को ठीक-ठीक बताना कठिन है क्योंकि यह वर्ष 1981-82 में राज्य व्यापार निगम के कुल निर्यात कार्य के प्रति कमी को पूरा करेगा।

दिल्ली के विकास के लिए कानून

*7. **श्री चित्तन हाटा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विकाश के लिए सरकार का प्रस्ताव कोई तथा कानून बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बध में क्या ब्योरा है ;

संसदीय कार्य और निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जल प्रबन्ध सम्बन्धी राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान

*8. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** :

श्री टी दामोदर रेड्डी : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जल प्रबन्ध के सभी पहलुओं के बारे में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक राष्ट्रीय स्टाफ प्रशक्षण संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह : (क) जो, हां इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इस वित्तीय वर्ष के दौरान् निर्णय किए जाने की सम्भावना है।

मिल्क फ्लड देट बिकेम ए ट्रिकल शीर्षक से समाचार

*9. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जून, 1981 के सडे स्टैंडर्ड में मिल्क फ्लड देट बिकेम ए ट्रिकल, शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें हरियाणा के आपरेशन फ्लड-एक और दो परियोजनाओं की निराशाजनक तस्वीर पेश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि पंजाब और हरियाणा सरकारों ने डेयरी बोर्ड द्वारा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में अपनी गम्भीर आशंकाएं व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने हैं अथवा उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह : (क) जी हां।

(ख) उक्त समाचार में उल्लिखित कठिनाईयां तथा समस्याएं हरियाणा राज्य सरकार से सम्बन्धित हैं, जिनका ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

पश्चिम बंगाल को गेहूं

*10. श्री आनन्द पाठक :

श्री कृष्ण हाल्दर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल को उनकी मांग के अनुसार गेहूं की सप्लाई नहीं कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गेहूं की आवंटित की गई मात्रा भी उन्हें सप्लाई नहीं की गई ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) आवंटन और सप्लाई का अन्तर समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्य-

वाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) : राज्य सरकारों से प्राप्त मांगों की तुलना में केन्द्रीय पूल में गेहूं की समूची उपलब्धता और अतीत में निकासी की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर राज्यों (पश्चिमी बंगाल सहित) को गेहूं आवंटित किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार प्रत्येक मास 90,000 मीटरी टन गेहूं (55,000 मीटरी टन सार्वजनिक वितरण के लिए और 35,000 मीटरी टन रोलर फ्लोर मिलों के लिए) आवंटित कर रही है जबकि उनकी कुल मांग 1,45 000 मीटरी टन) 1,00,000 मीटरी टन सार्वजनिक वितरण के लिए और 45,000 मीटरी टन मिलों के लिए) है।

(ख) और (ग) यह सही नहीं है कि पश्चिमी बंगाल को आवंटित मात्रा सप्लाई नहीं की गई थी। पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में गेहूं का पर्याप्त स्टाक था और राज्य सरकार ने उनके आवंटन का 95 प्रतिशत से भी अधिक मात्रा का उठान किया है।

(घ) पश्चिमी बंगाल में गेहूं की सुगम स्टाक स्थिति की दृष्टि में, पश्चिमी बंगाल सरकार को समस्त अवंटन की निर्मुक्ति करने में कोई कठिनाई नहीं है।

खाद्यान्नों की वसूली

* 12 श्री पी० राजगोपाल नायडू :

श्री रेणुपद दास : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्य चालू वर्ष में खाद्यान्नों की वसूली का लक्ष्य पूरा करने में पिछड़ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने खाद्यान्न की वसूली बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्रसिंह) : (क)से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) 1981-82 के दौरान गेहूं के बारे में राज्यवार लक्ष्य और उनकी उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

(लाख मीटरी टन में)

	राज्य	लक्ष्य	वास्तविक वसूली
1.	पंजाब	47.00	37.61
2.	हरियाणा	17.00	11.20

1	2	3	4
3.	उत्तर प्रदेश	25.00	14.94
4.	राजस्थान	1.00	0.10
5.	मध्य प्रदेश	2.00	1.62
6.	बिहार	1.50	0.13
7.	गुजरात	1.00	—
8.	महाराष्ट्र	0.50	—
9.	अन्य	—	0.20
	अखिल भारत	95.00	65.80

लक्ष्य की तुलना में गेहूं की कम वसूली जिन प्रमुख कारणों से हुई है वे ये हैं—सरकार द्वारा निर्धारित वसूली मूल्य के मुकाबले में व्यापारियों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक मूल्य देना, व्यापारियों तथा उत्पादकों द्वारा गेहूं के स्टाक को रोक लेना और कुछ प्रमुख गेहूं उत्पादन राज्यों में कम उत्पादन होना।

जहां तक चालू खरीफ विपणन मौसम के दौरान चावल की वसूली का सम्बन्ध है, यह पिछले बर्ष की तुलना में अब तक बेहतर है, 21.11.1981 को चावल की कुल वसूली 34.39 लाख मीटरी टन है जबकि पिछले वर्ष उसी तारीख को 32.71 लाख मीटरी टन थी।

(ग) वसूली में वृद्धि करने के लिए वसूली मूल्य में वृद्धि कर दी गई है, लेवी प्रणाली में सुधार कर दिया गया है और कुछ राज्यों में लेवी में भी वृद्धि कर दी गई है। मिल मालिकों को और अधिक धान खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और जहां कहीं भी आवश्यक है वहां धान के संचलन पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं। आशा है कि इन उपायों से वसूली में वृद्धि होगी।

राज्यों को गेहूं की सप्लाई में कटौती

* 13. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री हरिनाथ मिश्र : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने गत चार महीनों के दौरान कुछ राज्यों के गेहूं के कोटे में कटौती की है ;

(ख) गेहूं की कम मात्रा में सप्लाई किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या राज्यों ने अपना कोटा पहले जितना पुनः करने के लिए अनुरोध किया है क्योंकि उन्हें मांग पूरी करने में बड़ी कठिनाई हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो किन राज्यों ने अनुरोध किया है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। दूसरी तरफ जुलाई, 1981 के आवंटन की तुलना में कुछेक राज्यों के गेहूं के कोटे में वृद्धि कर दी गई है।

(ग) और (घ) अधिकांश राज्यों ने उनके गेहूं के कोटे में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया है। तथापि, केन्द्रीय पूल में गेहूं की कुल उपलब्धता और पिछले महीनों में राज्यों में निकासी को ध्यान में रखते हुए आवटन किए जा रहे है।

राज्यों की खाद्य तेल, चीनी और वनस्पति तेल की मांग

* 14. श्री अमर राय प्रधान : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के त्यौहारों के मौसम में विभिन्न राज्यों में खाद्य तेल, चीनी और वनस्पति तेल के वितरण की क्या स्थिति रही है ;

(ख) इस वर्ष के त्यौहारों के मौसम के लिए केन्द्रीय सरकार को विभिन्न राज्यों से कितनी-कितनी मांग प्राप्त हुई थी ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों की इन मदों की पूरी की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

त्यौहार के मौसम में आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने गेहूं से बने पदार्थों, चीनी, खाद्य तेलों तथा वनस्पति की आपूर्ति बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए थे। विभिन्न राज्यों की रोलर आटा मिलों को सामान्य मासिक आवंटन के अलावा 40.0 हजार मी. टन अतिरिक्त गेहूं आवंटित की गई थी। त्यौहार के मौसम के दौरान चीनी तथा खांड सारी इसके लिए मिलती रहे सरकार ने अगस्त, 1981 में निर्मुक्ति की गई 1.70 लाख मी० टन तथा जून व जुलाई, 1981 में हर महीने निर्मुक्त की गई 1.80 लाख मी० टन लेवीमुक्त चीनी की तुलना में सितम्बर, 1981 में 2.5 लाख मी० टन तथा अक्तूबर, 1981 में 2.90 लाख मी० टन लेवीमुक्त चीनी निर्मुक्त की। केन्द्रीय सरकार द्वारा लेवीमुक्त चीनी को इतनी बड़ी मात्रा में निर्मुक्त किये जाने से देश भर में न केवल चीनी की उपलभ्यता की स्थिति में ही सुधार हुआ, बल्कि इससे चीनी के मूल्य भी कम हुए।

देश के खांडसारी उत्पादकों को अप्रैल, 1981 में जारी किये गए एक आदेश द्वारा निदेश

दिया गया था कि वे मई से सितम्बर, 1981 के दौरान हर महीने अपने स्टाक के एक न्यूनतम निर्दिष्ट प्रतिशत को बेचें, ताकि बाजार में खांडसारी आसानी से मिलती रहे। सितम्बर, 1981 तथा अक्तूबर, 1981 के महीनों के लिए लेवी चीनी के आवंटन आदेश अग्रिम में जारी किए गए, ताकि त्यौहार के महीनों के दौरान चीनी समय से उपलब्ध हो सके। भारतीय खाद्य निगम को सलाह दी गई थी कि वे यह सुनिश्चित करें कि लेवी चीनी को उठाने तथा उसकी ढुलाई का कार्य तेजी से किया जाए, ताकि त्यौहार के महीनों के दौरान राज्य सरकारों के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए इसका प्रर्याप्त स्टाक रहे। राज्यों को दी गई लेवी चीनी का कुल औसत आवंटन 2.71 लाख मी० टन प्रति मास बनता है। लेवी चीनी के सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मासिक कोटे में वृद्धि करना संभव नहीं हो सका है।

केन्द्रीय सरकार ने सितम्बर, 1981 तथा अक्तूबर, 1981 के महीनों के लिए आयातित खाद्य तेलों का आवंटन भी अग्रिम में किया, ताकि राज्य सरकारों के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए इनका पर्याप्त स्टाक हो सके। कुल मिलाकर विभिन्न राज्यों द्वारा त्यौहार के मौसम के लिए भेजी गई मांग की पूरी पूर्ति की गई। वनस्पति के उत्पादन की गति को बनाये रखने के लिये कई दूसरे उपाय भी किए गए, ताकि त्यौहार के मौसम के दौरान उपभोक्ताओं को यह उपलब्ध किया जा सके।

विदेशी पशुओं से तैयार की गई संकर नस्लों से सम्बन्धित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

* 15. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारत कृषि गौसेवा संघ ने भारत में विदेशी पशुओं से तैयार की गई संकर नस्लों से सम्बन्धित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सरकार को दी है ;

(ख) यदि हां, तो पशुओं को देसी नस्लों की घोर अपेक्षा के सम्बन्ध में उनकी क्या सिफारिशें हैं और विदेशी पशु से संकर नस्ल तैयार करने के बाद में क्या प्रभाव पड़ते हैं ;

(ग) चौथी, पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पशुओं को संकर नस्लें तैयार करने के लिए कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई और उसमें से कितनी राशि क्रमश: विदेशी पशुओं से संकर नस्ल तैयार करने में तथा देशी पशुओं से संकर नस्ल तैयार करने में खर्च की गई ;

(घ) क्या सरकार भारत में दुधारू पशुओं को संकर नस्ल तैयार करने के समग्र मामले पर सांविधिक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करने के बारे में पुनर्विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस विषय के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) अखिल भारत कृषि गौ-सेवा संघ ने एक समिति गठित की जिसकी रिपोर्ट सरकार को भी भेज दी गई है ।

(ख) इस रिपोर्ट के अनुसार देशी नस्ल के पशुओं के सुधार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है । रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संकर जनित पशु भार ढोने के लिए अच्छे नहीं हैं तथा अन्धाधुन्ध संकर प्रजनन के कारण देशी नस्लों के प्रजनन सांड़ों की संख्या कम हो गई है । इस सम्बन्ध में मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(I) मान्य भारतीय नस्लों चाहे वे दुधारू हों या भारवाही, के क्षेत्र में विदेशी नस्लों पर कानूनी तौर पर रोक लगाई जाए ;

(II) भारवाही नस्लों की दुधारू क्षमता को पुनः अधिकतम सीमा तक लाने के उद्देश्य से चुनींदा प्रजनन द्वारा इन्हें सुरक्षित रखा जाए तथा सुधार किया जाए । दुधारू और भारवाही गुणों के इष्टतम संयोजन के लिए यदि आवश्यक समझा जाए तो भारतीय पशुओं को अन्य समान नस्लों द्वारा उनका श्रेणीकरण अन्तः संकरण किया जाए ।

(III) पशु प्रजनन की नीतियों को तैयार करने, क्रियान्वित करने तथा, या उनका निरीक्षण करने के लिए एक उच्च स्तरीय सांविधिक निकाय की स्थापना की जाए जिसका कार्यकारी प्राधिकरण केन्द्र में हो तथा राज्यों में इसकी समकक्ष सम्पर्क इकाइयां भी हों ।

(ग) केन्द्र तथा राज्य योजनाओं के तहत आवंटित धनराशि पशुओं के समग्र विकास के लिए दी जाती है तथा विदेशी नस्लों के साथ संकर प्रजनन अथवा भारतीय नस्लों के साथ अन्तः संकरण के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) सरकार ने मान्यता नस्लों के संरक्षण के महत्व को ध्यान में रखा है तथा राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित प्रजनन नीति बनाई है :—

प्रत्येक राज्य द्वारा पशु विकास के लिए प्रजनन नीति निर्धारित की जाएगी जिसका राज्यों में पशु विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित सभी एजेंसियों जैसे :—पशु पालन विभाग, डेरी विकास निगमों, भारतीय डेरी निगम, बी० ए० आई० एफ० आदि, द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए । पशुओं के सुधार के लिए सामान्य प्रजनन नीति संकर प्रजनन के समान होगी (देशी मादा नस्लों का उच्च क्वालिटी के विदेशी नस्लों के सांडों के साथ संकरण) । विदेशी वंशानुक्रम का स्तर अधिमानतः आहार, चारा, स्वास्थ्य संरक्षण, प्रबंध

के स्तर आदि अन्य आदानों की उपलब्धि के अनुसार 50 अथवा 62.5 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाए। जहां सुधार के लिए चुनींदा प्रजनन अपनाया जाए वहां पशुओं की ज्ञात देशी नस्लों के मामले में संकर प्रजनन शुरू न किया जाए।

खाद्य तेलों का आयात

*16. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान खाद्य तेल का कुल कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा ;

(ख) पहले छः महीनों के दौरान खाद्य तेल कुल कितनी मात्रा में प्राप्त हो गया है ; और

(ग) यह तेल किन-किन देशों से किस मूल्य पर तथा किस एजेन्सी के माध्यम से खरीदा गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) :

चालू वर्ष के दौरान खाद्य तेलों की आयात की जाने वाली कुल संभावित मात्रा, इनकी मांग और देश में इनके उत्पादन के बीच के अन्तर, खाद्य तेलों के देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के रुख, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता और अन्य संबंधित बातों पर निर्भर करेगी।

चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान लगभग 5.86 लाख मीटरी टन तेल आयात किया गया।

इनकी खरीद राज्य व्यापार निगम ने मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, मलेशिया और इण्डोनेशिया से की और इनका मूल्य 486 अमेरिकी डालर से लेकर 579 अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन के बीच था।

दिल्ली में मकानों के किराये में तीव्र वृद्धि

*17. **श्री भीकू राम जैन :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में मकानों के किरायों में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है और इस समय ये किराये बहुत अधिक हैं ;

(ख) क्या दिल्ली में जनसंख्या में प्रति वर्ष लगभग दो लाख व्यक्तियों की दर से वृद्धि

हो रही है और उचित किराये पर रिहायशी स्थान प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) राजधानी में मकान मालिकों द्वारा की जा रही अधिक किराये की मांग के बारे में किरायादारों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) दिल्ली में जनसंख्या 2 लाख प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है और यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली में उचित किराये पर रिहायशी स्थान प्राप्त करना मुश्किल हो गया है।

(ग) दिल्ली में आवास समस्या को हल करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली में काफी रिहायशी एककों का निर्माण कर रहा है इसके अलावा दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 में पर्याप्त उपलब्ध विद्यमान है और किरायेदार उसका लाभ उठा सकते हैं।

हीराकुड बांध में दरार

*18. **श्री लक्ष्मण मलिक** :

श्री के० राममूर्ति : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा स्थित हीराकुड बांध में दरार पड़ गई है जिससे बांध की मियाद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दरार की मरम्मत के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ; और

(ग) इस दरार के और अधिक बढ़ जाने की स्थिति में किये जाने वाले प्रस्तावित सुरक्षात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) दरारें स्वयं बांध की मियाद पर प्रभाव नहीं डालतीं, क्योंकि उनका उपचार किया जा सकता है। तथापि, सभी सम्बन्ध पहलुओं का गहराई से अध्ययन करने के बाद उपयुक्त उपचारात्मक उपाय तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) दरारों के बारे में प्रथम सूचना उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग सितम्बर, 1974 में दी गई थी। आयोग की सलाह से दरारें 1975 में स्पाक्सी पिलाई उटिंग) से पाट दी गई थी। परन्तु बाद में कुछ नयी दरारें दिखाई दी थीं। राज्य सरकार ने न्न विशेषज्ञों, जिनमें केन्द्रीय जल आयोग के विशेषज्ञ भी सम्मिलित थे, की राय प्राप्त की र कुछ अध्ययन भी किए थे तथा और आगे अन्वेषण, जिनकी विशेषज्ञों द्वारा सलाह दी गई ए थे। उसके बाद मार्च, 1981 में उड़ीसा सरकार ने दरारों के कारणों का पता लगाने

तथा उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों को एक समिति गठित की थी। समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

धान और गेहूं के मूल्य

*19. **श्री जमीलुर्रहमान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि आदानों के मूल्य में वृद्धि के कारण सरकार का विचार धान और गेहूं के मूल्यों का पुनर्निर्धारण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) 1681-82 की फसल के लिए धान के अधिप्राप्ति मूल्य में वृद्धि करने पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, क्योंकि अधिप्राप्ति मूल्य आदानों तथा अन्य सम्बद्ध घटकों के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। 1981-82 की गेहूं की फसल की मूल्य नीति के सम्बन्ध में सरकार ने अभी निर्णय लेना है और अधिप्राप्ति मूल्यों के स्तर का निर्णय करते समय सरकार आदानों के मूल्यों में वृद्धि सहित सभी सम्बद्ध घटकों को ध्यान में रखेगी।

"फूडग्रेन रिजर्वस एट लो लेवल" शीर्षक समाचार

*20. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 सितम्बर, 1981 के 'इन्डियन एक्सप्रेस' में 'फूडग्रेन रिजर्ब्स एट लो लेवल' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या देश में न्यूनतम डेढ़ करोड़ टन खाद्यान्न का रक्षित भंडार बनाये रखने की आवश्यकता है ;

(ग) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, अलग-अलग, खाद्यान्न का रक्षित भंडार कितना रहा है ; और

(ङ) न्यूनतम रक्षित भंडार बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है जिससे कि किसी भी सम्भावित स्थिति से निपटा जा सके ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) प्रैस इन्फार्मेशन ब्यूरों के अनुसार, 5.9.81 को समाचार पत्र में ऐसा कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ था। सरकार ने ऐसी एक रिपोर्ट दिनांक 5-10-81 के इन्डियन एक्सप्रेस में देखी है।

(ख) और (ग) बफर स्टाक के स्तर का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है

और इसे शुरू करने विषयक तौर-तरीकों के बारे में इस समय एक तकनीकी ग्रुप द्वारा जांच की जा रही है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी सार्वजनिक एजेंसियों के पास खाद्यान्नों का निम्नलिखित स्टाक था :—

को	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़
1.11.79	8.45	10.13	0.10	18.68
1.11.80	5.46	6.07	0.10	11.63
1.11.81 (अस्थाई)	4.19	5.64	0.05	9.88

(ङ) स्टाक में वृद्धि करने और न्यूनतम बफर रिजर्व बनाए रखने के लिए सरकार ने जो महत्वपूर्ण पग उठाए हैं उनमें आन्तरिक वसूली सम्बन्धी कार्य में तेजी लाना, केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के आवंटन का युक्तियुक्तकरण करना और गेहूं का आयात करना शामिल है।

अहमद नगर जिले में आदिवासी गांवों में पीने का पानी की सुविधाएं

1. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 अक्तूबर, 1981 के फाइनेनशियल एक्सप्रेस में अहमद नगर स्टार्वड आफ वाटर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की तरफ आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्र की सहायता से 1976 में लागू की गयी आदिवासी उपयोजनाओं के अन्तर्गत अहमद नगर के आदिवासी गांवों में पीने के पानी की सुविधाएं जैसे कुओं का निर्माण तक नहीं दी गयी ; और

(ग) महाराष्ट्र को विशेष तौर पर अहमद नगर जिले के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई और पिछले तीन सालों में वास्तव में विकास कार्यों पर कितनी राशि खर्च की गयी ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां,।

(ख) तथा (ग) : पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और राज्य सरकारें राज्य प्लानों के अन्तर्गत प्रावधान की गई विधियों से योजनाएं बनाती हैं और उनको कार्यान्वित करती है। तथापि, समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल मुहैया करने में राज्य सरकारों को संसाधनों को बढ़ाने के लिए, निर्माण और आवास मन्त्रालय केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान देता है। पानी की सुलभता की समस्याओं, जिनका सामना ग्रामीण लोग करते

हैं, के आधार पर समस्याग्रस्त गांवों का पता लगाया जाता है और न कि इन गांवों में जनसंख्या की श्रेणी के आधार पर। तदनुसार केन्द्र द्वारा प्रवृतित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा दी गई सहायता समस्याग्रस्त गांवों के लिए नुद्दिष्ट है चाहे उनमें आदिवासी लोग रहते हों या अन्य कोई।

गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवृतित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार को दिया क्या अनुदान इस प्रकार है :

1978-79	403.97 लाख रुपये
1979-80	378.30 लाख रुपये
2980-81	664.00 लाख रुपये

अनुदानों का जिलावार नियतन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। 31,3,1980 को समाप्त हुई अवधि की महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 9 समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित किया जा चुका है और अहमद नगर जिले के समस्याग्रस्त गावों में योजनाएं प्रगति पर थी।

मकान बनाने के लिए भविष्य निधि से धन का निकालना

*2. **श्री बागुन सुम्बरुई :**

श्री अर्जुन सेठी :

श्री चिन्तामणि जेना : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि खाते से मकान बनाने के लिए अग्रिम धन निकालने की शर्तों को उदार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब जमा कर्ता को मिलने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां,।

(ख) जैसा कि अनुलग्नक में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अपने भविष्य निधि लेखे से गृह निर्माण अर्जन या रियायशी प्लाट के लिए अन्तिम रूप से पैसा निकाल सकते हैं। यह गृह निर्माण अग्रिम नियमों के अन्तर्गत अग्रिम लेने के अतिरिक्त है। गृह निर्माण अग्रिम नियम के अन्तर्गत स्वीकृत की गई राशि तथा भविष्य निधि से वापिस लिया गया धन निम्नलिखित से अधिक नहीं होना चाहिए :

1. 75,000/—रु० उन कर्मचारियों के लिए जिनकी 75 माह का मूल वेतन 60,000 रुपये तक हो ।

2. 1,25000 रुपये, उन कर्मचारियों के लिए जिनका 75 माह का मूल वेतन 60,000 रुपये से अधिक हो परन्तु 1,25 000 रुपये तक हो ।

3. 2,00,000 रुपये उन कर्मचारियों के लिए जिनका 75 माह का मूल वेतन 1,25,000 रुपये से अधिक हो । जहां कि ग्रह निर्माण अग्रिम के लिए आवेदन की तारीख को कर्मचारी की सेवा अवधि दस वर्ष या उससे कम हो या जहां किसी व्यक्ति ने इन संशोधित आदेशों के जारी होने से पूर्व दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि में आवेदन किया हो या अपने काम को पंजीकृत करवाया हो ।

(ख) दूसरे मामलों में 1,75,000/—रुपये

उपर्युक्त बढ़ाई गई सीमायें 24-10-81 से लागू हो गई है ।

विदेशों को खेती के बारे में जानकारी

*3. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मन्त्रालय कुछ बाहर के देशों की खेती के बारे में जानकारी देने वाला है,

(ख) यदि हां, तो भारत से खेतों के बारे में सहयोग पाने वाले देशों में लाभ क्या है,

(ग) खेती के बारे में दी जाने वाली जानकारी का ब्यौरा क्या है, और

(घ) यह प्रस्ताव कब तक लागू होगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) विदेशों से कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जाता है ।

(ख) ऐसे देशों की एक सूची, जिनके लिए भारत सरकार कृषि के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए सहमत हो गयी है, संलग्न है ।

(ग) विकासशील देशों को कृषि उत्पादन, विस्तार, कृषि अनुसंधान व शिक्षा में सहयोग दिया जा रहा है ।

(घ) क्रियान्वयन के लिए कोई समय निश्चित नहीं है । सम्बन्धित देश की आवश्यकता के आधार पर पारस्परिक रूप से निर्धारित समय के अनुसार समय समय पर सहयोग दिया जाता है ।

विवरण

विकासशील देशों के साथ आर्थिक सहयोग

क्रम सं०	देश का नाम	वह स्तर जिस पर सहयोग देने की सहमति दी गई है ।
1.	ईरान	संयुक्त आयोग
2.	ईराक	—तदैव—
3.	लिबिया	—तदैव—
4.	मलेशिया	संयुक्त सलाहकार समिति
5.	मोरिशस	संयुक्त आयोग
6.	श्री लंका	—तदैव—
7.	नाइजेरिया	—तदैव—
8.	तनजनिया	—तदैव—
9.	मिस्र	संयुक्त सलाहकार समिति
	2. करार	
1.	बहराईन	विदेश मन्त्रालय द्वारा हस्ताक्षरित
2.	घाना	—तदैव—
3.	केन्या	—तदैव—
4.	जाम्बिया	कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा हस्ताक्षरित
5.	जिम्बाविक	विदेश मन्त्रालय द्वारा हस्ताक्षरित
	3. नयाचार	
1.	उत्तरी कोरिया	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग द्वारा हस्ताक्षरित
2.	मैक्सिको	—तदैव—
	4. स्वीकृति कार्यवृत्त	
1.	इन्डोनेशिया	स्वीकृत कार्यवृत्तों पर हस्ताक्षर किए गए
2.	साऊदी अरेविया	—तदैव—
3.	सनेगाल	—तदैव—
4.	यमन जनवादी प्रजातंत्रित गणराज्य	—तदैव—
	5. समझौता का ज्ञापन	
1.	गिनी	कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा हस्ताक्षरित

दिल्ली से बाहरी सरकारी आवास के लिए सामान्य पूल का निर्माण

4. श्री एम० ई० होरो :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ शहरों में स्टाफ क्वार्टरों के सामान्य पूल के निर्माण के लिए निर्माण और आवास मन्त्रालय के संशोधित कार्यक्रम को हाल ही में मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के इस संशोधित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) ; (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा नीचे दिये गये हैं :

	टाइप ए/	टाइप बी/	टाइप सी	टाइप V	कुल
दिल्ली	742	3661	9589	120	14,112
बम्बई	800	1200	600	—	2.600
कलकत्ता	816	592	592	—	2.000
मद्रास	96	108	96	—	300
चण्डीगढ़	100	52	148	—	300
हैदराबाद	88	144	96	—	328
बंगलौर	48	156	96	—	300
कुल	2690	5913	11217	120	19.940

हरियाणा के जीन्द जिले में नये विकास खण्ड का निर्माण

5. प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष में हरियाणा के जीन्द जिले में एक नये विकास खण्ड का निर्माण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास देश के किसी राज्य केन्द्र शासित प्रदेश में कोई नया विकास खण्ड खोलने का कोई और प्रस्ताव विचाराधी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) व (ग) केरल में कुछ विद्यमान खंडों को पुनर्गठित करके 7 नये सामुदायिक विकास खडों के सृजन का प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है। सृजित किए जाने वाले खंड ये हैं- अदीमली, नदुमकंडोम, कट्टप्पाना, इदुक्की नीलमबर, इरीट्टी और पेरावूर। यद्यपि अदीमली नदुमकंडोम, कट्टप्पाना तथा इदुक्की, खंडों को इदुक्की जिले में विद्यमान चार खंडों अर्थात देवीकोलम, अरूदई एलमदेसोम तथा थोडुपूड़ा को पुनर्गठित करके सृजित करने का प्रस्ताव हैं लेकिन नीलमवर खंड को मलाप्पुरम् जिले में वंडूर खंड का विभाजन करके सृजित किये जाने का प्रस्ताव है और इरीट्टी तथा पेरावूर खंडों को कन्नानोर जिले में विद्यमान कुथुपरम्बा खंड का विभाजन करके सृजित किया जाना है। प्रस्ताव पर निर्णय लेने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राज्य सरकार से कुछ अन्य ब्यौरे मांगे हैं जिनकी प्रतिक्षा की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम को लागू करना

7. श्री जैनुल बशर : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में ग्रामीण पुनर्निर्माण के अन्तर्गत कोई कार्यक्रम लागू किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इस मन्त्रालय का मुख्य कार्यक्रम है जो इस जिले में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक विकास खण्ड में 600 परिवारों की सहायता करना है ताकि उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सके। इस कार्यक्रम को जिले के सभी खण्डों में लागू कर दिया गया है।

साल के बीज एकत्रित करना

8. श्री चिन्तामणि जेना : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी विकास निगम सोसाइटी और उड़ीसा बन निगम द्वारा 1980 और 1981 के दौरान एकत्रित की गई साल बीजों की मात्रा का ब्यौरा क्या है ;

(ख) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड सहित विभिन्न कम्पनियों को कितनी मात्रा दी गई ;

(ग) उड़ीसा राज्य में इसके उपयोग के लिए बनाए गए तरीके सम्बन्धी ब्यौरा क्यो है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन)

वर्ष 1980 के दौरान आदिवासी विकास सहकारी समिति और उड़ीसा वन निगम द्वारा एकत्र की गई साल के बीजों की कुल मात्रा के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा- पटल पर रख दी जाएगी। 1981 के लिए ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

(क) आदिवासी विकास सहकारी समिति तथा उड़ीसा वन निगम द्वारा एकत्रित किए गए एक साल के बीजों की कुल मात्रा 461 क्विंटल थी ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) उड़ीसा राज्य में साल के बीजों का एकत्र करने का कार्य गैर-सरकारी पट्टेदारों तथा सहकारी समितियों को दीर्घकालीन आधार पर पट्टे पर दिया गया है, ताकि वे इसका उपयोग अपने-अपने उद्योगों या सम्बद्ध उद्योगों में कर सकें। आदिवासी विकास सहकारी निगम तथा उड़ीसा वन निगम को अपने द्वारा एकत्र किए गए साल के बीजों की मात्रा को औद्योगिक एककों को बेचने की अनुमति है ।

कालोनियों को नियमित करना

10. **श्री के० ए० राजन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, और अक्तूबर, 1981 में दिल्ली में नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों के नाम क्या हैं ?

(ख) नवम्बर, और दिसम्बर 1981 में नियमित की जाने वाली कालोनियों के नाम क्या हैं ?

(ग) क्या सरकार ने 1980 के शुरू में प्रदर्शित अनाधिकृत कालोनियों के नक्शे के प्रारूप के बारे में कोई निर्णय ले लिया है ।

(घ) क्या इन कालोनियों को नियमित करने के लिए अन्तिम नक्शे बनाने के लिए नक्शों के प्रारूप को आधार माना जाएगा या बिल्कुल नये नक्शे बनाये जायेंगे । और

(ङ.) इन नक्शों को अन्तिम रूप देने में हुए अनावश्यक बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) ऐसी कालोनियों की एक सूची अनुलग्नक "क" पर दी गई है ।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने नवम्बर, 1981 के दौरान 8 कालोनियों के नियमितीकरण नक्शे पहले ही अनुमोदित कर दिये हैं इन कालोनियों की सूची अनुलग्नक "ख" पर दी गई है। दिल्ली नगर निगम ने अनुलग्नक "ग" के अनुसार 40 कालोनियों की एक सूची भी संकलित की जिनकी इसके द्वारा नवम्बर-दिसम्बर के दौरान नियमितीकरण के लिए जाने की सम्भावना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस तरह की कोई सूची संकलित नहीं की है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उनके द्वारा 9 कालोनियों के नियमितीकरण नक्शों को अन्तिम रूप से अनुमोदित कर दिया गया है। जिसके लिए ड्राफ्ट विन्यास नक्शे 1979-80 में प्रदर्शित किए गए थे। दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि उसने किसी भी अनधिकृत कालोनी के ड्राफ्ट विन्यास नक्शे पहले 1980 में प्रदर्शित नहीं किए थे।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ड्राफ्ट नक्शों पर विधिवत विचार करके सरकार की नीति के अनुसार अन्तिम नियमितीकरण नक्शे तैयार किए जाते हैं।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण का कार्य धीरे-धीरे चरणों में किया जा रहा है।

विवरण—1

सितम्बर और अक्तूबर, 1981 में दिल्ली में नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों के नाम

1. विश्वास नगर
2. विश्वास नगर (हटाया गया भाग)
3. दलाही मोहल्ला
4. भोला नाथ नगर एक्स०
5. महाबीर ब्लाक
6. राम ब्लाक
7. आजाद नगर ए, बी, सी
8. शंकर नगर "बी"
9. शंकर नगर "ए"
10. ईस्ट आजाद नगर
11. "बी" बिल्डिंग नार्थ गांधी नगर
12. आजाद नगर वेस्ट
14. राजगढ़
14. हरि सिंह पार्क
15. हारि नगर जे ब्लाक
16. ओल्ड गुप्ता कालोनी
19. ज्वाला नगर मुकेश नगर
20. ज्वाला नगर एक्स०
21. मुकेश नगर ज्वाला नगर
22. जनता कालोनी सरकुलर नगर
23. गोविंद पुरा
24. न्यू गोविंद पुरा
25. रशीद मार्किट
26. बलदेव पार्क
27. शाम नगर
28. न्यू गोविंद पुरा
29. बलदेव पार्क ईस्ट
30. चावला पार्क
31. जित्तर नगर
32. न्यू रशीद मार्किट
33. रशीद मार्किट एक्स०
34. गपेश पार्क

17. संजय नगर
18. ज्वाला नगर
35. ब्रिज पुरी
36. शशि मस्जिद

11. दिल्ली विकाश प्राधिकरण द्वारा नियमित की गई कालोनियां

1. भगत सिंह कालोनी
2. जगजीवन नगर
3. नया गौड़ा एक्स०
4. सन्त नगर
5. भारत नगर
6. ग्राम जोगावाई एक्स०
7. वाटला हाउस
8. जाकिर नगर

विवरण—2

नवम्बर दिसम्बर 1981 में दिल्ली नगर निगम द्वारा नियमितीकरण के लिए ली जाने वाली सम्भावित अनधिकृत कालोनियों की सूची

1. कान्ति नगर
2. राजगढ़ मोहल्ला एण्ड एक्स०
3. शान्ति मोहल्ला
4. राजगढ़ एक्स i-ii
5. दुर्गापुरी कालोनी
6. शंकर नगर एक्स०
7. राम नगर एक्स ईस्ट
8. कुलदीप नगर
9. मोती पार्क
10. हरि किशन नगर
11. नवीन शाहदरा
12. रोहतास नगर
21. गोरख पार्क कालोनी
22. मोहन पार्क नवीन शाहदरा
23. प्रताप पुरा बाबर पुर रोड
24. पंचशील गार्डन एक्स०
25. नवीन शाहदरा ईस्ट
26. रोहतास नगर एक्स०
27. शिवाजी पार्क एक्स०
28. सुभाष पार्क (साउथ)
29. सुभाष पार्क एक्स एण्ड वेस्ट
30. वैस्ट रोहतास नगर
31. गोरख पार्क ईस्ट
32. बाबर पुर एक्स एण्ड ईस्ट

13. कबूल नगर
14. बलबीर नगर
15. सुभाष पार्क
16. पंचशील गार्डन
17. बलबीर नगर एक्स०
18. आर आर ब्लाक एण्ड ए, बी, ब्लाक
19. द्वारका पुरी उत्तम पार्क
20. छज्जू कालोनी
33. शिव पुरी एक्स०
34. अर्जुन नगर वैस्ट
35. चन्द्र नगर वैस्ट
36. शास्त्री पार्क
37. इन्द्रा पार्क एक्स०
38. कृष्ण नगर एण्ड ईस्ट
39. शास्त्री पार्क (सनातम पार्क)
40. श्री राम नगर

पिछले तीन महीनों में "हुड़को" स्वीकृत की गई नयी परियोजनायें

11. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में "हुड़को" ने कितनी नई परियोजनायें मन्जूर की हैं ; और

(ख) ये परियोजनाएं विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश से कहां तक चल रही है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) आवास तथा नगर विकास निगम ने 15 राज्यों में चल रही 93 परियोजनाओं को पिछले तीन महीनों के दौरान (अर्थात जुलाई-सितम्बर 1981 की तिमाही के दौरान) मन्जूरी दी है। इन योजनाओं की योजना लागत 69.36 करोड़ रुपये है जिसके लिए हुड़को की ऋण वचनवद्धता 50.34 करोड़ रुपये की है। इसका ब्यौरा अनुलग्नक 1 में दिया गया है।

(ख) उन कस्बों/नगरों के राज्यवार नाम अनुलग्नक 11 में दिए गए हैं जहां ये परियोजनाएं चल रही हैं।

विवरण—1

जुलाई-सितम्बर, 1981 के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे।

राज्य	स्वीकृति परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	स्वीकृति ऋण	स्वीकृत रिहायशी एकक	स्वीकृत प्लाट
				करोड़ रुपये से	
आन्ध्र प्रदेश	12	6.21	4.70	2986	—
बिहार	5	5.02	3.17	6241	—

1	2	3	4	5	6
गुजरात	6	6.74	4.88	2972	—
हरियाणा	3	5.91	4.16	2257	—
हिमाचल प्रदेश	9	1.96	1.30	262	—
कर्नाटक	2	0.55	0.34	467	—
केरल	2	0.74	0.46	140	—
मध्य प्रदेश	3	2.79	2.04	1140	—
महाराष्ट्र	7	5.30	3.67	2886	75
उड़ीसा	7	11.00	8.25	30000	—
पंजाब	10	7.70	5.22	3150	—
राजस्थान	12	3.57	2.57	1743	—
तमिलनाडू	7	2.56	1.66	877	443
उत्तर प्रदेश	5	4.64	3.53	3138	—
पश्चिम बंगाल	2	4.67	4.39	201	—
समस्त भारत	93	69.36	50.34	58500	518

विवरण—2

उन कस्बों के राज्यवार नाम जहां हुडको की स्वीकृत परियोजनाएं (जुलाई-सितम्बर, 1881 के दौरान) चल रही हैं ।

राज्य		लाभान्वित कस्बों/शहरों के नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद, विशाकापटनम और कुरनूल
2.	बिहार	पटना,सासाराम और राज्य के ग्रामाण क्षेत्र
3.	गुजरात	बड़ौदा, अंकलेश्वर और अहमदाबाद
4.	हरियाणा	फरीदाबाद, अम्बाला और कैथल
5.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर, बिलासपुर, धर्मशाला,उना नाहन, दम्बा, मंडी और सोलन,
6.	कर्नाटक	बादेपुर, गुलवर्ग और राज्य के ग्रामीण क्षेत्र
7.	केरल	कालीकट और अलवे
8.	मध्य प्रदेश	इन्दौर, सागर, भोपाल, भिलाई और कोरबा

9.	महाराष्ट्र	एनमद,बम्बई और पिम्परी
10.	उड़ीसा	राज्य का ग्रामीण क्षेत्र
11.	राजस्थान	जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर
12.	पंजाब	लुधियाना, फिरोजपुर और मोहाली
13.	तमिलनाडू	मद्रास, वेलोर, उदौमालपेट और एरोडे
14.	उत्तर प्रदेश	कानपुर, हापुड़, रामपुर, जौनपुर और मथुरा
15.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता

सब्जी की प्रति व्यक्ति खपत

12. **श्री ए० नीलालोहिथदसन नाडार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में आजकल प्रति व्यक्ति सब्जी की अनुमति कितनी खपत जरूरी है ; और

(ख) भारत में 1980 में कुल कितनी और कितने मूल्य की सब्जी का उत्पादन हुआ ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० पी० स्वामीनाथन) : (क) मांग व्यक्ति विशेष की आयु, लिंग, क्रियाकलाप, स्तर आदि पर निर्भर है। आई० सी० एम० आर० के नवीनतम अनुमानों के अनुसार काम करने वाले एक सामान्य पुरुष को पत्तियों वाली सब्जियों, अन्य सब्जियों, कन्द तथा मूल की प्रतिदिन लगभग 150 ग्राम की आवश्यकता है।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि सभी सब्जियों के विषय में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

कर्नाटक को अनाज

13. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1981 से अक्तूबर, 1981 तक कर्नाटक सरकार की गेहूं, चावल आदि जैसे अनाज की माहवार कितनी मांग थी ;

(ख) अनाज की कितनी माँग स्वीकार की गई और सप्लाई की गई मात्रा का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कर्नाटक को आवश्यक अनाज सप्लाई न करने के कारण क्या हैं और केन्द्र द्वारा कर्नाटक की मांग को पूरा करने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) गेहूं के उपलब्ध स्टाक और अतीत में निकासी की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोलर फ्लोर मिलों के लिये राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के लिए गेहूं के आवंटनों का अगस्त, 1980 से युक्तियुक्तकरण किया गया था ताकि आवंटनों को निकासी के अनुरूप किया जा सके। इस पहुंच के आधार पर कर्नाटक को पर्याप्त स्टाक उपलब्ध करने की दिशा में निरन्तर उपाय किये जा रहे हैं।

विवरण

जनवरी, 1981 से अक्तूबर, 1981 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोलर फ्लोर मिलों के लिए कर्नाटक सरकार को केन्द्रीय पूल से उनकी खाद्यान्नों की मांग, उनको किये गये आवंटन और उसकी निकासी को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

मास	मांग			आवंटन	गेहूं		निकासी	गेहूं	
	चावल	सा० वि०	मिलों	चावल	सा० वि०	मिलें	चावल	सा० वि०	मिलें
जनवरी	14.5	5.0	36.0	14.5	3.0	22.0	5.7	2.6	21.2
फरवरी	25.0	3.0	22.0	14.5	3.0	22.0	12.6	2.6	16.4
मार्च	20.0	3.0	30.0	15.0	3 0	22.0	14.1	3.2	22.1
अप्रैल	30.0	10.0	36.0	15.0	2.0	22.0	17.2	2.1	6.2
मई	25.0	10.0	40.0	15.0	2.0	22.0	16.1	1.6	19.2
जून	30.0	2.0	40.0	15.0	2.0	22.0	15.8	2.1	32.7
जुलाई	30.0	10.0	40.0	15.0	2.0	22.0	18.7	1.3	23.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अगस्त	30.0	10.0	40.0	25.0	2.0	22.0	19.8	2.1	21.3
सितम्बर	30.0	10.0	40.0	25.0	2.0	25.0	14.8	1.9	24.6
अक्तूबर	30.0	10.0	40.0	25.0	2.0	22.0	सू० न०		
	264.5	73.0	364.0	184.0	23.0	223.0	124.7	19.5	186.7

सू० न०=सूचित नहीं किया

बिहार में "हुडको" द्वारा शुरू की गई आवास परियोजनायें

14. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में 'हुडको' कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी आवास परियोजनायें शुरू की जायेंगी और ये योजनायें राज्य में कहां-कहां शुरू की जायेंगी ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : आवास तथा नगर विकास निगम ने अबतक 21.11 करोड़ रुपये की हुडको ऋण सहायता सहित 31.77 करोड़ रुपये की 25 योजनाओं को मंजूरी दी है । जिससे बिहार के 8 शहरों (भागलपुर, धनबाद, गया, जमशेदपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची और सासाराम) में 9239 मकानों का निर्माण और 1067 प्लाटों का विकास कार्य होगा और हजारीबाग रांची, सासाराम, दरभंगा, गया, औरंगाबाद, वैशाली, मुजफरपुर, मुंगेर नवदाह और पटना के जिलों के गांवों में 15000 ग्रामीण मकानों का निर्माण होगा ।

इसके अलावा, आवास तथा नगर विकास निगम ने 4 और योजनायें प्राप्त की हैं जो 5.17 करोड़ रुपये की परियोजना लागत तथा 2.53 करोड़ की हुडको ऋण सहायता की मंजूरी के लिए प्रक्रियाधीन है और जिसमें इस योजना के अन्तर्गत पटना, रांची, जमशेदपुर तथा रामेश्वर नगर (जिला दरभंगा) के शहर आ जायेंगे । इससे 519 मकानों का निर्माण करने में सहायता मिलेगी ।

महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति

15. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान महाराष्ट्र को बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में प्रत्येक में अब तक कितनी प्रगति हुई ;

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान महाराष्ट्र में पूरी की गई योजनाओं के नाम क्या हैं और उनमें कितना खर्च हुआ और वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में ऐसी पूरी होने वाली योजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) महाराष्ट्र में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरी होने वाली बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) एक विवरण (उपाबंध-एक) संलग्न है जिसमे छठी योजना के दौरान महाराष्ट्र में निर्माणाधीन बृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमें और उसके साथ मार्च, 1981 तक किया गया खर्च, 1981-82 के दौरान दिये गये परिव्यय और 1980-81 के दौरान पूर्ण हो चुकी स्कीमें और 1981-82 के दौरान पूर्ण हो जाने वाली संभावित स्कीमें दिखाई गई है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2903/81]

उन स्कीमों के बारे में, जिनके 1982-83 में पूरा हो जाने की सम्भावना है, 1982-83 की वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श पूरा हो जाने के पश्चात ही पता लग सकेगा ।

(ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण (उपाबध-दो) में दी गई हैं ।

भूमिहीनों और गरीबों को जमीन का आवंटन

16. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फालतू जमीन (सीमा निर्धारण से) गैर जोत की सरकारी जमीन और जोत योग्य लेकिन गैर जोत की जमीन का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं ;

(ख) देश में भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक भूमिहीन और गरीब किसानों को आवंटित की गई जमीन और आवंटित न हुई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में बड़े जमीदारों के अनअधिकृत कब्जे में गैर जोत की निजी और सरकारी जमीन का ब्यौरा क्या है और सरकार उनसे इस जमीन को खाली करवाने के लिए क्या कारवाही कर रही है ; और

(घ) सारे देश में भूमि सुधार कार्यों को लागू करने के लिए क्या समय निश्चित किया गया है और इस दिशा में क्या कारवाही की जा रही है ;

कृषि तथा पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय केवल अधिकतम सीमा से फ़ालतू भूमि के बारे में ही सूचना एकत्र करता है । संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में फालतू घोषित और वितरित किए गये क्षेत्र का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) यह सूचना ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय द्वारा एकत्र नहीं की जाती है । भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को हटाने के लिए राज्य सरकारें अपने कानूनों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करती हैं ।

(घ) चूंकि भूमि सुधार में अनेक गतिविधियां शामिल हैं, अतः कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है । तथापि, यह आशा की जाती है कि अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का वितरण 1982-83 के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा ।

विवरण

(क्षेत्र-एकड़ों में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानून के अन्तर्गत फालतू घोषित क्षेत्र (क)	वितरित क्षेत्र (ख)
आन्ध्र प्रदेश	9,80767	3,00,703
असम	5,80,140	3,16,784

1	2	3
बिहार	2,31,618	1,37,003
गुजरात	1,17,906	5,190
हरियाणा	27,355	17,956
हिमाचल प्रदेश	1,35,915	3,417
जम्मू तथा कश्मीर	अप्राप्य	अप्राप्य
कर्नाटक	1,36,321	52,477
केरल	1,18,272	52,311
मध्य प्रदेश	2,53,039	78,749
महाराष्ट्र	3,70,193	2,81,586
मणिपुर	1,029	—
उड़ीसा	1,40,505	1,00,631
पंजाब	49,324	12,511
राजस्थान	2,46,495	1,22,230
तमिलनाडु	78,149	56,934
त्रिपुरा	1,929	947
उत्तर प्रदेश	2,80,874	2,30,183
पश्चिम बंगाल	1,52,658	56,542
दादरा तथा नगर हवेली	8,958	3,406
दिल्ली	780	अप्राप्य
पाण्डिचेरी	2,527	837
योग :	39,14,754	18,30,697

पंजाब में चीनी का उत्पादन

17. **श्री रघुनन्दन लालभाटिया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस साल पंजाब में कुल कितनी चीनी का उत्पादन हुआ ; और

(ख) पंजाब में कितना गन्ना पेरा गया ?

कृषि तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) चीनी वर्ष 1980 में पंजाब में चीनी का कुल उत्पादन 0.51 लाख मीटरी टन हुआ और उस वर्ष के दौरान पंजाब में फैक्ट्रियों द्वारा पेरे गए गन्ने की मात्रा 5.86 लाख मीटर टन थी।

मूंगफली की रबी ग्रीष्म बुआई का विस्तार

18. **श्री हरिहर सोरन** : क्या : कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान ने विविध राज्य सरकारों को वर्ष 1981-82 के दौरान मूंगफली की रबी ग्रीष्म बुआई के क्षेत्र के विस्तार के सुझाव दिए हैं,

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त समय में मूंगफली की रबी की ग्रीष्म बुआई का विस्तार किन राज्यों ने किया है।

(ग) क्या इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए किसी राज्य को धन दिया गया,

(घ) यदि हां तो चालू वर्ष में उड़ीसा को इसके लिए कितना धन दिया गया।

(ङ) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में जहां यह कार्यक्रम लागू किया गया, मूंगफली की रबी की ग्रीष्म बुआई विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितने हेक्टेयर जमीन का विस्तार किया गया ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखे आपने पत्र में प्रधान मन्त्री ने तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये तुरन्त उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया था। उस पत्र में उन्होंने रबी गर्मी के मौसम की मूंगफली के तहत क्षेत्र में वृद्धि करने के लिये उपयुक्त तरीकों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। 1981-82 के दौरान गर्मी की मौसम की मूंगफली की बुआई अभी अधिकांश राज्यों में शुरू की जानी है।

(ख) नए सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों से विस्तार की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों में 1981-82 के दौरान रबी गर्मी के मौसम की मूंगफली की खेती करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां।

(घ) 1981-85 के दौरान नए सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों के विस्तार की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन के लिये उड़ीसा को 5.1 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। यह राशि भारत सरकार तथा उड़ीसा सरकार द्वारा निम्नलिखित रूप में जुटाई जाएगी।

(1) भारत सरकार का भाग	3.86 लाख रुपए
(2) उड़ीसा सरकार का भाग	1.26 लाख रुपए
कुल :	5.12 लाख रुपए

(ङ) नए सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों के विस्तार की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 1981-82 के दौरान में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 71.323 हैक्टर क्षेत्र रबी गर्मी के मौसम की मूंगफली के तहत लाया गया था।

कृषि वाले जिले	फसल के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र (हैक्टर)
1. कटक	11.158
2. केन्द्रपाड़ा	21,399
3. अथागढ़	1,035
4. जगतसिंहपुर	9,894
6. जाचेपुर	14,762
7. पुरी	11,993
7. सम्बलपुर	348
8. बारागढ़	734
कुल:	71.323

आवास समितियों को ऋण

19. **श्री अर्जुन सेटी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि दिल्ली विकास प्राधिकरण जमीन दे, तो क्या सरकार आवास समितियों (जो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा चलाई जा रही हैं) के सदस्यों को आवास ऋण देने का विचार करेगी ; और

(ख) यदि नहीं तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम अनुमेय है जो आवास समितियों (केवल

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा चलाई जाने वाली) के सदस्य हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि दी जाती है बशर्ते कि प्लाट और इस पर बनाये जाने वाला मकान भारत के राष्ट्रपति के पास रेहन पर रखा जाए।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्व-वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का आवंटन

20. **श्री हरिकेश बाहदुर :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकाश प्राधिकरण के पास श्रेणी 3 के फ्लैटों के लिए पहली, दूसरी और तीसरी स्व-वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत कितने लोग पंजीकृत हैं जिन्हें अब तक फ्लैटों का आवंटन नहीं किया गया है ; और

(ख) चौथी स्व-वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत श्रेणी 3 के फ्लैटों के लिए कितने आदमियों ने पंजीकृत कराया है ;

संसद्रीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकाश प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्रथम तथा द्वितीय स्वबित्त पोषित योजनाओं में कोई वर्गवार पंजीकृत नहीं था तथा उन व्यक्तिओं की संख्या जिन्हें अभी आबंटन किया जाना है क्रमशः 52 और 1150 है। तीसरी स्ववित्त पोषित योजना में वर्ग 111 के अन्तर्गत 1752 पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों का आबंटन किया जाना है।

(ख) 4917

जल पूर्ति और मल निकासी कार्यालय दिल्ली में पदावनतियां

21. **श्री निहाल सिंह :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के जलपूर्ति और मल निकासी कार्यक्रम में काम करने वाले लगभग 60 लिपिकों को इस बीच पदावनत किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लिपिकों के रूप में उनकी नियुक्ति के समय दो वर्गों के भीतर टाइप की परीक्षा पास करने की शर्त निर्धारित की गई थी और टाईप परीक्षा पास करने पर दो वर्गों के व्यतीत हो जाने के बाद निगम द्वारा उनकी पदावनति की जानी थी ; और

(ग) यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि के व्यतीत हो जाने के बाद उनको पदावनत करने के क्या कारण हैं और उनको लिपिकों के पद पर बने रहने देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

संसदीय तथा निर्माण आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जल पूर्ति तथा मलव्ययन संस्थान में निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में कार्य कर

रहे 62 कर्मचारियों को उनके पूर्व पदों पर प्रत्यावर्तित करने के आदेश मई, 1981 में जारी किये गए थे। तथापि उनमें से किसी की भी निम्न श्रेणी लिपिक के ग्रेड में 15 वर्ष की सेवा नहीं थी।

(ख) और (ग) दिल्ली जलपूर्ति तथा मलव्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि उपर्युक्त कर्मचारियों की निम्न श्रेणी लिपिक के ग्रेड में नियुक्ति तदर्थ के आधार पर की गई थी। उन्हें उनकी नियुक्ति के एक वर्ष के अन्तर्गत टाइप टेस्ट पास करना अपेक्षित था। उन्हें कई अवसर देने के बावजूद भी वे टाइप टेस्ट पास करने में असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप मई, 1981 में उनका प्रत्यावर्तन हुआ।

दिल्ली जलपूर्ति तथा मलव्ययन संस्थान के अनुसार प्रभावित कर्मचारियों ने अपने प्रत्यावर्तन के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी परन्तु उसे 30-7-81 को आरम्भ में ही खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध विशेष अपील की याचिका भी उच्चतम न्यायालय द्वारा 30 सितम्बर, 1981 को खारिज कर दी गई थी।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण यूवकों के स्व नियोजन में प्रशिक्षण योजना

22. **श्री केयूर भूषण :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के प्रत्येक विकास खन्ड में ग्रामीण स्वनियोजन में प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत 2 अक्तुबर, 1981 से अब तक कितने व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है ; और

(ख) उनमें हरिजनों, आदिवासिओं और महिलाओं की संख्या कितनी है ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है अथवा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्न वसूली

23. **श्री ए० के० राय :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान कितने गेहूं और चावल की वसूली की गई ;

(ख) क्या यह सच है कि भरपूर फसल के बावजूद खाद्यान्न वसूली कार्यक्रम पिछले वर्ष हरजगह पर असफल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) पिछली पांच फसलों से चावल और गेहूं की कुल वसली इस प्रकार हुई है :—

	वसूली (लाख मीटरी टन)	
फसल	चावल	गेहूं
1976-77	44.31	51.65
1977-78	48.53	54.78
1978-79	63.34	80.00
1979-80	38.43	58.52
1980-81	55.66	65.80
(अस्थायी)		

(ख) जी नहीं। 1980-81 की फसल से वसूली, 1979-80 की फसल से काफी अधिक हुई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

शालीमार बाग स्थित निम्न आय वर्ग फ्लैटो में व्याप्त दोष

24. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या निर्माण और आवास मंत्री शालीमार बाग (ए० सी० पाकेट) दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के बारे में 17 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शालीमार बाग (ए० सी० पाकेट) ने हाल में ही आवंटित किए गए निम्न आय वर्ग के अधिकतर फ्लैटों में पानी रिसता है और उनमें पलस्तर सम्बन्धी दोष हैं :

(ख) यदि हां, तो इसका कारण गलत आयोजना अथवा निर्माण में घटिया सामान का उपयोग किया जाना है ;

(ग) इन दोषों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कितनी शिकायतें लम्बित हैं ;

(च) जिन आवंटियों को फ्लैट निर्माण पूरा न हो जाने के कारण उसका कब्जा 18 अगस्त, 1981 से 30 सितम्बर, 1981 के बीच नहीं दिया गया उनसे ब्याज की अदायगी के सम्बन्ध में कितने आवेदन मिले हैं ; और

(ड.) कितने अनुरोध स्वीकार कि गए तथा कितने रद्द किये गए और उसके क्या कारण हैं।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बात से इन्कार किया है कि ए/सी पाकेट शालीमार बाग में हाल ही में आवंटित निम्न आय वर्ग के अधिकतर फ्लैटों में पानी रिसने तथा पलस्तर सम्बन्धि दोष हैं। इसने बताया कि भूतल के मकानों के आबंटियों द्वारा पानी के मीटर एक ओर के कमरे की

दीवार में लगवाये गए हैं तथा आबंटियों द्वारा मीटरों को गलत ढंग से लगाये जाने के कारण कुछ मकानों में पानी रिसता पाया गया है ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बात से इन्कार किया है कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित दोष मकानों के गलत नक्शा बनाने या निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के प्रयोग के कारण हैं । इसके आगे यह भी बताया गया है कि फ्लैटों का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों तथा अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उनके पास कोई भी शिकायत लम्बित नहीं हैं ।

(घ) तथा (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि ब्याज भुगतान के लिए एक आवंटी का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और इसकी जांच की जा रही है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में बेलदारों के न भरे गये पद

25. **श्री के० लकप्पा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली/नई दिल्ली में बेलदारों के खाली पदों के बारे में 24 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1034 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार केन्द्रों द्वारा प्रयोजित सूचियों को जो पिछले एक वर्ष से लम्बित हैं, कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ? और

(ख) उसके कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) *जैसा कि दिनांक 24 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न सं० 1034 के भाग (ख) के उत्तर में यह पहले ही बताया जा चुका है कि कि वर्तमान मस्टररोल के कर्मचारियों को सीधी नियुक्ति कोटे के अन्तर्गत होने वाली रिक्तियों पर कतिपय शर्तों पर कार्य प्रभारित स्थापना में खपाने के आदेश जारी कर दिए हैं इसलिए, यदि आवश्यक हुआ तो रोजगार कार्यालय द्वारा भेजी गई सूची पर तब ही विचार किया जाएगा जबकि पहले सभी पात्र मस्टररोल के कर्मचारियों को खपा लिया जाएगा ।*

बाढ़ों पर नियंत्रण के लिये नदियों पर तटबन्धों का निर्माण

26. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को नदियों पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बाढ़ नियंत्रण तटबन्ध बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्या को चालू वित्तीय वर्ष के लिए इस परियोजन हेतु आवंटिक राशि का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) बाढ़

नियंत्रण तटसम्बन्धों सहित बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का आयोजन, क्रियान्वयन और वित्त-पोषण का कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष में तत्सम्बन्धों के निर्माण सुधार के लिए राज्य सरकार के बजट में 70,85 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेटों के पंजीकरण के लिए अग्रिम राशि मंजूर करना

27. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजीकरण के समय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई राशि मकान भूखण्ड की कीमत की अग्रिम अदायगी होती है,

(ख) क्या यह भी सच है कि उपबन्धों के अधीन मकान निर्माण अग्रिम का ऋण जमीन की खरीद के लिए दिया जाता है;

(ग) क्या इन नियमों के उपबन्ध के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए आवास ऋण नहीं दिया जाता;

(ख) क्या सरकार इस असंगति को दूर करने के लिए आदेश जारी करेगी और वर्तमान पंजीकरण योजना की अवधि समाप्त होने से पूर्व कर्मचारियों को पंजीकरण के लिए अग्रिम देगी; और

(ड.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां। बशर्ते कि फ्लैट/प्लाट आवंटित किया जाय।

(ख) जी हां। 20 प्रतिशत अनुमेय राशि दी जाती है क्योंकि सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण अग्रिम नियमों के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर उस भूमि पर मकान बनाते।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तथा (ड.) क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण इस प्रकार का आश्वासन नहीं देता कि क्या प्लाट/फ्लैट का आवंटन किया जायेगा और कब किया जायेगा, इसलिए पंजीकरण की राशि जमा करने के लिए गृह निर्माण अग्रिम नहीं दिया जा सकता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकान

28. **श्री पियूष तिरकी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों के निर्माण के लिए घटिया सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है ;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये कितने मकानों को दोषपूर्ण पाया गया है ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है ?

(घ) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या है ; और

(ड.) सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ;

ससदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ड.) तक : सूचना एकत्र की जा रही तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बाघालटो मध्यम सिंचाई परियोजना

29. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस मन्त्रालय को बाघालटो मध्यम सिंचाई परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना प्रतिवेदन की जांच कर ली गई है ;

(ग) परियोजना प्रतिवेदन को कब तक मन्जूरी दी जायेगी ; और

(ख) उड़ीसा सरकार ने परियोजना को राज्य की छठी पंजबर्षीय योजना में निष्पादन के लिये सम्मिलित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) बाघालटी मध्यम सिंचाई परियोजना के बारे में रिपोर्ट उड़ीसा सरकार से केन्द्रीय जल आयोग में जुलाई, 1981 में प्राप्त हुई थी। परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई थी और सितम्बर, 1981 में राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गये थे। परियोटना को अनुमोदित करने के बारे में आगे कार्रवाई तभी की दी जा सकेगी जब राज्य सरकार से केन्द्रीव जल आयोग की टिप्पणियों के बारे में स्पटीकरण/उत्तर प्राप्त हो जायेंगे और परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता प्रमाणित हो जायेगी ।

(घ) उड़ीसा सररार ने इस परियोजना को अपनी छटी योजना के प्रस्तावों में शामिल नहीं किया है ।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों पर गेहूं की अपर्याप्त सप्लाई

30. **श्री राजेश सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में उचित दर की अनेक दुकानों को पिछले 6 महीनों में

गेहूं उपलब्ध नहीं किया गया और यदि हां, तो उसके क्या कारण ; और

(ख) क्या राजधानी में सभी उचित दर की दुकानों को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने के लिये सरकार द्वारा कोई कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनायन) : (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली को गेहूं की सप्लाई करने के लिए केन्द्रीय पूल से किए गए मासिक आवंटनों के प्रति गेहूं के पर्याप्त स्टाक बनाए रखे जा रहे हैं।

नेताजी नगर मार्कीट, नई दिल्ली में दुकानें

31. **श्री के० प्रधानी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री नेताजी नगर मार्कीट, नई दिल्ली में दुकानों के सामने बनी जगह का दुरूपयोग के बारे में 14 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4005 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेताजी नगर मार्कीट, नई दिल्ली में उक्त दुकानों के सामने के निर्माण को हटाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अब तक कार्रवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस बीच इस मामले में कोई निर्णय ले लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन दुकानों के सामने से निर्माणों को गिराने तथा दुकानों के सामने समुचित खुला बरामदा उपलब्ध कराने के निर्णय को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि मामले की विस्तृत रूप से जांच करने के बाद यह निर्णय किया है कि निर्माणों को नहीं हटाया जाएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नगरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 का संशोधन

32. **श्री आर० के० महालगी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री नगरी भूमि सीमा अधिनियम के बारे में 6 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6541 के उत्तर के संबंध में यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 का संशोधन करने संबंधी इस बीच ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और ऐसा संशोधन विधेयक कब तक पेश किया जाएगा ;

(ग) संशोधन विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) यदि अभी तक निर्णय नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) से (घ) तक अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के संशोधन का प्रस्ताव अभी भी प्रक्रियाधीन है और जैसे ही अपेक्षित औपचारिकतायें पूरी हो जायेंगी वैसे ही संशोधन विधेयक पेश कर दिया जाएगा।

फूल बाग, लारेंस रोड़, रामपुरा, दिल्ली सरकारी जमीन का अनाधिकृत उपयोग

33. श्री केशव राव पारधी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डब्ल्यू० जेड० 27-ए, फूल बाग, लारेंस रोड, रामपुर, दिल्ली-35 (दुर्गा मन्दिर, गोल्डन पार्क के सामने) सरकारी जमीन है ;

(ख) ये जमीने इस समय किसके कब्जे में है ; और

(ग) क्या इस जमीन पर कब्जा कानूनी है, यदि हां, तो किस प्रकार और यदि नहीं, तो सरकारी जमीन को तत्काल खाली कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यह भूमि 1972 से लक्ष्मीचन्द पुत्र श्री रामेश्वर दयाल के अनधिकृत दखल में है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि परिसर को खाली करवाने के लिए लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत कार्रवाई आरम्भ की गई है।

खाद्य तेल आयात नीति

श्री सन्त कुमार मण्डल : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले वर्ष के लिये खाद्य तेल आयात नीति को अब तक अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे उनकी प्रति सभा पटल पर रखेंगे ; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे तेल के सारे आयात को गैर-सरकारी व्यापारियों के हाथ से जिन्होंने पीछे उनको भारी मुनाफा कमाया, लेने के लिये कोई कदम उठाये हैं और यदि हां, तो क्या ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) आगामी तेल वर्ष 1981-82 (नवम्बर, 81 अक्तूबर, 82) के लिये खाद्य तेल आयात नीति को शीघ्र ही अन्तिम रूप देने के लिए कार्रवाही की जा रही है। सरकार की ओर से खाद्य तेलों का सम्पूर्ण आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० के माध्यम से किया जाता है।

दुर्भिक्ष के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए राजस्थान को एक केन्द्रीय दल

35. **श्री अशोक गहलोत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में दुर्भिक्ष के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये इस वर्ष केन्द्रीय अध्ययन दल कितनी बार वहाँ पर भेजे गये और उनके द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या हैं ;

(ख) उपरोक्त प्रतिवेदनों के आधार पर कुल कितने जिलों तथा गांवों को अभाव क्षेत्र घोषित किया गया ; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक मद के लिये कितनी सहायता दी जा चुकी है और निकट भविष्य में किनी राशि दी जानी है ?

कृषि तथा पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) एक केन्द्रीय दल ने चालू वर्ष के मानसून से पहले पड़े सूखे के संबंध में 15 से 18 अप्रैल, 1981 तक राजस्थान का दौरा किया था। इस दल ने सूखे से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए 3392।80 लाख रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा की सिफारिश की थी। सिफारिश की गई इस राशि में पेय-जल के लिए प्रबंध, अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के लिए कार्यों में तेजी लाने, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए विशेष सहायता सूखे से प्रभावित गांवों में छोटे और सीमान्त किसानों को कृषि आदानों की सप्लाई के लिए राज सहायता देने और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों और दूध पिलाने वाली माताओं/गर्भवती महिलाओं के पोषक आहार कार्यक्रम को विशेष सहायता देने की व्यवस्था करना भी शामिल है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजे गए ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया था कि राज्य के सभी 26 जिलों के कुल 21369 गांव मानसून से पूर्व पड़े खे सूसे विभिन्न मात्रा में अभाव से प्रभावित हुए थे।

(ग)	**गैर योजना**	**लाख रुपए**
(1)	निःशुल्क राहत	10.00
(2)	सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल का प्रबन्ध करना, जिसमें परिवहन के विभिन्न साधनों से पेयजल का परिवहन करने तथा पचीस ट्रक टैंकरों की खरीद/विद्यमान कुओं को गहरा करने और उनसे गाद निकालने की व्यवस्था करना शामिल है।	208.00
(3)	सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं का संरक्षण और चारे का प्रबन्ध	185.00
	कुल (क) गैर योजना	403.00

योजना	
(1) रोजगार तैयार करने वाली योजनाएं	1575.00
(2) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए विशेष सहायता	600.00
3) पेयजल संबंधी व्यवस्था के लिए प्लान स्कीमें, जैसे पम्प लगाना/53 समान्वेषी नलकूपों का विद्युतीकरण/नए कुएं खोदना/ जतआपूर्ति योजनाओं को पूरा करना/100 सामुयिक तालाबों का निर्माण।	582.00
(4) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में काश्तकारों को चारा उगाने के लिए/ पंचायतों और गौशालाओं द्वारा उच्च वंशावली वाले सांडों के रख-रखाव के लिए राज-सहायता	32.80
(5) छोटे और सीमान्त किसानों को कृषि आदनों के लिए राज सहायता	100.00
(6) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों और दूध पिलाने वाली/गर्भवती माताओं के लिए पोषणहार कार्यक्रम का विस्तार करना	100.00
योग (ख)	2989.80
कुल योग (क+ख)	3392.80

यह राशि केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर मंजूरी की गई है। इस राशि को मानसून से पूर्व पड़े सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त समझा गया। तथापि, राज्य सरकार ने हाल ही में रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत व्यय की अतिरिक्त अधिकतम सीमा के लिए अनुरोध किया है और इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

कैलाश नगर (गाँधी नगर) दिल्ली में जल सप्लाई

36. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैलाश नगर (गांधी नगर) दिल्ली में हैंडपम्पों के खराब हो जाने के कारण कालोनी के निवासियों को काफी समय से पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर हैंडपम्पों से मिलने वाला पानी पीने योग्य नहीं ;

(ग) कैलाश नगर के निकट की कालोनी गांधी नगर तक बिछाये जा चुके पानी के पाईपों को आगे कैलाश नगर तक बिछाने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) इस कालोनी के निवासियों को पीने का साफ पानी कब से मिलने लगेगा ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि कैलाश नगर में इस विभाग द्वारा हैण्डपम्प नहीं लगाये गये थे ।

(ग) और (घ) : दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि कैलाश नगर के निवासियों से आवश्यक विकास प्रभारों की प्राप्ति के बाद वहां पानी के मुख्य नल बिछाए जा सकते हैं ।

संसद सदस्यों, भूतपूर्व संसद सदस्यों और दिल्ली उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को आवंटित दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट/प्लाट

37. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने संसद सदस्यों और भूतपूर्व संसद सदस्यों को दिल्ली बिकास प्राधिकरण द्वारा अपनी स्थापना से अब तक विभिन्न वर्गों के फ्लैट दिए गए हैं ;

(ख) भूतपूर्व संसद सदस्यों को कौन-कौन सी सहकारी समितियों को राजधानी में जमीन आवंटित की गई है और संसद सदस्यों को सहकारी समितियों को आवंटित उक्त जमीन का क्षेत्रफल क्या है और वह कहां-कहां पर हैं ; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी कोई प्लाट आबंटित किया है जैसा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा बम्बई में किया गया है ;

संसदीय कार्य निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में धान की फसल को नुकसान

38. **श्री नारायण सिंह चौबे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में कीटों के हमले के परिणामस्वरूप गम्भीर महामारी फैलने के कारण धान की फसल में भारी नुकसान हुआ है;

(ख) उत्पादन की हानि की प्रतिशतता का अनुमान क्या है, और

(ग) क्या उत्पादन की हानि के लिए किसानों को मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव है ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन)

(क) पश्चिम बंगाल में खरीफ की धान की फसल चावल टुंगरो वाइरस नामक रोग से प्रभावित हुई जो कुछ परिस्थितियों में पैड़ी ग्रीन लीफ हापर, गाल फ्लाई व ब्राउन प्लान्ट हापर आदि के माध्यम से फैलती रही।

(ख) हानि के सही सही अनुमान नहीं बताये गये हैं।

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत धान के प्रमुख कीटों/रोगों के नियन्त्रण के लिए राजसहायता उपलब्ध है। राज्य के प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 1981-82 के लिए 6,000 हैक्टर क्षेत्र में ब्राउन प्लान्ट हापर पर नियन्त्रण करने के लिए राजसहायता के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में पश्चिम बंगाल हेतु 1.80 लाख रुपए की राशि मंजूर की गयी है। उत्पादन में होने वाली क्षति के लिए किसानों को मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्रामीण दिल्ली के "लाल डोरा" का क्षेत्रफल

39. **श्री सज्जन कुमार** : क्या निर्माण और और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के गांवों के 'लाल डोरे" का क्षेत्र वर्ष में निर्धारित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वर्ष 1908 से लेकर दिल्ली तथा उसके क्षेत्रफल की जनसंख्या में वृद्धि हो गई है परन्तु "लाल डोरा" का क्षेत्र वही है जो वर्ष 1908 में नियत किया गया था ; और

(ग) क्या सरकार की दिल्ली के गांवों के "लाल डोरा" क्षेत्र में वृद्धि की योजना है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

संसदीय कार्य और निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल को चावल

40. **श्री अजित कुमार साहा** :

श्री सुबोध सेन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पश्चिम बंगाल को केन्द्र सरकार से जरूरत के आधार पर अपनी मांग के अनुरूप चावल नहीं मिल रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल को जितना आवंटन किया जाता है उतनी मात्रा की सप्लाई भी नहीं की जाती ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने उनकी मांग के अनुसार नियमित रूप से चावल की सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामी नाथन) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार को प्रतिमास 1,75,000 मीटरी टन की दर से चावल का आवंटन किया जा रहा है जो कि राज्य सरकार ने मांग की थी।

(ख) से (घ) : राज्य में चावल का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध था। तथापि, राज्य सरकार ने प्रति मास औसतन 71,000 मीटरी टन चावल उठाया है। पश्चिमी बंगाल को चावल का संचलन पर्याप्त उच्च स्तर पर बनाया रखा जाता है ताकि राज्य में पर्याप्त स्टाक बना रहे।

वर्षा न होने के कारण बिहार में धान की फसल को हानि

41. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री विजय कुमार यादव :

श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "हतिया नक्षत्र" अवधि में वर्षा न होने के कारण बिहार के लगभग सभी जिलों तथा अन्य राज्यों में धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनुमानित नुकसान मूल्यांकन किया है, और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रायों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनथन) : (क) से (ग) बिहार के कुछ जिलों में "हथिया नक्षत्र" की अवधि में कम वर्षा होने के बारे में रिपोर्ट मिली हैं। तथापि, राज्य सरकार से रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

उकर नाला सिंचाई योजना

42. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मुंगर जिले को उकरनाला सिंचाई योचना के कब तक पूरा किये जाने को संभावना है ।

(ख) इस योजना पर कार्य कब प्रारम्भ किया गया था और अब तक कितना पूरा हो गया है और क्या इसके पूरा होने में कोई बाधाएं हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस योजना को पूरा न होने के कारण सुविबाओं के अभाव में इस क्षेत्र में कोई फसल नहीं हुई है और इस वर्ष आधी से ज्यादा भूमि पर खेती नहीं हुई है ; और

(घ) क्या सरकार इस वर्ष 1982 तक निश्चित रूप से पूरा होने को सुनिशित करेगी ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केन्द्र में मुंगेर जिले को उकरनाला सिंचाई स्कीम बिहार सरकार से प्राप्त हुई है।

(ख) , (ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सरकारी आवास

43. श्री कृपा सिंधु भोई :

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कार्यरत श्रेणी "ख" और ',ग" के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास और आवंटित करने के लिए मन्त्रालय के पास 15 नवम्बर, 1981 तक कितने अभ्यावेदन लंबित हैं और प्रत्येक श्रेणी में उनका प्राथमिकता वर्ग क्या है ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के किमने क्वार्टर निर्माणाधीन है और प्रत्येक श्रेणी में दिसम्बर, 1982 तक कितने क्वार्टर बनकर तैयार हो जाने की संभावना है ;और

(ग) यदि हां, तो कब और कहां इन क्वार्टरों को पूरा होने की संभावना है और उनकी विभिन्न श्रेणियां क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क)

आवास का टाइप	13.11.81 को लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	13.11.81 को जिस अग्रता की तिथि तक आवंटित किया गया
बी	23,818	18.29 59
सी	4160	13.7.59

(ख) तथा (ग) : निर्माणाधीन क्वार्टरों की संख्या निम्न है :

टाइप-बी	4228
टाइप-सी	6376

दिसम्बर, 1982 तक प्रत्येक टाइप में क्षेत्रबार पूर्ण होने वाले क्वार्टरों की संख्या नीचे दी गई है :

क्षेत्र	टाईप-बी	टाइप-सी
सादिक नगर	144	—
एम० बी० रोड	2232	2074
मुहम्मदपुर	264	—

आराम बाग	584	495
लोधी रोड	—	1050
तिमारपुर	376	210
डी० आई० जैड क्षेत्र	224	1764
	3824	5593

चीनी के उत्पादन में वृद्धि

44. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** :क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चालू मौसम में चीनी के उत्पादग में वृद्धि के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है ; और

(ख) उनका क्या असर हुआ ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सरकार ने शीघ्र पिराई कार्य शुरु करने पर उत्पादन शुल्क में रिबेट देने के रुप में चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन देने की घोषणा की है ताकि वर्तमान मौसम के दौरान चीनी के उत्पादन में वद्धि की जा सके ।

वर्तमान मौसम के दौरान 7.11.1981 तक कुल 1,14,996 मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था जबकि पछले वर्ष उसी तारीख तक 53,419 मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था । उस तारीख को 106 फैक्टियाँ कार्यरत थीं । जबकि गत वर्षा 76 फैक्ट्रियां कार्यरत थीं ।

नहरों तथा वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए आंध्र प्रदेश द्वारा मांगी गई सहायता

45. **श्री राम गोपाल रेड्डी** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आँध्र प्रदेश की सरकार ने राज्य की प्रमुख नदियों से निकलने वाले नहरों और वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि माँगी गई है और केन्द्रीय सरकार ने 1981-92 में कितनी धनराशि मंजूर की है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पश्चिम बंगाल को लेवी की चीनी

46. श्री सुधीर कुमार गिरि :

श्री नीरेन घोष : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पश्चिमी बंगाल को प्रतिमास 22,000 मीट्रिक टन लेवी की चीनी दी जाती है जबकि उसकी मासिक आवश्यकता 40,000 मीट्रिक टन है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जितनी मात्रा आवन्टित की गयी है उतनी मात्रा राज्य में नहीं पहुंच पाई; 1980 में कुल 207646 मीट्रिक टज चीनी पहुंची जबकि 272299 मीट्रिक टन आवंटित की गई थी और इस प्रकार 64653 मीट्रिक टन चीनी कम पहुंची ;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) सरकार ने मांग पूरी करने के लिए आवंटन और प्रेषण, दोनों में सुधार लाने के लिए क्या उपाय लिए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामी नाथन) : (क) 17.12.1979 से चीनी की आंशिक नियंत्रण की नीति को लागू करने अतीत में आंशिक नियंत्रण की अवधि के दौरान दिए जा रहे लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटों को बहाल कर दिया गया है और तदनुसार पश्चिमी बंगाल को उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए 21,994 मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा प्राप्त हो रहा है (इसके अलावा, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आदि के लिए भी कुछ मात्रा आवंटित की जा रही है)। पश्चिमी बंगाल सरकार ने उनके मासिक कोटे में वृद्धि कर 40,000 मीटरी टन करने के लिए कहा था लेकिन लेवी चीनी की उपलब्धता स्थिति कठिन होने के कारण उनके कोटे में किसी प्रकार की वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ है ।

(ख), (ग) और (घ) वर्ष, 1981 अर्थात जनवरी से दिसम्बर, 1980 के लिग पश्चिमी बंगाल को कुल 2,64,190 मीटरी टन लेवी चीनी आवंटित की गयी थी और इसके प्रति राज्य में 2:07,225 मीटरी टन की आमद हुई थी . इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भी 31.12.1980 तक 17,521 मीटरी टन चीनी थी। कुछेक महीनों में आमद में कमी इस कारण हुई थी कि भारतीय खाद्य निगम से दूर दराज महाराष्ट्र के अधिशेष राज्य से पश्चिमी बंगाल के विभिन्न गन्तव्य स्थानों को लेवी चीनी भेजने की अपेक्षा की जाती है और इसलिए कई एक अवसरों पर पर्याप्त संख्या में वैगन उपलब्ध होने में बाधाएं आने के कारण संचलन संबंधी ककिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारतीय खाद्य निगम को परामर्श दिया गया है कि वे आवटित लेबी चीनी को तुरन्त उठाने और उसे पश्चिमी बंगाल को पहुंचाने की व्यवस्था करें और इस सम्बन्ध में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। अगस्त से अक्तूबर, 1981 के पिछले तीन महीनों में राज्य में कुल 68,122 मीटरी टन की आमद हुई

—0

थी जबकि उक्त महीनों में लगभग 66,058 मीटरी टन लेवी चीनी का आवंटन किया गया था ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

47. **श्री हरीश कुमार गगवार** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने हेतु एक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है ।

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण किसी ऐसे व्यक्ति को फ्लैट का आवंटन अथवा भूमि का नीलाम नहीं करेगा जो आवंटन/नीलामी से 10 वर्ष पूर्व तक दिल्ली का रहने वाला नहीं रहा हो ;

(ग) दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी पर काबू न पाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) दिल्ली में भूमि के मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश/हरियाणा/राजस्थान राज्य सरकारों तथा दिल्ली के उपराज्यपाल के विचार प्राप्त किए जा रहे हैं ।

(ख) तथा (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) यह मूल्यवृद्धि मुद्रास्फिति की सामान्य प्रवृति तथा स्वतन्त्र रूप से खरीद के लिए प्लाटों के कम उपलब्ध होने के कारण प्रतीत होती है ।

वन संरक्षण पर खर्च की गई धनराशि

48. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

केन्द्र द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना में वनों के संरक्षण के लिए निर्धारित 1918.23 लाख रुपये की धनराशि में से अब तक प्रत्येक राज्य में कितनी धनराशि खर्च की गई है और यह धनराशि किन-किन कार्यों के लिए खर्च की गई तथा इसके क्या परिणाम निकले या निकलने की सम्भावना है और बकाया धनराशि को खर्च पर राज्यवार कितने प्रतिशत भूमि किस समय तक जंगलों में बदल दी जाएगी ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : छठी योजना के दौरान 19,18,23 लाख रुपए के आवंटन के अंतर्गत 'वन संरक्षण' शीर्षक के तहत केन्द्र का एक पृथक योजना बनाने का कोई विचार नहीं है । फिर भी, छठी योजना अवधि (1980-85) के लिए 'वन संरक्षण' नामक राज्य प्लान योजना हेतु 19,81,23 लाख रुपए का

परिव्यय मंजूर किया गया है। इस योजना का उद्देश्य संरक्षण की दृष्टि से अर्थात वनों की आगे कटाई रोकने के लिए देश में विद्यमान वनों का संरक्षण करना है। छठी योजना अवधि में 'वन संरक्षण' नामक योजना के उपरोक्त स्वीकृत आवंटन में से 1980-81 के दौरान विभिन्न राज्यों व गोवा, दमन व दीव संघ शासित राज्य द्वारा 4,44,83 लाख रुपये की राशि खर्च कर ली गई है। 1981-82 के दौरान इस योजना के लिए 4,57.83 लाख रुपए का परिव्यय भी मुहैय्या किया गया है। वर्ष 1981-82 व 1980-85 के लिए आवंटन सहित 1980-81 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत व्यय का राज्यवार ब्योरा संलग्न है।

चूंकि 'वन संरक्षण' नामक योजना का उद्देश्य विद्यमान वनों का संरक्षण करना है, अतः उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन द्वारा देश के वन क्षेत्र में वृद्धि करने का प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यय (1980-81)	परिव्यय (1981-82)	परिव्यय (1980-85
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.70	10.00	15.00
2.	असम	187.00	130.00	632.50
3.	बिहार	11.00	11,00	40.00
4.	गुजरात	129.12	145.13	630.90
5.	हरियाणा	0.60	1.00	5.00
6.	हिमाचल प्रदेश	5.00	5.20	80.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	—	—	—
8.	कर्नाटक	—	14.00	100.00
9.	केरल	30.00	37.00	160.00
10.	मध्य प्रदेश	2.00	2.00	10.00
11.	महाराष्ट्र	—	—	—
12.	मणिपुर	2.00	4.00	5.00
13.	मेघालय	23.77	35.00	75.00
14.	नागालैण्ड	—	—	—
15.	उड़ीसा	—	—	—
16.	पंजाब	—	—	—

1	2	3	4	5
17.	राजस्थान	7.87	8.50	30.83
18.	सिक्किम	—	—	—
19.	तमिलनाडु	7.01	8.00	35.00
20.	त्रिपुरा	4.31	3.00	25.00
21.	उत्तर प्रदेश	23.00	33.00	100.00
22.	प० बंगाल	6.33	7.00	25.00
		442.71	455.83	19,69.23
1.	गोवा, दमन तथा दीव	2.12	2.00	12.00
	योग संघ शासित क्षेत्र	2.12	2.00	12.00
	अखिल भारतीय योग	4,44.83	4,57.83	19,81.23

खरीफ की फसल की संभावनायें

49. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्र के विभिन्न भागों में 1981-82 के दौरान चावल, गेहूं, दालें, ज्वार, रागी आदि प्रमुख खाद्यान्नों के सम्बन्ध में खरीफ की फसल की कैसी सम्भावनाएं हैं ; और

(ख) 1981-82 में गेहूं, चावल ,ज्वार और रागी आदि खाद्यान्नों की राज्यवार अनुमानतः उत्पादन कितना होगा तथा 1980-81 का अनुमानित और वास्तविक उत्पादन कितना था ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1981-82 के दौरान खरीफ खाद्यान्नों की सम्भावनाएं संतोषजनक होने की आशा है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान कुल उत्पादन लगभग पिछले वर्ष के बराबर ही रहने की सम्भावना है। 1981-82 के उत्पादन अनुमान कृषि वर्ष (जुलाई-जून) के समाप्त होने के बाद उपलब्ध होंगे। 1980-81 के वास्तविक उत्पादन का एक विवरण संलग्न है।

परिव्यय मंजूर किया गया है। इस योजना का उद्देश्य संरक्षण की दृष्टि से अर्थात वनों की आगे कटाई रोकने के लिए देश में विद्यमान वनों का संरक्षण करना है। छठी योजना अवधि में 'वन संरक्षण' नामक योजना के उपरोक्त स्वीकृत आवंटन में से 1980-81 के दौरान विभिन्न राज्यों व गोवा, दमन व दीव संघ शासित राज्य द्वारा 4,44,83 लाख रुपये की राशि खर्च कर ली गई है। 1981-82 के दौरान इस योजना के लिए 4,57.83 लाख रुपए का परिव्यय भी मुहैया किया गया है। वर्ष 1981-82 व 1980-85 के लिए आवंटन सहित 1980-81 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत व्यय का राज्यवार ब्योरा संलग्न है।

चूंकि 'वन संरक्षण' नामक योजना का उद्देश्य विद्यमान वनों का संरक्षण करना है, अतः उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन द्वारा देश के वन क्षेत्र में वृद्धि करने का प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यय (1980-81)	परिव्यय (1981-82)	परिव्यय (1980-85
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.70	10.00	15.00
2.	असम	187.00	130.00	632.50
3.	बिहार	11.00	11,00	40.00
4.	गुजरात	129.12	145.13	630.90
5.	हरियाणा	0.60	1.00	5.00
6.	हिमाचल प्रदेश	5.00	5.20	80.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	—	—	—
8.	कर्नाटक	—	14.00	100.00
9.	केरल	30.00	37.00	160.00
10.	मध्य प्रदेश	2.00	2.00	10.00
11.	महाराष्ट्र	—	—	—
12.	मणिपुर	2.00	4.00	5.00
13.	मेघालय	23.77	35.00	75.00
14.	नागालैण्ड	—	—	—
15.	उड़ीसा	—	—	—
16.	पंजाब	—	—	—

गेहूं की वसूली

50. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली रबी की फसल में गेहूं का कुल आनुमानित उत्पादन कितना है ?

(ख) रबी फसल के दौरान गेहूं की वसूली का लक्ष्य क्या था ;

(ग) वसूली लक्ष्य पूरे न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) भविष्य में ऐसी असफलता को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) : 365 लाख मीटरी टन ।

(ख), (ग) और (घ) : केन्द्रीय सरकार मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन किसानों को उपयुक्त मूल्य दिलाना सुनिश्चित करती है । वह समर्थन मूल्य पर पेश किए गए सभी स्टाक को भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों अथवा/और उनकी एजेन्सियों के माध्यम से खरीद लेती है । आशा थी कि समर्थन मूल्य पर 95 लाख मीटरी टन गेहूं पेश किया जाएगा । तथापि, समर्थन मूल्य पर लगभग 65.8 लाख मीटरी टन गेहूं (13 नवम्बर, 1981 तक प्राप्त सूचनानुसार) पेश किया गया था और उसकी वसूली की गई थी जबकि पिछले मौसम में उसी अवधि के दौरान 58.5 लाख मीटरी टन गेहूं वसूल किया गया था । किसानों द्वारा यदि समर्थन मूल्य पर और कोई स्टाक पेश किया जाता है तो उसकी भी वसूली कर ली जाएगी ।

यह सम्भव है कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य की तुलना में व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य पेश करने और उत्पादकों द्वारा गेहूं का स्टाक रोक रखने के कारण आशा से कम वसूली हुई ।

रेगिस्तान को बढ़ने से तथा वनों को काटने से रोकने की योजना

51. **श्री हीरा लाल आर० परमार** :

श्रीमती संयोगिता राणे :

श्री गुलाम मोहम्मद खान :

श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या में वृद्धि होने, बहुत सी परियोजनाओं को लापरवाही से लागू करने और ईंधन की जरूरत में वृद्धि होने के कारण जंगलों को काटना पड़ा है,

(ख) क्या सरकार ने अन्य देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने तथा जगलों को काटने से रोकने के लिए कोई योजना तैयार की है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) जी हां। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत योजनाएं मुख्य रूप से वन रोपण के लिए हैं। उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में ये योजनाएं विश्व बैंक की सहायता से क्रमशः 40 करोड़ रुपए तथा 65.36 करोड़ रुपये के परिव्यय से क्रियान्वित की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा बिहार, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, और जम्मू व कश्मीर की योजनाओं का विदेशी सहायता से क्रियान्वित करने के लिए विचार किया जा रहा है।

नर्मदा परियोजना

52. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा परियोजना के निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है और अब तक इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ;

(ख) विश्व बैंक द्वारा भेजे गये अध्ययन दल ने क्या सूचना एकत्र की है और वह कौन सी सूचना प्राप्त करना चाहता था ;

(ग) नर्मदा परियोजना के लिए विश्व बैंक से कितनी धनराशि मांगी गई है और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि विश्व बैंक ऋण न दे तो तो धनराशि प्राप्त करने के लिए क्या विकल्प हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) माननीय सदस्य संभवतः गुजरात की नर्मदा परियोजना का जिक्र कर रहे है। गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि नदी का मानसून के बाद प्रवाह व्यपवर्तित कर दिया गया है, सरदार सरोवर बांध की नींव की खुदाई की जा चुकी है तथा मुख्य नहर के प्रारम्भिक भाग के 17 किलोमीटर तक की खुदाई का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इस परियोजना पर सितम्बर, 1981 तक 101.80 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि विश्व बैंक की अपेक्षा के अनुसार उनके द्वारा अनेक अध्ययन प्रारम्भ किए गए हैं और ये अध्ययन अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।

(ग) इस परियोजना की कुल लागत 2348 करोड़ रुपये है जिसे विश्व बैंक के विचारार्थ द्वारा उन्हें प्रस्तुत किया गया है। विश्व बैंक द्वारा अभी इसका मूल्यांकन किया जाना है।

(घ) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि यदि विश्व बैंक ऋण नहीं देता है तो इस परियोजना के निर्माण-कार्य राज्य सरकार के पास उपलब्ध धन से आरम्भ किए जाएंगे।

पश्चिमी राजस्थान में जल का अभाव तथा सूखा

53. **श्री दौलत राम सारन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पश्चिमी राजस्थान में जल के निरन्तर अत्यधि अभाव तथा सूखे की बदतर स्थिति के कारण ग्रामीण लोगो को पड़ौसी राज्यों में जाने तथा पाकिस्तान सीमा के पार जाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है , और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस स्थिति का सामना करने के लिए राज्य की सहायता करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ।

कृषि तथा पुर्नानर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) : राजस्थान सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार गंगानगर, जयपुर तथा कोटा छोड़कग 23 जिले अभी भी सूखे से प्रभावित हैं । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जिलाधीशों से फसल की जांच-सम्बन्धी रिपोर्ट मांगों गई है और सूखे से हुई क्षति की मात्रा तथा स्थिति से निपटने के लिये आवश्यक केन्द्रीव सहायता के सम्बन्ध में एक विस्तृत ज्ञापन भारत सरकार को भेज दिया जाएगा । उसके प्राप्त होने पर मामले पर विचार किया जाएगा । इस दौरान में सरकार ने राजस्थान सरकार को निम्नलिखित सहायता दी है :

(1) खरीफ फसल को बचाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान की नहरों में 11. 745 क्यूसक पानी छोड़ने हेतु तदर्थ अनुदेश जारी किया है ।

(2) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कुएं खोदने के लिये केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड नैड्रिलिग रिगें उपलब्ध की है ।

(3) दूरस्थ क्षेत्रों में पानी की सप्लाई की व्यवस्था में सहयोग देने के लिये रक्षा मंत्रालय ने सेना-मुख्यालय को अनुदेश जारी किए हैं ।

(4) 1981-82 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को 208.00 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है ।

(5) उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राजस्थान के प्रवासी मवेशियों को चराई की सुविधाएं प्रदान करें ।

(6) चालू वर्ष 1981-82 के दौरान राज्य सरकार 234.00 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं । जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तगंत 400C मीटरी टन खाद्यान्नों का आवंटन भी शामिल है ।

(7) राज्य सरकार की कृषि आदानों को खरीदने तथा वितरित करने के लिये 1" करोड़ रुपए (5 करोड़ रुपए खरीफ के लिये तथा 12 करोड़ रुपए रबी के लिये की राशि अल्पावधिक ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है । भारत सरकार ने हाल

में राजस्थान में बाढ़ राहत उपायों के लिये 4505.60 लाख रूपए के व्यय के लिये मंजूरी प्रदान की गई है। इस राशि में जयपुर शहर में जल सप्लाई प्रणाली की मरम्मत पुनर्स्थापता के बिये 150 लाख रुपए तथा अन्य स्थानों (जो अब सूखे से प्रभावित है) के लिये 75.00 लाख रुपए की राशि भी शामिल है ।

खुले बाजार में बिक्री की चीनी का मूल्य

54. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्यों में अब तक कोई कमी आई है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में आज की तारीख में खुले बाजार में बिकने वाली चीनी का मूल्य कितना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) 17.11.1980 के 5.97 रुपये से 11.00 रुपये प्रति किलों के मूल्य रैंज की तुलना में 17.11.1981 को प्रमुख मंड़ियों में खुदरा मूल्य का रैंज 5.30 रुपये से 6.15 रुपये किलों तक था ।

तुर्कमान गेट से हटाये गए लोग

55. **श्री रामविलास पासवान** :

श्री रशीद मसूद : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौन्दर्य अभियान के दौरान तुर्कमान गेट से हटाये गए परिवारों की संख्या कितनी है ;

(ख) वहां से हटाए गए लोगों के पुनर्वास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तुर्कमान गेट क्षेत्र में कितने फ्लैट बनाए गए हैं ; और

(ग) कितने परिवारों को अब तक पुनः बसाया जा चुका है और शेष परिवारों के पुनर्वास में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भाग्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बाढ़, सूखे और प्राकृतिक आपदाओं में मरे लोगों का रिकार्ड रखा जाना

56. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पिछले पांच वर्षों के दौरान बाढ़, सूखे और प्राकृतिक आपदाओं में मरे लोगों का कोई रिकार्ड रखा है ;

(ख) यदि हां, तो इन मरने वालों की वर्ष-वार संख्या कितनी है,

(ग) इस अवधि में फसल सम्पत्ति की कितनी हानि हुई, और

(घ) इस अवधि के दौरान बाढ़ रोकने के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) राज्यों से मिली जानकारी के आधार पर गत पांच वर्षों के दौरान बाढ़ सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति को बतानेवाला एक विवरण संलग्न है [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2904/81]

(घ) वर्ष 1976-77 से 1981-82 तक (अनुमोदित) बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों पर अब तक 85878.47 लाख रुपए की धन राशि खर्च हुई।

देश में मकानों की कमी

57. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में मकानों के अत्याधिक कमी की जानकारी है और इस समय कितने लोगों को मकानों की जरूरत है ;

(ख) क्या सरकार का विचार भूमि के विकास और आवंटन, मकानों के निर्माण, विशेषकर निर्धन, ग्रामीणों के लिए एक राष्ट्रीय निगम स्थापित करते का है ; और

(ग) छटी पंचवर्षीय योजना में प्लाटों के विकास तथा निर्माण के लिए कितनी धनराशि आवटित करने का विचार है,

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां। 1978 की जनगणना के आधार पर तथा उस पर 1981 के लिए भारत के महापंजीकार द्वारा दिया गया जनसंख्या प्रक्षेपण के आधार पर राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन द्वारा निकाली गई मकानों की कमी के आंकड़े निम्न हैं :

ग्रामीण	165 लाख
शहरी	48 लाख
योग	213 लाख

(ख) जी, नहीं।

(त) छटी योजना के अन्तर्गत आवास पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 1490.87 करोड़ रुपये है।

कलकत्ता और जादवपुर विश्व विद्यालयों और विधान चन्द्र कृषि विश्व विद्यालय में पान के पत्तों पर अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए सहायता

58. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या कृषि मन्त्री पान के पत्तों की खेती पर अनुसंधान के बारे में 7-9-1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3050 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान पान के पत्तों पर अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए कलकत्ता विश्व विद्यालय, विधान चन्द्र कृषि विद्यालय और जादव पुर विश्व विद्यालय को सहायता देने के लिए सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन प्रस्ताव के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है। और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा छटी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पान की बेल के सुधार पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रयोजना की स्वीकृति योजना आयोग और वित्त मन्त्रालय से अभी तक नहीं हुई है। उपरोक्त प्रयोजन के अधीन, पश्चिमी बंगाल में बिधान चन्द्र कृषि विश्व विद्यालय को एक केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है। तथापि कलकत्ता विश्व विद्यालय और जादवपुर विश्वविद्यालय में केन्द्रों को स्थापित करने को छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई प्रस्ताव नहीं है।

सस्य और भन्डारण तकनीक का मानकीकरण करके भारत में पान की खेती में सुधार लाने के लिए पान की बेल के सुधार पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है प्रस्तावित परियोजना में पोषक तत्वों के निर्धारण दीर्घावधि उर्वरक परिक्षणों और उच्च उपज के पूर्ववृत युक्त बागानी केसर्वेक्षण के द्वारा स्वीकार्य गुणवत्ता की अधिक उपज देने वाले पत्तों के साथ सम्बद्ध पान की बेल के स्तर, अच्छे प्रबंध दूरी के परीक्षण, पानी की आवश्यकता, फसल तुड़ाई के बाद की प्रौद्योगिक आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान सम्मिलित होगी। भन्डारण के सुधार से बाजार की कीमतों के उतार चढ़ाव पर नियन्त्रण रखने तथा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के लाभ के लिए उद्योग में स्थायित्व लाने के मामले में इस व्यापार को सहायता मिलेगी। प्रस्तावित योजना के केन्द्र होंगे :— राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान,लखनऊ, तमिलनाडु कृषि विद्यालय, कोयबम्टूर उड़ीसा कृषि और प्रोद्योगिकी विश्व विद्यालय. भुवनेश्वर महात्मा फुले कृषि विद्या पीठ, राहुड़ी, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय; जबलपुर, विधान चन्द्र कृषि विश्व विद्यालय, कल्याणी. पश्चिमी बंगाल और एक समन्वित इकाई (स्थान) (अभी तक निर्धारित नहीं) तथा इसका कुल वित्तीय परिव्यय 38.82 लाख रुपये होगा। इसमें से 5.32 लाख रुपये बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय कल्याणी केन्द्र को देने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड की स्थापना

59. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दुग्ध उपलब्ध कराने तथा घाटे वाले राज्यों की संख्या को हल करने के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय ग्रिड दुग्ध की स्थापना करने हेतु एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ख) क्या,सरकार उत्पादकों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रव्यापी आधार पर दूध के न्यूनतम मूल्य लागू करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है। और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत चुनींदा दुग्ध उत्पादक क्षेत्रों का विकास करके उन्हें प्रमुख शहरी उपभोक्ता केन्द्रों से जोड़ने के प्रबंध किए जा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली के लिए वार्षिक योजना

60. **श्री रशीद मसूद :**

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिए चालू वार्षिक योजना में प्रदूषण-विरोधी उपायों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा शाहदरा और इसके आस पास क्षेत्रों के लिए सीवर बिछाये जाने और यहां तक कि समूची छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए क्षेत्रवार आवंटन जैसी महत्वपूर्ण मदों के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि मूल्य आयोग

61. **श्री पी० नामग्याल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मूल्य आयोग के सदस्यों के नाम तथा ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या यह सच है कि किसानों से लगातार ये शिकायतें प्राप्त होते हैं कि कृषि मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के मूल्यों के निर्धारण में किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा,

(ग) कृषि मूल्य आयोग और उसके कार्यकरण के बारे में किसानों के मस्तिष्क में लगातार बढ़ते सन्देह को दूर करने के लिए भारत सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है, और

(घ) क्या भविष्य में कृषि उत्पादों का उचित मूल्य निर्धारण करने के लिए भारत के विभिन्न कृषि मौसम संबंधी क्षेत्रों तथा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि आर्थिक विशेषज्ञों को कृषि आयोग में शामिल किया जाएगा ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) कृषि मूल्य आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य है :—

1. डा० टी० एन० धर	—सदस्य सचिव
2. श्री रणधीर सिंह	—सदस्य (गैर सरकारी)
3. डा० एम० वी० जार्ज	—सदस्य

डा० टी० एन० धर भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी हैं। वे आयोग में अप्रैल, 1980 में आये थे। श्री रणधीर सिंह (जो कृषि उत्पादन और उपभोक्ता समस्याओं को जानते हैं) एक गैर-सरकारी सदस्य की हैसियत से जुलाई, 1980 में आयोग में आये। कृषि अर्थशास्त्री डा० एम० वी० जार्ज ने आयोग में फरवरी 1981 में कार्यभार सम्भाला था। वे केरल योजना बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर आये हैं।

(ख) और (ग) कृषि मूल्य आयोग एक परामर्शदायी निकाय है और सरकार इसकी सिफारिशों के आधार पर सभी सम्बद्ध पहलुओं व किसानों से प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद ही निर्णय लेती है।

(घ) इस समय आयोग के गठन में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आयातित चीनी का निपटान

62. **श्री ई० बालानन्दन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातित चीनी का निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) लगभग 2.15 लाख टन की कुल चीनी में से देश में कितनी चीनी पहले ही पहुंच चुकी है ; और

(ग) आयातित चीनी में से राज्यों को राज्य-वार कितनी चीनी का आवंटन किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सितम्बर और अक्तूबर, 1981 के त्योहार के महीनों के दौरान चीनी की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए आयातित चीनी के एक भाग को टैंडरों द्वारा नीलामी कर खुले बाजार में

बेचा गया था। आयातित चीनी का शेष मात्रा को नवम्बर और दिसम्बर, 1981 के महीनों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/भारतीय खाद्य निगम की लेवी संबंधी आवश्यकताओं के एक अंश को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) कुल 2,14, 650 मीटरी टन सफेद चीनी का आयात करने के लिए ठेका किया गया था जिसके प्रति 2,13,940.2 मीटरी टन चीनी विभिन्न पत्तन-गोदामों में प्राप्त हो चुकी है।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें राज्यों को आवंटित आयातित चीनी की मात्रा का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

नवम्बर और दिसम्बर, 1981 के लिए राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम को आयातित चीनी के आवंटन को बताने वाला विवरण।

क्रम सं०	राज्यों के नाम	आवंटित आयातित चीनी
	नवम्बर, 1981	
1.	आन्ध्र प्रदेश	20889.5
2.	गुजरात	14039.7
3.	हरियाणा	5217.9
4.	केरल	5541.6
5.	तमिलनाडु	6751.8
6.	महाराष्ट्र	—
7.	कर्नाटक	—
8.	पंजाब	6587.5
9.	उत्तर प्रदेश	24330.6
10.	राजस्थान	12743.6
11.	गोआ	408.0
12.	दमन	38.0
13.	दीव	24.0
14.	चण्डीगढ़	275.0
15.	हिमाचल प्रदेश	1589.0
16.	दादर तथा नगर हवेली	36.0

क्र०सं०	राज्यों के नाम	आवंटित आयातित चीनी
17.	मणिपुर	535.2
18.	नागालैंड	349.8
19.	पाण्डीचेरी	—
20.	माहे	—
21.	कारीकल	—
22.	यनम	—
23.	त्रिपुरा	779.4
24.	सिक्किम	159.2
25.	भूटान	100.0
	जोड़	100395.8
26.	भारतीय खाद्य निगम	58408.0
	नवम्बर, 1981 के लिए सकल जोड़	158803.8
	दिसम्बर, 1981 के लिए	
1.	आंध्र प्रदेश	11615.4 एम० टी०
2.	तमिलनाडु	19788.5 एम० टी०
3.	केरल	7996.1 एम०टी०
	नवम्बर और दिसम्बर, 1981 के लिए जोड़	39400.0

विभिन्न कृषि जलवायु की स्थितियों के लिए गेहूं की नई किस्में

63. **श्री जो० वाई० कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह सच बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूं वैज्ञानिकों ने गहन भूमि परीक्षण तथा आगामी रबी मौसम के दौरान बीज-बहुप्रजनन के लिए विभिन्न कृषि जलवायु की स्थितियों हेतु गेहूं की अनेक नई किस्मों का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन नई किस्मों का ब्यौरा क्या है तथा उन की कार्य निष्पादिता क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) अखिल भारतीय समन्वित गेहूं अनुसंधान प्रायोजन के अन्तर्गत गेहूं विज्ञानियों ने, अगस्त, 1981, में आयोजित 20वीं अखिल भारतीय गेहूं की 8 नयी किस्मों की पहचान की। इनकी पहचान निम्नलिखित क्षेत्रों और दशाओं के लिए की गयी है :

किस्म	क्षेत्र	उत्पादन दशाएं
1	2	3
1. एच० डी० 2285	उत्तरी मैदानी पट्टी पंजाब, जम्मू के मैदान, दिल्ली, पश्चिमी उ० प्र० पूर्वी हरियाणा (कुरुक्षेत्र, अम्बाला, करनाल और सोनीपत जिला) राजस्थान के अलवर, भरतपुर और श्रीगंगानगर और मध्य प्रदेश के भिण्ड और मुरैना जिले।	पिछली बुवाई अच्छी उपज सिंचित दशाएं
2. डब्ल्यू एल. 2265	जैसा संख्या में दिया गया है।	समय से बुवाई, कम उपज, बारानी दशाएं
3. डी. एल. 153-2	...वही...	...वही...
4. डब्ल्यू. एच. 291	उत्तर पश्चिमी मैदानी पट्टी समस्त राजस्थान (अलवर, भरतपुर और श्रीगंगानगर तथा कोटा और उदयपुर प्रखण्डों को छोड़कर), उत्तरी मैदानी पट्टी में उल्लिखित जिलों की छोड़ कर हरियाणा के पश्चिमी जिले, गुजरात (बड़ौदा, भड़ौच, कैरा, पंचमहल सूरत और बुलसर तथा काठियावाड क्षेत्र को छोड़कर)	पिछली बुवाई अच्छी उपज सिंचित दशाए
5. एच. यू. डब्ल्यू. 55	उत्तर पूर्वी मैदानी पट्टी पूर्वी उ० प्र० (एटा और नैनीताल को जोड़ने वाली रेखा के पूर्व में पड़ने वाले जिले) और छोटा नागपुर क्षेत्रों को छोड़कर सारा बिहार।	समय से बुवाई, सिंचित उच्च उपज दशाएं

1	2	3
6. एच· डी. 2278	प्रायद्वीपीय भारत महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा पश्चिमी आंध्र प्रदेश (रेयाला सीमा और तेलंगाना क्षेत्र तमिलनाडु के मैदान	समय से बुवाई सिंचित उच्च उपज दशाएं
7. डी. डब्ल्यू. आर. 39	···वही···	···वही···
8. एच. डब्ल्यू. 741	दक्षिण पहाड़ी पट्टी तमिलनाडु और केरल के पहाड़ी क्षेत्र	सिंचित, उच्च उपज और बारानी कम उपज दशाएं

गेहूं की इन किस्मों में रतुआ के प्रति पर्याप्त मात्रा में क्षेत्र तितिक्षा है। एच० डी० 2285 में रतुआ रोधिता होते हुए भी करनाल बंट का कुछ असर है जो उत्तर पश्चिमी भारत में गंभीर रूप में है। किसानों के खेतों के परीक्षणों में यदि यह सफल सिद्ध हो गई तो यह अधिकता से बोयी जाने वाली और अगेती पकने वाली किस्म सोना लिका का स्थान ले सकती है जिसमें अब पूरे रतुए का संदेश हो गया है।

नई किस्मों से किस्मों में विविध प्रतिमान लाने की अपेक्षा की जाती है और इस प्रकार से उत्पादन में स्थायित्व और रोगों से फसल के नुकसानों में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

पीने के पानी की सप्लाई के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम से प्राप्त वित्तीय अनुदान/सहायता

64. श्री एच० बो० सिदनाल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीने के पानी की सप्लाई तथा सफाई के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम से कितना वित्तीय अनुदान/सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) देश में ऐसे गांवों की संख्या क्या है जहां अभी तक पेय जल की सप्लाई की व्यवस्था नहीं की है ; और

(ग) क्या इन गांवों के लिए कोई योजना तैयार की गई और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

संसदीय कार्य और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हमारे जलपूर्ति तथा स्वच्छता कार्यक्रम को तकनीकी सहायता देता है न कि वित्तीय सहायता।

(ख) छठी योजना (1,4,1980) के आरम्भ में देश में समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या का अनुदान लगभग 2 लाख लगाया गया है।

(ग) पेय जल सप्लाई राज्य का विषय है और इस प्रयोजन के लिए योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बना, तथा क्रियान्वित की जानी होती हैं। छठी योजना अवधि के दौरान समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करने के लिए 2,007,11 करोड़ रुपये का परिव्यय है। इसमें राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की 600 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। छठी योजना अवधि के दौरान अधिक से अधिक समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल सुविधायें प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा।

हरिजन तथा आदिवासी गांवों में पेय जल की समस्या

65. **श्री राम स्वरुप राम :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश हरिजन तथा आदिवासी गांवों और उनके क्षेत्रों में आज भी पेय जल का संकट है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संकट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बजट सत्र के दौरान मार्च, 1980 में आश्वासन दिया था कि अगले पांच वर्षों के दौरान किसी भी गाँव में पेय जल की समस्या नहीं रहेगी ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो अपना वायदा पूरा करने के लिए उन्होंने राज्य सरकारों को अब तक कितनी राशि का आवंटन किया है, और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

संसदीय कार्य क्या निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1971-72 में देश में पेय जल के शुद्ध तथा सुनिश्चित स्रोत वाले 1,52 लाख ग्रामों का पता लगाया था। 1972-73 से मार्च, 1980 तक लगभग 95,000 समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल मुहैया कराया गया है। राज्य सरकारों से अब तक प्राप्ति रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1980-81 के दौरान 23,276 समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल मुहैया कराया गया है। इन ग्रामों में वे भी ग्राम शामिल हैं जिनमें हरिजन तथा आदिवासी लोग रहते हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि अधिकतर हरिजन और आदिवासी ग्रामों में पेय जल की कमी है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों द्वारा समस्याग्रस्त ग्रामों का और पता लगाने के परिणाम स्वरुप छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में देश में लगभग 1.90 लाख ऐसे ग्राम हैं जिन्हें जल सप्लाई सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यता है। जैसे कि पहले बताया गया है इसमें से 23,276 समस्याग्रस्त ग्रामों को 1980-81 के दौरान पेयजल मुहैया कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 1980-81 के दौरान 6,000 अन्य ग्रामों को भी यह सुविधा दे दी गई थी। वर्ष 1981-82 दौरान 36,000 ग्रामों को पेय जल मुहैया कराने का लक्ष्य है। छठी योजना अवधि के दौरान समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। समस्यागस्त ग्रामों के लिए ग्रामीण पेय जल पूर्ति के लिए पांचवी योजना के 429.27 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना में परिव्यय 20 07,11 करोड़ रुपये तक

काफी बढ़ा दिया गया है। 2,007,11 करोड़ रुपये की इस राशि में से 1,407,11 करोड़ रुपये राज्य योजानाओं में है तथा 600 करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत है। वर्ष 1980-81 के दौरान केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को दिये गये अनुदान संलग्न विवरण में बताये गये हैं।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम 1980-81 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई निधियां :

क्रम संख्या	राज्य संघ/राज्य क्षेत्र	1980-81 (लाख रुपयों में)
1.	आंध्र प्रदेश	436.23
2.	असम	427.11
3.	बिहार	503.36
4.	गुजरात	358.50
5.	हरियाणा	357.09
6.	हिमाचल प्रदेश	561.77
7.	जम्मू और कश्मीर	314.75
8.	कर्नाटक	248.81
9.	केरल	330.08
10.	मध्य प्रदेश	690.00
11.	महाराष्ट्र	664.00
12.	मणिपुर	106.03
13.	मेघालय	149.00
14.	नागालैंड	150.00
15.	उड़ीसा	307.00
16.	पंजाब	128.95
17.	राजस्थान	559.00
18.	सिक्किम	19.50
19.	तमिलनाडु	506.00
20.	त्रिपुरा	112.44

1	2	3
21.	उत्तर प्रदेश	591.95
22.	पश्चिमी बंगाल	443.50
23.	अरुणाचल प्रदेश	35.00
24.	गोआ, दमन और दीव	11.46
25.	मिजोरम	28.00
26.	पाण्डिचेरी	7.00
27.	अण्डमान और निकोबार	6.00
28.	दिल्ली	13.50
	जोड़	8424.38

इसके अतिरिक्त रिगों की खरीद के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि भी दी गई थी।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत माचिस विपणन योनना को समाप्त किया जाना

66. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार घरानों के दबाव में खादी तथा ग्रामोद्योग के अन्तर्गत माचिस विपणन योचना को समाप्त कर दिया है ;

(ख) क्या उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत भर्ती किए गए कर्मचारियों को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में अन्यत्र खपा दिया जाएगा ; और

(ग) इस योजना के सफल बनाने के लिए विपणन में विशेषज्ञता प्राप्त लोगों को भर्ती क्यों नही किया गया ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत माचिस बनाने की योजना अभी चल रही है।

(ख) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विपणन के लिए कर्मचारों वर्ग को भर्ती अथवा तैनाती को व्यापार कार्य के लिए उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखकर किया गया था।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए आंकड़ों से प्रभावित राज्यों के खाद्यान्नों की सप्लाई

67. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक राज्यों में कीड़ों के आक्रमण द्वारा खरीफ की धान की खेती के बड़े पैमाने पर विनाश की आशंका को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार प्रस्तावित राज्यों में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए खाद्यान्नों की सप्लाई करने की आवश्यकता पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रभावित राज्यों को इस खाद्यान्न के आवंटन तथा इसे भेजे जाने के बारे में क्या व्यवस्था की जा रही है ; और

(ग) चालू वित्त वर्ष में रोजगार कार्यक्रम के लिए विधि राज्यों को कितने खाद्यान्न का आवंटन किया गया है और भेजा गया है, तथा राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(आंकड़े मीटरी टनों में)

क्रम संख्या	राज्य	आवंटित तथा वंटित गत वर्ष के आवंटित खाद्यान्नों की संख्या से पुनः वैधीकृत खाद्यान्नों की मात्रा	
1.	आंध्र प्रदेश	15750	842
2.	असम	3000	—
3.	बिहार	20000	—
3.	गुजरात	4600	6250
4.	हरियाणा	1250	534
6.	हिमाचल प्रदेश	1000	—
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1250	—
?.	कर्नाटक	7000	7386
	केरल	6700	—

1	2	3	4
10.	मध्य प्रदेश	11000	—
11.	महाराष्ट्र	12000	—
12.	मनीपुर	150	—
13.	मेघालय	200	—
14.	नागालैंड	100	1200
15.	उड़ीसा	7000	3250
16.	पंजाब	2150	—
17.	राजस्थान	4000	—
18.	सिक्किम	100	—
19.	तमिलनाडु	12500	1638
20.	त्रिपुरा	500	—
21.	उत्तर प्रदेश	27900	—
22.	पश्चिमी बंगाल	11250	12715
23.	अंडेमान तथा निकोबार	150	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	150	250
25.	चंडीगढ़	—	—
26.	मिजोरम	150	—
27.	पांडिचेरी	150	—
	योग	1,50,000	34,065

पानों के उपयोग के लिए विधान

68. **श्री गदाधर साहा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पानी के उपयोग के बारे में एक विधान लाने पर विचार कर रही है, जो सभी राज्यों पर लागू होगा ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास रोजगार कार्यक्रम के लिए पश्चिमी बंगाल को आवंटित चावल

69. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

प्रो० रूपचन्द पाल : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास रोजगार कार्यक्रम के लिए वर्ष 1981 के दौरान पश्चिमी बंगाल को 30 हजार मीटरी टन चावल का आवंटन किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मार्च, 1981 तक इस राज्य को केवल 4570 मीटरी टन चावल की सप्लाई की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ;

(घ) शेष 25430 मीटरी टन चावल के बारे में, जिसे केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल को आवंटित किया है क्या किया गया है ;

(ड.) पश्चिमी बंगाल को चावल की उपर्युक्त मात्रा को सप्लाई कब तक की जाएगी ;

(च) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) पश्चिमी बंगाल को चावल की सप्लाई करने में साधारण विलम्ब के क्या कारण हैं,

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बागमती अधवाड़ा में बाढ़ निरोधक तथा सिंचाई परियोजनायें

70. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सिंचाई मंत्री बिहार को अधबाड़ा बाढ़ परियोजना को बाढ़, निरोधक तथा सिंचाई योजना में बदलने के बारे में 5 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6933 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागमती अधबाड़ा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई योजनाओं को स्वीकृत तथा मंजूरशुदा परियोजनाओं को नवीनतम स्थिति क्या है तथा उनके शुरू होने तथा पूरा होने की सूची क्या है ;

(ख) क्या इन बाढ़ क्षेत्रों में बाढ़ और सूखा प्रायः आम बात है ; और

(ग) यदि हां, तो मिली जुली बाढ़ निरोधक तथा सिंचाई परियोजनाओं को बनाने में क्या कठिनाइयां हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) : बागमती और अधवाड़ा बेसिन बाढ़ क्षति से प्राय: प्रभावित होते हैं उन्हें सूखा प्रवण बेसिनों के रूप में नहीं माना गया है ।

बागमती बेसिन में सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण के लिए स्वीकृत परियोजनाएं इस प्रकार हैं :—

(1) बागमती सिंचाई स्कीम, और

(2) बागमती बाढ़ नियंत्रण स्कीम ।

ये प्रारम्भ में 1969-70 में स्वीकृत की गयी थीं । लेकिन बाद में बागमती के मार्ग में परिवर्तन होने के कारण सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण और जल निकास के घटकों सहित, एक स्वीकृत बागमती परियोजना बिहार सरकार द्वारा तैयार की गयी है और इसे अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं का क्रियांचयन राज्यों द्वारा अपनी योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है । वर्तमान सूचना के अनुसार, ये स्कीमें छठी योजना से अलग ले जाई जाएंगी ।

अधवाड़ा बेसिन में बिहार सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए अथवा किए जाने वाले कार्यों की सूचना केन्द्र के पास उपलब्ध नहीं है ।

राजस्थान में (गूंद) से प्रभावित बाजरा

71. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में बड़ी संख्या में किसान वर्षा पर निर्भर एकमात्र खरीफ की फसल पर आश्रित रहते हैं ।

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि लगभग छ: अथवा सात वर्ष पूर्व स्थानीय भाषा में 'गूंद" नामक रोग के कारण बाजरे की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा था, जिससे बाजरा मनुष्य के उपयोग के योग्य नहीं रहा था, और

(ग) यदि हां, तो उपयुक्त रोग की रोकथाम की गयी है और यदि नहीं, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस बीमारी की रोकथाम के लिए कुछ तरीकों का विकास करेगा और क्या सरकार ऐसे किसानों को, जिन पर इस रोग का पिछले सात वर्षों से प्रभाव पड़ा है, इस ढंग से अनुदान उपलब्ध कराएगी कि इसका लाभ असली किसानों को प्राप्त हो, न कि बिचौलियों को ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1971 के दौरान राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बाजरे की संकर तथा देर से बोई जाते वाली कुछ किस्में "एरगोट,' नामक रोग (जिसे स्थानीय तौर पर "गूंद" कहा जाता है) से प्रभावित हुई है।

(ग) अब तक यह रोग अधिक गम्भीर नहीं है। रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि विश्वविद्यालयों के संस्थानों में गहन अनु-र संधान कार्य चल रहा है।

चूंकि बाजरे पर लगने वाला "एरगोट' रोग एक छुटपुट घटना है, अत: केन्द्रीय सरकार द्वारा राज सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खरीफ की फसल का उत्पादन

72. **श्री बापूसाहिब परूलेकर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान मौसम के दौरान खरीफ की फसल के उत्पादन में (फसल वार) कमी हुई है,

(ख) वर्ष 1976-1977 और 1980 में रक्षित ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या रक्षित भण्डार में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए गए है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) 1981-82 की खरीफ़ की फसल के उत्पादन का अनुमान बताना अभी सम्भव नहीं है। तथापि 1981-82 के दौरान खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन के आसार अभी तक संतोषजनक दिखाई दे रहे हैं और चालू वर्ष के दौरान कुल उत्पादन पिछले वर्ष के बराबर होने की सम्भावना है जहां तक मूंगफली, कपास और पटसन जैसी खरीफ की गैर खाद्यान्नों का सम्बन्ध है, उनके उत्पादन के आसार पिछले वर्ष की तुलना में बहतर दिखाई दे रहे हैं।

(ख) 1976-1977 तथा 1980 के अन्त में सरकार (केन्द्र तथा राज्य दोनों) के पास खाद्यान्नों का कुल स्टाक, जिसमें मार्गस्त स्टाक शामिल नहीं है, क्रमशः 188, 173 तथा 117 लाख मीटरी टन था।

(ग) स्टाक बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में अमरीका से गेहू का आयात करना तथा देश के अन्दर वसूली सम्बन्धी कार्यों को तेज करना शामिल है।

राजधानी में भूमि पर अवैध कब्जा

73. **श्री जगपाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में कुल कितने एकड़ सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा है ;

(ख) अवैध कब्जाधारियों द्वारा इस भूमि का किन-किन कार्यों हेतु उपयोग किया जा रहा है ;

(ग) सार्वजनिक भूमि के इस अवैध कब्जाधारियों की कार्य-प्रणाली क्या है ; और

(घ) राजधनी में सार्वजनिक भूमि से अनाधिकृत कब्जे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली में सरकारी भूमि विभिन्न सरकारी विभागों. दिल्ली विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकायों और अन्य सार्वजनिक संगठनों की है और वे उसका प्रबन्ध करते हैं। इसलिए यह पता नहीं है कि राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में कुल कितनी एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा है । तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली नगर निगर, नई दिल्ली नगरपालिका तथा कुछ अन्य संगठनों की कुल एकड़ भूमि जो अनाधिकृत कब्जे में है वह निम्नलिखित है :

संगठन का नाम	अनाधिकृत कब्जे में बताई गई भूमि लगभग
1. दिल्ली विकास प्राधिकरण	6248 एकड़
5. दिल्ली नगर निगम	86 एकड़
3. नई दिल्ली नगर पालिका	1 एकड़
4. रक्षा मन्त्रालय	95.68 एकड़
5. दिल्ली उपायुक्त के प्रबन्ध के अन्तर्गत नजूल भूमि	163.2 बीघा

(ख) सम्बन्धित प्राधिकरणों ने सूचित किया है कि इन क्षेत्रों का उपयोग रिहायशी (झुगी झोपड़ी निवासियों सहित) वाणिज्यिक तथा कृषि प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है ।

(ग) सरकारी भूमि पर कब्जाधारियों की कार्य प्रणाली इस प्रकार है :

(1) खाली भूमि पर अनाधिवासियों द्वारा झुग्गी- झोपड़ी बनाई जाती है ।

(2) भूमि पर रिहायसी तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कब्जा किया जाता है और जब उन्हें खाली कराने के प्रयास किये जाते हैं तो उनके द्वारा न्यायलयों से रोक आदेश प्राप्त कर लिये जाते हैं ।

(3) अस्थाई खेती करने के मामले में, लाइसेंसधारी लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी वहीं बने रहते हैं और खाली कराने के विरुद्ध रोका देश प्राप्त कर देते हैं ।

(4) धार्मिक प्रयोजनों के लिए अतिक्रमण ।

(घ) इस सम्बन्धित प्राधिकरणों ने सूचित किया है कि लोक परिसर (अनाधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अन्तर्गत अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्यवाही की जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि खाली भूमि पर बाड़ लगाई जा रही है तथा और अधिक भूमि पर कड़ी निगरानी रखने के लिए पहरा व निगरानी स्टाफ की नियुक्ति की गई हैं।

चुंगी का समाप्त किया जाना

74. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री चुंगी को समाप्त किए जाने के बारे में दिनांक 24 अगस्त, 1981 तारांकित प्रश्न संख्या 106 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुंगी लगाए जाने के बारे में राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों के विचार मांग लिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाही की गई है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

दिल्ली में गन्दी बस्तियां (स्लम)

75. **श्री रास बिहारी बोरा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गन्दी बस्तियां (स्लम) हटाने के काम में प्रगति धीमी रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी आवास का आवंटन

76. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा निर्माण और आवास मन्त्रालय के दिनांक मई, 1981 के का० ज्ञा० सं० 12035(7)/79/पोल-11 लिए गए इस निर्णय कि सेवानिवृत्त के कर्मचारियों के केवल ऐसे पात्र आश्रितों को ही क्वार्टरों का आवंटन किया जाएगा जो 7 नवम्बर

1979 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं' और सम्बन्धित सेवानिवृत्त कर्मचारी आश्रितों ने उनकी सेवा-निवृत्ति के पिछले तीन वर्ष तक किराया भत्ता नहीं लिया है ; के विरुद्ध सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या उपर्युक्त निर्णय से अधिकांश सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर इसका प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) सरकार को प्राप्त अभ्यावेदनों की विषय सूची क्या है और उन पर, विशेषकर उन कर्मचारियों के, जो 7 नवम्बर, 1979 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे हितों की रक्षा करने के लिए, और उनके आश्रितों को सरकारी आवंटन के योग्य बनाने के लिए उन पर क्या निर्णय लिया गया है,

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) सामान्य पूल वास की तदर्थ आधार पप आवंटन की रियायत सेवा निवृत्त सभी सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिये उपलब्ध नहीं है । यह सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के आश्रित को तभी दी जाएगी जबकि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हो :

(1) सेवा निवृत्त अधिकारी के दखल में सामान्य पूल वास हो ;

(2) उसकी सेवा निवृत्त की तिथि का उसके पुत्र, अविवाहित पुत्री, पति या पत्नी को जैसी भी स्थिति हो, को ऐसे कार्यालय में होना चाहिये जो कि सामान्य पूल वास का पात्र हो ।

(3) पात्र आश्रित को सेवा निवृत्ति कर्मचारी के साथ उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख के ठीक कम से कम 3 वर्ष पूर्व से रहना चाहिए । ऐसे मामलों में जहां कि कोई व्यक्ति सेवा निवृत्त की तिथि से पूर्व 3 साल की अवधि के भीतर सरकारी नौकरी में लगा हो या सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारों के तैनाती स्थान में सेवा निवृत्त होने की तारीख से तीन साल पहले की अवधि में किसी भी समय स्थानान्तरित हुआ हो, तो उसकी नियुक्ति या स्थानान्तरित होने की तिथि ही इस प्रयोजन के लिये लागू होगी, और

(4) यह निर्णय 7.11 79 को या उसके बाद सेवा निवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों के मामलों में लागू होगा ।

7.11.1979 से पहले सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों के मामलों में उसके पात्र आश्रितों को तदर्थ आधार पर आवंटन के विषय में अभी विचार किया जाएगा जबकि सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी के साथ वह आश्रित सेवा निवृत्त की तारीख से ठीक 6 मास पूर्व से लगातार रह रहा हो ।

जिन सेवा निवृत्त अधिकारियों ने सरकारी आवास को मई, 1981 के बाद खाली कर दिया था उनके आश्रितों द्वारा आवेदन करने पर यह रियायत दे दी जाएगी ।

यदि उपर्युक्त शर्तें पूरी होती हैं तो सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी के आश्रित को तदर्थ आधार पर सामान्य पूल का आवास दे दिया जायेगा ।

(ग) सामान्यतः प्राप्त हुए इन अभ्यावेदनों में निम्नलिखित विषय वस्तु होती है :

(1) इस रियायत में अन्तः पूल की व्यवस्था नहीं है जैसे कि, यदि सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी के पास अपने विभाग के पूल का वास है और उसका पात्र आश्रित केवल सामान्य पूल से पात्र कार्यालय में काम कर रहा हो तो यह रियायत उसको नहीं मिलेगी इस विषय पर विचार किया गया था । विभागीय पूलों में अपने-अपने आवंटन नियम हैं जो प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए हैं ।

(2) तीन साल से साथ रहने की शर्तें वापस ले ली जाय या 3 साल साथ रहने की शर्तें को पूरा करने हेतु पात्र आश्रितों को उनके द्वारा लिवा गया मकान किराया भत्ता वापस करने की अनुमति दे दी जाय । इस मामदे पर भी विचार किया गया है यह रियायत वास्तविक रूप से जरूरतमन्द उन सरकारी कर्मचारियों के लिये है जोकि अपने अविभावकों के साथ रह रहे थे और मकान किराया भत्ता नहीं ले रहे थे ।

चूंकि उक्त रियायत राष्ट्रीय परिषद (जे० सी० एम०) की सिफारिशों के आधार पर लिये गये परिणाम स्वरुप दी गई है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है ।

नई यूनिटों के लिए सम्पथ प्रोत्साहन योजना और चीनी मिलों का विस्तार

77. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी चीनी फैक्टरियो के नाम क्या हैं, जिन्होंने नई यूनिटों के लिए तथा विस्तार हेतु मूल तथा संशोधित सम्पथ प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सरकार को अब तक अपने दावे पेश कर दिए हैं, और उनके दावों की प्राप्ति तिथि तथा खुली बिक्री किए जाने के दावों की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) ऐसी चीनी फैक्ट्रियों के नाम क्या हैं, जिनके दावों को या तो अस्थायी रूप से अथवा अन्तिम रूप से मंजूर कर लिया गया है तथा उन्हें खुली बिक्री हेतु कितनी प्रतिशतता की अनुमति दी गई है ;

(ग) ऐसी चीनी फैक्ट्रियों के नाम क्या हैं, जिनके दावे अभी भी लम्बित पड़े हैं ; और

(घ) क्या कनिष्ठ तथा वरिष्ठ दलों द्वारा समुचित तिथियों के साथ इन लम्बित दावें

की मौके पर जांच रने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है और प्राथमिकता निर्धारित करने में क्या मापदण्ड अपनाया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) (ग) संलग्न विवरण में ऐसी चीनी फैक्ट्रियों के नाम बताये गये हैं जिन्होंने नये यूनिटों के लिए और विस्तार हेतु मूल तथा संशोधित सम्पथ प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अपने दावे प्रस्तुत किए हैं जिनमें दावों की प्राप्ति की तारीख, जिन फैक्ट्रियों के दावों को अस्थायी रूप से अथवा अन्तिम रूप से मंजूर किया गया है तथा खुली बिक्री की चीनी की निर्मुक्ति की अनुमति और जिन फैक्ट्रियों के दावे अभी भी लम्बित पड़े हैं, के बारे में बताया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2905/81]

(घ) सामान्यतया दावों की प्राप्ति की तारीख और दावों को अन्तिम रूप देने के लिए अपेक्षित सभी संगत आंकड़े प्रस्तुत करने के आधार पर मौके पर जांच करने के लिए शर्करा निदेशालय के कनिष्ठ और वरिष्ठ दलों द्वारा चीनी फैक्ट्रियों का दौरा किया जाता है।

राजस्थान नहर के पानी को लिफ्ट करना

78. **आचार्य भगवान देव** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर के पानी को लिफ्ट करने के बारे में कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इसके पानी को लिफ्ट करने के लिए इसके पास बिजली-घरों की स्थापना की जानी है, और यदि हां, तो उनकी संख्या तथा कुल क्षमता क्या है ; और

(ग) क्या बिजली-घरों की स्थापना के लिए कोई विदेशी सहयोग लिया जा रहा है ; यदि हां तो यह सहयोग किस देश से लिया जा रहा है और क्या इस सम्बन्ध में किसी देश के साथ अन्तिम करार किया गया है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) राजस्थान सरकार, जो राजस्थान नहर परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है, द्वारा अभी इस बारे में अन्तिम निर्णय किया जाना है कि क्या परियोजना के चरण-दो में लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था की जानी है अथवा नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बाढ़ पीड़ित राजस्थान राज्य को केन्द्रीय सहायता

79. **आचार्य भगवान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस वर्ष जुलाई में सबसे विनाशकारी वर्षा तथा बाढ़ से इस राज्य के कुछ भागों में हुई जान-माल की क्षति के लिए राजस्थान सरकार ने कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की है ;

(ख) क्षति का मूल्यांकन करने के लिए इस राज्य का दौरा करने वाले दल द्वारा कितनी सहायता राशि की सिफारिश की है और केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता के रूप में राजस्थान सरकार की अब तक कितनी राशि दी गई है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को दी गई सहायता का उपयोग कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी राशि का उपयोग किया गया है और किन-किन मदों पर व्यय की गई है ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) 39432.76 लाख रुपये ।

(ख) केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने 30 सितम्बर, 1981 को केन्द्रीय सहायता के रूप में 1981-82 में राजस्थान में बाढ़ राहत के लिए 4505.60 लाख रुपये के व्यय की मंजूरी दी है ।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय सहायता का मार्च, 1982 के अन्त तक प्रयोग किया जाना है । अब तक हुई धनराशि के विषय में बताना अभी सम्भव नहीं है ।

चावल का निर्गम मूल्य

80. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने 1 अक्तूबर, 1981 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए बिकने वाले चावल की किस्मों के निर्णय मूल्य में सशोधन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई ;

(ग) इस वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गेहूं के मूल्य में भी वृद्धि करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो यह वृद्धि कितनी होगी और यह वृद्धि किस तारीख से की जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, ।

(ख) 10 रुपये प्रति क्विंटल ।

(ग) धान के वसूली मूल्य में समान वृद्धि ।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए भारतीय खाद्य निगम के वितरण-व्यय

81. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वसूली तथा वितरण व्ययों को कम करने के प्रयासों के बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए भारतीय खाद्य निगम के वितरण सम्बन्धी व्यय वर्ष-दर-वर्ष बढ़ते जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पिछले 2 वर्षों में वितरण सम्बन्धी व्ययों में प्रति क्विंटल में 4 50 रु० की वृद्धि को काफी अधिक माना गया है और इसे अनुदान के माध्यम से पूरा किया जाएगा ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और क्या सरकार को इसके कारण भारी क्षति हो रही है और यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के वितरण सम्बन्धी व्ययों में तत्काल कमी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए प्रासंगिक खर्चों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

	(दर/रुपये प्रति क्विंटल बिक्री)
1977-78	22.12
1978-79	25.08
1979-80	22.66
1980-81 (सं० अ०)	24.81
1981-81 (ब० अ०)	27.18

यह विदित होगा कि खाद्यान्नों के भन्डारण, संचलन और वितरण के बारे में किए गए खर्च में भारतीव खाद्य निगम के वितरण विषयक प्रासंगिक खर्चों में कुछ मामूली वृद्धि हुई है। इन वर्षों में वितरण विषयक प्रासगिक खर्चों में वृद्धि रेल भाड़ा टैरिफ, सड़क परिवहन की लागत में वृद्धि, गोदामों के किराये, हैंडलिंग प्रभारों में वृद्धि और बैंक उधार पर ब्याज की अधिक दर होने के कारण हुई है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के वितरण सम्बन्वी प्रासंगिक खर्चों में परिवहन लागत, ब्याज प्रभार, गोदाम-किराया, खाद्यान्न प्राप्त करने और जारी करने के समय किये गये हैडलिंग खर्च, प्रशासनिक लागत और मार्गस्थ कमियां शामिल हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गत कई एक वर्षों में वितरण कर्यों के बारे में किए गये खर्च को अनाजों की अभिग्रहण लागत के 16 प्रतिशत और 20 प्रतिशत के बीच बनाया रखा गया हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए हैंडलिंग खर्चों में कमी करने की सीमित गुंजाइश है क्योंकि इनमें से अधिकांश खर्चे अनिवार्य अथवा अपरिहार्य लागत के स्वरूप के होते हैं।

चीनी उद्योग में खर्च कम करना

82. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कहा था कि सरकार चीनी उत्पादन में कमी करने और उसके स्तर में सुधार के लिए नई टेक्नोलाजी पर बिचार कर रही है ताकि देश को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा बनाई गई प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है, उसमें कुल कितना खर्च विहित है और देश में चीनी की किस्म के कोटे में सरकार को कब तक सुधार होने का भरोसा है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनिनर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

उचित दर की दुकानों पर गेहूं और चीनी की कमी

83. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में उचित दर की दुकानों पर अक्तूबर माह के दौरान गेहूं और चीनी की अत्यधिक कमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन लोगों को विशेष कर त्यौहार के दिनों में काफी असुविधा हुई है;

(ग) यदि हां, तो कमी के मुख्य कारण क्या थे ;

(घ) क्या सरकार ने यह कमी दूर करने के लिए कदम नहीं उठाये थे ; और

(ङ.) यह कमी कब तक रही और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये थे ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रायों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ङ.) तक : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि राजधानी में उचित मूल्य की दूकानों पर अक्तूबर, 1981 के दौरान कोई कमी नहीं थी । भारतीय खाद्य निगम ने उस मास के लिए आवंटित सारी मात्रा की सप्लाई की थी । तथापि, गेहूं का स्टाक उठाने में विलम्ब होने के कारण, कुछेक उचित मूल्य की दूकानों पर कुछ दिनों के लिए माल की अनुपलब्धता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, मांग और पूर्ति के बीच लेवी चीनी का आवंटन कम होने के कारण मामूलों अन्तर था । स्थिति को सुगम बनाने के लिए दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम ने निर्धारित मूल्य पर उचित मूल्य की दूकानों के मध्यम से वितरण करने के लिए अपनी चीनी

का स्टाक निर्मुक्त कर कुछ पग उठाये थे। खुले बाजार में खुली बिक्री की चीनी के दामों में भी काफी गिरावट आयी है और चीनी सुगमता से उपलब्ध थी।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम का नाम बदला जाना

84. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का नाम बदला गया है ;

(ख) यदि हां, तो नया नाम क्या है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों को चालू वर्ष के दौरान कितना आवंटन किया गया है ?

(ग) क्या राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भी कोई परिवर्तन किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उनका स्वरुप क्या है ; और

(ङ.) वे मदें अथवा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम क्या है जो इसके कार्यान्वयन के अन्तर्गत आते हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1980 से काम के बदले अनाज कार्यक्रम का नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम रख दिया गया है। विभिन्न राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गये आवंटन संलग्न विवरण (1) में दर्शाये गये हैं।

(ग) और (घ) कार्यक्रम में किए गए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन संलग्न विवरण (2) में दर्शाये गये हैं।

(ङ.) कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ किए जाने के लिए स्वीकृत निर्माण कार्यों की मदें संलग्न विवरण (3) में दी गई है। ये 20 सूत्री कार्यक्रम की मद-3 और 7 अंशतः को कवर करती हैं।

विवरण — I

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों को किए गए आवंटन दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	वर्ष 1981-82 की प्रथम वर्ष तिमाहियों के लिए आवटित धनराशि (लाख रु० में)	आवंटित किए गए खाद्यान्नों की मात्रा (मिटरी टनों में)
1.आन्ध्र प्रदेश	948.00	15750
2. असम	200·00	3000

1	2	3	4
3.	बिहार	1210.00	20000
4.	गुजरात	280.00	4600
5.	हरियाणा	80.00	1250
6.	हिमाचल प्रदेश	60.00	1000
7.	जम्मू तथा काश्मीर	80.00	1250
8.	कर्नाटक	414.00	7000
9.	केरल	402.00	6700
10.	मध्य प्रदेश	660,00	11000
11.	महाराष्ट्र	710.00	12000
12.	मणिपुर	10.00	150
13.	मेघालय	10.00	200
14.	नागालैंड	10.00	100
15.	उड़ीसा	410.00	7000
16.	पंजाब	126.00	3150
17.	राजस्थान	234.00	4000
18.	सिक्किम	8.00	100
19.	तमिलनाडू	740.00	12500
20.	त्रिपुरा	30.00	500
21.	उत्तर प्रदेश	1670.00	27900
22.	पश्चिम बंगाल	674.00	11250
	केंद्रीय शासित क्षेत्र		
23.	अन्डमान तथा निकोबार दीप समूह	8.00	150
24.	अरुणाचल प्रदेश	8.00	150
25.	मिजोरम	8.00	150

1	2	3	4
26.	पांडिचेरी	8.00	150
27.	चण्डीगढ़	2.00	—
	योग	9000.00	1.50.000

+ खाद्यानों की लागत राज्य सरकारों द्वारा, उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए उपलब्ध की गई निधियों में से देय होगी।

विवरण-2

काम के बदले अनाज कार्यक्रम जिसे अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में पुनर्नामित किया गया है, में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन- दर्शाने वाला विवरण।

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अब छठी पंचवर्षीय योजना का एक अंग है।

2. यह कार्यक्रम अब एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में केन्द्र और राज्यों के बीच बराबर-बराबर के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है।

3. जबकि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान हेतु केवल खाद्यान्न उपलब्ध किया जा रहे थे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान आंशिक रूप में खाद्यान्नों में और आंशिक रूप में नकदी में करने का प्रावधान किया गया है।

4. काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत इसके कार्यान्वयन के लिए राज्यों को दिए गए संसाधनों में से कोई सामग्री घटक नहीं दिया जाता था। तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत, निर्माण कार्यों को स्थायी बनाने के लिए सामग्री घटक हेतु, स्वीकृत, नकद निधियों का 40 प्रतिशत उपयोग किया जा सकता है। जिले राज्य को कुल मिलाकर, सामग्री घटक की अधिकतम सीमा 33 प्रतिशत निश्चित की गई है।

5. राज्य सरकारों केन्द्रशासित क्षेत्रों को खाद्यान्नों के आवंटन के लिए अब प्रत्येक राज्य में 75 प्रतिशत बल कृषि मजदूरों और सीमान्त किसानों की संख्या को और 25 प्रतिशत बल गरीबी के प्रभाव को दिया जाता है।

6. कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को उपलब्ध किए गए संसाधनों का 10 प्रतिशत वनरोपण, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के और पौधे लगाने इत्यादि के लिए और अन्य 10 प्रतिशत हरिजनों के लिए आवास क्षेत्र और सामूहिक

आवास का विकास करने तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समूहों के लिए पीने के पानी के कुओं/सामुदायिक सिंचाई से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित किया गया है।

7. राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में प्रत्येक खण्ड/जिले के लिए पर्याप्त विस्तृत पैमाने पर तथा लगातार आधार पर अनेक परियोजनाएं तैयार करना।

विवरण-3

कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों की मदें दर्शाने वाला विवरण

1. सरकारी और सामुदायिक भूमियों, जिनमें स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों आदि से संबंधित भूमि भी शामिल है, पर वनरोपण और सामाजिक वानिकी, सड़क के किनारे पौधे लगाना, नहरों के किनारे और रेलवे लाइन इत्यादि के साथ बंजर भूमियों पर पौधे लगाना, अनाच्छादित वन क्षेत्रों और कृषि के अयोग्य अन्य भूमि पर वृक्ष लगाना, ईन्धन, चारे वाले और फलदार वृक्ष लगाना ;

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पेयजल कुएं, सामुदायिक सिंचाई कुएं, सामूहिक आवास और भूमि विकास परियोजनाएं ;

3. मानव अथवा पशुओं के उपयोग के लिए, सिंचाई या मत्स्यपालन आदि को विकसित करने के लिए जल उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण तालाबों का निर्माण, विद्यमान तालाबों की मरम्मत, उन्हें गहरा करना और उनका पुनरूद्धार करना;

4. लघु सिंचाई कार्य जिनमें बाढ़ बचाव, जल निकासी और जल लग्नता निवारक कार्य, सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्रों में मध्यम आकार की और बड़ी नालियों, खेत की नालियों का निर्माण और भूमि समतलीकरण आदि ; जल मार्गों इत्यादि की सफाई और गोद निकालना।

5. भूमि और जल संरक्षण तथा भूमि को कृषि योग्य बनाना ;

6. मानक विशिष्टताओं, जहां उनकी ऊपरी सतह, क्रास जल निकासी और रखरखाव आदि के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान हैं, के अधीन ग्रामीण सड़कें।

7. स्कूल और बालबाड़ी भवन, पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, पीने के पानी के कुएं, बन क्षेत्रों में जंगली जायवरों के लिए पीने के साधन, पशुओं के लिए सालाब, पिंजरापोल, गौशालाएं, सामुदायिक कुककुट पालन और सुअर-पालन गृह, नहाने और कपड़े धोने के घाट, सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक कूड़ेदान, सामुदायिक बायो-गैस प्लान्ट।

केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए नई तकनीक।

85. **श्री के० मालन्ना** . क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए तकनीक विकसित की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी टिकाऊ और अधिक सुरक्षित सड़कों के निर्माण की जानकारी का ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ग्रामीण सडको के लिए कम लागत की तकनीकी का विकसित करने के कार्य में निरन्तर रूप से लगा हुआ है। संस्थान द्वारा कम लागत की विशिष्टताओं के विकास में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि स्थानीय तौर पर उपलब्ध समान जैसे बजरी, मूरम, हल्के मिलावों जैसे कंकड़, लेटराइट आदि का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। सख्त पत्थर के स्थान पर इन स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्रियों को सम्मिलित करने से उन स्थानों में जहां परम्परागत सख्त पत्थर की रोड़ी काफी दूरी से लाई जाती है, बचत की जा सकती हैं। संस्थान ने काली कपास को भूमि वाले क्षेत्रों में, जहां सड़क निर्माण में विशेष समस्याएं आती है, चूने द्वारा भूमि स्थिरीकरण की किफायती तकनीक की भी सिफारिश की है। इसी तरह से भूमि स्थिरीकरण के अन्य तरीके जैसे रेत और बजरी सहित मटियारी भूमि के समिश्रण, विभिन्न किस्मों की भूमि में सीमेंट तथा चूने की थोड़ी मात्रा मिलाकर स्थिरीकरण आदि को क्षेत्रों में सफलतापूर्वक आजमाया गया है।

प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए किसान

86. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के आधुनिक तरीके सीखने के लिए उनका मंत्रालय किसानों को विदेश भेज रहा है,

(ख) यदि हां, तो गत 3 वर्षों के दौरान राज्यवार कुल कितने किसानों ने इस उद्देश्य से विदेशों की यात्रा की,

(ग) क्या उनका मंत्रालय उन किसानों पर आई सारी लागत का वहन कर रहा है,

(घ) क्या यह सच है कि उनमें से कुछ किसानों की व्यय को कुछ राज्य सरकारों द्वारा बहन किया गया है' और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ;

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका तथा उसका दौरा करने वाले कृषकों की राज्यवार संख्या निम्नलिखित है :—

	संयुक्त राज्य अमरीका	रूस
1980-81	शून्य	शून्य
1979-80	शून्य	कृषक । असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब तथा तमिलनाडु से एक-एक ।
1978'79	5 कृषक	आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश से एक-एक ।

(ग) 1. रूस जाने वाले कृषकों का अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा व्यय तथा यात्रा कर भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है ;

2. संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा करने वाले कृषकों के लिए केवल यात्रा कर का भुगतान किया जाता है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) संयुक्त राज्य अमरीका तथा रूस के साथ कृषक आदान-प्रदान कार्यक्रम द्विपक्षीय आधार पर है । संयुक्त राज्य अमरीका के साथ यह कार्यक्रम 1953 में आरम्भ किया गया था जबकि रूस के साथ यह 1979-80 में आरम्भ किया गया । संयुक्त राज्य अमरीका जाने वाले कृषक वहां 4 सप्ताह ठहरते हैं जबकि रूप में उनके ठहरने की अवधि केवल 15 दिन है ।

मेजबान देश आन्तरिक यात्रा का खर्च वहन करता है तथा अमरीका और रूस दोनों देशों से आए कृषकों के मामले में भोजन और आवास का खर्चा वहन होता है । रूस के मामले में भारत (भारत और रूस के मध्य किए गए न्यायाचार के अनुसार) अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा व्यय वहन करता है जबकि अमरीका के मामले में भारतीय कृषकों का अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा व्यय अमरीका के 4 एच० क्लब फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाता है ।

मेजबान देश में कृषकों को ठहरने की अवधि के दौरान वे उस देश में कृषकों द्वारा अपनाई जा रही उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी जानकारी प्राप्त करते हैं । भारतीय कृषकों से आशा की जाती है कि वे प्राप्त प्रौद्योगिकी को संशोधन के पश्चात अपने फार्मों में अपनाएंगे । पड़ोसी कृषक नई प्रौद्योगिकी के फायदों को देखते हैं तथा उनमें से वे ऐसी प्रणालियों को विभिन्न मात्रा में अपनाते हैं जो उनके लिए फायदेमन्द होती है ।

फिश लैंडिंग सेंटर्स

87. **श्री ए० नलालोहिथादसन नाडार :**

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कितने फिश लैंडिंग सेंटर्स के परियोजना प्राक्कलन भारत सरकार के पास मंजूरी के लिये विचाराधीन पड़े हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा इनको मंजूरी कब तक दे दी जायेगी ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) नींदाकर और विझिजम में दो बड़ी रत्स्यन बन्दरगाह परियोजनाओं के प्रस्तावों के अलावा फिश लैंडिंग केन्द्रों के निर्माण से सम्बन्धित निम्नलिखित पांच प्रस्ताव विचारीधीन हैं :—

1. नीलेश्वरम (15 लाख रुपए)
2. चैरूवथुर (18.43 लाख रुपए)
3. मुनक्काकाडवु (10.25 लाख रुपए)
4. चेंत्तुवै (14.89 लाख रुपए)
5. पुथिआंगडी (15 लाख रुपए)

(ख) भारत सरकार ने नीलेश्वरम, चैरुवथुर, मुनक्काकाडवु से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। भारत सरकार ने नींदाकर मत्स्यन बन्दरगाह (जिसकी कुल लागत 370 लाख रुपये है) के लिये भी मंजूरी दे दी है। चेंत्तुवै, पुथिआंगडी और विझिजम से संबंधित प्रस्तावों पर केरल सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

बाढ़ नियंत्रण के लिए तटबंध बनाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु कर्नाटक का अनुरोध

88. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में नदियों में बाढ़ नियन्त्रण के लिये बांधों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता के लिये एक प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) यदि उपरोक्त का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या केन्द्र सरकार कर्नाटक राज्य में नदियों पर बाढ़ नियंत्रण बांधों के निर्माण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और अब तक कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान) : (क) केन्द्रीय सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में तटसम्बन्धों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) बाढ़ नियंत्रण तटसंबंधों सहित, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का आयोजन, उन्हें

क्रियान्वित और वित्त-पोषित करने का काम राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सरकार के पास कर्नाटक राज्य में बाढ़ नियंत्रण तटबन्धों का निर्माण करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सूखे से प्रभावित कर्नाटक राज्य द्वारा वित्तीय सहायता का अनुरोध

89. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक राज्य में गम्भीर सूखे की स्थिति की जानकारी है जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने संघ सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है ;

(ग) कितनी धनराशि की मांग की गई है ; और

(घ) स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को कितनी तथा किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सितम्बर-अक्तूबर 1980 के दौरान वर्षा न होने से कर्नाटक में 1981 के चालू मानसून के शुरू होने तक सूखे की स्थिति रही।

(ख) जी हां।

(ग) 60 करोड़ रुपए.

(ग) 26 से 28 मई, 1981 तक कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने वाली केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा उस पर राहत सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने सूखा राहत उपायों के लिए 1981-82 (30 सितम्बर, 1981 तक) के लिए निम्नलिखित अधिकतम व्यय की सीमा की स्वीकृति प्रदान की है :—

क- गैर योजना	लाख रुपए
1. पीने के पानी की व्यवस्था	
(क) पीने के पानी की अत्यधिक कमी का सामना करने वाले सूखाग्रस्त गावों में टैंकरों आदि से पीने के पानी का परिवहन	12-00
(ख) तालाबों को साफ करना/गाद निकालना तथा वैध कुओं की मरम्मत	30.00

2. सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में चारा उपलब्ध कराने के लिए उपलब्धि वाले क्षेत्रों से चारे का परिवहन	25.00
3. सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय	
(क) औरल डिहाइडेशन पावडर, इन्ट्रावेनस फ्ल्यूड, मल्टीविटामिन की गोलियां। कैपसूलों आदि की व्यवस्था करके सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रोगों का उपचार	10.00
(ख) पीने के पानी में क्लोरीन मिलाना, टीके लगाना, क्लोरीन की गोलियां आदि के वितरण जैसे रोक-थाम के उपाय	10.00
योग क	87.00

ख- योजना

1. चालू योजना स्कीमों अथवा योजना में प्राथमिकता वाली नई स्कीमों तथा योजना में शामिल करने के लिए उपयुक्त स्कीमों के कामों में तेजी लाना, ताकि (सितम्बर, 1981 के अन्त तक) सूखे से भयंकर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में निम्नलिखित क्षेत्रों के उन छोटे एवं सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों को अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार मिल सके जिनकी फसलों को क्षति पहुंची है :—

(क) सड़कें	150.00	
(ख) लघु सिंचाई कार्य	119.00	
(ग) मदा संरक्षण	100.00	469.00
(घ) वनरोपण	100.00	

(इस राशि में मजदूरी तथा सामग्री अवयव दोनों ही शामिल हैं)

2. पूरक पोषक कार्यक्रम को तेज करना	50.00
3. छोटे तथा सीमान्त कृषकों को कृषि आदानों (बीज तथा उर्वरक जैसे) की लागत पर क्रमश 25 प्रतिशत तथा 33/1/3 प्रतिशत की दर से राज सहायता (राज सहायता के लिए आदानों की कुल लागत 250 रुपए प्रति हैक्टर मानी जानी है)	200.00
योग (ख)	719.00
कुल योग (क) + (ख)	806.00

"काम के बदले अनाज कार्यक्रम" के अन्तर्गत कर्नाटक को आवंटित गेहूं और चावल

90. **श्री जनार्दन पुजारी :** ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक को "काम के बदले अनाज कार्यक्रम" के अन्तर्गत अप्रैल, 1981 से सितम्बर 1981 तक की अवधि में गेहूं और चावल की कितनी मात्रा में आवंटित की गई ;

(ख) वास्तव में कितनी मात्रा वितरित की गई ;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने आगामी छः महीनों के लिए गेहूं और चावल की अधिक मात्रा के आवंटन का कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा की मांग की गई है ; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक सरकार को 7,000 मीटरी टन चावल की मात्रा आवंटित की गई थी । इसके अलावा, राज्य सरकार को पिछले वर्ष के उठाए न गए स्टाक के मुकाबले में 7386 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा दी गई थी ।

(ख) अप्रैल, 1981 से सितम्बर, 1981 तक की अवधि के दौरान कोई खाद्यान्न नहीं उठाए गए हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण में वृद्धि

91. **श्री भीकू राम जैन :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन वर्षों के दौरान संघ क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण में कई गुणा वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार वायु प्रदूषण को रोकने और संघ क्षेत्र में पारिस्थितिक सन्तुलन बनाए रखने का है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ,

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार ने वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1981 नामक कानून बनाया है जो 15-5-81 से लागू है । जल प्रदूषण निवारण नियन्त्रण का केन्द्रीय बोर्ड ने जिसे

संघ राज्य क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने एवं कार्यकलापों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है, इस मामले में उपाय किए हैं —

1. वायु कोटि प्रबोधन उपकरणों को प्राप्त करना और उन्हें स्थापित करना,

2. वायु प्रदूषित के संगत साधनों की एक सूची बनाना ।

3. साधनों का प्रबोधन करना, विभिन्न प्रदूषकों की मात्राओं और केन्द्रीय केन्द्रीकरणों की सीमाओं को निर्धारित करते हुए सहमतियां जारी करना और विनिर्दिष्ट शर्तों को लागू करना ।

4. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कुछ निर्धारित स्थलों पर परिवेशी वायु कोटि का प्रबोधन करना ।

5. चुने हुए क्षेत्रों में यातायात प्रवाह और वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण का प्रबोधन करना और

6. विशिष्ट प्रदूषण नियंत्रण उपाय सुझाने के लिए एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण ।

जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण का केन्द्रीय बोर्ड द्वारा किए जा रहे उपयुक्त उपायों के अतिरिक्त, दिल्ली प्रशासन ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों आधार पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपचारात्मक और नियंत्रण उपाय करने की कार्यवाई की योजना के सुझाव को ध्यान में रखते हुए परिवेशी वायु कोटि का प्रबोधन का काम और स्रोतवार कुए निकालने की दर के सर्वेक्षण की सूची बनाने का काम पर्यावरणीय विज्ञान स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को सौंप दिया है ।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया जाना

92. **श्री भीकू राम जैन :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्यों के लिए एक योजना तैयार की है, और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितनी कालोनियों को विकसित किया जायगा और उसके लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है और उससे कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचने की सम्भावना है ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 612 अनधिकृत कालोनियों के विकास की एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है जिसमें लगभग 10 लाख की आबादी शामिल है । दिल्ली प्रशासन के परामर्श से योजना की वित्तीय कठिनाईयों का पता लगाया जा रहा है । तथापि, नियमित की गई

अनधिकृत कालोनियों के विकासार्थ दिल्ली प्रशासन की छठी पंचवर्षीय योजना में 12 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

दिल्ली में यमुनापार क्षेत्र में मंडावली-फजलपुर गांव का विकास

93. **भीकू राम जैन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में यमुनापार क्षेत्र में मंडावली-फजलपुर गांव में कोई भी विकास कार्य शुरू नहीं किया गया है, वहां पर सड़कों की बहुत कमी है, गलियों में खड़ंजा और नालियों की व्यवस्था नहीं की गई है और उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं अप्राप्त हैं ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के अभाव में सदैव अस्वास्थ्यकर स्थिति बनी रहती है और हैंड पम्पों से निकाले गए पानी के कारण लोगों को असुविधा होती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के लिए कब तक उपचारात्मक कदम उठाए जाएगें ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस मांग में आठ-आठ शौचालय वाले दो शौचालय ब्लाकों का निर्माण किया गया है। तथापि, उचित माल निर्यास पद्धति के अभाव में पानी जमा हो जाता है और बदबू देता है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कहा है कि प्राथमिक अनुमान तैयार कर दिये गये हैं और इस कार्य को पूर्ण करने में आरम्भ करने की तिथि से लगभग एक वर्ष लग जायेगा।

ग्रामीण दिल्ली में सुविधाएं

94. **श्री भीकू राम जैन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के क्षेत्रों में ग्रामीण नागरिक सुविधाएं बिल्कुल उपलब्ध नहीं है ;

(ख) शहरी क्षेत्र ग्रामीण और कृषिगत क्षेत्रों में, अलग-अलग कितने-कितने गांव हैं ; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन गांवों के विकास पर कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(घ) भविष्य में इस कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में रूई का उत्पादन

95. **श्री रघुनन्दन भाटिया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष पंजाब में रूई का कुल कितना उत्पादन हुआ है ; और

(ख) कितनी रूई पंजाब में परिष्कृत की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुर्ननिर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) इस वर्ष के लिए पंजाब में रूई के उत्पादन के अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) पंटाब में परिष्कृत रूई उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत है।

राजस्थान में किन्हीं क्षेत्रों को मरू-पार्क वन्य जीव अभयारण्य घोषित करना

96. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के जैसलमेर और बाढ़मेर जिलों के कई क्षेत्र मरू-पार्क/वन्य जीव अभयारण्य घोषित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्य के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामी नाथन) : (क) जी हां।

(ख) मरू विकास कार्यक्रम के तहत एक राष्ट्रीय मरू पार्क स्थापित किया गया है जिसके तहत बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों के भागों को लाया गया है। मरू क्षेत्र के वन्य जीव वस्तुओं तथा वनस्पतियों के संरक्षण और प्राकृतिक रेगिस्तानों की विकृत परिस्थितिक प्रणाली के पुनरूद्धार के लिए मरू पार्क की स्थापना करने की सिफारिश राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरू विकास संबंधी अपनी रिपोर्ट में की थी। छठी योजना अवधि के दौरान पार्क के लिए कुल 247 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। मरू विकास कार्यक्रम की वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना में इस पार्क के लिए 32 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी। इस पार्क पर मार्च, 1981 तक 24.98 लाख रुपए की रकम खर्च किए जाने की सूचना है। 1981-82 के दौरान पार्क के 42.61 लाख रुपए के परिव्यय की मंजुरी दी गई है।

उड़ीसा में सीमान्त किसान और कृषि श्रमिक विकास योजनायें

97. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के उन जिलों के क्या नाम है जिसमें सीमांत किसान और कृषि श्रमिक विकास योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार की योजना उड़ीसा के क्योझर जिले में क्रियान्वित की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उस जिले में यह योजना किस वर्ष लागू की गई थी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक एजेंसियों की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था और यह कार्यक्रम उड़ीसा के कटक तथा क्योंझर जिलों में चल रहा था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम को लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया था और लघु कृषक विकास एजेंसी का संयुक्त कार्यक्रम उपयुक्त जिलों में 1-10-1980 तक चल रहा था। 2-10-1980 से लघु कृषक विकास कार्यक्रम को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मिला दिया गया है जो देश के सभी खंडों में चल रहा है॥

(ग) सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक एजेंसी कार्यक्रम क्योंझर जिले में 1971 में आरम्भ किया गया था।

कल्लगल तालुका, कर्नाटक में जल बंधिका टूट जाना

98. **श्री के० माल्ना :**

श्री जी० वाई कृष्णन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 अक्टूबर, 1981 के 'टाम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि 19 अक्टूबर, 1981 को प्रातः काल कर्नाटक में कल्लगल तालुका के गांव वनों से आच्छादित गांव गोपीनट्टम के उस समय अनेक लोग मर गए थे जब पहाड़ी चश्में की तूफानी लहर जैसी धारा निकली जिसने जल बंधिका को तोड़ दिया और उस गांव के 80 से 150 तक घरों को बहाकर ले गई, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) तथा (ख) कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गए ज्ञापन के अनुसार मैसूर जिले के कल्लगल तालुक में 19 अक्तूबर, 1981 की प्रातः अभूतपूर्व भारी वर्षा होने तथा अचानक बाढ़ आने के कारण गोपीनाथम गांव के नजदीक एक सिंचाई जलाशय में दरार पड़ गई। सम्पूर्ण गोपीनाथम ग्राम तहस-नहस हो गया। बाढ़ के कारण हुई क्षति नीचे दी गई है :—

1. मृतक लोगों की संख्या	45
2. मरे पशुओं की संख्या	273
3. नष्ट/क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	120
4. खड़ी फसलों की क्षति	लगभग 127 एकड़ क्षेत्र की खड़ी फसल पानी में बह गई।
5. क्षतिग्रस्त कृषि भूमि का क्षेत्र	भू-करण के कारण 67 एकड़ क्षेत्र

6. गाद भर जाने के कारण क्षतिग्रस्त सिचाई के जलाशयों की संख्या 16

उत्तर प्रदेश को बाढ़ से बचाने की योजनायें

99. **श्री निहाल सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश को भविष्य में बाढ़ से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक एकीकृत कार्यवाही योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है और उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जायेगी और केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) बाढ़ नियन्त्रण के लिए इंजीनियरों वर्क्स हेतु सात वर्षों की अवधि में लगभग 250 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक एकीकृत कार्य-योजना कार्यकारी दल द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके 1978 में तैयार की गई थी। इसमें तटबन्धों का निर्माण, जल-निकास सुधार, नगर सुरक्षा और कटावरोधी कार्य आदि के वर्क्स शामिल थे। बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं का आयोजन उन्हें क्रियान्वित तथा वित्त-पोषित करने का काम राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सरकार बाढ़ नियन्त्रण वर्क्स के लिए कोई धन नहीं देती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित परिव्ययों को व्यवस्था की है :

1978-79 और 1979-80	40.61 करोड़ रुपये
1980-81	22.50 करोड़ रुपये
1981-82 (प्रस्तावित)	22.10 करोड़ रुपये
छठी योजना (1980-81 से 1984-85) के लिए प्रस्तावित परिव्यय	132.70 करोड़ रुपये

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पूरनपुर में चीनी मिल की स्थापना

100. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पीलीभीत जिले के उपजाऊ तराई क्षेत्र पूरनपुर और लखीमपुर खीरी जिले के सम्पूर्ण नगर में चीनी मिलों की स्थापना के लिए प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा दोनों मिलों के लिए लाइसेंस जारी न करने के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक लाइसेंस जारी कर दिए जायेंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) पड़ोसी चीनी फैक्ट्रियों के घोर प्रतियोगी दावों और उस क्षेत्र में गन्ने के अन्तर्गत सीमित क्षेत्रफल की दृष्टि में दोनों प्रस्तावों की तकनीकी आर्थिक क्षमता का इस विभाग में अध्ययन करना अपेक्षित है। राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना वर्गीकरण मांगे गए हैं। इसके बाद इस मामले में निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

मध्य प्रदेश में चीनी का भण्डार

101. **श्री कंवर भूषण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम अपने बेस गोदामों में सदैव चीनी की एक माह की खपत के बराबर का भण्डार रखता है ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में उन गोदामों के क्या नाम है जिनमें उपलब्ध चीनी का भण्डार एक माह की खपत के बराबर है और उन गोदामों के क्या नाम हैं जिनमें ऐसा नहीं है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने एक माह की खपत के बराबर चीनी के पर्याप्त भण्डार बनाये रखने के लिए कोई अनुदेश जारी किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम मध्य प्रदेश में स्थिति अपने बेस डिपो में चीनी का पर्याप्त स्टाक बनाए रखने की दिशा में प्रयास कर रहा है लेकिन परिचालन सम्बन्धी बाधाओं के कारण विशेषतया महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि के अधिशेष राज्यों से रेल द्वारा चीनी का संचलन करने में आयी कठिनाइयों के कारण निगम के लिए राज्य में स्थित अपने गोदामों में हमेशा उक्त सीमा तक स्टाक बनाए रखना सम्भव नहीं होता है।

मध्य प्रदेश के ऐसे निम्नलिखित बेस-डिपों हैं, जिनमें इस समय एक महीने की आवश्यकता के बराबर चीनी का स्टाक है :

1. भोपाल, 2. इटारसी, 3. विदिशा, 4. दतिया, 5. ग्वालियर, 6. मुरैना, 7. बिलासपुर, 8. रायगढ़, 9. विशरामपुर, 10. दमोह, 11 जबलपुर, 12. दुर्ग, 13. रायपुर ॥

राज्य के सभी ऐसे शेष डिपों, जहाँ फिलहाल एक महीने की आवश्यकता के बराबर चीनी का स्टाक नहीं हैं, का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

1. बेतूल, 2. अशोक नगर, 3. देवास, 4. इन्दौर, 5. खण्डवा, 6. रतलाम, 7. उज्जैन, 8. शहदौल, 9. पासघाट, 10. सागर, 11. सिवनी, 12. जगदलपुर, 13. रामानन्द-गांव, 14. हरपालपुर, 15. नवरी, 16. सतना. 17. टीकमगढ़।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम को प्रत्येक मास विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों जिनके लिए वह फैक्टरियों से चीनी उठाने की व्यवस्था करता है, के लेवी चीनी के मासिक कोटों के बराबर लेवी चीनी आवटित की जा रही है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम को

चीनी का परिचालन स्टाक भी सुलभ किया जाता है और यह स्टाक उक्त राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की लगभग 45 दिनों की आवश्यकता के बराबर होता है। यह वह स्टाक होता है जो कि फैक्टरियों के पास बिना उठायी गई पड़ी चीनी, मार्गस्थ स्टाक और समय समय पर राज्य में निगम के गोदामों मे प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध स्टाक से संबंधित होता ह। भारतीय खाद्य निगम को परामर्श दिया गया है कि वे अधिशेष राज्यों से चीनी तुरन्त उठाना और उपभोक्ता राज्यों के विभिन्न गन्तव्य स्थानों को तुरन्त पहुंचाना सुनिश्चित करें ताकि संबंधित उपभोक्ता राज्यों में स्थित उनके गोदामों में चीनी को पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके जिससे राज्यों के मासिक कोटों के प्रति सुपुर्दगी में कमी से बचा जा सके।

समेकित शहरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनसंख्या की सीमा

102. **श्री कंवर भूषण : निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समेकित शहरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार का विचार जनसंख्या सीमा को बढ़ाकर 1 लाख से तीन लाख तक करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) समेकित शहरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान राज्यों के किन-किन शहरों को शामिल किया गया है और इसके लिए कितनी राशि मन्जूर की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे मध्यम शहरों के एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत 1981-82 के दौरान अब तक विभिन्न राज्यों के 26 शहरों में परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। शहरों और स्वीकृत लागत के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

समेकित शहरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनसंख्या की सीमा :
श्री के० यू० भूषण द्वारा

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नगर का नाम	1981-82 के दौरान अनुमोदित लागत
बिहार	1. छपरा	10,00
	2. गोधरा	8,00
गुजरात	3. भुज	12.00
	4. महसाना	12.00

	5. खम्मात	6.00
	6. अमरेली	15.00
हरियाणा	7. सिरसा | सिद्धान्त रूप में अनुमोधित है परन्तु	
	8. नारनौल | अभी तक कोई विधि नहीं दी गई	
	9. पलवर	
केरल	10. वेदागरा	10.00
मध्य प्रदेश	11. मुरैना	3.00
	12. वरहनपुर	5.00
महाराष्ट्र	13. अम्बेजोगाई	8.00
	14. रोलु	8.00
	15. दिग्रास	5.50
राजस्थान	16. जैसलमेर	17.00
तमिलनाडु	17. हुसर	14.00
	18. पोलाची	20.00
	19. नमाकल	11.00
	20. कोविलपति	19.00
	21 नेल्लती अल्लीनाग्राम	10.00
	22. नागापतिनम	7.00
	23. रानीपत-दरकेरे बालाजापत	10.00
उत्तर प्रदेश	24. शामली	2.00
आन्ध्र प्रदेश	2 . खामग | सिद्धान्त रूप में अनुमोदित है परन्तु	
	26. तिरुपति | अभी तक विधी नहीं दी गेई है	
		212.50

बाढ़ नियन्त्रण के उपाय

103. **श्री लमक्ष्ण मलिक** : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में शुरू किए जाने वाले बाढ़ नियंत्रण के प्रस्तावित विभिन्न उपाय क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान उडीसा में शुरू किये जाने वाले प्रस्तावित बाढ़ नियन्त्रण के उपाय कौन-कौन से हैं ; और

(ग) इन प्रस्तावों के कार्यान्वियन में अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) लगभग 4 मिलियनहै क्टेयर अतिरिक्त श्रेत्र के लिए उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारें देश के विभिन्न नदी वेसिनों में तटबन्धों, जल-निकास चैनलों, नदी नियन्त्रण और नगर सुरक्षा वर्क्सका निर्माण/सुदृढ़ीकरण करेंगी ।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में बाढ़ नियन्त्रण सेक्टर के लिए 2 करोड़ रुपये के परिव्यय की योजना बनाई है । केन्द्रीय सरकार के पास भौतिक कार्यक्रमों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

उड़ीसा सरकार रेंगाली बांध परियोजना भी बना रही है, जिससे ब्राह्मणी नदी पर बाढ़ नियन्त्रण लाभों की व्यवस्था होगी जलाशय पर लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, जिसमें से मार्च, 1981 तक 57.82 करोड़ रुपये व्यय हो चुके थे । इस वर्ष लगभग 15.71 करोड़ रुपये व्यय किए जाने का प्रस्ताव है । जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है. बांध के खुदाई का कार्य 94.5 प्रतिशत कंक्रीट डालने का काम का 40.59 प्रतिशत और चिनाई वर्क्स का 94.4 प्रतिशत कार्य अब तक पूरा कर लिया गया है ।

उड़ीसा में सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेक्ष

104. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1879-80, 198081 और 1981-82 में उड़ीसा के किन-किन जिलों को सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है .

(ख) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में सूखे से प्रभावित इन क्षेत्रों को राहत के रूप में उड़ीसा को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में इन जिलों में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ;

कृषि तथा ग्रामीण और पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए दो जिलों (कालाहांड़ी और फुलबैनी) को सूखाग्रस्त क्षेत्र माना गया है ।

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई राहत सहायता उपलब्ध नहीं की जाती है। ऐसी सहायता केवल असाधारण रूप का तीव्र और दूर-दूर तक व्याप्त सूखे की घटनाओं के मामले में दी जाती है। सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को 1979 से लेकर 1981-82 (अद्यतन) तक 249.19 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

(ग) सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गय शुरू की हुई मुख्य गतिविधियां निम्न प्रकार हैं।

(1) जल संसाधनों का विकास

(2) कृषि विकास

3) वनरोपण सहित भूमि और नमी संरक्षण

(4) बागबानी । और

(5) पशुधन विकास

इन जिलों में कार्यक्रम की भौतिक उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

मुख्य सूचक	इकाई	1979.80 में 1981-82 तक (जून 1981 तक)
1. सिंचाई संभाव्यता का सृजन	हजार हैक्टेयहै	8.02
2. भूमि संरक्षण	हजार हैक्टेयर	1.80
3. वाणिकी और चरागाह विकास	हजार हैक्टेयर	9.59
4. दुधारू पशुओं का वितरण	संख्या	224

दिल्ली में घी और दुध की कमी

105. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों में दिल्ली में दिल्ली दूग्ध योजना/मदर डेरी के दूध डी० एम० एत० घी और मक्खन की भारी कमी है,

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं, और

(ग) उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार राजधानी में उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री(श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) दिल्ली दुग्ध योजना या मदर डेरी के दूध की कमी नहीं है । अतिरिक्त वसा की उपलब्धि पर निर्भर करते हुए दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध परिसस्करण के उपोत्पादों के रूप में घी तथा बटर का विनिर्माण तथा विपणन किया जाता है .

भूमि की चकबन्दी और भूमि संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता

106. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मन्त्रालय भूमि की चकबन्दी और भूमि संरक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिये विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता दे रहा है,

(ख) किन-किन राज्यों को और वर्ष 1980-81 और 1981-82 में उन्हें दिया गया कुल वित्तीय आवंटन किया है ; और

(ग) उपरोक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्यों में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों को भू-संरक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये वित्तीय सहायता दे रही हैं सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में भूमि की चकबन्दी करने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना 1978-79 तक चालू थी।

(ख) 1980-81 और 1981-82 के दौरान राज्यों को किया गया आवंटन का ब्यौरा विवरण-1 में दिया है।

(ग) उपरोक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबन्ध में राज्यों द्वारा अभी तक की गई प्रगति का ब्योरा विवरण -2 में दिया गया है।

विवरण—1

1980-81 तथा 1981-82 के दौरान भूसंरक्षण की केन्द्रीय /केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत दी गयी राज्यवार वित्तीय सहायता का ब्यौरा

लाख रुपये

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित	1980-81 में निमुक्त की गई धन राशि	1981-82 में किया गया आवंटन	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	23.022	73.160	केन्द्रीय सहायता निम्न-
2.	असम	5.484	6.000	लिखित योजनाओं के
3.	बिहार	178.546	107.660	के लिये है :
4.	गुजरात	82.914	49.320	(1) नदी घाटी परि-
5.	हरियाणा	21.950	33.410	योजना स्रवण क्षेत्रों
6.	हिमाचल प्रदेश	96.000	133.00	में मृदा संरक्षण
7.	जम्मू और कश्मीर	25.332	15.760	(2) बाढ़ प्रवण नदीयों के
8.	कर्नाटक	118.610	65.280	सवण क्षेत्रों में समे-

1	2	3	4	5
9.	केरल	19.750	25.000	कित पनधारा प्रबंध
10.	मध्म प्रदेश	196.622	160.000	(3) राज्य मृदा सर्वेक्षण
11.	महाराष्ट्र	192.430	78.440	संगठन को सदृढ़
12.	मणिपुर	—	—	बनाना सृजन करना
13.	मेघालय	—	—	(4) झूम खेती का नियन्त्रण
14.	नागालैंड	6.000	12.000	(5) हिमालय जल और
15.	उड़ीसा	73.040	57.010	निशुल्क संरक्षण
16.	पंजाब	10.000	15.000	(6) सूरत पूवरण क्षेत
17.	राजस्थान	156..156	98.740	कार्यक्रम
18.	तमिलनाडु	102.180	54·330	
19.	त्रिपुरा	3.248	14.000	
20.	उत्तर प्रदेश	331.048	207.540	
21.	पश्चिम बंगाल	42.938	86.150	
22.	सिकिम	15.750	10.000	
23.	अदमान और निकोबार द्वीप समूह	1.130	2.000	
24.	अरुणाचल प्रदेश	14.000	30.000	
25.	चण्डीगढ़	14.000	14.000	
26.	दादरा और नगर हवेली	—	—	
27.	दिल्ली	—	14.000	
28.	गोवा, दमन और द्वीप	0.225	2.250	
29.	लक्षद्वीप	—	—	
30.	मिजोरम	26.430	38.000	
31.	पाण्डीचेरी	1.130	0.750	
	कुल	1758.835	1401.800	

विवरण-2

1979-80 तक भू-संरक्षण की केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत की गयी राज्यवार प्रगति

क्षेत्र 000

क्रम संख्या	राज्य संघ/शासित राज्य	उपलब्धि	टिप्पणी
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	206.17	
2.	असम	22.61	यह प्रगति निम्नलिखित
3.	बिहार	40.38	योजनाओं से संबंधित है ;
4.	गुजरात	118.30	(1) नदी घाटी परियोजना स्रवण
5.	हरियाणा	—	क्षत्रे में मृदा संरक्षण
6.	हिमाचल प्रदेश	125.26	(2) वाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण
7.	जम्मू और कश्मीर	8.57	क्षेत्रों में समेकित पनधारा
8.	कर्नाटक	6000.45	प्रबन्ध
9.	केरल	4.94	(3) राज्य मृदा सर्वेक्षण संगठन
10.	मध्य प्रदेश	382.79	को सुदृढ़ बनाना सृजन करना
11.	महाराष्ट्र	248.52	(4) झूम खेती का नियन्त्रण
12.	मणिपुर	—	(5) हिमालय के पर्वतीय मृदा
13.	मेघालय	—	जल और वृक्ष संरक्षण
14.	नागालैंड	—	(6) सूरत प्रवण कार्यक्रम
15.	उड़ीसा	111.34	
16.	पंजाब	26.47	
17.	राजस्थान	348.73	
18.	तमिलनाडु	36.57	
19.	त्रिपुरा	0.33	

1	2	3	4
20.	उत्तर प्रदेश	99.98	
21.	पश्चिम बंगाल	55.05	
22.	सिकिम	0.37	
23.	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	—	
24.	अरूणाचल प्रदेश	0.25	
25.	चण्डीगढ़	0.77	
26.	दादरा और नगर हवेली	—	
27.	दिल्ली	—	
58.	गोवा दमन और द्वीप	—	
29.	लक्षद्वीप	—	
30.	मिजोरम	0.23	
31.	पांडिचेरी	—	
	कुल:	2438.03	

खाद्यान्नों का स्टाक

107. **श्री ए० के० राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1981 को सरकार के पास सभी प्रकार के खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति क्या थी ;

(ख) गत पांच वर्षों में सभी प्रकार के खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति क्या है और इसका वर्षवार, विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस स्टाक में अचानक कमी हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) : सभी सरकारी एजेंसियों के पास खाद्यान्नों का स्टाक, जिसका पहली नवम्बर को अस्थायी रूप से हिसाब लगाया गया था, इस प्रकार है :—

		(दस लाख मीटरी टन में)
चावल	...	4-19
गेहूं	.....	5-64
मोटे अनाज	.....	0-55
	जोड़	9.78

(ख) : पिछले पांच वर्षों में सभी सरकारी एजेंसियों के पास खाद्यान्नों के अनाजवार स्टाक इस प्रकार थे :—

निम्न तारीख को	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़
1. 1. 1977	5.73	12.46	0.77	18.96
1. 1. 1978	5.62	11.57	0.15	17.34
1. 1. 1979	7.99	9.06	0.11	17.16
1. 1. 1980	9.05	8.36	0.11	17.52
1. 1. 1981	6.63	5.00	0.11	11.74

(ग) और (घ) : 1979-80 के दौरान, सूखे की स्थिति के कारण खाद्यान्नों के स्टाक की भारी मांग होने और इसके फलस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के वितरण में वृद्धि होने काम के बदले अनाज और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए खाद्यान्न के निर्मुक्ति और सूखे के वर्ष के दौरान उत्पादन में गिरावट आने के परिणाम स्वरूप वसूली में कमी होने की वजह से सरकारी एजेंसियों के पास खाद्यान्नों का स्टाक समाप्त हो गया है।

सरकारी आवासों का निर्माण

108. **श्री के० ए०राजन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 10,000 आवासों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में किए जा रहे उपाय क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1981-82 से 1984-85 तक की चार वर्ष की अवधि में दिल्ली में सामान्य पूल के लिए लगभग 12,300 मकानों के निर्माण किए जाने की आशा है।

(ख) मकानों के निर्माण का वर्ष वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मकानों की संख्या
1981-82	3,000
1982-83	4,000
1983-84	4,000
1984-85	1,300
	12,300

परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्यों के लिए निधियां भी मुहैया की जा चुकी हैं।

गुजरात में सिचाई सुविधाओं के लिए निर्धारित की गई राशि

109 **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और वर्ष 1981-72 के दौरान गुजरात राज्य में सिचाई सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि निर्धारित की गई ;

(ख) सिचाई परियोजनाओं के विकास के लिए खर्च की गई वास्तविक राशि क्या है; और

(ग) प्रत्येक वर्ष के दौरान किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : : (क) कुछ नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के आवंटन के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्र

110. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और अन्य वर्गों के फ्लैटों के आवंटन के लिए, श्रेणी वार, लम्बित आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए मकानों के आवंटन का कोई प्रावधान है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने मकान आवंटित किए गए हैं और कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत और फ्लैटों के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों की संख्या के श्रेणीवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :–

मध्यम आय वर्ग	50, 891
निम्न आय वर्ग	68, 795
स्ववित्त पोषित योजना	12, 593
योग	1, 86, 785

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी विभिन्न आवास योजनाओं में आवंटन के लिए दिए जाने वाले फ्लैटों का एक प्रतिशत विकलांगों के लिए सुरक्षित रखा जाता है।

(ग) 10-3-1978 से विकलांग व्यक्तियों को कुल 122 फ्वैट आबंटित किए गए हैं। चूंकि फ्लैटों की प्रत्येक रिलीज के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं इसलिए निलम्बित आवेदन पत्रों का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्वेत क्रान्ति

111. **श्री पियूष तिरकी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्वेत क्रांति को गति देने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं,

(ख) अनुसूचित क्षेत्रों तथा संघ क्षेत्रों सहित देशें में राज्यवार, पशु-प्रजनन केन्द्र कौन-कौन से हैं,

(ग) डेरी विकास के लिए अब तक कितनी राशि का पूंजी निवेश किया गया है।

(घ) क्या सरकार का विचार पशुधन के विरास के लिये संभावनाओं को देखते हुए उत्तर बंगाल सहित पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में एक पशु प्रजनन केन्द्र की स्थापना करने का है, और

(ड.) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 के लिये परियोजनाधीन योजना परिव्यय का ब्यौरा क्या है, ?

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) आपरेशन फ्लड-II परियोजना तथा राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसके अलावा कुछ राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत विश्व बैंक सहायता प्राप्त समेकित पशु-व डेरी विकास परियोजनाएं तथा डेरी विकास परियोजनाएं भी क्रियान्वित की जारही हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पशु पालन कार्यक्रम भी चालाए जाते हैं।

(ख) कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों प्राकृतिक सेवाओं के लिए सांड केन्द्रों के रूप में करीब

15,000 पशु प्रजनन केन्द्र हैं केन्द्रीय क्षेत्र के तहत चिपलीमा तथा सुनेबेड़ा (उड़ीसा), सूरतगढ़ (राजस्थान), अवादी (तमिलनाडु), धामरेड (गुजरात), तथा अन्देरु नगर (उत्तर प्रदेश) में पशु प्रजनन फार्म स्थापित किए गए हैं।

(ग) पशु पालन तथा डेरी विकास की पंचवर्षीय योजनाओं के तहत अब तक करीब 938 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है।

(घ) सभी राज्य सरकारों (जिनमें पूर्वी क्षेत्र भी शामिल हैं) से डिमित वीर्य तकनीकों का प्रयोग करते हुए पशुओं के संकर प्रजनन के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

(ड.) केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त संकर-प्रजनन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा समग्र रूप में देश के लिए 500 रुपए परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है।

अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन का कार्यकरण

112. **श्री पीयूष वितरकी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य तथा कार्यकरण क्या है, जिसका कार्यालय डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली में स्थित है ;

(ख) क्या उन्हें विदेशों से कोई धनराशि मिलती है ;

(ग) यदि हां तो गत पांच वर्षों के दौरान उन्हें किन-किन स्रोतों से और कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई थी ;

(घ) ग्रामीण विकास क्षेत्र में अखिल भारतीय आधार पर कौन-कौन से स्वैच्छिक संगठन कार्य कर रहे हैं ; और

(ड.) गत पांच वर्षों के दौरान इन संगठनों को प्राप्त वित्तीय सहायता का ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आदिवासी विकास एजेंसियां

113. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने देश के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में चौथी योजना में आदिवासी विकास एजेंसियां शुरू की थीं ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को शुरू करने के क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं को शुरू करने से लेकर अब तक राज्यवार कितनी राशि उपलब्ध कराई गई थीं ;

(ग) उनके मन्त्रालय द्वारा आदिवासी विकास एजेंसियां बन्द करने के क्या कारण हैं ;

(घ) आदिवासी विकास एजेंसियां बन्द करने के बाद आदिवासी क्षेत्रों के लिये उनके मन्त्रालय द्वारा दी गई राशि और शुरू किये गये कार्यक्रम क्या हैं ; और

(ङ) इन परियोजनाओं की क्या उपलब्धियां हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां ।

(ग) आदिवासी विकास परियोजनाएं कुछ चुने आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के आर्थिक विकास के लिए प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थीं । परियोजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को सुलभ की गई धनराशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2906/81]

(ग) 1.4.1979 से इन परियोजनाओं को बन्द करने तथा इन्हें गृह मन्त्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सघन आदिवासी विकास परियोजनाओं के साथ मिलाने का निर्णय लिया गया था ।

(घ) फिलहाल ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय आदिवासी क्षेत्रों के लिए किन्हीं विशिष्ट कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं कर रहा है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को देश के सभी 5011 खण्डों में चलाया गया है जिसमें आदिवासी क्षेत्रों के खन्ड भी शामिल हैं । 1979-80 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की संख्या 3,58,579 थी । 1979-80 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की सहायता के लिये उपदान के रूप में 1164.31 लाख रुपए उपयोग में लाये गये थे । 1979-80 के दौरान सहकारी सोसायटियों तथा वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को क्रमशः 928.62 लाख रुपए तथा 1277.69 लाख रुपये का कुल ऋण वितरित किया गया था । 1980-81 के दौरान सहायियत अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या 1,85,729 थी । अनुसूचित जनजाति के परिवारों को उपदान देने के लिए 1022.29 लाख रुपए उपयोग में लाये गये थे । 1980-81 के दौरान अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए सहकारी सोसायटियों तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा क्रमशः कुल 783.28 लाख रुपये तथा 1132.44 लाख रुपये के ऋण जुटाए गये थे । इसी प्रकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासी खण्डों सहित देश के सभी खण्डों को लाया गया है । कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए प्रत्येक आदिवासी खण्ड को औसतन लगभग 10 लाख रुपये प्राप्त होंने की प्रत्याशा है ।

(ङ) इन आठ आदिवासी विकास एजेंसियों की आरम्भ होने से लेकर 30 जून, 1979 तक परियोजना चार भौतिक प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध 2) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2906/81]

बस्तर के चीड़ बागानों के बारे में अध्ययन दल

114. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर के चीड बागानों के बारे में गहराई से अध्ययन करने वाले दल ने सरकार को अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दल के सदस्य कौन-कौन से हैं और इसके लिये अध्ययन दल के निदेश पद क्या हैं ;

(ग) अब तक की गई सिफारिश के बारे में भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और निर्णय क्या हैं ;

(घ) यदि अभी तक कोई कार्यवाही और निर्णय नहीं किया गया गया है तो क्या कारण हैं ; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वन क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों को विशेषकर क्या सुरक्षा प्रदान की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) दल के सदस्यों के नाम और विचारार्थ विषय अनुबन्ध में दिये गये हैं ।

(ग) और (घ) रिपोर्ट 2-9-81 को प्राप्त हुई थी और इसकी सिफारिशों पर सम्बन्धित मन्त्रालयों । विभागों के परामर्श से सरकार द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है ।

(ङ) अध्ययन दल की रिपोर्ट में जनजातियों के हितों की रक्षा के लिये सिफारिशें की गई हैं ।

विवरण

दल का गठन निम्न प्रकार किवा गया था :—

1. श्री एम० के० दाल्वी, वन महा निरीक्षक और भारत सरकार के पदेन अपर सचिव ।	अध्यक्ष
2. श्री गिरिधर गौयांगो, संसद सदस्य (लोक सभा), 108 विट्ठल भाई पटेल हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।	सदस्य
3 प्रोफेसर माधव गाडगिल, सैद्धान्तिक अध्ययन केन्द्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर-560012.	सदस्य
4. श्री एस० ए० शाह, आई० एफ० एस० (सेवानिवृत)	सदस्य

मार्फत प्रबन्ध निदेशक, गुजरात राज्य वन विकास निगम लि० पोस्ट बाक्स नं० 185,बादोदरा-390005.

5. श्री जे० सी० डेनियल, बम्बई प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, एस० बी० सिंह रोड, बम्बई-400023. सदस्य

6. श्री एम० एस० सोलंकी, उप-वन महा निरीक्षक, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली । संयोजक सदस्य

दल के विचारार्थ विषय निम्नलखित थे :—

(1) दल उन परिवर्तनों का मूल्यांकन करने के लिए, जिनसे बस्तर के साल के वनों में उष्णकटिबन्धीय चीड़ के परीक्षण पौधरोपण के कारण स्थानीय लोगों की जमीन प्रणाली और पर्यावरण पर असर पड़ा हो, बस्तर जिले में तथा परियोजना में शामिल किए गये क्षेत्रों में वर्तमान समय तक लगाये गये उष्णकटिबन्धीय चीड़ के परीक्षण पौधरोपण का दौरा करेगा ।

(2) परियोजना क्षेत्र में अपने दौरे के समय दल स्थानीय जनता और सरकारी विभागों के विशिष्ट व्यक्तियों से मिलेगा ताकि वह उन परिवर्तनों के बारे में जो कि परियोजना क्षेत्रों में साल के वनों के स्थान पर उष्णकटिबन्धीय चीड़ के पेड़ों के लगाने के परिणामस्वरूप हुए, उनके विचार जान सके ।

(3) विभिन्न किस्म के वन क्षेत्रों में चीड़ के पेड़ लगाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये दल बस्तर के उजड़े वनों, विविध वनों और साल के वनों का भी दौरा करेगा ।

(4) यह दल उन अनुज्ञेय सीमाओं के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट की अन्तिम रूप देगा जहां तक आदिवासियों की जीवन प्रणाली व पर्यावरण पर बिना गम्भीर प्रभाव डाले उष्णकटिबन्धीय चीड़ के एक फसली पौधे उगाये जा सकते हैं ।

(5) दल द्वारा उष्णकटिबन्धीय चीड़ के वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यक्रम के सन्दर्भ में विभिन्न मिश्रित फार्मों में मिश्रित वृक्षारोपण करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जायेगा । क्षेत्रीय दौरों के अतिरिक्त जब भी आवश्यक होगा दल की बैठक होगी तथा आदेश जारी होने की तिथि से 6 महीने के अन्दर यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

आदिवासी गांवों के लिए पेय जल की व्यवस्था

115. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजनावधि में राज्यों ने आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में समस्यामूलक

गांवों का पता लगाया है और इन समस्याओं को हल करने के लिए कार्यक्रम तैयार किये हैं,

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे कुल कितने आदिवासी गांव हैं जहां अब तक पेय जल की सुरिधायें हैं और जो इनसे वंचित हैं,

(ग) छठी योजना और वार्षिक योजनाओं में आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए पेय जल की सुविधाओं के लिए राज्यों के कुल योजना परिव्यय क्या है और कितनी राशि निर्धारित की गई है, और

(घ) इसके लिए छठी योजना की वार्षिक योजनाओं में राज्यवार आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए राज्यों को उनके मन्त्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और राज्य सरकारें राज्य प्लानों में प्रावधान की गई निधियों से योजनाएं बनाती हैं और उनको कार्यान्वित करती है। तथापि, समस्याग्रस्त ग्रामों को शुद्ध पेय जल मुहैया करने में राज्य सरकारों को ससाधनों को बढ़ाने के लिए, निर्माण और आवास मन्त्रालय केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देता है केन्द्रीय सहायता उन समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित करने के लिए है जिनका पता पानी की सुलप्ता या गुणवता की उन समस्याओं के आधार पर लगाया जाता है जिनका सामना ग्रामीण लोग करते हैं न कि इन गांवों में जनसंख्या की श्रेणी के सन्दर्भ में। समस्याग्रस्त गांवों को जल-पूर्ति के लिए छठी योजना परिव्यय 2.007.11 करोड़ रुपये है जिसमें से 1,047.11 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में और 600 करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम में है। वर्ष 1980-81 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान था जो कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को करीब करीब सब दे दिया गया है।

अजमेर की बनास नदी योजना

116. **श्री आचार्य भगवान देव** : क्या निर्माण और और आवास मंत्री अजमेर की बनास योजना के बारे में 24 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न सख्या 1089 के उत्तर के सन्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनास नदी योजना पर कार्य इसकी समय-सूची के अनुसार और चरणबद्ध तरीके से चल रहा है ;

(ख) क्या दिसम्बर, 1980 में मंजूर की गई 14.65 लाख रुपये की आपात जल सप्लाई योजना पर कार्य इस बीच शुरू हो गया है और इस योजना के अन्तर्गत नये नलकूपों का निर्माण शुरू हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो वह योजना कब तक पूरी की जायेगी और यदि नहीं, तो इस पर कार्य कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) आना सागर झील से अजमेर को पेय जल की प्रस्तावित सप्लाई के बारे में अब तक हुई प्रगति क्या है ?

संसदीय कार्य तथा पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) बनास नदी योजना पर कार्य निष्पादनाधीन है और यह अनुसूची के अनुसार चल रहा है।

(ख) दिसम्बर, 1980 में स्वीकृत आपात जल पूर्ति योजना का कार्य मई, 1981 में पूर्ण हो चुका है। इस योजना के अन्तर्गत 1981 की गर्मियों में अजमेर शहर को नलकूपों से प्रतिदिन 20 लाख गैलन पानी दिया जाता था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) राज्य सरकार ने बताया है कि आना सागर झील से स्थायी उपाय के तौर पर अजमेर को पेय जल मुहैया करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, साफ करने के बाद इस पानी का उपयोग अतीत में आपातिक उपाय के रूप में पीने के प्रयोजन के लिए किया गया है।

राजस्थान में अकाल के बारे में संसद सदस्यों से ज्ञापन

117. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री मोहन लाल सुखड़िया के नेतृत्व के अन्तर्गत राजस्थान से लोकसभा के 9 सदस्यों ने 18 सितम्बर, 1981 को प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन दिया है जिसमें केन्द्र से 20 करोड़ रुपये की अन्तरिम सहायता मांगी गई थी,

(ख) यदि हां, तो क्या इस ज्ञापन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी, और

(ग) इस ज्ञापन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है और राज्य को दी गई सहायता का स्वरूप क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2907/81]

(ग) ज्ञापन में भारत सरकार और राजस्थान सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों से सम्बन्धित कई मुद्दे दिए गए हैं। इस ज्ञापन पर अन्त : मन्त्रालय की बैठक में चर्चा की गई थी। सम्बन्धित मन्त्रालयों और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अपने विषयों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें। राजस्थान सरकार को निम्नलिखित सहायता दी गई है।

(1) खरीफ की फसलों को बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान की नहरों के लिये 11,745 क्यूसेक पानी निर्मुक्त करने के तदर्थ निर्देश जारी किये हैं

(2) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कुओं के बेधन के लिये ड्रिलिंग रिग्स उपलब्ध करा दिये हैं।

(3) रक्षा मन्त्रालयों ने सेना मुख्यालय को निर्देश जारी किये हैं कि वह दूरवर्ती इलाकों में पेय जल की सप्लाई की व्यवस्था हेतु सहायता प्रदान करें।

(4) उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश की सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राजस्थान के प्रवासी मवेशियों के लिये चराई की सुविधायें उपलब्ध करायें।

(5) चालू वर्ष 1981-82 के दौरान राज्य सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 4000 मीटरी टन खाद्यान्नों के आवंटन सहित 234.00 लाख रुपये आवंटित किये गए हैं।

(6) राज्य सरकार को कृषि आदानों की खरीद तथा उनके विवरण के लिए अल्पावधि ऋण के रूप में 17 करोड़ रुपये (खरीफ के लिये 5 करोड़ रुपये तथा रबी के लिए 12 करोड़ रुपये) की राशि मन्जूर कर दी गई है।

(7) 15 से 18 अप्रैल, 1981 तक राजस्थान का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष (जून 1981) के मानसून पूर्व की सूखा अवधि के दौरान सूखा राहत के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में 3392.80 लाख रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा की मन्जूरी दी है। मानसून के बाद सूखा अवधि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई ज्ञापन नहीं भेजा गया है।

राजस्थान में अकाल

118. श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

श्री त्रिलोक चन्द :

श्री दौलत राम सारण :

श्री बी० डी० सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस वर्ष अकाल और कमी से कितने गांव प्रभावित हुए थे और क्या ऐसे गांवों की जिलावार सूची सभा पटल पर रखी जायेगी,

(ख) राज्य में इस समय अकाल राहत कार्यों में कार्यरत श्रमिकों के जिलावार आंकड़े क्या हैं,

(ग) क्या राज्य सककार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन दिया है और यदि हां, तो क्या इसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी, और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने अकाल की स्थितियों का सामना करने के लिए राज्य सरकार को अब तक कोई सहायता उपलब्ध कराई है और यदि हाँ, तो दी गयी सहायता का स्वरूप क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर 1981 के मानसून के बाद की अवधि के दौरान सूखे से प्रभावित गांवों की जिलावार सूची को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (विवरण — 1)

(ख) राज्य में अकाल राहत कार्यों में लगे मजदूरों के जिलावार आंकड़े विवरण—2 में दिये गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्ध उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर 1981-82 के मानसून पूर्व सूखे की अवधि के दौरान भारत सरकार ने केन्द्रीय सहायता में रूप में राजस्थान में सूखे से राहत के लिए 3392.80 लाख रुपये की व्यय को अधिकतम सीमा की मन्जूरी दी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिए 17 करोड़ रुपये (खरीफ के लिए 5 करोड़ रुपये और रवी के लिए 12 करोड़ रुपये) के अल्पाब्धि ऋण की मन्जूरी दी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को 1981-82 के दौरान 4000 मीटरी टन खाद्यान्नों सहित 234 लाख रुपये की मन्जूरी दी गई है।

विवरण-1

राजस्थान में अकाल और अभाव से प्रभावित गांवों की जिलावार सूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	गांवों की संख्या	अभाग्रस्त घोषित किए गए गावों की सख्या
1.	अजमेर	976	965
2.	बाड़मेर	865	632
3.	भीलवाड़ा	1584	1568
4.	बीकानेर	680	611
5.	बूंदी	746	483
6.	चित्तौड़गढ़	2365	343
7.	डूंगरपुर	843	838

1	2	3	4
8	जालौर	615	455
9.	झुनझुनू	698	696
10.	पाली	852	847
11.	सवाई माधोपुर	1670	1595
12.	सीकर	840	359
13.	सिरोही	458	448
14.	टोंक	1089	915
15.	उदयपुर	3180	1566
16.	झालवाड़	1604	62
17.	जोधपुर	725	725
18.	चूरु	908	732
19.	नागोर	1266	1153
20.	बांसवाड़ा	1464	1462
21.	जैसलमेर	515	390
22.	भरतपुर	2024	1996
23.	अलवर	1902	813
	कुल :—	27869	19654

विवरण-2

15.8.81 को राहत सम्बन्धी निर्माण कार्यों तथा विभागीय निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	जिलों का नाम	राहत सम्बन्धी निर्माण कार्यों लगे श्रमिकों की सख्या	विभागीय निर्माण कार्यों से सम्बन्धित श्रमिकों की संख्या
1.	अजमेर	27710	3065

1	2	3	4
2.	अलवर	9935	—
3.	बांसवाड़ा	3307	400
4.	बाड़मेर	18159	180
5.	भरतपुर	सूचित नहीं किया गया	
6.	भीलवाड़ा	57608	2699
7.	बीकानेर	सूचित नहीं किया गया	1272
8.	बूंदी	7042	—
9.	चित्तौड़गढ़	10120	1352
10.	चूरू	9164	—
11.	डूंगरपुर	25624	3236
12.	गंगानगर	307	—
13.	जयपुर	536	500
14.	जैसलमेर	17759	—
15.	जालौर	14954	1550
16.	झालवाड़	—	—
17.	झुनझुनू	3588	600
18.	जोधपुर	10700	—
19.	कोटा	745	190
20.	नागौर	8527	1697
21.	पाली	85818	3990
22.	सवाई माधोपुर	—	—
23.	सीकर	7099	1872
24.	सिरोही	7225	—
25.	टोंक	4258	—
26.	उदयपुर	63530	—
	कुल :—	388417	22603

राजस्थान में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिए नियत की गई राशि

119. **श्री जय नारायण रौत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्र द्वारा राजस्थान राज्य को चालू वर्ष के दौरान बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के लिये कितनी राशि नियत की गई है ;

(ख) क्या इस राशि से बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी ; और

(ग) यदि नहीं. तो सरकार का विचार उस राज्य के लिए अन्य क्या राहत उपाय करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) 4505.60 लाख रुपए ।

(ख) केन्द्रीय दल, जिसने राजस्थान में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, की रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने धनराशि मन्जूर की है जिसके बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी होंगी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

राजस्थान और गुजरात के बीच माह के जल का बंटवारा

120. **श्री जयनारायण रौत** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान और गुजरात सरकारों के बीच माहो के जल के बंटवारे के बारे में 1966 में कोई करार हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या राज्यों द्वारा यह करार क्रियान्वित कर दिया गया है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस आधार में, अन्य बातों के साथ-साथ, गुजरात में डाना बांध, राजस्थान में बंसवाड़ा बांध के निर्माण तथा बंसवाड़ा बांध की लागत को आपस में बांटने की व्यवस्था है। करार में, बाद में जब माहो के क्षेत्रों को नर्मदा के अन्तर्गत लाए जाने और माहो के जल को राजस्थान में उपयोग के लिए छोड़े जाने के पश्चात इन बांधों की लागतों को समायोजित करने की भी व्यवस्था है ।

करार के अनुसार, कडाना बांध का राजस्थान में कार्यान्वियन हो रहा है । चूंकि नर्मदा जलविवाद न्यायाधिकरण ने माहो के कमान क्षेत्र में उपयोग के लिए जल का कोई नियतन नहीं किया है, इसलिए माहो के क्षेत्रों में नर्मदा के जल के उपयोग से संबंधित करार के भाग का अभी तक कार्यान्वियन नहीं दिया गया है।

राज्यों में ग्रामीण गोदामों का निर्माण

121, श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाँवों में गोदाम बनाने की योजना के प्रति रुचि प्रदर्शित नहीं की गयी है क्योंकि केवल 11 राज्य उनका निर्माण करने के लिए अब तक सहमत हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों से बल देकर कहा है कि उक्त योजना को क्रियान्वित करें ;

(ग) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने गोदाम बनाने का विचार है ; और

(घ) लक्ष्य की प्राप्ति के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) (क) से (घ) ग्रामीण गोदामों के एक राष्ट्रीय जाल की स्थापना की योजना 1970-80 के मध्य शुरू की गई थी। चूंकि राज्य सरकारों से ग्रमीण क्षेत्र में विस्तृत रूप से भण्डारण अन्तरालों को आँकने की अपेक्षा की गई थी अत: 1979-80 में उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में 47,000 मीटरी टन की भण्डारण क्षमता वाले 136 गोदामों का निर्माण संस्वीकृत किया जा सका।

छठी योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 19,53 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता वाले गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव है। 1980-81 में 5 लाख मीटरी टन के लक्ष्य के मुकाबले में 7 राज्यों में 5,15 लाख मीटरी टन की क्षमता वाले 1308 गोदामों का निर्माण संस्वीकृति किया गया था। चालू वर्ष के दौरान अब तक तमिलनाडु तथा राजस्थान में 0,93 लाख मीटरी टन की क्षमता वाले 93 गोदामों के निर्माण के लिए पहले ही स्वीकृति दे दी गई है। राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श भी किए गए हैं तथा यह प्रत्याशा की जाती है कि चालू वर्ष में 5 लाख मीटरी टन तथा योजना अवधि में 19,53 लाख मीटरी टन के लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा।

चीनी और गेहूं का आयात

122, श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री चित्त महाटा :
श्री अमर राय प्रधान :
श्री डी० पी० जडेजा :
श्री ई० बालानन्दन :
श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष भी अधिक गेहूं, चीनी का आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो आयात किस सीमा तक किया जायेगा ;

(ग) क्या अधिक गेहूं और चीनी का आयात करने का निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिये जाने वाले ऋण पर निर्भर करता है ;

(घ) यदि हां, तो क्या गेहूं और चीनी की असन्तोषजनक प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए यह आयात आवश्यक है ; और

(ङ) क्या सरकार दोनों वस्तुओं का रक्षित भण्डार रखना चाहती है ?

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामी नाथन) :(क) और (ख) : 1981-82 के दौरान 15.15 लाख मीटरी टन गेहूं और लगभग 2.15 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने का ठेका किया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) गेहूं और चीनी का आयात करना देश में इन दोनों जिन्सों की कुल उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए और मूल्यों पर दवाव को रोकने तथा व्यापारियों के तंत्र के विरुद्ध पर्याप्त सावधानी वरतने विषयक उपाय करने के लिए जरूरी समझा गया था।

(ङ.) जी हां।

सूखे के कारण फसलों को हुई क्षति

123. **श्री चित्त महाटा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान देश में सूखे के कारण फसलों को हुई क्षति का कोई अनुमान लगाया है, और

(ख) राज्यवार वित्तीय सहायता देने और अन्य राहत कार्यों की व्यवस्था करने के लिये सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) चालू वर्ष के दौरान देश में सूखे के कारण फसलों की हुई क्षति का अब तक कोई ठोस अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) 1981-82 के मानसून से पूर्व की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्य सूखे से प्रभावति हुए। वालू वर्ष के बाद, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्य सूखे से प्रभावित हुए हैं। मानसून से पूर्व सूखे से प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा तथा इन राज्यों को दी गयी अन्य केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

मानसून के वाद सूखे से प्रभावित हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने ज्ञापन भेजा है, जिसमें केन्द्रीय दल द्वारा दौरा करने के लिए अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय दल इन राज्यों का शीघ्र ही दौरा करेंगे। केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों के प्राप्त होने पर इन दो राज्यों के लिये सूखे से राहत उपायों हेतु व्यय की अधिकतम सीमा को स्वीकृत करने के लिए आगे कार्यवाही की जायेगी। राजस्थान सरकार से ज्ञापन प्राप्त होना है। इसके प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

विवरण

राज्य का नाम	द्रुत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित की गयी राशि (करोड़ रुपये)	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा (करोड़ रुपये)	कृषि आदानों के लिए अल्पावधि ऋण (खरीफ व रबी)	एन० आर० इ० पी० के अन्तर्गत सहायता	
				खाद्यान्न मीटरी टन	नकद सहायता (करोड़ रुपये)
आन्ध्र प्रदेश	1.475	26.25	19.00	15.750	9.48
हरियाणा	1.60	4.00	11.50	1.250	0.80
कर्नाटक	1.645	8.06	10.00	7.000	4.14
राजस्थान	2.08	33.928	17.00	0.000	2.34
तमिलनाडु	1.045	48.90	—	12.500	7.40
हिमाचल प्रदेश	2.085	—	0.15	1.000	0.60
योग:	9.930	121.138	57.65	41.500	24.76

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं। परन्तु डा० एम० एस० स्वामीनाथन, सदस्य, योजना ने अक्तूबर, 1981 के प्रारम्भ में इस परियोजना का दौरा किया था और उनका विचार था कि यदि यह परियोजना छठी योजना में पूरी की जानी है तो अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी।

(ख) इस समय राजस्थान नहर के निर्माण-कार्य को 1985-86 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। तथापि, राज्य सरकार इस परियोजना के लिए अधिक धन नियत करने की संभावना की जांच कर रही है, ताकि निर्माण-कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके।

रत्नगिरि जिला मच्छलीमार लांच मालिक संघ

रत्नगिरि की मांगें

163. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को रत्नागिरि जिला मच्छलीमार लांच मालिक संघ, रत्नगिर से 25 अगस्त, 1981 को कोई ज्ञापन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो संघ की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तारीख 6.7.1981 तथा 22.8.1981 के दो ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

(ख) संघ से प्राप्त अभ्यावेदनों पर महाराष्ट्र सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

पहाड़ी क्षेत्रों से नगरों के लिए कृषि उत्पादों की ढुलाई

164 **श्री निहाल सिंह** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री पहाड़ी क्षेत्रों से कृषि उत्पादों की ढुलाई के बारे में, 24 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1160 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बारे में इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) असम, केरल तथा उत्तर प्रदेश से सूचना प्राप्त हो गई है तथा संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

असम : निजी परिवहन के अलावा, राज्य के दो पहाड़ी जिलों से शहरी बाजारों तक कृषि

उपज की ढुलाई के लिए दो ट्रक सुलभ किए गए हैं। मुख्य बाजारों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण भी किया है।

केरल : गिरिजन सेवा सहकारी सोसायटियों को लघु वन उपज को एकत्र करने का एकाधिकार दिया गया है। कुछ सहकारी सोसायटियों के पास उनके गोदामों तक की ढुलाई के लिए गाड़ियां हैं। गिरिजन सहकारी सोसायटी को एक शक्तिमान ट्रक भी दिया गया है। आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत सम्पर्क सड़कों तथा पगडंडियों का निर्माण भी किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश : उपज को बाजारों तक ढुलाई के लिए देहरादून जिले में 37.3 कि० मीटर लम्बी सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया गया है। देहरादून, विकासनगर तथा ऋषिकेश में बाजार यार्डों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। नैनीताल जिले में हलद्वानी में एक बाजार यार्ड का पहले ही निर्माण कर दिया गया है तथा 3 और बाजार यार्डों के निर्माण का प्रस्ताव है।

ओंकारेश्वर परियोजना

165. **श्री केयूर भूषण** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नर्मदा सागर परियोजना में निर्मित की जाने वाली ओंकारेश्वर परियोजना को छोड़ देने और धारदी में एक बांध का निर्माण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या महेश्वर बांध की ऊंचाई 15 फीट तक बढ़ाये जाने का भी एक प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश सरकार से ऐसे कोई प्रस्ताव केन्द्र में प्राप्त नहीं हुए।

(ग) प्रश्न नहीं उत्पन्न होते।

रावी-व्यास जल

166 **श्री रघुनंदन लाल भाटिया :**

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक रावी व्यास जल के बंटवारे से संबंधित विवाद को सुलझाने में कितनी प्राति हुई है, और

(ख) मामले को अन्तिम रूप से निपटाने में कितना समय लगेगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) मामला उक्चतम न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत है। राज्यों द्वारा यह सूचित किया गया है कि

किस्म	मात्रा (क्विंटल)
गंगा सफेद-2	3,075.26
हाई-स्टार्च	1,480.10
गंगा-5	605.94
	5,161.30

(ग) तथा (घ) ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि विवरित किए गए कुछ बीजों से मानक अंकुरण प्राप्त नहीं हुए। शिकायतों के प्राप्त होते ही संकर मक्का की बिक्री तत्काल रोक दी गई। राष्ट्रीय बीज निगम के मुख्य गुण नियंत्रण द्वारा जांच की गई। 190 लाख रुपये के बीजों की राशि कुछ कृषकों को लौटा दी गई थी तथा अन्य मामलों में 243 क्विंटल बीज वापस लेकर उनको अच्छे बीजों से बदला गया था।

केन्द्रीय जल विकास एजेंसी

126. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**

श्री के० लकप्पा :

श्री वीरभद्र सिंह :

श्री टी० दामोदर रेड्डी :

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या सिंचाई मन्त्री 17 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 112 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विशेषकर अन्तर्राज्यीय नदियों के सम्बन्ध में सिंचाई परियोजनाओं हेतु सर्वेक्षण कराने तथा उन्हें तैयार करने के लिए केन्द्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : केन्द्रीय जल विकास एजेंसी को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत कराने के बारे में विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

राज्यों द्वारा सिंचाई प्रणाली को आधुनिक बनाया जाना

127. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**

श्री टी० दामोदर रेड्डी :

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :

श्री वीरभद्र सिंह : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सिंचाई प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए योजनायें बनाने क्रियान्वित करने हेतु राज्यों प्रणाली को आधुनिक बनाने और क्रियान्वित करने हेतु राज्यों ायवद्ध कार्यक्रम बनाने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों को इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बेहतर जल प्रबंध और समुपयोजना के लिए आधुनिकीकरण स्कीमें तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। और राज्य सरकारों से प्राथमिकता के आधार पर आधुनिकीकरण स्कीमें तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) राज्य सरकारों से केन्द्रीय जल आयोग को 28 आधुनिकीकरण स्कीमें प्राप्त हुई हैं। 5 स्कीमें योजना द्वारा अनुमोदन भी की जा चुकी हैं।

नदी जल विवाद के कारण हुई हानि

128. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**

श्री टी० दामोदर रेड्डी :

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :

श्री वीर भद्र सिंह : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नदी जल विवाद के कारण सरकार को कितनी राशि की हानि हुई ; और

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) देश में नदी जल-विवादों के कारण होने वाली हानि का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

(ख) पिछले दिनों में कई अन्तर्राज्यिक जल-विवाद राज्यों की आपसी बातचीत द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार के माध्यम से हल किये गए हैं। मतभेदों की बातचीत द्वारा दूर करने के लिए अब भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। तीन बड़े विवाद अब तक न्यायाधिकरकों द्वारा तय किए जा चुके हैं। बड़े विवादों के बारे में वर्तमान स्थिति और उन्हें हल करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

अधिकारियों और मुख्य मंत्रियों के स्तर पर पिछले दिनों में कई बैठकें की गई हैं— पिछली बैठक दिसम्बर, 1980 में हुई थी। हमारे सुझाव पर, कर्नाटक और तामलनाडु के मुख्य मंत्रियों ने 14-15 अक्तूबर, 1981 को बंगलौर में विचार-विमर्श किया था। पक्षकार राज्यों के बीच विमर्श पूरा हो जाने के पश्चात, कावेरी बेसिन वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों की अगली बैठक उन सभी के लिए सुविधाजनक तारीख को बुलाई जाएगी।

• **यमुना बेसिन**

मुख्य मंत्रियों की अप्रैल, 1981 में हुई अन्तर्राज्यीय बैठक में, जल की उपलब्धता की जांच करने और यमुना के जल के नियतन के लिए मानदण्डों/सिद्धान्तों की सिफारिश करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, जिसमें राज्यों के मुख्य इन्जीनियर सदस्यों के रूप में सम्मिलित किए गए थे। इस समिति

की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर, यमुना बेसिन वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में उस पर आगे विचार-विमर्श किया जाएगा ।

रावी-व्यास

जबकि केन्द्रीय सरकार के आदेश के खिलाफ, जिसके द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत राज्यों की जल का नियतन किया गया था, पंजाब और हरियाणा द्वारा दायर किए गए मुकदमें उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत पड़े हैं, फिर भी न्यायालय के बाहर इस विवाद को हल करने के लिए सर्वोच्च स्तर पर प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

'विग ग्रायल लास ड्यू टु बैड पम्प सैट्स" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

129. श्री महोनलाल पटेल : क्या कृषि मन्त्री बैड पम्प सैटों के कारण तेल की भारी हानि के बारे में दिनांक 25 सितम्बर, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने पम्प सेट खरीदे गये है और प्रत्येक राज्य में सप्लाई किये गये है ;

(ख) क्या उक्त शिकायत के बारे में कोई जांच की गई है ;

(ग) उसके क्या निष्कर्ष है, और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार तथ्यों का पता लगाने के लिये कोई जांच करेगी ?

सिचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) : लघु सिचाई स्कीमों के आयोजन, अनवेषण, उनके डिजाइन तैयार करना तथा सर्वेक्षण सहित, लघु सिचाई स्कीमों का निर्माण तथा भूमिगत जल का उपयोग करना पूर्णतया राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है और इस प्रकार किसी डीजल या विद्युत-चालित पम्प सेटों की खरीद में केन्द्रीय सरकार संबद्ध नहीं होती है । लघु सिचाई कार्यक्रम में राज्य सरकारों द्वारा जिनमें उनके अन्तर्गत कार्य कर रहे निगम शामिल हैं । तथा किसानों द्वारा स्वयं भी, जहाँ आवश्यक हो, संस्थानिक वित्त की सहायता से पम्पों का प्रतिष्ठापना सम्मिलित है अनुमान है कि अब तक 7.1 मिलियन पम्प सेटों की प्रतिष्ठापना की जा चुकी है, जिनमें 2.8 मिलियन पम्प डीजल-चालित तथा 4.3 मिलियन पम्प विद्युत-चालित है । वर्तमान पम्प सेटों की कमियों के बारे में जिनमें प्रचालन दक्षता में कमी आती है, विभिन्न एजेंसियों और संस्थाओं द्वारा नमूने के आधार पर अनेक अध्ययन किए गए हैं उनके निष्कर्ष संक्षेप में निम्न प्रकार से है :

(1) इन्जनों और पम्पों, जिनमें फुट वाल्वज, सक्सन और डिलीवरी पाइप आदि शामिल हैं, का अनुपयुक्त चयन और मिलान ।

(1) पम्प सेटों की प्रतिष्ठापना तकनीकी अपेक्षाओं के अनुरुप नहीं थी ।

(3) पम्पों सेटों की अपर्याप्त मरम्मत और अनुरक्षण ।

किसानों को पम्प सेटों के उपयुक्त चयन करने के उद्देश्य से, सिचाई मन्त्रालय द्वारा

निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) पम्प सेटों के उपयुक्त चयन, उनकी कीमत तथा कोटि नियंत्रण के बारे में किसानों को सलाह देने के लिए राज्य स्तर पर उच्च तकनीकी समितियां गठित की गई हैं। किसानों को केवल उन पम्प सेटों की खरीद के लिए ए० आर० डी० सी० ऋण दिये जाते हैं जोकि राज्य स्तर की तकनीकी समिति को अनुमोदित सूची में सम्मिलित होते हैं। ये समितियां, केरल, जम्मू व कश्मीर, मेघालय, महाराष्ट्र, सिक्किम और त्रिपुरा को छोड़ कर सभी अन्य राज्यों में गठित की जा चुकी है। इन राज्यों से भी ऐसी समितियां यथाशीघ्र गठित करने के लिए कहा जा रहा है।

(1) सिंचाई पम्प सेटों की कार्य क्षमता में अधिक से अधिक सुधार करने के लिए मान-दण्ड और मानक तैयार करने के लिए सितम्बर, 1980 में संबंधित मन्त्रालयों ओर संगठनों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। इस संदर्भ में कृषि पम्प सेटों के चयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त और पम्प सेटों के चयन, प्रतिष्ठापन, प्रचलन और अनुरक्षण के बारे में व्यवहार संहिता (कोड आफ प्रैक्टिस) दिसम्बर, 1980 में विभिन्न राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए परिचालित किए गए थे।

सूखा ग्रस्त स्थान

[130. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री डी० पी० जदेजा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977 से 1981 तक आज तक सूखा ग्रस्त क्षेत्रों वाले स्थानों के नाम क्या है। और

(ख) उस अवधि में उनको कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) 1977 से 1981 अब तक सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के स्थानों के नामों को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2908/81]

(ख) 1976-77 से 1981-82 (मानसून से पूर्व) तक की अवधि के दौरान सूखा ग्रस्त राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

खेती योग्य बंजर भूमि

131. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1960, 1970 और 1980 के दौरान खेती योग्य बंजर भूमि का क्षेत्र एकसा ही रहा है,

(ख) 1981 में खेती योग्य बंजर भूमि अनुमानतः राज्यवार कितनी कितनी है,

(ग) इन भूमियों मे खेती करने के लिये क्या योजनायें तैयार की गई हैं,

(घ) गत 5 वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितनी खेती योग्य बजर भूमिहीन कृषि श्रमिकों में वितरित की गई है, और

(ड़) क्या राज्य कृषि निगम कृषि श्रमिकों को रोजगार देते हुए आदर्श कृषि फार्म स्थापित करने के लिये कुछ खेती योग्य बंजर भूमि का अधिग्रह करेंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण पूर्ननिर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ड़) : राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पर रख दी जाएगी।

भंडारण क्षमता बढ़ाना

132. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने विश्व बैंक की सहायता से भंडारण क्षमता बढ़ाने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो वर्तमान राज्यवार भंडारण क्षमता कितनी है और आगामी तीन वर्षों में कितनी वृद्धि करने का विचार है तथा उसके लिये कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) क्या यह भी सच हैं कि मंडी स्तर पर गोदाम और शीतागार बनाने का विचार नहीं है यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे गोदाम कितने है तथा इनकी कुल क्षमता कितनी है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विश्व बैंक की सहायता से दो परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। इन दो परियोजनाओं के अन्तर्गत 1985-86 की समाप्ति तक आठ राज्य सरकारों के सहकारी क्षेत्रों में 30.11 लाख मी० टन क्षमता के 15240 ग्रामीण तथा 1321 विपणन गोदाम स्थापित किये जाने हैं।

(ख) राज्य-वार जानकारी संलग्न विवरण (अनुबन्ध I) में दी गई है।

(ग) विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत गोदामों के निर्माण कार्यक्रम के दो भाग हैं- ग्रामीण तथा विपणन गोदाम। ग्रामीण गोदामों की स्थापना ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियों द्वारा की जायेगी जबकि विपणन गोदामों की स्थापना प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों तथा मंडी स्तर व टर्मिनल मंडी स्थित उनके संघों द्वारा की जायेगी। आगामी तीन

वर्षों के दौरान निर्माण के लिये प्रस्तावित ऐसे गोदाम की संख्या तथा कुल क्षमता संलग्न विवरण (अनुबन्ध 11) में दी गई है। जहां तक शीतागारों का प्रश्न है द्वितीय विश्व बैंक की परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में 127 शीतागारों का निर्माण किया जाना है। सहकारी समितियों द्वारा इनका निर्माण मुख्यतः आलू उत्पादको के लाभ के लिये किया जायेगा तथा इन शीतागारों के परिसरों में मंडी स्तर के केन्द्र तथा टर्मिनल मंडिया होंगी। इस परियोजना के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले शीतागारों का राज्य-वार कार्यक्रम भी विवरण (अनुबंध-11) में दिया गया है।

विवरण-1

वर्तमान भण्डारण क्षमता, विश्व बैंक की सहायता से बढ़ाई गई कुल क्षमता आगामी तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत होने वाली प्रस्तावित भण्डारण क्षमता तथा सहकारी क्षेत्र के लिये आवंटित राशि के विषय में राज्य-वार जानकारी

(क्षमता लाख मी० टन में)

परियोजना राज्य	30.6.81 तक स्थापित भण्डारण क्षमता (सहकारी क्षेत्र में)	विश्व बैंक की सहायता से भण्डारण में वृद्धि परियोजना की आगामी तीन वर्षों में कुल अवधि के दौरान (क्षमता)	स्वीकृत की जाने वाली प्रस्तावित क्षमता	परियोजना लागत (करोड़ रु० में)
1	2	3	4	5	6
एन सीडी	हरियाणा	4.64	3.39	0.50	4.00
सी-1	उत्तर प्रदेश	5.83	4.60	0·82	8.56
विश्व बैंक परियोजना	उड़ीसा	1.48	2.94	1.47	6.56
	उप-योग	11.95	10.93	4.14	19.12
एन सी डी	आंध्र प्रदेश	2.00	3.25	1.95	18.18

1	2	3	4	5	6
सी-11	बिहार	1.47	2.15	1 29	6.59
विश्व बैंक	हिमाचल प्रदेश	0.82	1.04	0.63	5.85
परियोजना	महाराट्र	4.51	4.74	2.84	21.30
	पंजाब	8.50	8.00	4.80	32.71
	उप-योग	17.30	19.18	11.51	84.63
	कुल योग	29.25'	30.21	14.65	103.75*

*वित्तीय पद्धति के अनुसार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्य सरकारों तथा समितियों द्वारा लागत वहन की जाती है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का भाग 77.81 करोड़ रूपए है जिसमें आई० डी० ए० से प्राप्त 48.76 करोड़ का ऋण भी सम्मिलित है।

1979-80 तथा 1980-81 में एन० सी० डी० सी० -1/विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत बढ़ाई गई 2.61 लाख मी० टन की भण्डारण क्षमता सम्मिलित है। यह तीन राज्यों हरियाणा (11.25 लाख मी० टन) उत्तर प्रदेश (1.17 लाख मी० टन) तथा उड़ीसा (0.19 लाख मी० टन) से संबंधित है।

विवरण-2

आगामी तीन वर्षों के दौरान स्वीकृति हेतु प्रस्तावित सहकारी गोदामों की संख्या व क्षमता तथा परियोजना-अवधि के दौरान सहकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले शीतागारों की संख्या दर्शाने वाली राज्य वार जानकारी

परियोजना	राज्य	आगामी तीन वर्षों अर्थात 1981-82 1982-83 व 1983-84 के दौरान स्वीकृति हेतु भंडारण क्षमता		सहकारी क्षेत्र में विश्व बैंक से प्राप्त सहायता वाली परियोजना के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले शीतागारों की संख्या
		गोदामों की संख्या	क्षमता	

		ग्रामीण विपणन (लाख मी. टन)			संख्या	क्षमता (लाख मी. टन)
1	2	3	4	5	6	7
एन .सी. डी.	हरियाणा	750	—	0.50	7	2.28
सी-1 तथा	उत्तर प्रदेश	1232	—	0.82	69	2.76
एन. सी. डी.	उड़ीसा	620	246	1.47	—	—
सी. 11	आन्ध्र प्रदेश	1800	60	1.95	—	—
	बिहार	—	90	1.29	17	0.69
	हिमाचल प्रदेश	690	52	0.63	—	—
	महाराष्ट्र	810	248	2.84	—	—
	पंजाब	930	90	4.80	8	0.32
	मध्य प्रदेश	—	—	—	4	0.16
	पं० बंगाल	—	—	—	22	0.88
	योग	6802	786	14.65	127	5.08

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

133. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का विचार कृषि उत्पादों के लिए लाभकर मूल्य प्रदान करने का है ; और

(ख) क्या इसके लिये कोई योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० पी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम व्यापारिक कार्य-क्लाप नहीं करता है । अत: कृषि उत्पादों के लिए लाभकर मूल्य प्रदान करने हेतु इसकी कोई योजना नहीं है । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के तहत निगम का प्रमुख कार्य कृषि उत्पादों के परिसंस्करण, भंडारण तथा विपणन के लिये सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यक्रमों की योजना बनाना तथा उनको बढ़ावा देना है । इसके अनुसरण में निगम इन कार्यक्रमों के लिए मुख्य रूप से

राज्य सरकारों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है,जो परिसंस्करण, भण्डारण एवं उत्पादों के विपणन में किसानों के लिए सहायक सिद्ध होता है।

"ताज" और "सरताज" ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों का पंजीकरण

134. **श्री जमीलुर्रहमान :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971-72 में "ताज" और "सरताज" ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को पंजीकृत किया गया था ;

(ख) क्या डी० डी० ए० ने उपरोक्त दोनों सोसायटियों को भूमि आवंटित कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली सहकारी समितियों के पंजीकार ने सूचित किया है कि ये दोनों समितियां जून, 1972 में पंजीकृत की गई हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इन दोनों समितियों को यमुना-पार के क्षेत्र में भूमि की पेशकश की गई है।

दिल्ली में पंजीकृत ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां

135. **श्री जमीलुर्रहमान :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, नई दिल्ली में वर्ष 1971 से 1980 तक कितनी "ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां" पंजीकृत की गई और क्या डी० डी० ए० द्वारा पंजीकृत सोसाइटियों को भूमि आवंटित कर दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में अपना मकान होते हुए भी सरकारी अधिकारियों द्वारा सरकारी मकानों में रहा जाना

136. **श्री जमीलुर्रहमान :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय में ऐसे कितने सरकारी अधिकारी हैं जिनके दिल्ली नई दिल्ली में अपने मकान हैं ;

(ख) क्या उनके पास सरकारी क्वार्टर भी हैं यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्रीय सचिवालय के जिन सरकारी अधिकारियों के पास दिल्ली । नई दिल्ली में अपने मकान हैं उनकी संख्या से बारे में कोई सांख्यकी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं क्योंकि अपने मकानों वाले अधिकारी सामान्य पूल वास के लिए पात्र हैं । केवल जब आवंटन किए जाते हैं, तब उन्हें अपने मकान का ब्यौरा देना होता है ताकि उन्हें आवंटित सरकारी आवास के किराये की देयता निश्चित की जा सके ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के वे कर्मचारी जिनके पास अपने मकान हैं तथा दिल्ली । नई दिल्ली में जिनके दखल में सामान्य पूल के वास हैं, 19-11-1981 की स्थिति के अनुसार का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वास का टाइम	सरकारी वास के दखलकार अपने मकानों वाले अधिकारियों की संख्या
ए	118
बी	551
सी	619
डी	276
ई	86
ई-1	28
ई-2	13
ई-3	3
होस्टल	27

बिहार के कोसी कमांड क्षेत्र में रेत गाद

137. **श्री जमीलुर्रहमान** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के कोसी कमांड क्षेत्र में रेत गाद की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : पूर्वी और पश्चिमी कोसी नहरों तथा उनके शीर्ष नियोजकों से मोटी बालू बाहर निकालने के लिए, मुख्य कोसी बराज के साथ-साथ गाद निष्कासकों (सिल्ट इक्सक्लूडरस का निर्माण किया गया था । गाद और आगे जमा न होने पाए, इसके लिए पश्चिमी कोसी नहर के संरक्षण के साथ साथ 0.4 किलोमीटर पर गाद निकालने के लिए एक अतिरिक्त सिल्ट इजेक्टर की योजना बनाई जा रही है । केन्द्रीय जल

और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे के परामर्श से बिहार सरकार द्वारा सिल्ट इजेक्टर के माडल अध्ययन किए जा रहे हैं।

लेखन सामग्री के उपयोग के बारे में नियम

188. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मन्त्रीघ टिया किस्म की स्टेशनरी के बारेमें 24 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न सख्या 1169 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लेखन सामग्री के उपयोग, कागजों मुद्रण सामग्री आदि के उपयोग में मितव्ययिता सम्बन्धी नियमों की प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : दिनांक 24 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1169 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित नियम लेखन सामग्री की प्रयोग एवं पूर्ति के लिए तथा नियम सरकारी प्रयोजन के लिए प्रशासनिक निर्देशन की प्रवृति के हैं न कि संसद के किसी अधिनियम के अन्तर्गत बराए गए सवैधिक नियम इस समय इनका संशोधन किया जा रहा है।

मकानों के नक्सों को मन्जूरी के लिए पेड़ लगाना —एक शर्त

139. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** क्या : निर्माणांऔर आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मकानों के नक्शों कीमन्जूरी के लिए न्यूनतम संख्या में पेड़ लगाने को एक शर्त बनाया गया है, इससे अधिक पेड़ लगाने में मदद मिलेगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे नियमों में शामिल करने के लिए सम्बद्ध नियमों में संशोधन करने का विचर है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) इस मामले की जांच की जा रही है और सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को शीघ्र ही मार्ग निर्देशन जारी करने का प्रस्ताव है।

"दूसरी दिल्ली" शीर्षक से टेलीवीजन कार्यक्रम

140. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'दूसरी दिल्ली' शीर्षक से 27 अगस्त, 1981 के दिल्ली के टेलीवीजन कार्यक्रम 'परिक्रमा' की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उनमें बताई गई कमियां दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

ससदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि त्रुटियों को ठीक करने और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। इस महानगर का तेजी से विकास करने के कारण भूमिगत सेवाओं की व्यवस्था करने, निर्माण कार्य करने और सड़कों को चौड़ा करने के लिए कई सड़कों को खोदना है। भारी यातायात के कारण सड़कों की टूट-फूट एक आम बात है। तथापि, जनता के लिए इन अस्थाई असुविधाओं को दूर करने के लिए समय-समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं।

नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया हैं कि दूरदर्शन कार्यक्रम में बताई गई कमियों को दूर करने के लिए टाउन हाल, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष सहित उनके पास पहले ही 12 विद्युत एवं सामान्य शिकायत केन्द्र हैं।

दिल्ली प्रशासन के लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि वे दिल्ली की प्रमुख सड़कों, राष्ट्रीय रोजगारो और वृहत योजना मार्गों से सम्बन्धित है ये सड़कें आमतौर से अच्छी हालत में हैं और उनके उचित रख-रखाव के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

समुद्री-कटाव रोकने के लिए कर्नाटक को सहायता

141. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार से राज्य में समुद्री कटाव को रोकने के लिए वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी गई है और इस प्रयोजन के लिये राज्य को कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) यदि कोई राशि मंजूर नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने, हाल में अनुरोध किया है कि दक्षिण केनरा जिले में समुद्र कटाव-रोधी कार्य के रूप में समुद्री दीवार का निर्माण करने के लिए 424.86 लाख रुपये की पूरी लागत की विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाये। परन्तु कोई विशेष सहायता स्वीकृत नहीं की गई है।

कर्नाटक में समुद्र कटाव की समस्या गम्भीर तथा राज्य सरकार की नियंत्रण क्षमता के बाहर प्रतीत नहीं होती। केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे को सलाह दी गई है कि राज्य जो भी तकनीकी सहायता चाहे, वे उसे प्रदान करें।

रोहिणी आवासीय कालोनी, दिल्ली का विकास

14. **श्री सज्जन कुमार** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही है रोहिणी आवासीय

कालोनी के विकास की मौजूदा स्थिति क्या है और कब तक वह पूरी तरह विकसित हो जाएगी ; और

(ख) इस कालोनी का शीघ्र विकास करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि रोहिणी आवासीय कालोनी के फेज । केवल निर्यास जलपूर्ति, नालियां, विद्युतीकरण आदि से सम्बन्धित विकास कार्य, पहले ही शुरू कर लिए गये हैं । सड़कों का निर्माण कार्य तथा प्लाटों के सीमांकन करने का कार्य पूरा होने वाला है ।

फेज 11 में जहां कि हाल ही में भूमि अर्जित की गई है, वहां विकास कार्य की योजना बनाई जा रही है ।

इस योजना के अन्तिम फेज तीन से संबंधित फेज अर्जन की कार्यवाही आरम्भ की जा रही है ।

सम्पूर्ण रोहिणी योजना का विकास पांच साल की अवधि के भीतर किये जाने की आशा है ।

दिल्ली अनधिकृत कालोनियां

143. **श्री सज्जन कुमार** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अभी भी ऐसी अनेक कालोनियां हैं जिनको स्वीकृत किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो 31 अक्तूबर, 1981 तक जो कालोनियां अनधिकृत थी उनके नाम तथा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन कालोनियों के क्या नाम हैं जिनको दिसम्बर, 1981 तक सरकार का स्वीकृत करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

[ग्रंत्रालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2909/81]

लोक सभा के दिनांक 23 नवम्बर 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 143 के उत्तर के सन्दर्भ में विवरण ।

(क) जी, हां ।

(ख) इन कालोनियों के नाम अनुलग्नक 'क' दिये गये हैं ।

(ग) दिल्ली नगर निगम का दिसम्बर, 1981 तक 40 कालोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव है जो कि अनुलग्नक 'ख' में उल्लिखित हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ऐसी कोई सूची नहीं बनाई है।

ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के अन्तर्गत जल निकासी के लिए प्रावधान

144. **श्री जैनुल बशर :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के अन्तर्गत जलनिकासी के लिए प्रावधान किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने गांवों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा चुका है ; और

(ग) शेष गांवों में यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता

कृषि आयोग मूल्य द्वारा सुझाया गया गेहूं का वसूली मूल्य

145. **श्री जैनुल बशर :**

प्रो० मधु दण्डवते : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि आयोग ने गेहूं की चालू फसल के लिए वसूली मूल्य के सम्बन्ध में अपनी भेद दी है,

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) कृषि मूल्य आयोग ने 1980-81 केलिए गेहूं की मूल्य नीति संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और गेहूं के लिए 142 रुपए प्रति क्विंटल के वसूली मूल्य की सिफारिश की है। गेहूं का उत्पादन तथा उपभोग करने वाले महत्वपूर्ण राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को उनकी राय जानने के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। राज्यों के विचार जानने तथा सम्बद्ध आर्थिक मन्त्रालयों से परामर्श करने के बाद सरकार द्वारा वसूली मूल्य के स्तर के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में विद्युत और सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में केन्द्रीय दल

146. **श्री जैनुल बशर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के किसी केन्द्रीय दल ने किसनों को विद्युत की उपलब्धता

सिंचाई सुविधा से सम्बन्धित समस्याओं तथा अन्य मामलों का मौके पर जाकर अध्ययन करने के लिये उत्तर प्रदेश का दौरा किया है,

(ख) दल के क्या निष्कर्ष रहे, और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) जी हां। रबी फसल की बुबाई के सिंचाई के लिए बिजली, डीजल तथा नहरी पानी की आपूर्ति की संवीक्षा करने तथा बीजों, उर्वरकों, कीटनाशी औषधियों आदि जैसे अन्य आदानों की उपलब्धता की संवीक्षा करने के लिये चार दलों जिनमें मन्त्रालय तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अधिकारी थे, ने अक्तूबर 1981 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आठ जिलों का दावा किया था।

(ख) दल के निष्कर्ष निम्न प्रकार थे :

(1) डीजल की उपलब्धता संतोषजनक थी।

(2) कृषि के लिये बिजली की आपूर्ति अपर्याप्त थी अर्थात प्रति दिन 6-8 घन्टे तक थी

(3) नहरों में पानी का बहाव भी पर्याप्त नहीं था।

(4) राज्य के अनेक नलकूप बेकार पड़े थे।

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई :

(1) *केन्द्रीय कृषि, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सिंचाई तथा नागरिक आपूर्ति मन्त्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को एक टैलेक्स संदेश भेज कर उनसे* निवेदन किया कि कृषि के लिए प्रतिदिन कम से कम 12 घन्टे के लिये बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।

(2) कृषि तथा सहकारिता विभाग के सचिव ने भी मुख्य सचिव तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के चेयरमेंन को टैलेक्स संदेश भेज कर उनसे निवेदन किया कि खरीफ की खड़ी फसलों की बर्बाद होने से बचाने के लिए सिंचाई सुविधा करने हेतु बिजली, डीजल तथा नहरी पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। रबी फसल की बुबाई के बारे में उनसे निदेदन किया गया कि 15 दिसम्बर, 1981 तक प्रतिदिन कम से कम 12 घन्टे के लिये बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।

(3) राज्य सरकार तथा सिंचाई मन्त्रालय, भारत सरकार से निवेदन किया गया कि नहरों में पानी का पर्याप्त बहाव सुनिश्चित किया जाये तथा नहरों की कटाई रोकने के लिये कदम उठाये जायें तथा पुलिस की कड़ी गश्त तैनात करके पानी के अनधिकृत उपयोग को रोका जाये।

(4) उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया कि वह राज्य, जिला के बेकार पड़े नल कूपों की शीघ्र मरम्मत करें ताकि उन्हें चालू किया जा सके।

(5) राज्य सरकार से निवेदन किया गया कि वह राज्य, जिला तथा ब्लाक स्तरों पर सप्ताह में कम से कम एक बार सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाए ताकि किसानों को बिजली, डीजल, नहरी पानी तथा उर्वरकों, बीजों, कीटनाशी औषधियों आदि जैसे अन्य आदानों की आपूर्ति का प्रभावी प्रबोधन किया जा सके।

भारतीय खेत मजदूर यूनियन के महासत्र में पारित प्रस्ताव

147. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय खेत मजदूर यूनियन का पांचवा महासत्र 16 अक्तूबर से 19 अक्तूबर तक विहार के एक प्रसिद्ध पर्यटन-स्थल राजगीर में हुआ था,

(ख) क्या इस सत्र में खेत मजदूरों और किसानों के जीवन स्तर के बारे में कुछ महत्व पूर्ण प्रस्ताव पारित किये गये थे,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को उसकी जानकारी है, और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) से (ग) कृषि मन्त्रालय को भारतीय कृषि श्रमिक संघ से उसके 16 से 19 अक्तूबर, 1981 तक राजगीर में हुए पांचवे अधिवेशन और कृषि श्रमिकों तथा किसानों के जीवन-स्तर के बारे में उसमें अपनाए गए संकल्पों के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

खरीफ फसल की वसूली

148. **श्री रामवतार शास्त्री** :

श्री ई० बालानन्दन :

श्री हरिहर सोरन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खरीफ फसल की वसूली के लिए कोई योजना तैयार की है।

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क), (ख) और (ग) : जी हां। इस योजना की मुख्य-मुख्य बात इस प्रकार हैं :

(1) धान का लाभाकारी समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।

(2) मूल्य समर्थन परिचालनों के माध्यम से वसूल की गई धान की मात्रा में तथा लेवी के जरिए चावल की मात्रा में यथा-सम्भव अधिकतम वृद्धि की जाएगी।

(3) धान उत्पादक प्रमुख राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अधिकतम वसूली से सम्बद्ध उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए धान अथवा चावल की बिक्री को रोकने विषयक प्रबन्धों को कड़ा कर दें।

(4) इन राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वे अपने राज्यों के बाहर धान भेजने पर प्रतिबन्ध लगाएं।

(5) लेवी की प्रणाली में सुधार किया गया है ताकि कमियों को दूर किया जा सके और केन्द्रीय पूल के लिए अधिक मात्रा उपलब्ध की जा सके।

उचित दर दुकान पर घटिया किस्म की चीनी

149. **श्री रामादतार शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अक्तूबर के "नवभारत टाइम्स" में "राशन की दुकानों पर सड़ी-गली चीनी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो समाचार की मुख्य-मुख्य बातें क्या थीं ; और

(ग) इस सड़ी-गली चीनी को सप्लाई करने के जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, सरकार के नोटिस में यह समाचार आया है।

(ख) इस समाचार में तथाकथित घटिया किस्म की चीनी, जो कि दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम के गोदामों में पड़ी थी, को दीपावली के त्यौहार के अवसर पर उचित दर की दुकानों के माध्यम से दिल्ली के खाद्य कार्डधारियों को 6.50 रुपये प्रति किलो की दर पर बेचने विषयक दिल्ली प्रशासन के निर्णय की आलोचना की गई थी। यह आरोप लगाया गया है कि यह चीनी पिछले वर्ष आयात की गई थी। और इसे मूलतः पिछले वर्ष चीनी की कमी की अवधि के दौरान 6.10 रुपये प्रति किलो की दर पर बेचने का विचार था लेकिन घटिया किस्म की चीनी होने के कारण इसे व्यापारियों ने नहीं उठाया था और यह चीनी निगम के गोदामों में सड़ रही है।

(ग) इस संबंध में दिल्ली प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था और उन्होंने बताया है कि इस चीनी का आयात नहीं किया गया था लेकिन इसे दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम द्वारा मार्च और अप्रैल, 1981 में उत्तर प्रदेश और तामिलनाडु की फैक्ट्रियों से खरीदा गया था ताकि मूल्य रेखा पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से कमी के समय

चीनी की निर्मुक्ति करने के लिए इसका बफर स्टाक तैयार किया जा सके। इस चीनी को भारतीय खाद्य निगम और तमिलनाडु नागरिक पूर्ति निगम के गोदामों में रखा गया था और यह चीनी न तो क्षतिग्रस्त थी और न ही घटिया किस्म की थी। इस वर्ष त्यौहार के मौसम के दौरान चीनी के मूल्य में वृद्धि होने की आशंका होने से दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम ने चीनी का स्टाक स्वैच्छिक आधार पर उचित दर की दुकानों को पेश किया था ताकि वे खाद्य कार्डधारियों को प्रारम्भ में 6.50 रुपये प्रति किलो की दर पर और बाजार में चल रहे मूल्यों को दृष्टि में रखते हुए बाद में 6.35 रुपये प्रति किलो की दर पर बेच सकें। तथापि उचित दर की दुकानों द्वारा स्टाक का उठान आशानुसार नहीं हुआ था। ऐसा जिस मूल्य पर चीनी पेश की गई थी, उसके कारण था और न कि चीनी की किस्म के कारण था।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए तथ्यों की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता था।

बाढ़ से प्रभावित राज्यों के लिए अध्ययन दल

150. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्यों को इस वर्ष बरसात के मौसम में भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो उससे हुए नुकसान का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार ने नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए इन राज्यों को कोई अध्ययन दल भेजे थे ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है, जहां ये अध्ययन दल भेजे गए थे ; और

(ड़) अध्ययन दलों द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि तथा ग्रामीण और पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामी नाथन) : (क) प्राप्त हुई सूचना के अनुसार असम, बिहार, कर्नाटक केरल, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्य विभिन्न मात्रा में बाढ़ों से प्रभावित हुए।

(ख) बाढ़ों से हुई क्षति के बारे में राज्यों से प्राप्त हुई सूचना का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) : राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्रीय दल द्वारा जिन बाढ़ ग्रस्त राज्य का दौरा किया गया वे निम्नलिखित हैं :—

राज्य		दौरे की तारीख
उत्तर प्रदेश	पहला दौरा	21 से 23 अगस्त, 1981 तक
	दूसरा दौरा	20 से 22 नवम्बर, 1981 तक
राजस्थान		31 अगस्त से 3 सितम्बर, 1981 तक
केरल		26 सितम्बर से 29 सितम्बर, 1981

विवरण

31 अक्तूबर 1980 को राज्य सरकारों केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ से हुई हानियों का विवरण

राज्य का नाम	प्रभावित जिलों की कुल संख्या	प्रभावित जनसंख्या लाख में	प्रभावित क्षेत्र	सस्यगत लाख हेक्टार में	क्षतिग्रस्त मकानों झोंपड़ितों की संख्या	मृत जानवरों की संख्या	मृत मानवों की संख्या	सार्वजनिक सुविधाओं की हुई क्षति अनुमानित मूल्य लाख रू० में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. असम	13/9	12.13	3.35	0.67	8777	548	21	2.10
2. बिहार	31/21	68.72	12.61	7.69	72759	11	18	265.10
3. कर्नाटक	19/6	3.01	0.45	0.45	10008	4208	78	874.84
4. केरल	12/12	38.53	0.64	0.64	16908	14	91	3186.37
5. उड़ीसा	13/7	1.54	0.88	0.30	1728	177	15	230.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	राजस्थान	26/10	7.89	3.85	2.48	72911	33430	143+ 228 लापता	1365.65
7.	उत्तर प्रदेश	57/33	146.23	29.90	16.33	242193	1356	426	1171950.
8.	पश्चिम बंगाल	17/9	9.90	1.07	0,40	19897	1	2	15.05
	योग	188/110	287·95	52.75	28.96	445181	39745	794+ 258(लापता)	17658.61

बिहार और केरल की राज्य सरकारों से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं और राज्य सरकारों ने ज्ञापन भी भेजे हैं तथा मामला विचाराधीन है।

(ङ) केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों तथा उस पर उच्चस्तरीय राहत समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1981-82 के दौरान बाढ़ राहत उपायों के लिए उत्तर प्रदेश को 3589.40 लाख रु० तथा राजस्थान को 4505.60 लाख रु० के अधिकतम व्यय की स्वीकृति दी है। केरल में बाढ़ सम्बन्धी केन्द्रीय दल ने बाढ़ राहत उपायों के लिए 842.72 लाख रू० के व्यय की अधिकतम राशि की सिफारिश की है। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर उच्चस्तरीय समिति द्वारा विचार किया गया है तथा संस्वीकृति जारी करने के लिए आगे कार्यवाही की जा रही है।

केरल में मबूर ग्वालियर रेयन्स से छोड़े जाने वाले उच्छिष्ट पदार्थ से उत्पन्न प्रदूषण

151. **श्री वी० एस० विजय राघवन :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि केरल में मबूर ग्वालियर रेयन्स के छोड़े जाने वाले अत्यधिक जहरीले उच्छिष्ट पदार्थ से उस क्षेत्र में फसलें नष्ट हो रही हैं और खतरनाक स्थिति तक प्रदूषित हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो केरल में प्रदूषण सम्बन्धी विनियमों को सख्ती से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में रक्षित वन की कटाई

152. **श्री वी० एस० विजय राघवन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में चलियर नदी के उद्गम पर स्थित 1600 हेक्टेयर क्षेत्रफल के रक्षित बन की केन्द्रीय निदेश का उल्लघंन करते हुए कटाई की जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस रक्षित वन की कटाई को रोकने के लिये तथा केरल में महत्वपूर्ण वनों के संरक्षण के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वमी नाथन) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश की खरीफ की फसल को हुई क्षति के लिए राहत

153. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के लोगों की ओर से राहत प्रदान करने के बारे

में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है क्योंकि इस वर्ष बरसात के मौसम में पर्याप्त वर्षा होने के कारण हिमाचल प्रदेश में खरीफ की फसल को भारी नुकसान हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस अनुरोध पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और राहत उपायों को कब तक कार्यान्वियन किए जाने की आशा है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूखे के कारण 1981 में खरीफ की फसल को हुई क्षति के सम्बन्ध में एक ज्ञापन भेजा है जिसमें क्षति की मात्रा का मौके पर जायजा लेने तथा स्थिति से निपटाने के लिए धनराशि की आवश्यकताओं का निर्धारण करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा दौरा करने के लिए अनुरोध किया है। एक केन्द्रीय दल बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश भेजा जाएगा, केन्द्रीय दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर केन्द्रीय सहायता मन्जूर की जाएगी।

हमीरपुर जिले में बराचौरू पेय जल सप्लाई योजना

154. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री हमीरपुर जिले में बराचोरू पेय जल सप्लाई योजना के बारे में 17 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न सं० 122 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में बराचोरू पेय जल सप्लाई योजना की स्वीकृति से सम्बन्धित नवीनतम स्थिति क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : हिमाचल प्रदेश की जिला हमीरपुर की 14,10,250 रुपये की अनुमानित लागत की बराचोरू, पेय जल पूर्ति योजना को इस मन्त्रालय द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित कर दिया गया है।

कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए गन्ने के मूल्य

155. **श्री एम रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने इस फसल से गन्ने के 15,50 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य की सिफारिश की है ;

(ख) क्या सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) गन्ने का मूल्य 13.00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सरकार ने गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8,5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 13 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। रिकवरी में उस स्तर से प्रत्येक 0,1 प्रतिशत की वृद्धि पर मूल्य में आनुपातिक वृद्धि देने की व्यवस्था है जबकि कृषि मूल्य आयोग ने 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 15/-रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम मूल्य की सिफारिश की थी।

(ग) और (घ) सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि निर्धारित न्यूनतम मूल्य एक पर्याप्त समर्थन मूल्य है ; इसके अलावा क्योंकि गन्ने का सांविधिक न्यूनतम लेवी चीनी के मूल्य से सम्बद्ध है इसलिए गन्ने के मूल्य में वृद्धि करने से लेवी चीनी के मूल्य में वृद्धि करनी होगी और उपभोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तथापि मिलों द्वारा दिया गया वास्तविक मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से भिन्न है।

चीनी मिलों के लिए लेवी वाली और खुले बाजार में जाने वाली चीनी का निरधारण

156. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी मिलों के लिए लेवी वाली और खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी की मात्रा का निर्धारण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) इस समय लेवी और खुली बिक्री चीनी का अनुपात 65.35 है और चीनी की मासिक निर्मुक्ति करने के समय इस अनुपात के आधार पर प्रत्येक मिल की लेवी और खुली बिक्री की चीनी का हिसाब लगाया जाता है।

एशियाई ओर इन्डोर स्टेडियम

157. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :

डा० ए० आजमी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई खेल इन्डोर स्टेडियम स्थलों पर विभिन्न परियोजनाओं का काम निर्धारित समय से पीछे है ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य इस समय किस चरण में चल रहा है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के काम को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इन्दोर स्टेडियम के निर्माण कार्य की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ताकि यह परियोजना एशियाई खेलों के आरम्भ होने से पूर्व ही पूरी हो सके।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

158. **श्री हरीश कुमार गंगवार** :

श्री चतुर्भुज : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 सितम्बर, 1981 के 'इन्डियन एक्सप्रेस' में 'सिजिशन आन नेशनल कैपिटल रीजन अर्जेड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाही का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली पर दबाव को कम करने तथा इस क्षेत्र के सन्तुलित विकास को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना और विकास की आवश्यकता से अवगत हैं। पड़ोसी राज्य-उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा में आस-पास के कस्बों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता देने के लिए छठी योजना में 10 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली में भारत सरकार के नये कार्यालयों के स्थान निर्धारण करने सम्बन्धी मामलों पर विचार करने के लिये निर्माण और आवास मन्त्रालय के ससिव की अध्यक्षता से में पहले ही एक उच्चस्तरीय समिति है। कड़ा नियन्त्रण लागू किया ज़ा रहा है और सामान्यता नये कार्यालयों को दिल्ली में स्थापित किये जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता।

दिल्ली की द्वितीय वृदत योजना जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें साइकिलों। स्कूटरों की भूमिका पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।

सरकारी आवास का आवंटन

159. **श्री हरीश कुमार** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी आवंटन वर्ष कब शुरू होगा और उसके लिए प्रार्थनापत्र कब मांगे जायेंगे ;

(ख) क्या टाईप-चार आवास के आवंटन के लिए पात्र अधिकारियों से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करने के बारे में निर्णय ले लिया गया है जैसा कि दिनांक 2 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1899 के उत्तर में बताया गया था ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या 700 रुपये के मूल वेतन के स्तर पर पहुंचने के बाद एक कर्मचारी टाईप-चार क्वार्टर के लिए आवेदन कर सकता है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क)

आगामी आवंटन वर्ष 1-1-1982 से आरम्भ होगा और आवेदन पत्र पहले ही मंगवाये जा चुके हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) आवेदन पत्र केवल उन्हीं कर्मचारियों से मांगे गये थे जिनकी परिलब्धियां 1-7-1978 को प्रति मास 700 रुपये या उससे अधिक थी।

(घ) किसी अधिकारी की मात्रता उसके द्वारा आवंटन वर्ष के लिए विशिष्ट तिथि को ली जाने वाली परिलब्धियों के आधार पर निश्चित की जाती है। वर्तमान आवंटन वर्ष के लिए निर्धारित तिथि 1-10-1981 निश्चित की गई है। जिन कर्मचारियों की परिलब्धियां 1-10-1981 को 700-999 रुपये प्रतिमाह की सीमा के अन्तर्गत थी उन अधिकारियों को ही टाइप-4 के वाय के लिए तदर्थ वर्ग के लिए नए आवंटन वर्ष में आवेदन करना है।

खाद्य तेल का आयात

160. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य तेल की कमी के कारण गत वर्ष तथा इस वर्ष किस्मवार कितनी कितनी मात्रा में और कितने कितने मूल्य के खाद्य तेलों का आयात किया गया और खाद्य तेलों के आयात को रोकने में सरकार कब तक समर्थ हो जाएगी तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ; और

(ख) तिल के तेल की बजाय तिल को आयात न करने के क्या कारण हैं ताकि उपभोक्ताओं को ताजा तेल मिल सके और खली पशुओं के खिलाने के काम आ सके ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बृजमोहन महन्तो) (क) : तेल वर्ष 1979-80 और 1980-81 (नम्बर अक्तूबर) के दौरान आयात किए गये खाद्य तेलों की किस्मवार मात्रा और उनका मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के अन्तिम उद्देश्य से, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तिलहनों का उत्पादन 1979-80 के 102.0 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 1984-85 तक 131.0 लाख मीटरी टन तक लाने का विचार है। छठी योजना में इस क्षेत्र से सम्बन्धित नीति की प्रमुख बात यह है कि अपेक्षाकृत नये तथा कम प्रयोग में लाये गये स्रोतों जैसे सोयाबीन, चावल की भूसी आदि से खाद्य तेलों का अधिकतम उत्पादन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, छठी योजना में बनस्पति तेलों विशेष रूप से वृक्ष तथा वन मूल के तिलहनों, के विकास के लिए 58.65 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

(ख) : सरकार की ओर से तिल के तेल का आयात नहीं किया जा रहा है इसलिए तिल के तेल के बजाय तिलों को आयात करने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

खाद्य तेलों के आयात के बारे में 23.11.81 को लोक सभा में श्री मूल चन्द डागा द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 160, के (क) भाग के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

मात्रा=लाख मीटरी टनों में

मूल्य=करोड़ रुपयों में

तेल वर्ष	आयात किये गये विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों की मात्रा							
	सोयाबीन तेल	कच्चा ताड़ का तेल	निर्विषभीकृत (न्यूट्रलाइजड) ताड़ का तेल	रेपसीड तेल	आर० वी० डी० ताड़ का तेल	आर० वी० डी० पामोलीन	योग	मूल्य
1979-80	5.88	0.82	—	1.28	0.90	2.61	11.49	617.0
1980-81	5.41	0.13	0.69	1.58	0.54	1.39	10·74	516.0

राजस्थान को गेहूं की सप्लाई

161. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान राजस्थान को कितनी बार, कौन-कौन सी तारीख को कितनी-कितनी मात्रा में गेहूं सप्लाई किया गया और राज्य द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में मांगा गया था ;

(ख) सप्लाई के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गये हैं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिम राजस्थान अकाल की चपेट में है, भविष्य में क्या मानदण्ड अपनाए जाएंगे ; और

(ग) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल की स्थिति बनी हुई है और क्या प्रत्येक परिवार को दो-ढाई किलोग्राम गेहूं दिया जाता है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राज्य को कितनी-कितनी बार गेहूं दी जानी है इस सम्बन्ध में कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये आवंटन पर निर्भर करते हुए भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों के स्टाक की निर्मुक्तियां नामितों को उस समय करता है जब कभी वे भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों से अनुरोध करते हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें जनवरी, 1981 से नवम्बर, 1981 तक राजस्थान राज्य सरकार की गेहूं की मांग, आवंटन और उनके द्वारा उठायी गई मात्रा का ब्यौरा दिया गया है। राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं की औसत मासिक निकासी 1979 और 1980 (जुलाई तक) क्रमश: केवल 3,000 मीटरी टन और 17,500 मीटरी टन थी जबकि औसत मासिक आवंटन क्रमश: 21,000 मीटरी टन और 54 000 मीटरी टन थी। केन्द्रीय पूल में गेहूं की समूची उपलब्धता और राजस्थान द्वारा कम मात्रा में गेहूं उठाने को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के लिये आवंटन की मात्रा को उनके उठान करने की मात्रा के करीब ला दिया गया है जैसा कि अन्य राज्यों के बारे में भी किया गया है।

(ख) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, अतीत में निकासी की प्रवृत्ति तथा अन्य संगत बातों के साथ-साथ बाजार में उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को गेहूं का आवंटन प्रत्येक मास के आधार पर किया जाता है।

(ग) 1979 से राज्य के कई एक जिलों में भिन्न-भिन्न परिमाण में सूखा पड़ा था। राज्य सरकार को जनवरी, 1981 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 6,000 मीटरी टन गेहूं आवंटित किया गया था। स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बाद के महीनों मे आवंटन की मात्रा में वृद्धि कर दी गई। नवम्बर, 1981 मास के लिए 20,000 मीटरी टन का आवंटन किया गया है। आन्तरिक वितरण करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

विवरण

1981 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोलर फ्लोर मिलों के लिए राजस्थान को उनकी गेहूं की मांग, उनको किए गए आवंटन और उसकी निकासी की मात्रा बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

मास	मांग		आवंटन		निकासी	
1981	सा. वि. प्र.	मिलें	सा. वि. प्र.	मिलें	सा. वि. प्र.	मिलें
जनवरी	60.0	15.0	6.0	2.0	5.1	1.3
फरवरी	60.0	15.0	10.0	2.0	5.8	1.4
मार्च	60.0	15.0	20.0	2.0	16.2	2.2
अप्रैल	60.0	15.0	20.0	2.0	4.8	1.3
मई	60.0	15.0	20.0	2.0	12.1	1.5
जून	60.0	15.0	15.0	2.0	16.0	1.4
जुलाई	60.0	15.0	15.0	2.0	18.5	1.3
अगस्त	60.0	15.0	18.0	2.0	17.2	2.5
सितम्बर	60.0	15.0	20.0	3.0*	13.3	1.8
अक्तूबर	60.0	15.0	20.0	2.0	13.2	1.7
नवम्बर	60.0	15.0	20.0	2.0	उपलब्ध नहीं	

*इसमें त्योहारों की 1,000 मी० टन की मात्रा शामिल है।

राजस्थान नहर का पूरा होना

162. **श्री मनफूलसिंह चौधरी :**

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या सिंचाई यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने हाल ही में राजस्थान नहर का सर्वेक्षण कराया था और इस परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता का पूरा आश्वासन दिया था और यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्योरा क्या है ; और

(ख) राजस्थान नहर का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और निर्धारित अवधि के अन्तर्गत इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं। परन्तु डा० एम० एस० स्वामीनाथन, सदस्य, योजना ने अक्तूबर, 1981 के प्रारम्भ में इस परियोजना का दौरा किया था और उनका विचार था कि यदि यह परियोजना छठी योजना में पूरी की जानी है तो अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी।

(ख) इस समय राजस्थान नहर के निर्माण-कार्य को 1985-86 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। तथापि, राज्य सरकार इस परियोजना के लिए अधिक धन नियत करने की संभावना की जांच कर रही है, ताकि निर्माण-कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके।

रत्नगिरि जिला मच्छलीमार लांच मालिक संघ

रत्नगिरि की मांगें

163. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को रत्नागिरि जिला मच्छलीमार लांच मालिक संघ, रत्नगिर से 25 अगस्त, 1981 को कोई ज्ञापन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो संघ की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तारीख 6.7.1981 तथा 22.8.1981 के दो ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

(ख) संघ से प्राप्त अभ्यावेदनों पर महाराष्ट्र सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

पहाड़ी क्षेत्रों से नगरों के लिए कृषि उत्पादों की ढुलाई

164 **श्री निहाल सिंह** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री पहाड़ी क्षेत्रों से कृषि उत्पादों की ढुलाई के बारे में, 24 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1160 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बारे में इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) असम, केरल तथा उत्तर प्रदेश से सूचना प्राप्त हो गई है तथा संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

असम : निजी परिवहन के अलावा, राज्य के दो पहाड़ी जिलों से शहरी बाजारों तक कृषि

उपज की ढुलाई के लिए दो ट्रक सुलभ किए गए हैं। मुख्य बाजारों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण भी किया है।

केरल : गिरिजन सेवा सहकारी सोसायटियों को लघु वन उपज को एकत्र करने का एकाधिकार दिया गया है। कुछ सहकारी सोसायटियों के पास उनके गोदामों तक की ढुलाई के लिए गाड़ियां हैं। गिरिजन सहकारी सोसायटी को एक शक्तिमान ट्रक भी दिया गया है। आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत सम्पर्क सड़कों तथा पगडंडियों का निर्माण भी किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश : उपज को बाजारों तक ढुलाई के लिए देहरादून जिले में 37.3 कि० मीटर लम्बी सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया गया है। देहरादून, विकासनगर तथा ऋषिकेश में बाजार यार्डों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। नैनीताल जिले में हलद्वानी में एक बाजार यार्ड का पहले ही निर्माण कर दिया गया है तथा 3 और बाजार यार्डों के निर्माण का प्रस्ताव है।

ओंकारेश्वर परियोजना

165. **श्री केयूर भूषण** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नर्मदा सागर परियोजना में निर्मित की जाने वाली ओंकारेश्वर परियोजना को छोड़ देने और धारदी में एक बांध का निर्माण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या महेश्वर बांध की ऊंचाई 15 फीट तक बढ़ाये जाने का भी एक प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश सरकार से ऐसे कोई प्रस्ताव केन्द्र में प्राप्त नहीं हुए।

(ग) प्रश्न नहीं उत्पन्न होते।

रावी-व्यास जल

166 **श्री रघुनंदन लाल भाटिया** :

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक रावी व्यास जल के बंटवारे से संबंधित विवाद को सुलझाने में कितनी प्राप्ति हुई है, और

(ख) मामले को अन्तिम रूप से निपटाने में कितना समय लगेगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) मामला उच्चतम न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत है। राज्यों द्वारा यह सूचित किया गया है कि

मामले को हल करने के प्रयत्नों में प्रगति हो रही है और इसलिए राज्यों ने उच्चतम न्यायालय से सुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध किया है।

राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया गया है लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।

सूखे के कारण खरीफ फसल को हुई क्षति

167. **श्री ए० के० राय :**

श्री राम बिलास पासवान : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष सूखे से प्रभावित हुए जिलों और राज्यों के नाम क्या हैं और उससे खरीफ फसल को अनुमानतः कितने रुपये का नुकसान हुआ ; विस्तृत तथ्य क्या है ;

(ख) इस वर्ष बाढ से प्रभावित हुए जिलों तथा राज्यों के नाम क्या है और उससे खरीफ की फसल को अनुमानतः कितने रुपए का नुकसान हुआ ; विस्तृत तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस वर्ष देश में सूखे और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) इस वर्ष के दौरान सूखे से प्रभावित हुए जिलों और राज्यों के नामों को दर्शाने वाला विवरण-1 और बाढ़ों से प्रभावित हुए जिलों एव राज्यों के नामों को दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2910/81]

इस वर्ष सूखे और बाढ़ से प्रभावित हुई खरीफ फसल के बारे में अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) इस वर्ष सूखे और बाढ़ की स्थितियों से निपटने के लिए उठाये गए कदमों का ब्योरा संलग्न विवरण-3 में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2910/81]

ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग

168. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रोद्योगिकी की सहायता से ग्रामीण पिछड़ेपन गरीबी पर काबू पाने तथा ग्रामीण जीवन के पुनर्निर्माण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ग्रामीण पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीय प्रयासों की निगरानी करने और उनके उपयोग के लिए इस समय क्या व्यवस्था विद्यमान है ;

(ख) क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग के बारे में कोई अध्ययन किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि ग्रामीण तथा पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क), (ख) (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ग्रामीण विकास तथा पुनर्निर्माण के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के परिणामों को उपयोग में लाने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद से रे सम्बद्ध राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, स्वेच्छित एजेंसियों तथा अन्य अनुसंधान निकायों सहित विभिन्न संगठनों के माध्यम से अनुसंधान योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रौद्योगिकी विकास का अनुसरण प्रौद्योगिकी के प्रसार से किया जाता है तथा इसे केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, स्वेच्छिक संगठनों और निजी उद्यमियों द्वारा उपयोग मे लाया जाता है। इस प्रक्रिया में भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम भी सहायता सुलभ करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी के त्वरित विकास पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु भारत सरकार ने हाल ही में ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के अधीन ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक परिषद के गठन का निर्णय लिया है। इस निकाय को मुख्य समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करना है ताकि प्रौद्योगिकी की समस्याओं को अनुसधान संस्थाओं को प्रस्तुत किया जा सके और सुधरी प्रौद्योगिकी का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों तक किया जा सके। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने भी अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के सदस्यों, भूमिहीन श्रमिकों तथा अन्य सम्बद्ध व्यवसायों के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु एक नयी योजना शुरू की गई है।

चीनी का आयात करने से हुई हानि

169. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आयातित चीनी की बिक्री से भारी घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना घाटा हुआ है; और

(ग) क्या चालू वर्ष के चीनी के मौसम में चीनी का उत्पादन 65 लाख टन होने जा रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) आयातित चीनी के अंश को टैंडरो द्वारा नीलामी कर खुले बाजार में बेचा गया था जबकि आयातित चीनी के अधिकांश भाग के बारे में राज्य व्यापार निगम को निर्देश दिये गए हैं कि वे इस चीनी को विभिन्न राज्य सरकारों/भारतीय खाद्य निगम को सुलभ करें ताकि नवम्बर, 1981 की लेवी सम्बन्धी तुरन्त आवश्यकता को पूरा किया जा सके और कई एक अन्य राज्यों के बारे में उनकी दिसम्बर, 1981 की लेवी सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। आयातित चीनी के बदले 1981-82 के लेवी चीनी के उत्पादन से चीनी सुलभ की

जाएगी ताकि देश के निर्यात विषयक वायदों को पूरा किया जा सके । क्योंकि इस सम्बन्ध में सौदे अभी भी तय होने की प्रक्रिया में है और अन्य सौदों के परिचालन सम्बन्धी लाभों के प्रति किन्हीं वाणिज्यिक सौदों में राज्य व्यापार निगम की परिचालन हानियों को सन्तुलित करना होगा विशेषतया चीनी का आयात करने और उसका लेवी चीनी के रूप में वितरण करने विषयक वित्तीय जटिलताओं को उक्त मात्राओं के स्थान पर लेवी चीनी सुलभ करने तथा उस समय चल रहे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर बाद में निर्यात करने विषयक वित्तीय जटिलताओं के साथ सन्तुलन करना होगा, इसलिए फिलहाल केन्द्रीय सरकार को जो हानि/लाभ होगा उसके बारे में ठीक-ठीक राशि बताना संभव नहीं होगा ।

(ग) इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि गन्ने का उत्पादन लगभग 1800 लाख मीटरी होने का अनुमान है, आशा है कि चीनी वर्ष 1981-82 में 65-67 लाख मीटरी टन के बीच चीनी का उत्पादन होगा।

खराब किस्म के चावल की वसूली

170. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्य एजेंसियों के माध्यम से भारी मात्रा में वसूल किया गया चावल टूटा हुआ और खराब किस्म का था जिससे निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करना कठिन हो गया ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणाम स्वरूप निर्यात प्रतिबद्धताओं पर किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा खराब किस्म के चावल की वसूली करने के बारे में सरकार ने कोई जांच कराई है ; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रक्रिया क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान विनिर्दिष्टियों के अनुसार ही केन्द्रीय पूल के लिए उचित औसत किस्म का स्टाक खरीदता है और वही स्टैंडर्ड अन्य एजेन्सियों से स्टाक लेते समय प्रयोग में लाया जाता है बशर्ते कि वे स्टाक केन्द्रीय पूल के लिए पेश किए जाते हों । अतः घटिया किस्म के चावल की भारी मात्रा की वसूली, जिससे निर्यात संबंधी वायदों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जहां तक चावल निर्यात करने का सम्बन्ध है, निर्यात संबंधी वायदों को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं अनुभव की जा रही है । चुनींदा स्टाक, जिनकी निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कड़ी विनिर्दिष्टियां हैं, से ठेका संबंधी दायित्वों/ विनिर्दिष्टियों के अनुसार चावल निर्यात किया जा रहा है ।

कीट नाशक दवाओं के प्रयोग से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरों के बारे में अध्ययन

171. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूरोप के विकसित देशों में कीट नाशक दवाओं के बढ़ते हुए प्रयोग को रोक दिया गया है और हमारे देश में कीट नाशक दवाओं से होने वाले कैंसर के मामलों में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन घातक कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य खतरों और इन रसायनों के प्रभाव में आने वाले कृषि मजदूरों को कैंसर रोग होने के खतरे के बारे में कोई अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और इन मामलों में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन):

(क) सरकार के ध्यान में इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली के लिए दूसरा मास्टर प्लान

172. **श्री राजेश कुमार सिंह**: क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगरीय कला आयोग ने राजधानी में बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए दिल्ली के लिए द्वितीय मास्टर प्लान के निर्माण के बारे में कई विचार व्यक्त किये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) दिल्ली नगर कला आयोग के विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में लाए गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नई योजना बनाते समय इनको ध्याय में रखा जाएगा।

विवरण

दिल्ली नगर कला आयोग की पांचवीं रिपोर्ट से लिया गया विवरण

मई,1980-अप्रैल, 1981

(1) द्वितीय बृहत्त योजना

यह देखा गया था कि द्वितीय वृहत योजना में सम्मिलित किये जाने वाले कार्यक्रमों को

तैयार करने एवं उद्देश्यों का पता करने की प्रतिक्रिया में दिल्ली विकास प्राधिकरण पहले ही काफी आगे बढ़ गया था ।

यह बताया गया था कि दिल्ली की वृहत योजना में दिल्ली से परिवहन के कतिपय साधनों के हटाने की योजना है और विशिष्ट रूप से पशुओं से खीचे जाने वाले वाहनों की । इस योजना में प्राथमिक रूप में मोटर कारों पर ही बल दिया गया है । यहां तक साइकिल को भी जो कि दिल्ली में 1960 की पूर्व दशाद्वियों से परिवहन का एक मुख्य साधन रहा है उसे द्वितीय वृहत योजना में दूसरे स्थान पर रखा गया है । सिटी बस से दूसरे नम्बर पर एक साइकिल तथा स्कूटर परिवहन के दो मुख्य घटक बन गये हैं । इन्हें दिल्ली की द्वितीय वृहत योजना परिवहन योजना में समुचित स्थान दिया जाना चाहिये । साइकिल ट्रेकों तथा स्कूटर लेनों को भी अग्रता दी जानी चाहिये । किसी भी तरह इसके लिए कोई भी पद्धति अपनाई जाय उचित क्षेत्र अध्ययन द्वारा इसे तैयार किया जाए ।

यह माना गया था 1961-81 की वृहत योजना मूल रूप से एक भू-उपयोग योजना थी। नगर विकास के किसी रूप में त्रिमितीय अध्ययनों की इस भूमिका की उपेक्षा केवल सिटी स्केप के विकृत होने के खतरे पर की जा सकेगी ।

इस पर जोर दिया गया था कि द्वितीय योजना अभ्यास के अंग के रूप में स्थानिक योजनाओं के साथ अवश्य ही तृपक्षीय अध्ययन किए जाए ।

दूसरा पहलु जिस पर जोर दिया गया था वह पर्यावरणीय तथ्य था । दिल्ली में जीवन की पर्यावरणीय गुणावतायें तेजी से बिगड़ती जा रही हैं । जब तक कि न केवल वर्तमान पर्यावरण को बनाये रखने हेतु उसके सुधार के लिए भी पर्यावरणीय अध्ययन तथा विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं तो इस शताब्दी के अन्त तक रहने के लिए दिल्ली वास्तव में एक बेकार जगह हो जाएगी ।

चर्चा के दौरान एक बात यह भी उठाई गई थी कि उर्जा संकट को मद्दे नजर रखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण को नगर विकास की अपनी उच्च नीति पर फिर से विचार करना पड़ेगा । सम्भवत: केन्द्रीय क्षेत्रों में ऊंची-ऊंची इमारतें अनिवार्य हो सकती हैं परन्तु शहर के सम्पूर्ण विकास में उनके अन्शदान का पुनर्मूल्यांकन करना पडेगा ।

शालीमार बाग, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के त्रुटिपूर्ण फ्लैट

173. **श्री राजेश कुमार सिंह**

श्री जगपाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शालीमार बाग के ब्लाक 'ए' की मार्किट 'एल' में बने फ्लैटों के आवंटियों को ऐसे फ्लैट

का कब्जा लेने के लिए कहा जा रहा है जिनमें न केवल आधारभूत सुविधाओं का अभाव है अपितु जिनमें निर्माण संबंधी कमियां भी हैं।

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वे आवंटी, जिन्होंने फ्लैटों का कब्जा ले लिया है ; दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन त्रुटियों को दूर कराए जाने में भारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, और

(ग) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तब तक फ्लैटों को आवंटन न किया जाए जब तक कि आधारभूत सुविधाएं नहीं प्रदान की जातीं और आवंटियों को होने वाली परेशानियों से बचने के लिए निर्माण सम्बन्धी कमियों को दूर नहीं कर दिया जाता ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि शालीमार बाग के मार्किट "एन" ब्लाक "ए" में मकान सभी प्रकार से तैयार है तथा अनुमोदित डिजाइनों के अनुसार सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है, छोटी खराबियां यदि कोई ध्यान में आती है, तो उन्हें तुरन्त ठीक कर दिया जाता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आवंटियों की शिकायतों को तुरन्त दूर किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

धान का वसूली मूल्य

174. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री एन० ई० होरो :

श्री अर्जुन सेठी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने धान के लिए निर्धारित वसूली मूल्य से अधिक मूल्य न देने के लिए राज्यों को निर्देश दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो चालू खरीफ मूल्यों के बारे में क्या ब्योरा है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) खरीफ मौसम 1981-82 के लिए धान के अधिसूचित वसूली मूल्य इस प्रकार हैं :

धान	रुपये प्रति क्विंटल
कामान किस्म	रू० 115/-
बढ़िया किस्म	रु० 119/-
बहुत बढ़िया किस्म	रु० 123/-
मोटे अनाज	
ज्वार, बाजार, मक्का और रागी	रु० 116/-

दिल्ली विकास प्राधिकरण का निर्माण कार्यक्रम

175. **श्री राम विलास पासवान** : क्या निर्माण और आवासमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान लक्ष्य की तुलना में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले फ्लैटों, मकानों के निर्माण और भूमि के विकास की वार्षिक दर क्या रही है,

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण आवास समस्या को हल करने और राजधानी में भूमि के बढ़ते हुए मूल्यों को नियन्त्रित करने में किस सीमा तक सफल रहा है; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्य निष्पादन को देखते हुए सरकार इसे दिल्ली की आवास समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त समझती है, यदि पर्याप्त नहीं समझती तो इसकी खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है,

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली में पूर्वनिर्मित फ्लैटों का आवंटन

176. **श्री रामविलास पासवान** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में पूर्वनिर्मित बहु-मंजिले फ्लैटों के प्रत्येक आवेदकों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के आवंटन के लिए मांगी की गई 24300 रुपये की धन राशि का भुगतान कर दिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि बाद में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवंटियों को सूचित किया था कि फ्लैट की लागत 22,800 रुपये (2300 रुपया भूमि का मूल्य तथा 20,500 रुपये निर्मित ढांचे का मूल्य) थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवंटियों को बकाया फालतू राशि का अब तक वापस भुगतान नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और संबंधित आवंटियों को शीघ्र ही ही बकाया फालतू राशि का वापस भुगतान शीघ्र कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का किचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आयातित चीनी की बिक्री

177. श्री बी० वी० देसाई : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1.10 करोड़ रुपयों के मूल्य की 21,465 टन चीनी आयात की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि चीनी की "उतरने पर लागत" लगभग 5.200 से 5,300 रुपये थी ;

(ग) क्या सरकार को व्यापारियों की ओर से "लेण्डिड कास्ट" से अधिक की बोलियां नहीं मिलीं तथा बाद मे कम बोली को स्वीकार करना पड़ा ;

(घ) क्या व्यापारियों ने सरकार द्वारा प्रस्तावित मूल्यों को अस्वीकार कर दिया ;

(ङ) क्या बाद में सरकार को कम मूल्य पर बेचना पड़ा जिससे भारी घाटा हुआ ;

(च) यदि हां, तो इससे कुल कितना घाटा हुआ ; और

(छ) क्या सरकार का विचार इस चीनी को उचित दर दुकानों पर खुले बाजार में वर्तमान मूल्य अर्थात 6.50 रुपये प्रति कि० ग्रा० पर बेचने का था ?

कृषि तथा ग्रामीण पुर्ननिर्माण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क जी नहीं ।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा निकाली गई लागत के अनुसार आयातित चीनी की अतरान लागत 5,200 रुपये प्रति मीटरी टन बैठी थी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) और (च) आयातित चीनी के एक भाग को टैण्डरों द्वारा नीलाम कर खुले बाजार में बेचा गया है जबकि अधिकांश आयातित चीनी को विभिन्न राज्य सरकारों/भारतीय खाद्य निगम को देने के आदेश दिए गए हैं ताकि नवम्बर और दिसम्बर, 1981 की लेवी सम्बन्धी

आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। आयातित चीनी का अभी तक निपटान नहीं हुआ है और इसका निपटान करने का कार्य जारी है और राज्य व्यापार निगम/भारत सरकार को इस समस्त आयातित चीनी इसके लेवी चीनी के रूप में वितरण करने तथा भारत के निर्यात विषयक वायदों को पूरा करने के लिए 1981-82 की लेवी चीनी सुलभ कर आयातित चीनी के बदले चीनी का बाद में निर्यात की सम्भावना होने के कारण कितना लाभ/हानि होगी इसका हिसाब लगाना फिल-हाल सम्भव नहीं है।

(छ) जी नहीं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की विफलता

178. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री रशीद मसूद :

श्री गुलाम रसूल कांचक :

श्री जगपाल सिंह : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की स्थिति डांवाडोल है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम को सभी राज्यों में अभी आरम्भ किया जाना है जिनमें से कुछ राज्यों ने इसके लिये बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है ;

(ग) क्या आधा वर्ष बीत गया है किन्तु केन्द्र तथा राज्य दोनों के दृष्टिकोण में अनिश्चिता के कारण यह कार्यक्रम डांवाडोल स्थिति में है ;

(घ) क्या उनके मन्त्रालय ने राज्यों से यह अनुरोध किया है कि प्रत्येक जिले अथवा ब्लाक के लिए काफी व्यापक पैमाने पर नियमित रूप से परियोजनाएं तैयार की जाएं जिससे आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए ग्रामीण समुदायों की प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा सके ;

(ङ) क्या राज्यों से यह कहा गया था कि सभी परियोजनाएं तैयार की जाएं तथा अक्तू-बर, 1981 के अन्त तक मन्त्रालय को भेज दी जाएं ;

(च) यदि हां, तो कितने राज्यों ने ये परियोजनाएं भेजी हैं ; और

(छ) इनकी क्रियान्विति के लिए राज्यों को सहायता देने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम डांवाडोल स्थिति में नहीं है। अधिकांश राज्यों ने अपने बजटों में निधियों के आवश्यक प्रावधान किए हैं। उनमें से ऐसे कुछ राज्य जिन्होंने वर्ष के आरम्भ में ऐसा नहीं किया था, अब पुनर्विनियोजन। पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों की व्यवस्था

कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के बारे में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के दृष्टिकोण में कोई अनिश्चितता नहीं है, और इसे वर्ष के आरम्भ से ही कार्यान्वित किया जाता रहा है।

(घ) जी हां।

(ङ) तथा (च) केवल तैयार की गई परियोजनाओं के नमूने ही केन्द्रीय सरकार को भेजे जाने हैं। अब तक, 5 राज्यों ने अपने द्वारा तैयार की गई योजनाओं के नमूने भेजे हैं।

(छ) केन्द्रीय सरकार के अधिकारी इस कार्यक्रम को उपयुक्त ढंग से कार्यान्वित कराने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करने हेतु राज्यों का दौरा कर रहे हैं।

उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा

179. **श्री बी० वी० देसाई**: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना 1981-82 में रबी की फसल को अधिक उर्वरक के द्वारा खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने का है ;

(ख) क्या कुछ राज्यों को आने वाली फसलों के लिए अधिक उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने का अनुरोध किया गया है ; भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कि वे उन्हें उर्वरक वितरण एजेंसियों और किसानों के लिए सुविधाएं बढ़ाएं और ब्याज की दर भी कम करें ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उर्वरक उत्पादन में वृद्धि के लिए केन्द्र ने पहले से ही कार्यवाही शुरू कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाई जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) जी, हां।

(ख) राज्यों को उर्वरकों की खपत बढ़ाने और खपत के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक से वितरण एजेंसियों और किसानों के लिए ऋण सुविधाएं बढ़ाने के साथ-साथ व्यापार में भी कमी करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) उर्वरक संयंत्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए नियमित आधार पर अनेक उपाय किए जा रहे हैं जैसे संयंत्र परिचालन सम्बन्धी सुधार कार्यक्रमों को चलाना, विद्युत उत्पादन सम्बन्धी सुविधा के लिए उपयुक्त संयंत्र लगाना और संतुलन बनाये रखने के लिए अतिरिक्त उपकरण सुलभ कराना। 1981-82 में उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पहले से ही कदम उठाए गये हैं ताकि उर्वरक संयंत्रों के लिए मूल सामग्री और आदानों की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके।

इसके परिणामस्वरूप 1981-82 की पहली छमाही (अप्रैल से सितम्बर तक) में उर्वरकों

के उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के मामले में 63.5 प्रतिशत और फास्फेटयुक्त उर्वरकों के मामले में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कृषि विभाग को 27.9.1981 को हुई क्षेत्रीय बैठक

180. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981-82 के दौरान कृषि विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रमों पर चर्चा के लिए 27 सितम्बर, 1981 को दो दिन की क्षेत्रीय बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि विभाग द्वारा चालू कृषि वर्ष के दौरान होने वाली प्रस्तावित बैठकों की शृंखला की यह प्रथम बैठक थी ;

(ग) यदि हां, तो बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय लिए गए ;

(घ) क्या यह महसूस किया गया कि भाखड़ा जैसी सिंचाई परियोजनाओं द्वारा जारी किए गए पानी को समसामयिक बनाने के लिए भाखड़ा-ब्यास प्रबंध बोर्ड से सम्बद्ध राज्यों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने की सिफारिश की गई ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि बीज और उर्वरकों जैसे आदानों के स्तर की जांच के लिए राज्यों से उर्वरक, कीटनाशक और बीज की जांच की उपलब्ध प्रयोगशालाओं का सम्पूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया गया था ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1981-82 के दौरान पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को कारगर ढंग में क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार विमर्श करने हेतु 26 तथा 27 सितम्बर, 1981 को नई दिल्ली में एक दो दिवसीय क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) इस क्षेत्रीय बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई : (1) खरीफ फसल की स्थिति की समीक्षा, (2) रबी उत्पादन नीति 1981-82, (3) बागवानी, (4) बीज, (5) उर्वरक तथा बायो गैस विकास, (6) वनस्पति रक्षण तथा गुण नियंत्रण, (7) कृषि विस्तार प्रतिक्षण (8) कृषि ऋण (9) पशु पालन एवं डेरी विकास (10) मात्स्यकी (11) सामाजिक वानिकी तथा वन्य प्राणी संरक्षण सहित वानिकी तथा मृदा तथा जल संरक्षण, और (12) सहकारिता क्षेत्रीय बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय तथा की गई सिफारिशें अनुबंध में दे दी गई हैं।

(घ) जी हां। यह सिफारिश की गई थी कि आगामी रबी मौसम के लिए सिंचा के पानी के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की वास्तविक जरूरत भाखड़ा-ब्यास प्रबंध बोर्ड को समय से काफी पहले भेज दी जानी चाहिए तथा इस बोर्ड में हर संबंधित राज्य के कृषि विभाग के प्रतिनिधि शामिल किये जाने चाहिये ताकि कृषि कार्यों के लिए नहर में छोड़े जाने वाले पानी से सम्बन्धित निर्णय लेने में उनको पूर्ण रूप से शामिल किया जा सके।

(ङ) जी हां।

विवरण

26 तथा 27 सितम्बर, 1981 को नई दिल्ली में हुई क्षेत्रीय बैठक में किये गये महत्वपूर्ण निर्णय तथा सिफारिशें ।

क्षेत्रीय बैठक में विचार विमर्श का मुख्य मुद्दा चालू रबी मौसम के दौरान पूरक रबी उत्पादन अभियान को तेज करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना था । कार्यक्रम के मुख्य बिन्दु ये थे :- समय पर बुवाई करना, आदानों की पर्याप्त सप्लाई करना, उपलब्ध जल स्रोतों का भरपूर उपयोग करना, अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाना, समेकित कृमिनाशी प्रबंध एवं सतर्कता, नहरों में समय पर पानी छोड़ना, कृषकों को मौके पर ऋण स्वीकार करना तथा उसे वितरित करने के लिए आदान एवं ऋण सप्लाई मेलों का आयोजन करना, तोरिया तथा सरसों की अलग से खेती करना तथा अधिकारियों को सौंपे गए लक्ष्य प्राप्त करने अथवा उसमें वृद्धि करने के उनके कार्य निष्पादन के लिए उन्हें उपयुक्त वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की पेशकश करना । विभिन्न फसलों के लिए अपेक्षित पानी के बराबर नहरों में पानी छोड़ने के लिए पंजाब तथा हरियाणा सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे आगामी रबी मौसम की सिंचाई के लिए पानी की अपनी वास्तविक जरूरतों को समय से काफी पहले भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड को भेज दें । यह सिफारिश की गई थी कि भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड में प्रत्येक सम्बन्धित राज्यों के कृषि विभाग के एक एक प्रतिनिधि शामिल किए जाए ताकि कृषि कार्यों हेतु नहरों में पानी छोड़ने से सम्बन्धित निर्णय लेने में उनको पूरी तरह से शामिल किया जा सके ।

बैठक में की गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित की :-

(1) बीज उत्पादन, संवर्धन तथा वितरण के समुचित नियोजन की आवश्यकता पर जोर दिया गया ।

(2) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से उर्वरकों की खपत में वृद्धि करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए जहां अधिक उर्वरकों की खपत की संभावनाएं हैं, लेकिन इस समय उनकी कम खपत हो रही है । पजाब तथा हरियाणा की मृदा में जिंक की कमी की समस्या को क्रमबद्ध रूप से हल किया जाना चाहिए । और कृषकों को उपयुक्त गुण वाला जिंक सल्फेट सप्लाई किया जाना चाहिए । विद्यमान उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं की प्रतिस्थापित क्षमता का राज्य सरकारों द्वारा पूर्णरूप से उपयोग किया जाना चाहिए ।

(3) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे बायो गैस विकास संबंधी राष्ट्रीय परियोजना का पूरा लाभ उठाएं ।

(4) वनस्पति रक्षण के सम्बन्ध में, राज्य सरकारो से कहा गया कि वे अपने निगरानी सम्बन्धी प्रयासों को तेज करें तथा कृमिनाशियों के लिए गुण नियंत्रण सम्बन्धी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएं ।

(5) पंजाब और हरियाणा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे प्रशिक्षण व दौरा पद्धति के सम्बन्ध में अपनी विस्तार प्रणाली को पुनर्गठित करने व सुदृढ़ बनाने के प्रास्तावों पर शीघ्र कार्यवाही करें।

(6) कृषि ऋण के सम्बन्ध में बैठक में सिफ़ारिश की गई कि संस्थागत वित्त सम्बन्धी राज्य स्तरीय समिति द्वारा सहकारी ऋण की समीक्षा भी की जानी चाहिए ताकि कृषि व संबर्गी कार्यक्रमों के लिए कुल संस्थागत ऋण सहयोग की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे एकमात्र कृषि ऋण हेतु राज्य स्तरीय समिति की एक स्थायी समित का गठन करें जो कृषि क्षेत्र में विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए संस्थागत ऋण समर्थन का नियमित व आवधिक प्रबोधन करेगी।

(7) बागवानी के सम्बन्ध में बैठक में सिफारिश की गई कि पंजाब और हरियाणा को विपणन व परिसंस्करण अवसंरचना के विकास हेतु विशेष स्थान देना चाहिए। बागवानी विकास की योजना बनाने में आंकड़ों के स्रोतों की अपर्याप्तता को एक बड़े अन्तराल के रूप में पाया गया है। बैठक में सिफारिश की गई कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर में बागवानी सम्बन्धी संगणना की जानी चाहिए।

(8) पशुपालन के क्षेत्र में मास्टर प्लान के विकास पर बल दिया गया ताकि चरणबद्ध रूप में हिमित वीर्य की प्रौद्योगिकी को अपनाया जा सके। चुनींदा गोशालाओं को विदेशी डेरी नस्लों के साथ संकर प्रजनन कराना चाहिए। राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे विकासात्मक आवश्यकताओं की अच्छी तरह समीक्षा करें तथा चारा विकास कार्यक्रमों को तेज करने के लिए आवश्यक मानव शक्ति व धनराशि प्रदान करें।

(9) पंजाब सरकार से अनुरोध किया गया कि वह निजी डेरी उद्योग का विनियमन करे ताकि डेरी सहकारी समितियों के विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके। भारतीय डेरी निगम को जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में आपरेशन फ्लड -- 2 सदर्श योजना सम्बन्धी अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट शीघ्र भेजनी चाहिए।

(10) मात्स्यकी के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे मछुआ विकास एजेंसियों की स्थापना के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार कर उसे प्रस्तुत करें। उनसे यह भी कहा गया कि वे महसेर मछली, जो कि खतरे में पड़ी नस्ल है, को संरक्षण देने के प्रयासों को तेज करें। गोबिन्दसागर व पोंग जलास्यों में मत्स्य संसाधनों का उपयोग करने के लिए एक सहकारी संघ की स्थापना की जानी चाहिए। राज्य सरकारों को डिम्पोना की उपलब्धि में वृद्धि का पट्टा कम से कम 7 वर्ष की अवधि के लिए होना चाहिए।

(11) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने वनरोपण कार्यकलापों में वृद्धि करे। पंजाब और हरियाणा को अपने कृषि वानिकी कार्यक्रम को तेज करना चाहिए, चूंकि जल विज्ञान व गाद प्रबोधन मृदा संरक्षण का एक अभिन्न अंग है, अतः राज्यों से अनुरोध किया

गया कि वे गाद प्रबोधन के लिए प्रत्येक स्रवण क्षेत्र में कम से कम एक पनधारा का चुनाव करें।

(12) पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में भूमि उपयोग बोर्डों को क्रियाशील होना चाहिए।

(13) सहकारिता के क्षेत्र में यह सिफारिश की गई कि किराये के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले विद्यमान नियमनों में सहकारी समितियों द्वारा स्थापित किये जा रहे नये शीतागारो के पक्ष में पक्षमें छूट देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ को आखिरी मण्डियों में जम्मू और कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के सेवों के विपणन के लिए एक समेकित योजना तैयार करनी चाहिए तथा इस कार्य के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से सम्पर्क कर वित्तीय सहायता लेनी चाहिए। कृषि मन्त्रालय को उर्वरक ऋण पर वाणिज्यक बैंकों द्वारा लिये जाने वाले अधिक ब्याज को कम करने का प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाना चाहिए।

कोसी नियंत्रण बोर्ड

181. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 में तत्कालीन सिंचाई मन्त्री ने यह घोषणा की थी कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की समुचित क्रियान्विति के लिए केन्द्रीय सरकार, नेपाल सरकार तथा बिहार राज्य से एक एक प्रतिनिधि लेकर एक नियंत्रण बोर्ड गठित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उक्त गठन नियंत्रण बोर्ड के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं और उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या अब तक कोई नियंत्रण बोर्ड गठित कर दिया है ; यदि नहीं तो उसके गठन में बिलम्ब के क्या कारण हैं और उक्त परियोजना की क्रियान्विति की प्रगति पर कैसे निगाह रखी जा रही है ;

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में इसके लिये वर्षवार कितनी राशि का नियतन किया गया है तथा भौतिक रूप से क्या क्या लक्ष्य प्राप्त किये जाने हैं; और

(ङ) बिहार के क्षेत्रों में इस परियोजना पर खर्च सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है और कितना काम हो गया है ?

सिंचाई मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) 5-8-1980 को, तत्कालीन सिंचाई मन्त्री ने सदन को सूचित किया था कि केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री की अध्यक्षता में कोसी नियंत्रण बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव है जिसमें बिहार के मुख्य मन्त्री शामिल होगें। उस बोर्ड में नेपाल सरकार के किसी प्रतिनिधि को करने का प्रस्ताव नहीं किया गया था।

(ख) बिहार सरकार ऐसे बोर्ड के गठन पर सहमत नहीं हुई थी।

(ग) बिहार सरकार ने उनके द्वारा 1954 में पहले स्थापित किए गए कोसी नियंत्रण बोर्ड का अब पुनर्गठन किया है ।

(घ) छटी योजना के दौरान पश्चिमी कोसी नहर (बिहार भाग) के लिए नियत धनराशि का वर्ष वार ब्योरा निम्न प्रकार है :—

करोड़ रुपए

1. 1980-81 के दौरान हुआ व्यय	5.02
2. 1981-82 के लिए परिव्यय	10.00
3. 1982-83 के लिए परिव्यय	18.00
3. 1983-84 के लिए परिव्यय	25.00
5. 1984-85 के लिए परिव्यय	22.00

आर० डी० 0.00 और 36.00 आर० डी० (भारत नेपाल सीमा और भूताही बालान नदी के बीच) के बीच स्थिति मुख्त नहर का हिस्सा उसकी वितरण प्रणाली तथा ड्रेनेज वर्क मार्च, 1983 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है । इससे, जून, 1983 के अन्त तक लगभग 0.20 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित होगी ।

आर० डी० 36.00 और आर० डी० 131.0० (भूताही बालान और कमला नदियों के बीच) के बीच स्थित हिस्से को उसकी वितरण प्रणाली और ड्रेनेजवर्क सहित, जून, 1985 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है । इससे लगभग 0.58 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी ।

(ङ.) पश्चिमी कोसी नहर, बिहार पर 30 जून, 81 तक हुआ व्यय 27.51 करोड़ रुपये है । जहां तक वास्तविक उपलब्धियों का प्रश्न है, मुख्य नहर की 40 किलोमीटर लम्बाई का खुदाई कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें से 30 किलोमीटर लम्बाई का खुदाई कार्य 30.6 81 तक पूरा हो चुका था । तथापि, जून, 1981 तक हुए कार्य की प्रगति निम्न प्रकार है :—

I. मिट्टी कार्य	42.685 लाख एम3
2. लाइनिंग कार्य	13.460 लाख एम2
3· संरचनाएं	7 सख्या

बिहार में खरीफ की फसल सम्बन्धी संभावनायें,

182. **श्री हरीनाथ मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में आगामी खरीफ की फसल संबंधी संभावनाओं के बारे में कोई मूल्यांकन/गठना की गई है ; यदि हां, तो ये संभावनाएं क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य के एक बहुत बड़े भाग पर सूखे की स्थिति व्याप्त है और इस कारण खाद्य-पदार्थों के मूल्य बढ़ गये हैं तथा इस समय असाधारण रूप से ऊंचे हैं ; यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है ;

(ग) राज्य सरकार ने सितम्बर-अक्तूबर, 1981 के लिए कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का आवंटन करने को कहा था और उपरोक्त प्रत्येक माह में उसे वस्तुत. कितनी कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का आवंटन किया गया और उसका औचित्य क्या था ; और

(घ) खरीफ के फसल की खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य में खाद्य-भण्डार की कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनिनर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जुलाई में भारी वर्षा व बाढ़ों से खरीफ की फसल की हुई व्यापक क्षति के परिणामस्वरूप बिहार में खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में कम होने की सम्भावना है। हथिया के दौरान हुई वर्षा के परिणामस्वरूप शीतकालीन धान-मक्का व रागी की फसलों की सम्भावनायें काफी अच्छी हो गयी है।

(ख) मानसून से बाद के मौसम में अब तक (1 अक्तूबर से 11 नवम्बर, 1981) बिहार राज्य के दोनों उप-मंडली अर्थात बिहार के पठारी व मैदानी इलाकों में छुट-पुट वर्षा हुई।

देश के अन्य भागों की तरह बिहार में भी खाद्य-पदार्थों के मूल्य बढ़ गये हैं, लेकिन असाधारण रूप से नहीं।

(ग) और (घ) खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा राज्य सरकार को आवंटित की जा रही है। खाद्यान्नों की ढुलाई का निरन्तर रूप से प्रबोधन किया जा रहा है तथा आवश्यकता पड़ने पर उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं।

दिल्ली में गांधी जी की प्रतिमा लगाया जाना

183. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इण्डिया गेट पर छतरी के नीचे गांधी जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए किसी अन्तिम निर्णय पर पहुंची है, यदि हां, तो निर्णय कब लिया गया और वस्तुतत : कब तक प्रतिमा स्थापित कर दिए जाने की आशा है ; यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो इसके क्या कारण है ; और

(ख) इस परियोजना का प्रस्ताव कब किया गया था और उस परियोजना के कौन-कौन से पहलू अब तक विचाराधीन हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) : इस परियोजना का प्रस्ताव फरवरी 1966 में किया गया था। स्थल के बारे में, प्रतिमा

का रूप एवं आकार जैसे विभिन्न पहलू सरकार के विचाराधीन हैं। इस मामले पर अन्तिम निर्णय शीघ्र ले लिए जाने की आशा है।

आवश्यक वस्तुओं का मूल्य सूचांक

184. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री बापू साहेब परूलेकर : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अक्तूबर, 1981 तक आवश्यक वस्तुओं के मूल्य सूचकांक गत दो वर्षों के मासिक मूल्य सुचकांक की तुलना में कितनी घट बढ़ हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि सरकार के नियन्त्रण से बाहर हो गयी है ; और

(ग) मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) वर्ष, 1979-80 और 1981 में अप्रैल और अक्तूबर के बीच चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में हुए उतार चढ़ाव का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों और उनकी उपलब्धता पर लगातार नजर रखे हुए हैं। सरकार की नीति में मुख्य बल उत्पादन बढ़ाने पर है। कम मात्रा में उपलब्ध कुछ वस्तुओं के देशी उत्पादन की अनुपूर्ति आयात करके की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जा रहा है। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण-प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलो की सप्लाई जारी रखी जा रही है। ऋण नीति प्रति बन्धात्मक बनी हुई है। राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसी प्रकार के अन्य कानूनों के उपबन्धों को लागू कर कर रही है।

विवरण

वस्तु	अप्रैल और अक्तूबर के बीच हुए उतार चढ़ाव का प्रतिशत		
	1979	1980	1981
सभी वस्तुएं	+17.5	+13·5	+ 5.0
चावल	जमा 22.5	जमा 6.8	जमा 12.1
गेहूं	जमा 0.3	जमा 3.9	जमा 3.4
ज्वार	जमा 10.0	जमा 11.6	जमा 8.4

1	2	3	4
बाजरा	जमा 16.2	— 7.7	जमा 6.8
जौ	जमा 19.1	— 0.3	— 9.8
मक्का	जमा 7.1	— 7.7	जमा 3.0
रागी	जमा 8.2	जमा 22.1	जमा 0.8
चना	जमा 3.5	जमा 73.5	जमा 5.8
अरहर	जमा 7.6	जमा 19.4	जमा 12.2
मूंग	जमा 0.2	— 5.0	— 5.6
मसूर	जमा 12.8	जमा 82.9	जमा 13.0
उड़द	जमा 8.7	— 53	जमा 9.0
आलु	जमा 55.6	जमा 85.2	जमा 16.1
प्याज	जमा 121.2	—15.1	जमा 220.3
संतरे	जमा 113.2	— 4.2	जमा 3.1
केले	— 6.3	जमा 42.6	— 2.8
दूध	जमा 1,1	जमा 7.3	जमा 1.4
अण्डे	जमा 5.1	जमा 11.8	जमा 2.7
मछली	जमा 2.1	— 1.6	जमा 8.7
गोश्त	— 0.4	— 4.5	जमा 8.0
काली मिच	जमा 11.5	जमा 1.5	जमा 7.5
लाल मिर्च	जमा 17.4	जमा 8.0	जमा 2,5
हल्दी	—26.7	—19.1	—22.7
चाय	जरा 20.5	—13.4	जमा 7.6
काफी	— 1.6	— 0.2	— 1.5
कोयला	जमा 38.3	स्थिर	स्थिर
कोक	जमा 24.3	स्थिर	स्थिर
मिट्टी का तेल	जमा 8.2	स्थिर	जमा 10.5

वस्तु	अप्रैल और अक्तूबर के बीज हुए उतार-चढ़ाव का प्रतिशत		
	1979	1980	1981
आटा	जमा 1.7	जमा 6.3	जमा 14.0
मैदा	जमा 4.4	स्थिर	जमा 17.7
सूजी	जमा 12.3	—0.2	जमा 14.0
बिस्कुट	—1.8	जमा 7.1	स्थिर
डबल रोटी	स्थिर	जमा 12.4	जमा 9.4
चीनी	जमा 9·0	जमा 15.0	—11.1
खांडसारी	जमा 32.2	जमा 35.5	—12.8
गुड़	जमा 95.0	जमा 82.7	—4.7
वनस्पति	जमा 15.4	—1.0	—1.0
मूंगफली का तेल	जमा 45.6	जमा 2.9	जमा 12.9
सरसों का तेल	जमा 20.3	जमा 17.2	जमा 10.3
नारियल का तेल	जमा 19.5	जमा 25.1	—3.8
बिजली का तेल	जमा 25.9	—5.2	जमा 1.3
करडी का तेल	जमा 42.0	जमा 10.7	जमा 22.1
बिनौले का तेल	जमा 27.4	—0.3	जमा 15.0
नमक	जमा 16.3	—9.7	—4.3
सिगरेट	जमा 1.3	जमा 12.6	जमा 0.4
बीड़ी	जमा 5.7	जमा 0.8	स्थिर
सूती कपड़ा (मिल)	जमा 4.4	जमा 3.6	जमा 5.2
खादी का कपड़ा	स्थिर	स्थिर	जमा 6.9
हथकरघा तथा विद्युत करघे का कपड़ा	जमा 6.4	जमा 2.8	—1.0
कागज	जमा 14.7	—0.4	जमा 1·0
सोडा राख	जमा 24.0	जमा 25.7	—8.1

1	2	3	4
जूते तथा अन्य चमड़े की वस्तुएं	जमा 19.1	जमा 5.6	जमा 2.8
औषध तथा दवाइयां	— 0.3	जमा 0.7	जमा 6.9
साबुन	जमा 19.2	जमा 4.2	स्थिर
कृत्रिम अपमार्जक	जमा 28.3	जमा 7.2	स्थिर
दियासलाइयां	स्थिर	— 1.0	— 3.4
सीमेंट	जमा 9.2	— 1.0	जमा 18.0
बिजली के बल्ब	जमा 6.7	जमा 2.6	जमा 1.3
रेजर ब्लेड	जमा 2.3	स्थिर	स्थिर
शुष्क सैल	जमा 5.1	स्थिर	जमा 0.2

डेरी परियोजनाओं के सम्बन्ध में कथित घोटाले

185. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनंद स्थित डेरी बोर्ड की डेरी परियोजनाओं के बारे में 'एकोनोमिक सीन' के जुलाई, 1981 के अन्त में प्रकाशित एक लेख और खास तौर पर डयरी इक्विपमेंट कम्पनी के बंद होने, न्यूजी लैंड से स्टेनलैस स्टील के बेरलों के आयात और टेटरापक परियोजनाओं आदि की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही मामले की जांच कराने का आदेश देगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी हां ।

(ख) उक्त लेख में उल्लिखित मामले में जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

पान के पत्तों का 'नकद फसल' के रूप में मान्यता देना

186. **श्री सत्यगोपाल सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पान के पत्तों को 'नकद फसल' के रूप में मान्यता दे दी है,

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) यदि हां, तो पान के पत्तों का उत्पादन बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन)

(क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) पान के बेलों के रोगों के सम्बन्ध में एक समन्वित अनुसंधान परियोजना कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों के 6 कृषि विश्वविद्यालयों में अप्रैल 1981 से क्रियान्वित की जा रही है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भी पान की बेलें लगाने के मामले में अनुसंधान कर रही है। इसके अलावा भारत के सात केन्द्रों में पान की बेलों की खेती में सुधार लाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के तहत एक अखिल भारत समन्वित परियोजना का प्रस्ताव है।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के वितरण के लिए टोकन प्रणाली का समाप्त किया जाना

187. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के विवरण के लिये टोकन प्रणाली समाप्त क दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि टोकन प्रणाली समाप्त किये जाने के बाद लोग बूथ-प्रबंधकों के साथ सांठ-गांठ करके बड़ी संख्या में दूध की बोतले खरीद रहे हैं तथा मुनाफा कमा कर बेच रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी हां। मदर डेरी के शुरू होने तथा दोनों शहरी डेरियों द्वारा सप्लाई की जाने वाली कुल दुग्ध स्थिति में सुधार होने के फलस्वरुप दिल्ली दुग्ध योजना ने 7 फरवरी, 1980 तक क्रमिक रुप से दूध के टोकन समाप्त कर दिये थे।

(ग) तथा (घ) दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो कर्मचारियों को पहले आये पहले पाये के आधार पर किसी भी खरीददार को छह बोतलों से अधिक दूध सप्लाई न करने का अधिकार दिया गया है और डिपो कर्मचारियो द्वारा भारी मात्रा में दूध की अनधिकृत सप्लाई से सम्बन्धित मामलों पर दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा शीघ्रता से उचित कार्यवाही की जाती है।

महाराष्ट्र का चीनी क्षेत्र

189. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ही हाल में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें यह आग्रह किया गया है कि गन्ना-पेराई मौसम की अवधि तथा गन्ने की वसूली के आधार पर महाराष्ट्र को तीन क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा है;

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है अथवा करने का विचार है; और

(घ) अन्य कौन से राज्यों को उपरोक्त पद्धति पर विभाजित किया गया और प्रत्येक मामले के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री(श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चीनी की रिकवरी के अन्तर और पिराई मौसम की अवधि के आधार पर लेवी चीनी के मूल्यों को निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र की चीनी फैक्ट्रियों को तीन अलग-अलग जोनों में बांटा जाए।

(ग) 1980-8 मौसम से लेवी चीनी के मूल्यों का हिसाब उस उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर लगाया जा रहा है, जिसने उद्योग के लागत ढांचे के बारे में जांच की थी और जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को अक्तूबर, 1980 में प्रस्तुत की थी। इस समिति ने महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों के लिए एकल जोन की सिफारिश की थी। क्योंकि राज्य को उप-जोनों में बांटने विषयक मांग पर किसी विशेषज्ञ निकाय द्वारा नये सिरे से विचार नहीं किया गया है इसलिए सरकार के लिए फिलहाल इस मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ है।

(घ) उत्तर प्रदेश और बिहार की एक विशेषज्ञ निकाय अर्थात टैरिफ आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1979-80 में उप-जोनों में बांटा गया था।

अतिरिक्त भू-क्षेत्र को सिंचाई सुविधायें देने की योजना

190. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
श्री वीरभद्र सिंह :
श्री टी० दामोदर रेड्डी :
श्री जी नरसिम्हा रेड्डी : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय 250 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भू-क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक नई जल-योजना आरम्भ करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त भूमिगत जल योजना की क्रियान्विति के लिए कितनी राशि नियत की गई है;

(ग) उक्त योजना के क्रियान्वित हो जाने पर विभिन्न राज्यों में कुल कितने हेक्टेयर भू-क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी;

(घ) इस प्रयोजन के लिए विभिन्न नदियों के सर्वेक्षण का कार्य अब तक पूरा होने की आशा है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव की क्रियान्विति संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ड.) सरकार ने जल संसाधनों के विकास का एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है जिसमें विभिन्न नदियों पर जहां कहीं संभाव्य हो, इष्टतम जल संचयनों का निर्माण करने और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात अतिरिक्त प्रवाह की अन्तर्योजक लिंकों के निर्माण द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में उपयोग के लिए अन्तरित करने की परिकल्पना की गई है। वर्तमान मूल्यों के आधार पर, मोटे तौर पर लगाए गए अनुमानों के अनुसार इस स्कीम के क्रियान्वयन पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत आने की सम्भावना है। भूमिगत जल के बढ़े हुए उपयोग द्वारा होने वाली 10 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के अलावा, इस प्रस्ताव में मूतल प्रभाव द्वारा 25 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई करने की पारिकल्पना की गई है। प्रस्ताव में लगभग 40 मिलियन किलोवाट विद्युत उत्पादन की भी परिकल्पना की गई है। प्रारम्भ में प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने और उनपर जल-संचयनों के निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत सोसायटी के रूप में पंजीयत की जाने वाली एक राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी समापित करने का निर्णय किया गया है। अन्वेषणों और सर्वेक्षणों की स्कीम पर लगभग 107 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इस कार्य के लगभग 7 से 10 वर्षों की अवधि में पूरा हो जाने की संभावना है। एजेन्सी को गठित करने के लिए विभिन्न आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

समुद्री मात्स्की में प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव

191. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विभिन्न राज्यों के समुद्री मात्स्यकी विभागों में प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव है ;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवसाय में और अधिक संख्या में प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : इस समय भारत सरकार के ऐसे दो संस्थान हैं। (केन्द्रीय मात्स्यकी शिक्षा संस्थान, बम्बई तथा केन्द्रीय मात्स्यकी समुद्री तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन) जो समुद्री मात्स्यकी विषयक प्रशिक्षण पाठयक्रमों का आयोजन करते हैं।

बम्बई स्थित केन्द्रीय मात्सयकी शिक्षा संस्थान अन्तर्देशीय तथा समुद्री तथा मात्स्यकी के विषय में दो वर्षों के पाठ्यक्रम का आयोजन करता है। प्रतिवर्ष 40 प्रत्याशियों को दाखिल किया जाता है।

कोचीन स्थित केन्द्रीय मात्स्यकी समुद्री तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान तथा इस की मद्रास यूनिट में पुराने मात्स्यकी (15 माह), मात्स्यकी पोतों के इंजिन चालकों (15 माह), नाव बनाने वाले फोरेमेनों (15 माह), तटीय यांत्रिकी (12 माह), गीयर तकनीशियनों (9 माह) रेडियों टेलीफोन आपरेटरों (9 माह) तथा अध्यापक प्रशिक्षण (6 माह) के लिए पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता तथा उपलब्धि के अन्तर को पूरा करने के लिए उपर्युक्त संस्थान की एक यूनिट, हाल ही में, विशाखापटनम में शुरू की गई है। 1 अक्तूबर, 1981 से वहां कार्य शुरू हो गया है। इस समय यहां केवल पुराने मात्स्यकी तथा मत्स्यकी जलयानों के इंजिन चालकों के लिए पाठ क्रम आयोजित किया जाता है।

उपर्युक्त दोनों संस्थान में विभिन्न पाठयक्रमों के लिए राज्य सरकारें सेवारत प्रशिक्षार्थियों को भेजती है। सीमित संख्या में प्राइवेट तथा विदेशी प्रत्याशियों को भी दाखिल किया जाता है।

समुद्री मात्स्यकी में प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी को पूरी करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, लक्षद्वीप तथा अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह में प्रशिक्षण केन्द्र हैं जहां यान्त्रिक नावों, नौवहन आदि के चलाने में प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे कई प्रत्याशियों को उपर्युक्त केन्द्रीय संस्थानों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के अवसर मिलते हैं।

निजी आवास कार्यों के विकास के बारे में कार्यदल का प्रतिवेदन

192. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजी आवास कार्यों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा गठित कार्यदल ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि आवास वित्त के लिए एक 3 टायर पद्धति का विशिष्ट वित्तीय संस्थान का गठन किया जाए। आवास में पूंजीनिवेश को बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था, की जाए एक रेहन बीमा निगम का गठन किया जाय किराया नियन्त्रण तथा भूमि के अर्जन व विकास से संबंधित अधिनियमों को उदार बनाया जाए तथा भूमि विकास एवं स्थलों और सेवा योजनाओं पर और अधिक बल दिया जाय।

(ग) कार्यकारी दल की सिफारिशों को सम्बन्धित मन्त्रालयों। श्रमिकरणों इत्यादि को उचित कार्यवाही के लिए परिचालित किया जाएगा।

चावल मिलों का आधुनिकीकरण

193. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार धान परिष्कृत करने की प्रक्रिया में होने वाली व्यर्थता तथा हानि को कम करने के लिए तथा उप-उत्पादों का बेहतर उपयोग करने के प्रयोजन से चावल मिलों का आधुनिकीकरण करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुर्नानर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी हां। इस सबध में चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन और लाइसेंसिंग) नियम, 1959 में सर्वप्रथम 1.5.1970 को और पुन: 29.7.76 को उपयुक्त संशोधन कर कानूनी उपाय किए गए हैं। इन संशोधनों में आधुनिक मिलें स्थापित करने और पांच वर्षों में परम्परागत हुलरों, हुलर-एवं शेलरों और शेलर किस्म की चावल मिलों के स्थान पर उत्तरोत्तर पैडी क्लीनरज और पैडी सेपेरेटरण के साथ रबड़ रौल शैलरों अथवा सेन्ट्रीफ्यूगल डीहस्कर लगाने की व्यवस्था की गई थी। तथापि, राज्य सरकारों और चावल मिल एसोसिएशनों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, इस अवधि को अन्तिम रूप से सिंगल हुलर मिलों के बारे में 29 जुलाई, 1983 तक और अन्य परम्परागत मिलों के बारे में 31 जुलाई, 1982 तक बढ़ा दिया गया है। आदिवासी अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में पहले से स्थापित की गई सिंगल हुलर मिलों को आधुनिकीकरण के उपबन्ध से छूट दी गई है।

चावल की वसूली अधिकतम करने के लिए शुल्क लगाना

192. **श्री जगदीश टाइटलर** :

श्री अर्जुन सेठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल की वसूली को अधिकतम करने के लिए चावल उत्पादक राज्यों को मसौदा शुल्क-आदेश तैयार करने को कहा है ;

(ख) क्या सरकार ने संबंधित राज्यों को मिलों पर शुल्क लगाने को भी कहा है ताकि उचित समय पर धान/चावल की पर्याप्त मात्रा में वसूली सुनिश्चित हो सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

पर लेवी लगायी है और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लंगाई गई लेवी की दरें 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न हैं।

साल वृक्ष का संरक्षण

195. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि साल वृक्ष को, जो कि आदिवासियों के जीवन और परम्परा से अत्यधिक गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, उपेक्षा तथा वन सम्पदा के अंधाधुन्ध दोहन के कारण विनाश का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि उड़ीसा के जंगलों की वन सम्पदा और पेड़ों के राजा के रूप में जाना जाने वाला साल वृक्ष आदिवासियों की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक पोषित करता है और वहां पुरुष महिलाएं तथा बच्चे पत्तों की प्लेटें और प्याले बनाने के लिए इसके पत्ते इक्कठे करते हैं तथा इसकी टहनियों (दातुनों) को दांत साफ करने के लिए बेचकर जीविका उपार्जन करते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि साल के अछूते जंगल के बड़े भाग को बढ़ती हुई जन संख्या कृषि के विस्तार तथा अन्य विभिन्न कारणों से समाप्त होते जा रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन अत्यन्त महत्वपूर्ण वृक्षों को ग्रामवासियों से खरीद कर और उन्हें "स्टेन्डिंग स्टेट" के रूप में रखकर या किन्हीं अन्य-अन्य कानूनी उपायों द्वारा संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या प्रभावशाली उपाय किए हैं या किए जाने का विचार है ?

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) इस प्रकार के विनाश की कोई आशंका नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) देश में सभी वन क्षेत्रों पर बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव की आशंका पैदा हो गई है।

(घ) साल के अछूते जंगल पहले ही राज्यों के वन विभागों के अधीन हैं। अतः उनको खरीदने का प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के शालीमार बाग में निर्मित फ्लैट्स

196. **श्री के० प्रधानी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के शालीमार बाग, दिल्ली में निर्मित मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग से सम्बंधित अधिकतर फ्लैट जिनका कब्जा गत तीन महीनों के दौरान आवंटियों को सौंपा गया है कई दृष्टि से अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।

(ख) क्या आवंटियों की ओर से प्राप्त मरम्मत आवश्यक जुड़नारों की व्यवस्था करने तथा

अन्य कार्यों सम्बन्धी शिकायतों पर स्थल पर मौजूद स्टाफ द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है ; यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्राधिकारियों की जानकारी में ऐसे कितने मामले लाए गए है ; और

(ग) आवंटियों की शिकायतों पर उचित और शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ये फ्लैट सभी प्रकार से पूर्ण हैं ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि स्थल पर के स्टाफ द्वारा शिकायतों को शीघ्र ही दूर किया जाता है और शिकायतें 43 फ्लैटों के बारे में प्राप्त हुई थी ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया कि कार्य स्थल पर एक पूछताछ कार्यालय है जहां पर आवंटियों की शिकायतों पर ध्यान दिया जाता है ।

भू-कटाव के कारण खनिजों को हानि

197. **श्री रशीद मसूद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भू-कटाव के कारण हो रही वार्षिक तथा इसके फलस्वरूप खनिजों की हानि का कोई मूल्यांकन किया गया है ।

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश को अनुमानत कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस बारे मे सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) :

(क) तथा (ख) देश में क्रमबद्ध सर्वेक्षण न होने के कारण भूक्षरण की समस्या तथा उससे हुई क्षति का कुछ मूल्यांकन, उपलब्ध जानकारी का मिलान करके तथा उसका बाहिर्वेशन करके किया गया है । अनुमानित 15000 लाख हेक्टार क्षेत्र का पानी तथा तथा वायु से कटाव हुआ, है जबकि अन्य 250 लाख हेक्टार क्षेत्र झूम खेती, दर्रा तथा खड्डों, लवणीयता तथा क्षारीयता पानी भरने आदि की समस्याओं से प्रभावित हुई है । भूमि उपयोगवार लगभग 1050 हेक्टर कृषि भूमि, जिसमें स्थाई चारागाह भी शामिल है, 195 लाख हेक्टार वन भूमि तथा 79 लाख हेक्टर अकृष्य भूमि है इन समस्यों से ग्रस्त होती है ।

अनुसंधान द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिवर्ष केवल कृष्य भूमि से ही लगभग 6,000 दस लाख मीटरी टन मृदा की क्षति होती है, जिसमें लगभग 84 लाख मीटरी टन पौष्टिक तत्व (25 लाख मीटरी टन नाईट्रोजन, 33 लाख मीटरी टन फास्फोस्टस तथा 26 लाख मीटरी टन पोटाशियम) होते । इसी प्रकार दर्रा तथा खड्डों के सुधार एवं विकास न क रने से

प्रति वर्ष 157.0 करोड़ रुपए (अनुमानित) मूल्यों के खाद्यान्नों, चारा, ईंधन लकड़ी तथा अन्य कच्ची सामग्री का उत्पादन नष्ट हो रहा है।

प्रभावित क्षेत्रों के लिये उचित संरक्षण उपचार की व्यवस्था करने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान प्रथम पंचवर्षीय योजना से लगा हुआ है। मृदा क्षरण की रोक-थाम करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों के तहत कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र की योजनाओं के तहत 1979-80 तक 664 करोड़ रुपए के व्यय से 234,00 लाख हेक्टार क्षेत्र का उपचार किया गया है। छठी योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों दोनों के तहत 433.57 करोड़ रुपए के परिव्यय से 65 लाख हेक्टार अतिरिक्त क्षेत्र का उपचार करने का विचार है।

केन्द्र सरकार द्वारा बेघर लोगों के लिए आवास योजना तैयार किया जाना

198. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसी आवास योजना तैयार की है जिसके अधीन विकास क्षेत्रों में बेघर लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अधीन बनाये जाने वाले मकानों की कीमत क्या होगी और उनके आवंटन सम्बन्धी मानदण्ड क्या होंगे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) छठी पंच वर्षीय योजना में, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के भाग के रुप में ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास स्थल व आवास निर्माण सहायता के लिए राज्य क्षेत्र की योजना शामिल है। इस योजना में प्रति परिवार 250 रुपये की लागत से सम्पर्क मार्गों तथा 30-40 परिवारों के समूह के लिए एक कुएं सहित लगभग 100 वर्ग गज का आवास स्थल मुफ्त आवंटित किया जाता है। उन आवास स्थलों पर मकान बनाने के लिए आवंटियों को 500 रुपये की सहायता दी जानी होती है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सूखा, बाढ़ सिंचाई उर्जा तथा कृषि सबधी मामलों को परस्पर सम्बन्धित करना

199. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस प्रयोजना के लिए कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और किसानों को सभी प्राकृतिक विपदाओं से बचाया जा सके, सूखा-बाढ़, सिंचाई ऊर्जा तथा कृषि संबंधी सभी मामलों को परस्पर सम्बधित करने की इस योजना पर विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सरकार एक अन्त : मन्त्रालय समिति के गठन के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही। इस समिति में कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, खाद्य विभाग तथा सिंचाई, ग्रामीण पुनर्निर्माण, ऊर्जा रसायन व उर्वरक एवं पेट्रोलियम मन्त्रालयों के प्रभारी सचिव तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय जल आयोग और रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति देश में कृषि सम्बन्धी स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करेगी ताकि कृषि आदानों, सिंचाई, बिजली तथा डीजल के मामले में कृषकों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं का निराकरण किया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रभावित राज्यों से ज्ञापन प्राप्त होने पर प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ आदि द्वारा उत्पन्न स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए केन्द्रीय दलों को भेजने तथा राहत व पुनर्वास के कार्य करने के लिए व्यय की उचित अधिकतम सीमा की सिफारिश करने की व्यवस्था पहले ही विद्यमान है।

सिंचित तथा असिंचित भूमि

00. **श्री मोहम्द असरार अहमद** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1981 को प्रत्येक राज्य में कुल कितनी तथा कितने प्रतिशत भू-क्षेत्र काश्त योग्य था ;

(ख) 1 अप्रैल 1979, 1980, 1981 तथा अक्तूबर, 1981 को कुल कितना तथा कितने प्रतिशत भू-क्षेत्र सिंचित तथा असिंचित था ;

(ग) उपरोक्त वर्षों के दौरान सिंचित भू-क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ;

(घ)) गत पांच वर्षों के दौरान सिंचाई तथा कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने कौन सी परियोजनायें या योजनायें प्रारंभित की और प्रत्येक राज्य में ये परियोजनायें तथा कहां तक सफल रहीं, और

(ङ.) उपरोक्त प्रत्येक योजना का परियोजना को पूरी तरह क्रियान्वित करने पर कितनी राशि खर्च होगी और इनमें से प्रत्येक पर अब तक कितनी कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) भूमि उपयोग सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन कृषि विभाग के आर्थिक और सांख्यिकी डिवीजन द्वारा किया जाता है। अद्यतन उपलब्ध आंकड़े वर्ष 1977-78 के लिए हैं। यह सूचना संलग्न विवरण एक में दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2911/81]

(ख) सिंचित और असिंचित भूमि के बारे में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है, जैसा कि उपर्युक्त (क) में उल्लेख किया गया है। फिर भी, सृजित सिंचाई क्षमता और अभी सृजित की

जाने वाली क्षमता तथा उनकी प्रतिशतता के बारे में जानकारी संलग्न उपाबन्ध दो और तीन में दी गई है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2911/81]

(ग) सृजित/ क्षमता में हुई प्रतिशत वृद्धि इस प्रकार है :

1978-79	2.06
1979-80	1.90
1980-81	2.15

(घ और ङ.) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

201. **श्री राम स्वरुप राम** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बड़े आदेशों के बावजूद भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण नहीं हो रहा है जिसके फलस्वरूप सीमेंट तथा वनस्पति तेलों के मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है ; और

(ख) यदि उपर्युक्त भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार वस्तुओं के उत्पादन का लेखा जोखा रखने के लिए उद्योगपतियों पर कड़ा नियंत्रण लागू करने का है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने का है कि जमाखोर तथा कालाबाजार करने वाले अवैध तरीकों से इन चीजों को सीधे हीं न प्राप्त कर सकें ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बिहार के लिए अनुमोदनार्थ सिंचाई योजनायें

202. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने सिंचाई की दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों विशेषतया गया, नवादा, औरंगाबाद तथा पलामऊ की सिंचाई के लिये केन्द्र सरकार को अनेकव्यापार योजनायें प्रस्तुत की हैं ; और

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) गया, नवादा और पलामउ जिलों को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति को दिखाने वाला एक विवरण सलग्न है । औरंगाबाद जिले के लिए कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) योजना आयोग द्वारा इन स्कीमों की स्वीकृति तकनीकी आर्थिक संभावना और लागत-प्रभावकता के पूर्णतया सिद्ध हो जाने और अन्तर्राज्यिक पहलुओं, यदि कोई हों, के हल हो

हो जाने के पश्चात ही संभव हो सकेगी। यह इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर कितनी शीघ्रता से देती है तथा अन्तर्राज्यिक पहलुओं को कितनी जल्दी हल करती है।

[मंत्रालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 2912/81]

सूखे की स्थिति से निपटाने के लिए बिहार को गेहूं का कोटा

203. **श्री राम स्वरुप राम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूखे से उत्पन्न गम्भीर स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने गेहूं के कोटे को बढ़ाकर 50 हजार टन तक कर देने के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को भी गेहूं की सप्लाई की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार की मांग पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) बिहार सरकार पिछले एक वर्ष से सार्वजनिक बितरण प्रणाली के लिए *प्रति* मास 50 हजार मीटरी टन से अधिक गेहूं की मांग करती रही है। चालू मौसम के दौरान, बिहार में केवल 12771 मीटरी टन गेहूं की वसूली हुई थी जबकि लक्ष्य 1.5 लाख मीटरी टन का था। क्योंकि बिहार प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है इसलिए यह महसूस किया गया कि कम वसूली के बाजार में इसकी उपलब्धता पर्याप्त होगी। इसको और केन्द्रीय पूल में गेहूं की कुल उपलब्धता के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, बिहार को जुलाई, 1981 में *सार्वजनिक* वितरण प्रणाली के लिए 12 हजार मीटरी टन गेहूं आवंटित किया गया था। तथापि, बिहार के मुख्य मन्त्री ने सितम्बर, 1981 में अनुरोध किया था कि आवंटन को बढ़ाकर कम 35 हजार मीटरी टन प्रति मास कर दिया जाए। आवंटन को बढ़ाकर 17 हजार मीटरी टन कर दिया गया है।

सिंचाई परियोजनाओं को अनुमोदन

204. **श्री अनादि चरण दास** :

श्री के० प्रधानी : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के लिये योजना आयोग द्वारा अनुमोदित विभिन्न राज्यों की सिंचाई परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उड़ीसा की उन सिंचाई परियोजनाओं की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन्हें योजना की स्वीकृति की प्रतीक्षा है ;

(ग) उड़ीसा की उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो क्रियान्विति के विभिन्न कारणों में हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1981-82 के दौरान (अर्थात 1-4-1981 से अब तक) विभिन्न राज्यों को 41 सिंचाई परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

(ख) केवल एक सिंचाई परियोजना, नामशः "समकोई सिंचाई परियोजना" को, जिसे सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति दे दी गई है, योजना आयोग द्वारा अभी अनुमोदित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2913/81]

"तूना" मछली पकड़ना

205. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व में "तूना" मछली के सर्वोत्तत भण्डार हिन्द महासागर में हैं और जापान, ताइवान, सोवियत संघ आदि देशों के मछुवे भारत के पश्चिमी तट से 200 मील की सीमा के भीतर बड़ी मात्रा में "तूना" मछली पकड़ते हैं ; और

(ख) "तूना" मछली पकड़ने के कार्य में भारत ने क्या प्रगति की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुर्नानर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) हिन्द महासागर में तूना मात्स्यकी की काफी अधिक गुंजाईश है। खाद्य एवं कृषि संगठन के मूल्यांकन के अनुसार हिन्द महासागर क्षेत्र में लगभग 5.8 लाख मीटरी टन वार्षिक तूना मछली मिलने की सम्भावना है। हिन्द महासागर के सीमावर्ती देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, द्वारा पकड़ी जाने वाली तूना मछली इन देशों द्वारा औसतन वार्षिक पकड़ी जाने वाली समुद्री मछली का मुश्किल से 1 प्रतिशत होता है। जापान, ताईवान तथा दक्षिणी कोरिया जैसे देश हिन्द महासागर (अधिकांशः अन्तर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में) में तूना मछली पकड़ रहे हैं।

(ख) केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार अखिल भारतीय तूना मत्स्यन 1970 में 2015 मीटरी टन था, जो 1979 में बढ़कर 23,273 मीटरी टन (अनन्तिम) हो गया है। लक्षदीप के अतिरिक्त, भारत में कहीं भी तूना मछली को संगठित रूप से नहीं पकड़ा जाता है। लक्षदीप प्रशासन के मात्स्यकी विभाग ने राजसहायता के द्वारा "पोल" तथा "लाईन" "लोंग लाईन्स" से मछली पकड़ने के लिए 192 यंत्रीकृत नौकाएं लगाई हैं, तथा द्वीप समूह के आसपास तूना मछली के स्रोतों का उपयोग करने हेतु ऐसी नौकाओं को खरीदने के लिए ऋण दिया है।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के लिए तरल को सहायता

206. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि गत ओणम मौसम में केरल सरकार सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के एक भाग के रूप में मवेली स्टोर्स और ओणम बाजारों द्वारा मूल्यों पर नियन्त्रण कर सकी थी जबकि सम्पूर्ण देश मुद्रास्फीति का सामना कर रहा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केरल सरकार को वित्तीय सहायता देने का है जिससे वह सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बड़े पैमाने पर लागू कर सके ; यदि हां, तो सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या भारत सरकार इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों को केरल का अनुसरण करने के लिए कहेगी ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) भारत सरकार ने त्यौहार के मौसम के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को कुछ चुनी आवश्यक वस्तुओं का अग्रिम आवंटन किया और अन्य आवश्यक कदम उठाये। केरल सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इन वस्तुओं का वितरण कर सकी, जिससे बहुत से दूसरे राज्यों की भांति त्यौहार के मौसम के दौरान मूल्य आमतौर पर नियंत्रित रहे। यद्यपि राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता देने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है, तो भी राज्य बैंकों से धन ले रहे हैं। राज्य सरकारों से समय-समय पर कहा जा रहा है कि वे समय-समय पर जारी किये गए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनायें।

बिझिजम मत्स्य पत्तन

207. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा केरल को विझिजम मत्स्य पत्तन परियोजना के दूसरे और तीसरे चरणों की मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या यह सच नहीं है कि विझिजम समुद्र में भारत सरकार के विझिजम मत्स्य खोज संगठनों द्वारा मत्स्य संसाधनों का अनुमान लगा लिया है, यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) परियोजना के लिए 32 5 लाख रुपए के काफी बड़े परिव्यय की व्यवस्था है। इसके लिए इंजीनियरी तथा आर्थिक सम्भाव्यता की दृष्टि से पूर्ण औचित्य की आवश्यकता है। राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के संगठनों जैसे समन्वेषी मात्स्यिकी परियोजना, निवेषपूर्व मत्स्यन पत्तन सर्वेक्षण परियोजना आदि, की सलाह से इनकी जांच की जा रही है।

(ख) पत्तन का प्रथम चरण 1974-75 में पूरा हुआ। इस पर 220 लाख रुपये क-

कुल व्यय हुआ था। यह यंत्रीकृत और गैर यंत्रीकृत दोनों प्रकार की नौकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तैयार किया गया था। तथापि पत्तन के पूरा ही जाने के पश्चात इसका पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया। विभिन्न एजेंसियों द्वारा समन्वेषी आंकड़े एकत्र किए गए हैं। फिर भी जैसा कि ऊपर कहा गया है इतनी बड़ी राशि लगाने सम्बन्धी निर्णय लेने से पूर्व विशेषकर झींगा तथा अन्य संसाधनों के सम्बन्ध में विझिंजम से दूर पर्याप्त संसाधन आंकड़े प्राप्त करना आवश्यक है। विझिंजम स्थित परियोजना पर निर्णय लेने से पूर्व इन्हें एकत्र किया जाना है।

खरीफ की धान की खड़ी फसल पर कीटों का आक्रमण

208. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के व्यापक क्षेत्रों में कृषि उत्पादन पर खरीफ की धान की खड़ी फसल पर गम्भीर रूप से तथा व्यापक क्षेत्र में विषाक्त कीटों के आक्रमण के कारण बुरा प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में फसल की क्षति के प्रारम्भिक अनुमान क्या हैं ;

(ग) हाल के आक्रमण के निदान के लिये तथा उपचारात्मक उपाय (उपचारात्मक तथा निरोधक) सुझाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या प्रभावग्रस्त क्षेत्रों में जिन ग्रामीणों का नुकसान हुआ है उनको राहत देने के लिए तत्काल फसल बीमा सुविधाए देने पर विचार किया जा रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) धान में लगने वाले 'राइस टंगरो वाइरस' (आर० टी० वी०) नामक रोग का खरीफ के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के छिटपुट क्षेत्रों में प्रकोप हुआ है।

(ख) विभिन्न राज्यों में हुई फसल की क्षति के पक्के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) कृषि मन्त्रालयों का वनस्पति रक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय महामारी प्रबोधन और पूर्व चेतावनी के लिए 12 धान उत्पादक राज्यों के सहयोग से धान पर नियमित सर्वेक्षण कर रहा है। सितम्बर, 1981 के प्रथम पक्ष के दौरान रोग के प्रभाव का आरम्भिक स्तर पर पता चला तथा राज्यों ने रोग के फैलाव को रोकने के लिए समय पर वनस्पति रक्षण उपाय किए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने भी जांच कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल तथा बिहार के रोग ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके रोग के विस्तार की रोक थाम के लिए राज्यों को सुझाव दिए हैं।

(घ) जी नहीं।

राज्यों में नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम की क्रियान्विती

209. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** :

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य में नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम को क्रियान्वित के सम्बन्ध में अब तक की गई प्रगति के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों को क्रियान्वित में राज्य सरकारों द्वारा उन्हें कई कठिनाईयों तथा प्रक्रिया सम्बन्धी बाधाओं की कोई जानकारी दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ड.) क्या दो वर्षों में दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई तथा अन्य बड़े नगरों में नगरीय भूमि के मूल्य असाधारण रूप से बढ़ रहे हैं ; और

(च) यदि हां, तो भूमि के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह : (क) जी हां। 1-11-81 तक इस अधिनियम के कार्यान्वियन की प्रगति दर्शाने वाला एक एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2914/81]

(ख) से (घ) राज्य सरकारों ने समय-समय पर केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस अधिनियम में कतिपय असंगतों एवं कमियों तथा परिवार रिक्त भूमि की परिभाषा, कृषि भूमि के लिए इस अधिनियम की लागू करना, परिवार के लिए अधिकतम सीमा राशि का अपर्याप्त भुगतान आदि जैसे कार्याविधिक कठिनाइयों की ओर दिलाया है। उपयुक्त सुधारात्मक उपायों पर विचार किया गया है और नगर भूमि अधिकतमन सीमा तथा विनियम अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव प्रक्रिया अधीन है।

(ड.) तथा (च) मूल्य वृद्धि सामान्य मुद्रास्फीति की प्रवृति और मुक्त खरीद के लिए प्लाटों की कम उपलब्धता के कारण प्रतीत होता है। जहाँ तक दिल्ली का सम्बन्ध है। दिल्ली विकाश प्राधिकरण ने 31 मार्च, 1981 तक की निर्धारित दरों पर आय की ओर मध्यम आय वर्ग के लोगों को लगभग 2 ,000 प्लाट आवंटित किए थे। इसके अतिरिक्त पुनर्वास कालोनियों में 25वर्ग गज और 80 वर्ग गज के लगभग 2 ल.ख प्लाट नाम मात्र लाइसेन्स फीस पर आवंटित किए गए थे।

दिल्ली प्रशासन ने और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लगभग 28,000 रिहायशी प्लाटों के विकासार्थ गृह निर्माण सहकारी समितियों को लगभग 3670 एकड़ भूमि का आवटन किया है।

इसके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और जनता श्रेणियों के अन्तर्गत 1,17,000 रिहायशी प्लाटों और सामूहिक आवास में लगभग 17,000 रिहायशी एककों का आवंटन करने के लिए रोहिणी नामक एक महत्वाकांक्षी आवासी

योजना चलाई है। इस कार्यक्रम से रिहायशी समस्याओं के समाधान करने में लाभ होने के अलावा भूमि के मूल्यों में कमी होने की आशा है।

'भूमि' राज्य, का विषय होने के कारण, बम्बई, कलकत्ता और अन्यरा जधानी शहरों के बारे में, समस्या का समाधान सम्बन्धित राज्य सरकारों को करना है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

210. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ग्रामीण पुर्नानिर्गाण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के उन जिलों का नाम क्या है जिनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ;

(ख) उस वित्तीय वर्ष के गत 6 महीनों में उड़ीसा के क्योंझर जिले में आरम्भ किए गए विभिन्न ग्रामीण पुर्नानिर्माण तथा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम क्या हैं ; और

(ग) तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पूर्नानिर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) उड़ीसा के सभी जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अर्न्तग निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं।

(ख) व (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-तटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिमी कोसी नहर

211. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई : मंत्री पश्चिमी कोसी नहर मोड़ा के बारे में 31 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2038 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घटिया ईटों और सीमेंट आर० डी० 131 और 249.70 के बीच पश्चिमी कोसी नहर की उपयुक्त सिंचाई कमला नदी के पूव में तथा नेपाली क्षेत्र में नहर का पूरा न किया जाना सम्बन्धी मुद्दों की जांच इस बीच पूरी कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला और यदि नहीं तो दिलम्ब के क्या कारण हैं ; जोर

(ग) आधे घण्टे की चर्चा के दौरार 2 सितम्बर, 1981 को मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार नया पुनर्गठित कोसी नियंत्रण बोर्ड की इस बीच बैठक हुई है और क्या संविधान की प्रविष्ट का संशोधन किया जा रहा है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) मुख्य इंजीनियर, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, बिहार ने सूचित किया है कि घटिया किस्म की ईटों और सीमेंट के प्रयोग के बारे में शिकायतें तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। उन्होंने यह भी

कहा है कि इस कार्य का पर्यवेक्षण क्षेत्रीय इंजीनियरों के अलावा, परियोजना के कोटि नियंत्रण संगठन द्वारा भी किया जाता है और कभी-कभी राज्य के सतर्कता संगठन द्वारा भी उसका निरीक्षण किया जाता है। आर० डी० 131 और 249.70 के बीचप श्चिमी कोसी नहर के पुनः संरेखण और कमला नदी के क्रासिंग पर क्रास ड्रेनेज के डिजाइन पर राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे परामर्श से विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार, कमला क्रासिंग तक मुख्य नहर के भाग और उसके साथ-साथ वितरण प्रणाली के 1985 तक पूरा हो जाने की संभावना है। नेपाल की सीमा में मुख्य नहर और उसके साथ संरचनाओं का काम 1983 तक पूरा कर लिए जाने की योजना है।

(ग) बिहार सरकार ने कोसी नियन्त्रण बोर्ड का पुनर्गठन किया है। अभी तक पुनर्गठित नियन्त्रण बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई है। संविधान की एन्टरी 56 को संशोधित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

वनों के अन्तर्गत क्षेत्र

212. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तथा गुजरात में कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों के अन्तर्गत हैं :

(ख) क्या अधिनियम के अधीन अपेक्षित नियंत्रण मानक प्रतिशतता से यह प्रतिशतता कम है ;

(ग) यदि हां, तो क्या मौसम की अनिश्चितता और मानसून की अनियमितता पर कृषि की निर्भरता को, ध्यान में रखते हुए वनों के अन्तर्गत क्षेत्रों में भारी कमी चिन्ता का मामला नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान वन क्षेत्र को आगे क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है जिसमें गैर सरकारी व्यक्तियों के पेड़ों को काटने पर पावन्दी लगाना भी सम्मिलित है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रायों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश के कुल क्षेत्र की तुलना में वन क्षेत्र की प्रतिशतता 22.7 है। गुजरात राज्य के मामले में यह 9.9 प्रतिशत है।

(ख) भारतीय वन अधिनियम, 1927 में वन क्षेत्र के लिए कोई न्यूनतम मानक का निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में सिफारिश की गई है कि मैदानी इलाकों में वनों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र का 20 प्रतिशत क्षेत्र होना चाहिए तथा पहाड़ी इलाकों में यह 60 प्रतिशत होना चाहिए ताकि वनों के अन्तर्गत समग्र क्षेत्र कुल क्षेत्र का 33/1/3 प्रतिशत हो।

(ग) जी हां।

(घ) भारत सरकार ने वन क्षेत्रों का संरक्षण करने तथा वनों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए राज्यों को बार-बार सलाह दी है। 1980 में संसद ने वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 पारित किया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी वन भूमि अथवा उसके भाग का केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर किसी भी गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को अब केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी आरक्षित वन को अनारक्षित करने का अधिकार नहीं हैं। जहां तक वनों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने का प्रश्न है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। छठी पचवर्षीय योजनावधि के दौरान लगभग 15.2 लाख हैक्टार क्षेत्र के कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जाने की आशा है।

इसके अधिरिक्त सरकार भारतीय वन अधिनियम का व्यापक संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि वर्तमान वन क्षेत्रों का अच्छी तरह बचाव किया जा सके तथा निजी भूमियों पर वृक्षों की कटाई पर भी रोक/नियंत्रण लगाया जा सके। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में निजी भूमियों पर पेड़ों की कटाई के नियंत्रण के लिए पहले ही विशेष कानून हैं।

चीनी सम्बन्धी नीति

213. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी पर आंशिक नियन्त्रण तथा दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली की वर्तमान नीति से खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को नीचे लाने में काफी सहायता मिली है जो कि अक्तूबर, 1980 में 11 रुपये प्रति किलो ग्राम से घटकर अक्तूबर, 1981 में 6 रुपये प्रति कि० ग्रा० हो गये ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों को स्थिर करने के लिए तथा चीनी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनिनर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली के साथ आंशिक नियंत्रण की नीति को लागू करने तथा मुक्त बिक्री की चीनी की मासिक निर्मुक्तियों को सूझ-बूझ के साथ विनियमित करने से खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को उपयुक्त सीमा के अन्दर बनाए रखने में मदद मिली है।

पहली सितम्बर से 15 नवम्बर, 1980 की अवधि के दौरान मुक्त बिक्री की समस्त चीनी को स्वैच्छिक विनियमन योजना के अधीन 6/-रु० प्रति किलो के आस-पास निर्धारित किए गए खुदरा मूल्य पर राज्य सरकारों के माध्यम से वितरित किया गया था। अक्तूबर, 1981 में मास के अन्त में प्रमुख मंडियों में मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्य 5.40० रुपये ओर 6.20 रुपये प्रति किलो के रेंज में थे।

1980-81 में लगभग 2.00 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने और उसके मूल्यों

में स्थिरता प्रदान करने में मदद मिली है । चीनी वर्ष 1981-82 के दौरान, आशा है कि 65 से 67 लाख मीटरी टन चीनी का रिकार्ड उत्पादन होगा ।

नेहरू नहर से राजस्थान को पानी

214. **श्री अशोक गहलोत** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि राजस्थान के झुंझनु जिले के लिए हरियाणा की नेहरू नहर से पानी उपलब्ध कराया जाये ;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान को नेहरू नहर से पानी दिलाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही की गई है ; तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने, 1975 में केन्द्रीय जल आयोग को चुरु लिफ्ट सिंचाई स्कीम के व्यवहार्यता रिपोर्ट भेजी थी जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जवाहर लाल नेहरू नहर के जरिये राजस्थान के चुरु और झुन-झुन जिलों के क्षेत्रों को यमुना के जल की सप्लाई परिकल्पित थी । इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि संबन्धित बेसिन वाले राज्यों के बीच यमुना जल के के बंटवारे के बारे में अभी फैसला किया जाना है ।

मनीपुर में "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम का कार्यान्वयन

215. **पी० के० कोडियन** : क्या ग्रामीण पुर्नानिर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 सितम्बर, 1981 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित मनीपुर में "काम के बदले अनाज कार्यक्रम" के कार्यान्वयन के बारे में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सम्बन्धी समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ।

कृषि तथा ग्रामीण पुर्नानिर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) (क) व (ख) जी हां । इस प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि मनीपुर सरकार जिसने 4000 मीटर्री टन खाद्यान्न प्राप्त किए थे, ने अपने द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों की सूचना नहीं दी थी । राज्य सरकार को इस सूचना को भेजने के लिए कहा गया है तथा उन्हें यह भी सूचित कर दिया गया है कि जब तक वे अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते तब तक राज्य को कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई निधियां/खाद्यान्न सुलभ नहीं किए जायेंगे ।

परियोजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन

में परियोजनाओं की कार्यकुशलता के तीव्र क्रियान्वियन करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : सिंचाई परियोजनाओं में तेजी से और कुशल जल-प्रबंध करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए गए हैं—

(1) नहर प्रणाली को वर्तमान 40 हैक्टेयर ब्लाक निकास से 5 से 8 हेक्टेयर ब्लाक निकास तक परियोजना की लागत पर बढ़ाना ;

(2) फील्ड चैनलों, फील्ड नालियों का निर्माण करके, भूमि को समतल बनाकर और उसे सही आकार देकर कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन ;

(3) नियंत्रण संरचनाओं की व्यवस्था करके और जहाँ आवश्यक हो, नहरों को पक्का करके वर्तमान सिंचाई प्रणालियों का आधुनिकीकरण ; और

(4) सिंचाई जल की सप्लाई की बाराबन्दी प्रणाली लागू करना ।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की, भारत सरकार द्वारा गठित दो विशेष अन्तर्मंत्रालयीय समितियों द्वारा विस्तृत रूप से जांच की गई थी, जिन्होंने राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था और अधिकांश राज्यों की लिखित टिप्पणियों पर भी विचार किया था । ऐसे गहन अध्ययन और सलाह के आधार पर इन समितियों ने प्रत्येक सिफारिश पर विचार किया था और उनके कार्यान्वयन की पद्धति तथा सीमा, जिस तक ये कार्यान्वित की जा सकती थीं, निर्दिष्ट की थी और इस प्रयोजन के लिए कार्यप्रणाली भी निर्दिष्ट की थी । उक्त दोनों समितियों की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात, आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए की जाने वाली आगे की कार्रवाई, जहां आवश्यक था उपयुक्त रूप से आशोधित तथा संशोधित करके निश्चित की गई थी और यह प्रयोजन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तथा अनुदेश राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के सम्बंधित विभागों-एजेन्सियों को 26 सितम्बर, 1981 को जारी किए गए हैं । उनसे इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने और प्रत्येक मद के कार्यान्वयन के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम पर आवधिक रिपोर्ट भेजने और उनके बारे में हुई प्रगति की रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है ।

सिंचाई मन्त्रियों द्वारा आयोजना परियोजनाओं पर चर्चा

127. **श्री जगदीश टाईटलर :**

श्री गुलाम रसूल कोचक :

श्री चिन्तामणि जेना :

श्री डी० पी० जदेजा :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1981 के महीने में सिंचाई मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम पर चर्चा हुई थी ;

(ख) सम्मेलन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं तथा भारत में बेहतर सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन 30 सितम्बर, 1981 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुआ था। केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की थी। सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री ने भी सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें भाग लेने वालों में 21 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 34 मन्त्री भी शामिल थे। सम्मेलन से दो दिन पहले, 28 और 29 नितम्बर, 1981 को अधिकारियों द्वारा विचार-विमर्श किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सचिव, सिंचाई मंत्रालय ने की थी और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों और मुख्य इंजीनियरों ने उसमें भाग लिया था।

(ग) सम्मेलन में बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई ; बाढ़ नियन्त्रण ; अयाकट विकास और कार्यक्रम जल प्रबंध से संबधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था। सम्मेलन ने 12 प्रस्ताव पारित किए, जिनमें पांचवें सम्मेलन में पारित प्रस्तावों पर की गई कार्यवाई की समीक्षा 1980-81 और 1981-82 के लिए कार्यक्रम और प्रगति का पुनरवलोकन और 1982-83 के लिए कार्यक्रम, कार्यक्षम जल प्रबन्ध, राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी के काम में राज्यों का सहयोग, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशें, इन्जीनियरों का प्रशिक्षण, आधारभूत आंकड़े एकत्र करना, सिंचाई कमानों में जल-निकासी की व्यवस्था, जल प्रबन्ध में आधुनिक तकनीकें लागू करना, दुलर्भ सामग्रियां, उपयोग के लायक अन्वेषी नलकूपों का अधिग्रहण और वन भूमि को छोड़ने के लिए प्रक्रिया में शीघ्रता लाना शामिल है। इन प्रस्तावों में यह व्यवस्था है कि जल के अधिक कार्यक्षम उपयोग और सिंचाई प्रणालियों के आयोजन, क्रियान्वियन और प्रचालन में आधुनिक तकनीकों को लागू करने की ओर और अधिक ध्यान दिया जाएगा। इसी प्रकार जल-निकास और बाढ़ नियन्त्रण की ओर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा तथा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों को शीघ्रता पूर्वक कार्यान्वित किया जाएगा।

मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में होटल

218. **श्री रशीद मसूद** : निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अर्बन आर्ट कमीशन नगर तथा ग्रामीण आयोजन संगठन और कालीवाड़ी मन्दिर द्वारा आपत्ति किये जाने के बावजूद दिल्ली विकास प्राधिकरण बृहद योजना में परिवर्तन कर दिया और मन्दिर मार्ग पर होटल का निर्माण करने की अनुमति दे दी जो धार्मिक और संस्थागत उपयोग के लिए निर्धारित स्थल था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक संकल्प के माध्यम से मन्दिर मार्ग पर एक होटल के निर्माण के लिए संबन्धित क्षेत्र का सांस्थानिक (धार्मिक) से वाणिज्यिक (होटल) के लिए भूमि के उपयोग को बदलने की सिफारिश की है। एक मामला सरकार की जांच के अधीन है।

23 नवम्बर, 1981 को उत्तर के लिए पानी की लाइनें बिछाना

219. **श्री दया राम शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 अक्तूबर, 1981 के हिन्दुस्तान में लाइन पांच साल पहले बिछ गई, पानी आज तक नहीं मिला शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(क) तथा (ग) स्थिति का पता किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फ्लैट वायर्स मूव टू कोर्टस अगेन्स्ट बिल्डर्स डी० डी० ए० शीर्षक समाचार

220. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 31 अक्तूबर, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में फ्लेट वायर्स मूव टू कोर्टस अगेंस्ट विल्डर्स, डी० डी० ए० शीर्षक से प्रकाशित समाचार पढ़ा है ;

(ख) यदि हां तो फ्लैटों के मालिकों की शिकायतें क्या हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली प्राधिकरण ने भारी राशि के काले धन वाले बड़े-बड़े आढ़तियों से सांठ-गांठ करके इन तथाकथित निर्माण-कर्ताओं को नीलामी के द्वारा समूचा क्षेत्र दे दिया है,

(घ) उन डीलरों तथा आढतियों के क्या नाम हैं जिन्होंने हाल ही में नीलामियों में सारे के सारे प्लाट हथिया लिये हैं ; और

(ड.) इन कदाकारों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ड.) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

फाइव स्टार होटल के निर्माण के लिए संसद सदस्यों के बंगलों का गिराया जाना

221. **प्रो० मधु दडवते** : क्या निर्माण और आवस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाईव स्टार होटलों के लिए नई दिल्ली में संसद के पूल के कुछ मकानों को गिराया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कौन से मकान गिराए जा रहे हैं ;

(ग) संसद सदस्यों के आवास के स्थान में फाईव स्टार होटलों के निर्माण को प्राथमिकता देने के लिए कौनसी मजबूरियां थी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) विण्डसर प्लेस पर मकान, न० 7, 8 और 10 को ससद सदस्य पूल में थे और जो क्षेत्रीय विकास योजना में होटल के लिए लदिष्ट स्थल पर विद्यमान थे, को खाली करवा लिया गया था और उन्हें नई दिल्ली नगरपालिका को सौंप दिया गया था, जिनको सरकार ने यह होटल स्थल आवंटित किया था ।

(ग) उपर्युक्त तीन मकानों के बदले में, तीन वैकल्पिक आवासों पर संसद सदस्य पूल में शामिल कर लिया गया है । अत: संसद सदस्यों के आवास के स्थान पर फाईव स्टार होटलों के निर्माण को प्रथमिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सेना की वस्तुओं की सप्लाई के लिये टेण्डर

222. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेकि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि ट्रेड संख्या जे/12019/1/81-पुर: 11 दिनांक 11 सितम्बर, 1981 के अन्तर्गत सेना की वस्तुओं की सप्लाई का टेण्डर मैसर्ज गोयनका को दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सबसे कम बीसी दाता को आर्डर न देने के कारणों का ब्यौरा क्या है और क्या मैसर्ज गोयनका ग्रुप के प्रति अनुचित ढंग से पक्ष पात किया गया था ;

(ग) क्या सरकार इस समस्त मामले की जांच का आदेश देगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबन्धी कारणों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन)

(क) जी हां, टेण्डर इन्क्वायरी संख्या जे/12019/1/81-क्रय-11, दिनांक 11.9.1981 के प्रति सुरक्षा सेवाओं को 4500 लाख सिगरेट सप्लाई करने के लिए मैं० इनेकन्स एग्रो इण्डस्ट्रीज लि० कलकत्ता को न्यूनतम पेशकश के आधार पर एक ठेका दिया गया था । इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि यह फर्म "मैं० गोयनाका ग्रुप" की है।

(ख) यह ठेका बात-चीत करने के बाद न्यूनतम बोली देने वाले को दिया गया है । टेण्डर इन्क्वायरी संख्या जे/ 12019/1/81-क्रय- 11, दिनांक, 11.9.1981 के उत्तर में केवल दो टेण्डर प्राप्त हुए थे -एक मैं० गोल्डन टोबेकू [कं० लि०, बम्बई और दूसरे मैं० इन्कन्स एग्रो इण्डस्ट्रीज लि० कलकत्ता से इन टेडरों की विस्तृत रूप से जांच की गई थी और यह महसूस किया गया था कि पिछले क्रय दरों, जो कि पिछले वर्ष की ठेका दरों में 50 प्रतिशत से अधिक तक लागत में वृद्धि के आधार पर थीं, से मूल्य में कमी करने की सम्भावना थी । इसके अलावा, टैंडरों में समिति प्रतियोगिता थी । क्योंकि 3.6 करोड़ से भी अधिक मूल्य की खरीदारी की जानी थी, मूल्यों में मामूली कमी करने से भी सरकार को पर्याप्त बचत हो सकती थी । अतः अधिक प्रतियोगी और लाभकारी दरें प्राप्त करने की दृष्टि से खाद्य विभाग के आन्तरिक वित्त प्रभाग के परामर्श से दोनों टैंडरदाताओं के साथ बात-चीत के करने का निर्णय किया गया था । तदनुसार दोनों पार्टियों को बात-चीत के लिए बुलाया गया था लेकिन मैं० गोल्डन टोबेकू कं० लि०, बम्बई के किसी भी प्रतिनिधि ने बात-चीत में भाग नहीं लिया था । मैं० इंकन्स एग्रो इण्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता ने निर्धारित तारीख को बात-चीत में भाग लिया था और बात-चीत द्वारा तय की गई दरों की पेशकश की थी, ये दरें मैं० गोल्डन टोबेकू कं० लि०, बम्बई की दरों से बहुत कम थीं । बात-चीत करने से अन्ततः मूल्यों में की नई और इसके फलस्वरूप लगभग 25.5 लाख रुपये की बचत हुई थी । अतः न्यूनतम बोली देने वाले अर्थात मैं० इंकन्स एग्रो इण्डस्ट्रीज लि० कलकत्ता को टेका दिया गया था और फर्म के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस ठेके को देने में कोई अनियमितता नहीं की गई है क्योंकि यह ठेका सरकार के नियमों के अनुसार और क्रय कार्यविधि का बारीकी से अनुपालन कर बात-चीत करने के बाद न्यूनतम बोली देने वाली फर्म को दिया गया है।

गायों और बैलों का वध

223. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के बूचड़खानों में प्रतिदिन हजारों गायों और बैलों का वध करने के परिणामस्वरूप किसान कृषि-प्रयोजना के लिए बैल खरीदने की स्थिति में नहीं हैं और देश विनाश की ओर बढ़ रहा है,

(ख) यदि हां तो पशुओं की अन्धा-धुन्ध हत्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए जा रहे हैं;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : जी, नहीं ।

(ख) विभिन्न राज्यों में विद्यमान कानून के अनुसार उपयोगी बैलों का वध किया जा रहा है ।

गुजरात में तूफान के कारण फसलों को नुकसान और जानमाल की हानि

224. **श्री बी० डी० सिंह** :

श्री दौलत राम सारण : क्या कृषि मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में हाल में आये तूफान से फसलों को अनुमानत: कितनी क्षति हुई है तथा जान-माल की कितनी हानि हुई है, और

(ख) तूफान का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या पूर्वोपाय किये थे तथा उस स्थिति से निपटने के लिये क्या केन्द्रीय सहायता दी गई ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) गुजरात सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित अनुमानित क्षति हुई है :

प्रभावित समस्यागत क्षेत्र	16.70 लाख हैक्टार
मृत व्यक्तियों की संख्या	13
क्षतिग्रस्त/ढह गए मकान/झोंपडियों की संख्या	16.022
मृत पशुओं की संख्या	11.714
सड़क, सिंचाई, यिर्माण कार्यों, सरकारी भवनों आदि जैसी सार्वजनिक सम्पत्तियों को पहुंची क्षति का अनुमानित मूल्य	35.00 लाख रुपए

(ख) सावधानी की चेतवानी मिलते ही राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के जिलाधीशों को गांव खाली कराने, आश्रय शिवरों आदि की स्थापना जैसी सभी ऐतिहाती उपाय करने के लिए सचेत कर दिया था । रेडियों तथा अन्य माध्यमों से समुद्री तूफान आने तथा उसके मार्ग के बारे में में चेतवनी दे दी गई थी । राज्य सरकार के विभागों तथा होमगार्ड राज्य परिवहन आदि

जैसे संगठनों को काम पर लगा दिया गया था तथा तालुक, जिला और राज्य स्तर पर तत्काल नियन्त्रण कक्ष स्थापित किए गए थे। स्थिति की समीक्षा करने के लिए आवधिक बैठकें की गई।

राज्य सरकार से क्षति तथा मांगी गई केन्द्रीय सहायता की मात्रा का ज्ञापन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार के पास चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 956 लाख रुपए की मार्जिन धन राशि है जिसमें से राज्य सरकार तुरन्त राहत एवं पुनर्वास संबंधी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है। राज्य सरकार के लिये कृषि आदानों की खरीद करने एवं उनके विवरण के लिए पहले ही 8 करोड़ रुपए (खरीफ के लिए 5 करोड़ रुपए तथा रबी के लिए 3 करोड़ रुपये) का अल्पकालिक ऋण स्वीकार किया जा चुका है।

साउथ एवेन्यू में जल सप्लाई

225. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान साउथ एवेन्यू में जल की अनियमित सप्लाई की ओर दिलाया गया है।

(ख) क्या साउथ एवेन्यू में प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक तथा सांय 5 बजे से 7 बजे तक जल सप्लाई किया जाता है तथा प्रातः 9 बजे से 10 बजे तथा रात्रि 9 बजे के पश्चात भी जल की सप्लाई नहीं की जाती ;

(ग) क्या देर से तथा मनमाने ढंग से जल सप्लाई करना सामान्य बात हो गई है,

(घ) इसके क्या कारण हैं तथा जल सप्लाई में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) साउथ एवेन्यू के घरों में पानी प्रातः 5.30 बजे 1.30 बजे तक तथा सायंकाल 5 बजे से 9 बजे तक सप्लाई किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रामकृष्णपुरम में सड़कों का रख-रखाव

226. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में सरकारी भूमि पर कब्जा तथा नई दिल्ली की सरकारी कालोनियों में पहुंच मार्ग के

बारे में क्रमशः 31 अगस्त, 1981 और 7 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2163 और तारांकित प्रश्न संख्या 305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नही है कि रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में सभी भूमियां भूमि तथा विकास कार्यालय की हैं, यदि नहीं तो यह भूमि बताई जाये जो डी० डी० ए० के अन्तर्गत आती है;

(ख) विवादास्पद भूमि कब से अनाधिकृत कब्जे में है, किसके कब्जे में हैं और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय बनाने के लिए इसका कब्जा वापस लेने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या रामकृष्णपुरम के सेक्टर में ऐसे पहुंच मार्ग हैं जो पूर्णतः उपयोग के लायक नही हैं और मरम्मत के लायक नहीं है तथा उनके प्रारम्भिक निर्माण के बाद न तो उनकी मरम्मत की गई और न ही उन्हें दुबारा बनाया गया है ।

(घ) यदि हां, तो इस्तेमाल लायक मार्गों की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा जो मार्ग इस्तेमाल के लायक नहीं रह गए हैं उन सभी पर नियमित अन्तराल के बाद पर्याप्त रूप से उचित रख-रखाव किए जाने के लिए समेकित योजना बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जबकि रामकृष्ण पुरम में सारी भूमि सरकार की है, तब भी 187 एकड़ के माप का एक क्षेत्र जिसमें 74 स्थल हैं, हरित क्षेत्र बनाए रखने के लिए वर्ष 1974 तथा 1975 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपा गया था। अन्तरित किए गए स्थलों में मुख्यतया मार्गों सामुदायिक सेवाओं तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए खुली जगह थीं ।

(ख) सेक्टर 4 रामकृष्ण पुरम में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय के लिए उद्दिष्ट प्लाट पर एक स्कूल ने नवम्बर,1963 से अतिक्रमण किया हुआ है, इस समय जिसका नाम नेहरु बाल विद्यालय है, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अनाधिकृत दखलकारों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ।

(ग) जी, नहीं । वहां ऐसी कोई सड़क नहीं है जो उपयोग के लायक न हो। सेक्टर II रामकृष्ण पुरम में कुछ पहुंच मार्ग । सम्पर्क मार्ग है जिनकी मरम्मत अपेक्षित है परन्तु निधियों को अनुउपलब्धता के कारण भारी मरम्मत नहीं की जा सकी । छोटी-छोटी मरम्मत जब कभी आवश्यक होती है, हमेशा कर ली जाती है।

(घ) तथा (ड.) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नही उठता.

केरल में वर्षा के कारण धान को क्षति और सम्पत्ति की हानि

227. **श्री बी० के० नागर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान असाधारण वर्षा के कारण सारे केरल में धान जैसी फसलों की भारी क्षति हुई और सम्पत्ति का नुकसान हुआ ;

(ख) यदि हां, तो क्षति तथा नुकसान का अनुमान क्या है ;

(ग) क्या राज्य सरकार से उसके बारे में कोई ज्ञापन और सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(घ) केन्द्र द्वारा राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण और पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) केरल सरकार की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित क्षति तथा हानि हुई है :—

क्षति की किस्म	
(1) मृत व्यक्तियों की संख्या	61
(2) घायल व्यक्तियों की संख्या	172
(3) मृत मवेशियों की संख्या	14
(4) प्रभावित जनसंख्या	38.53 लाख
(5) नष्ट हुए घरों की संख्या	2670
(6) क्षति-ग्रस्त घरों की संख्या	14238
(7) प्रभावित फसल क्षेत्र	0.64 लाख हैक्टार
(8) सुपारी, नारियल, केला तथा क्षतिग्रस्त वृक्ष-फसल की संख्या	7.52
(9) सडकों, समुद्री किनारों, बांधों, लघु सिंचाई कार्यों, बाढ़ से बचाव हेतु बने किनारों आदि से संबंधित सार्वजनिक सम्पत्ति की हुई क्षति का अनुमानित मूल्य	3186.37 लाख रुपये

(ग) तथा (घ) केरल सरकार के अनुरोध पर एक केन्द्रीय दल ने वर्षा तथा बाढ़ से हुई क्षति तथा राहत व पुनर्वास के लिए आवश्यक व्यय का अनुमान लगाने के लिये 26 से 29 सितम्बर, 1981 तक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। केन्द्रीय दल की सिफारिश पर राहत विषयक उच्चस्तरीय समिति द्वारा विचार होने के उपरान्त बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत व पुनर्वास और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक सम्पति की मरम्मत के लिये व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

कृषि आदानों की खरीद तथा वितरण के लिए, भारत सरकार ने 3 करोड़ रुपये (खरीफ हेतु 1 करोड़ रुपये तथा रबी हेतु 2 करोड़ रुपये) के लघु अवधि ऋणों की स्वीकृति दी है।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई नहरों के लिए राशियां

228. **श्री जैनुल बशर** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत क्या है और सरकार ने उनके लिए कितनी राशियां उपलब्ध की हैं ;

(1) शारदा सहायक नहर

(2) देवकाली पम्प नहर

(3) जमानिया पम्प नहर ;

(ख) अब तक किये गये कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) परियोजनाओं को कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन और वित्त-पोषण राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। तथापि, एक विवरण संलग्न है जिसमें उपलब्ध सूचना दी गई है।

विवरण

	शारदा सहायक	जमानिया पम्प नहर की क्षमता में वृद्धि करना	देवकाली पम्प नहर की क्षमता में वृद्धि करना
क—अनुमानित लागत और व्यय की स्थिति (लाख रुपये)			
(1) अनुमानित लागत	34687.00	1084.63	1429.00
(2) 1979-80 के अन्त तक हुआ वास्तविक व्यय	30351.92	190.63	1091.74
(3) 1.4.80 को आगे ले जाया गया व्यय	4335.08	894.00	337.26
(4) 1980-85 के लिए परि-व्यय	4335.00	894.00	337.00
(5) 1980-81 के लिए परिव्यय	2375.00	150.00	120.00
(6) 1981-82 के लिए परिव्यय	1800.00	150.00	80.00

ख—पूरा होने का संभावित

लक्ष्य छठीं योजना छठी योजना छठी योजना

स्वीकृति के लिए बरूका उठाऊ सिंचाई परियोजना

229. **श्री केयूर भूषण** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने बरूका सिंचाई परियोजना के बारे में केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदन भेज दिये हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार ने उन पर इस बीच स्वीकृति दे दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इस सिंचाई परियोजना पर कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से बरूका लिफ्ट-लिफ्ट सिंचाई स्कीम के बारे में रिपोर्ट अभी तक केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

विकलांग व्यक्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का आवंटन

230. **श्री एन० ई० होरो** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री सूरज भान : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर, 1981 के "इन्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विज्ञापन के माध्यम से यह वायदा किया है कि विकलांग वर्ष के दौरान सरकार 1979 योजना के अन्तर्गत पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों को विशेष रियायत देगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण विकलांगों की सहायता के लिए एक कदम आगे बढ़ने की बजाय वास्तव में दो कदम पीछे हटा है तथा अधिक आसानी से पहुंचे जा सकने वाली तथा अच्छी कालोनियों में एक प्रतिशत फ्लैट अरिक्षित करने की बजाय उसे विकलांगों के कोटे से छीन लिया गया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि जो फ्लैट दिये जा रहे हैं वे सभी दूर के इलाकों में हैं और इस प्रकार विकलांग व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से अलग हो जायेंगे और समाज से हिममिल नहीं पायेंगे ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वह सरकारी हिदायतों के अनुसार अच्छी कालोनियों में फ्लैटों के आबंटन के लिए एक प्रतिशत सुरक्षित कोटा बनाए रखे हुए हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विकलांग व्यक्तियों को उनके अनुरोध पर उनकी पसन्द वाली कालोनियों में फ्लैट आवंटन किये जाते हैं। यदि उस कालोनी में कोई फ्लैट उपलब्ध नहीं है तो उनकी पूर्व सहमति से उन्हें अन्य कालोनियों में फ्लैट आवंटन के लिए विचार किया जाता है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण के लिए समझौता

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) आप खड़े हो जाइए तो हम बैठ जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आप बैठिए।

श्री हीरालाल आर० परमार (पाटन) अध्यक्ष महोदय, मुझे जीरो आवर में कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए तो सही।

श्री राजेश कुमार सिंह : (फिरोजाबाद) अब ये शुरू होंगे।

अध्यक्ष महोदय : कुछ असर तो होना चाहिए, इतनी देर का कोई असर नहीं होगा?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं इस भव्य सभी को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपके सहयोग से तथा हम राष्ट्र की भलाई के लिए मैं इस सभा का कार्य बहुत ही रचनात्मक तथा उत्पादक ढंग से चलाना चाहता हूं। मैं किसी प्रकार की चर्चा को रोकना नहीं चाहता, चाहे यह विषय कुछ भी हो। यही आश्वासन मैं बार बार देता रहा हूं किन्तु कई बार मेरे मित्र इस बात को महसूस करते हैं कि यह काम एक विशेष ढंग से किया जाना चाहिए। यह बात ठीक है कि वह विशेष ढंग उनकी पसन्द का हो किन्तु यह मेरी अथवा किसी अन्य व्यक्ति की पसन्द का न हो। मुझे अपने सोच विचार तथा अन्तः करण के अनुसार कार्य करना होता है तथा मुझे नियमों से भी मार्ग दर्शन प्राप्त करना होता है कई बार मैंने देखा है कि मेरे द्वारा दिये गये विनिर्णय भी मेरी पसन्द के नहीं क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ नियम ऐसे हो सकते हैं जो औपनिवेशिक दिनों से चले आ रहे है, किन्तु क्या वह मेरा कानून है? नहीं

इसका निर्णय तो इस भव्य सभा ने करना है । मैं कानून बनाने वाला प्राधिकारी नहीं हूं । मैं इन्हें बदल नहीं सकता। मैंने कार्य करना है (व्यवधान) मुझे कह लेने दीजिये । आ मेरी बात में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ।

जब मैं यह कहता हूं तो मैं हम भव्य सभा से अपील करता हूं । किय दि वह चाहे तो इन नियमों को बदल सकते हैं । यह सभा ही ऐसी संस्था है जो इन्हें बदल सकती है । वह नये कानून बना सकती है और पुराने कानूनों को रद्द कर सकती है यही बात वास्तविक है । किन्तु मैं एक न्यायाधीशहू की तरह हूं क्या एक न्यायधीश कानून बना सकता है ? नहीं वह कानून नहीं बना सकता । वह, इसकी केवल व्याख्या ही कर सकता है आपको इस पर विचार करना होगा यही कुछ मैं कहना चाहता हूं । यदि आप चाहते हैं तो नियमों को बदल दीजिये । किन्तु सारा बोझ मेरे कन्धों पर मत डालिये आपको यह काम करना ही है क्योंकि यह एक सामूहिक उत्तरदायित्व है मैं तो आप द्वारा नियुक्त किया गया हूं मैं कुछ भी नहीं हूं । जब तकआप चाहते है, तब तक मैं यहां हूं मैं यहां बैठ सकता हूं अथवा मैं अपने घर जा सकता हूं मुझे इसकी चिन्ता नहीं है । किन्तु मैंने आप द्वारा बनाये गये नियमों तथा कानूनों के अनुसार कार्य करना होता है । जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैंने आपको समाज के किसी वर्ग विशेषकर कमजोर वर्गों पर होने वाले किन्हीं अत्याचारों के बारे में बताया है । एक कमजोर व्यक्ति अथवा एक गूंगे व्यक्ति अथवा मैं यह कह सकता हूं कि उन लोगों के संरक्षण की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये तो आवाज नहीं उठा सकते । उनको अधिक संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है और हम देश के किसी व्यक्ति के विरुद्ध किये गये प्रत्येक कार्य की सुस्पष्ट रूप से निन्दा की जानी चाहिये । यही मेरा अभिप्राय है मैं सदैव यही यही करता रहा हूं और अभी भी मैं वैसा ही करूंगा । और आपके सूचनार्थ आप कह सकते हैं कि मैं इस दृष्टि कोण अथवा उस दृष्टि कोण से कार्य करता हूं । कृपया मेरे साथ चर्चा कीजिये और मुझे उचित मार्ग महसूस कराइये और यदि मैं गलती पर हूं तो मुझे मार्ग दिखाइये । तब मैं आपकी इच्छानुसार मार्ग दर्शन प्राप्त करूंगा यही कुछ मैं करना चाहता हूं हमें सभा की कार्यवाही करने दीजिये और पुनः मेरा आश्वासन यह है कि मैं प्रमास करूंगा कि सभा में किसी विषय पर किसी चर्चा को रोका न जाये और इसी के लिए मैं निवेदन करता हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उतर पूर्व) : मैंने अपना स्थगन प्रस्ताव दिया है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठिये, सबकी बात सुनूगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपकी कार्यसूची के अनुसार मन्त्री महोदय ने अन्तरांष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण के सम्बन्ध में वक्तव्य देना है । किन्तु हमने इस मामले के सम्बन्ध में स्थगत प्रस्ता दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी नियम को देखा है ?

डा०सुब्रह्मण्यम स्वामी : बिलकुल मैंने देखा है । मुझे अपनी बात कह लेने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : बात कह लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि जहां तक देश को आर्थिक नीति में परिवर्तन लाने का सम्बन्ध हैं, वह यह पसन्द नहीं करेगी कि संसद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदेश में कोई हस्तक्षेप करें। उसे यह आश्वासन नहीं देना चाहिये था। अतः इस विषय पर उचित रूप से चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं कह रहा हूं। कि हम इस पर चर्चा करेंगे।

डा०सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। यही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वक्तव्य है। हम जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमें सभी बातें पता चल जायेंगी। हम पर पूरी चर्चा की जायेगी। (**व्यवधान**) आप सब क्यों बोल रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) मैं एक बात कह रहा हूं। डा० सुब्रह्मण्यम द्वारा कहे जाने के सम्बन्ध में आपने कहा है क्या आपने स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी नियमों को पढ़ा है। आपने इस सम्बन्ध में किस नियम के अनुसार कार्य किया है और किस नियम ने आपको स्थगन प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार करने से रोका हैं ? हमें इस बारे में बहुत ही स्पष्ट हो जाना चाहिये। इस मामले के सम्बन्ध में विरोधी पक्ष में अधिकतम सहमति है कि जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सम्बन्ध है हमारी आर्थिक नीतियों को अवहेलना की जा रही है और हम वास्तव में आजादी और स्वतंत्रता को खाते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इसी मामले पर चर्चा करेंगे (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आप बहुत अधिक हस्तक्षेप करते हैं। कृपया मुझे क्षमा करें मैं अपनी निन्दा नहीं कर रहा हूं। यह तो केवल प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रोफेसर हैं, मैं इस बात को बुरा नहीं मानता।

प्रो० मधु दंडवते : मैं तो आपको यह बताना चाहता हूं कि मानवीय वित्त मन्त्री द्वारा एक वक्तव्य दिया जाने वाला है। मैं यह जानता हूं कि आप ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुये प्रबन्ध के सम्बन्ध में सरकारी प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार किया है। किन्तु आप यह भी जानते हैं कि स्थगन प्रस्ताव में निन्दा का तत्व होता है। सरकार ने इतनी बड़ी गलतियां की हैं कि हम केवल वक्तव्य से संतुष्ट नहीं होंगे।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य का प्रश्न नहीं है। इस पर पूरी चर्चा की जायेगी।

कुछ माननीय सदस्य : ऐसी बात नहीं है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं हैं ? (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह एक सम्पन्न कार्य है।

प्रो० मधु दंडवते : आपको इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इसे मुँह जबानी याद कर लिया है। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि स्थगन प्रस्ताव में निन्दा का तत्व होता है और सरकारी प्रस्ताव में निन्दा का कोई तत्व नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि मैं इसे आपसे पढ़ने को कह रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप यह आशा करते हैं कि सरकार तक ऐसा प्रस्ताव पेश करेंगे। जिसके द्वारा सरकार की निन्दा की जा रही हो ?

अध्यक्ष महोदय : नियम 58 में यह कहा गया है :

"प्रस्ताव में उस विषय को पूर्वाशा न की जाएगी। जो विचार के लिए पहले ही नियत किया जा चुका हो। यह निर्धारित करने के लिए कि पूर्वाशा के आधार पर चर्चा नियम बाह्य है या नहीं अध्यक्ष उचित समय के भीतर पूर्वाशित विषय के सभा के सामने आने की सम्भाव्यता का ध्यान रखेगा।"

किन्तु इसके सम्बन्ध में नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : आप बहुत ही गलत व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे सामने भी यह है ···(**व्यवधान**)। हमें स्वयं वित्त मन्त्री द्वारा इस सभा पटल पर आश्वासन मिला था कि जब भी ऋण सम्बन्धी समझौता होगा वह इसे सभा के समक्ष लायेंगे और चर्चा करेंगे। **(व्यवधान)**।

प्रो० मधु दंडवते : आप इस नियम की व्याख्या कर रहे हैं। आप अनजाने में ही उस नियम की गलत व्याख्या कर रहे हैं। हम इस करार की पूर्वाशा नहीं कर रहे हैं। करार पहले ही किया जा चुका है विचरार्थ प्रस्ताव कुछ अन्य बात है। आप तो यह व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं कि यह समझौता नहीं किया जाता है, हम इसको पूर्वाशा कर सकते हैं···

श्री इन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : कौनसा नियम आपको इस स्थगन प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार करने को रोकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इस नियम पर चर्चा की स्वीकृति प्राप्त कर दी है।

श्री इन्द्रजीत यादव : इसकी स्वीकृति देने का प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न यह है कि सरकार ने संसद को विश्वास में नहीं लिया है और इस प्रकार का करार किया है।

अध्यक्ष महोदय : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह बात याद रखी जायेगी कि वित्त मन्त्री महोदय ने 17 अगस्त, 1981 को सभा को सूचित किया कि "यद्यपि शोधन शेष की स्थिति में समायोजन का कार्यक्रम चल रहा है लेकिन पिछले दो वर्षों में तेल की किमतों के दुगना हो जाने से पैदा हुई शोधन शेष की स्थिति से निपटने के लिए हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्धकों के साथ 5 अरब एस० डी० आर० के बराबर की राशि का उधार लेने की सम्भावना पर विचार कर रहे हैं। "चूंकि इस ऋण के बारे में

अभी बात-चीत चल रही है, इसलिए माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि फिलहाल इस बारे में और आगे चर्चा करना उचित नहीं होगा।" (व्यवधान)। कृपया सुनिये। मुझे बात समाप्त कर लेने दीजिए। (व्यवधान)। आप पहले मेरी बात सुनते क्यों नहीं हैं? सुन तो लो पहले। आप जल्दी क्यों करते हैं? उन्होंने कहा था,

"जब इस विषय में प्रबन्धकों को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा। तब मैं इस सम्बन्ध में एक और वक्तव्य दूंगा।"

इस सत्र के पहले ही दिन कार्य सूची में यह संख्या 11 में इस विषय पर वित्त मन्त्री द्वारा वक्तव्य दर्शाया गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मेरा प्रस्ताव थोड़ा भिन्न मामले के बारे में है। यह प्रश्न नहीं है कि वित्त मन्त्री उनके द्वारा प्राप्त ऋण की शर्तों को अब हमारे सामने रखा रहे हैं। मेरा स्थगन प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रभुसत्ता सम्पन्न इस संसद के साथ विश्वासघात के सम्बन्ध में है। यही मुख्य मामला है। विश्वास घात पूरा हो चुका है। मन्त्री महोदय यहां तक कह गये हैं कि इस देश का बजट भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार किया जायेगा··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर चर्चा कीजिये। आप उसका पूर्वानुमान कैसे कर सकते हैं? आप डिस्कस करेंगे तभी बनेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वह ऐसा कैसे कर सकते हैं। अवश्य ही त्याग पत्र दे देना चाहिये। सबसे कम बात वह यही कर सकते हैं (व्यवधान)।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या आज वह दस्तावेजों के साथ सभा में आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, वह दस्तावेजों के साथ आयेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय करार को भी सभा पटल पर रखा जायेगा।

प्रो० मधु दंडवते : हमारा समूचा तर्क यह है कि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हम इसे रोकना चाहते है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वित्त मन्त्री द्वारा किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा होने से पूर्व जिसे आपने विचारार्थ स्वीकार किया है यह बताया जाय कि उस करार का पाठ कहां है जिस हस्ताक्षर किए गये हैं?

अध्यक्ष महोदय : उसे आज रखा जायेगा। उसे आने दीजिए, वह कहते क्या हैं, यह तो देखिये। तब आप कहिए। डिस्कशन की तो कल तारीख रखेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : संसद के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। ऋण लेने वाला यह पहला देश नहीं है। कोई ऐसा मामला नहीं है जहां संसद की इस प्रकार अवहेलना की गयी है। उसे ऐसे वचन नहीं देने चाहिए। (व्यवधान)

···

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा कीजिए । आप तर्क प्रस्तुत कीजिए । आपके तर्कों का स्वागत है ।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने का सम्बन्ध है । जो समाचार पत्रों में छपा है, हम उसे पूरी तरह सही समझ लेते हैं और उसके आधार पर हमने एक स्थगत प्रस्ताव रखा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप उनका स्टेटमेंट सुनिए, फिर तारीख मुकर्रर कर लेंगे, जितनी मर्जी हो काहियेगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : हम तो सेंशर करना चाहते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या हमारी संसद का दर्जा ब्रिटिश संसद से कम है ? (**व्यवधान**)

आचार्य भगवान देव : (अजमेर) अध्यक्ष जी, 21 तारीख के क्लिप्टन में निकला है कि जनता पार्टी के राज्य मन्त्री, श्री सतीश अग्रवाल ने झूठ बोला है, मैंने आपको लिखा भी है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे कंसीडरेशन में है वह ।

प्रो० मधु दण्डवते : हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सम्बन्धी मामले की चर्चा करनी चाहिए । जब तक हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मामले पर चर्चा नहीं कर लेते हैं तब तक आप अन्य सदस्यों को हस्तक्षेप करते क्यों दे रहे हैं ? हमें इस मामले को सदैव के लिए निपटा लेना चाहिए (**व्यवधान**) । अब तक दस्तावेजों को सभा पटल पर नहीं रखा गया है । इसलिए समाचार पत्रों में जो कुछ छपा है वह सही है (**व्यवधान**) ।

आचार्य भगवान देव*

अध्यक्ष महोदय : यह बात मेरे विचाराधीन है । हमसे अधि कुछ नहीं कहा जाना चाहिए इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसके बारे में मन्त्री महोदय वक्तव्य देंगे कि शर्तों का नहीं है । प्रश्न यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारतीय प्रतिनिधि ने कहा है कि वह संसद को देश की आर्थिक नीति के निर्माण में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : हम इसका ध्यान रखेंगे, हमारे पास तथ्य होने चाहिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम पहले इस पर चर्चा करना चाहते हैं और स्थगन प्रस्ताव द्वारा हम सरकार की निंदा करना चाहते हैं । (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वे समझते हैं कि हमारी संसद का दर्जा ब्रिटेन अथवा इटली की संसद से कम है ? वहां इन बातों पर चर्चा हुई थी ।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री के० पी उन्नीकृष्णन (बडागरा) : में एक स्पष्टीकरण मांग रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान : मेरा आप से इतना ही निवेदन था कि इस सम्बन्ध में जो हमने एन्जानमैंट मोशन दिया है, आप उनको पढ़ दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी नहीं पढ़ता, आज क्या पढ़ूगा ? यह रिवाज नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : आप जो कह रहे हैं और हमने जो नोटिस दिया है, दोनों में अन्तर है। इसलिए जो आप कह रहे हैं, उसमें नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कल विजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप निश्चित कर लीजिए। जो सारा मसाला वह पेश करना चाहते हैं, वह आप दे दीजिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो आर्ग्यू करवाने की बात कर रहा हूं, कि आप अपना आर्ग्यूमेंट रख लीजिये। (**व्ययधान**)।

प्रो० मधु दण्डवते : आप इस मामले के बारे में अपनी दलीलें क्यों नहीं देते प्रश्न यह है, आप कह रहे हैं कि चूंकि मामला विचाराधीन है अतः स्थगन प्रस्ताव को पेश नहीं किया जा सकता। हमने किसी भिन्न विषय पर एक स्थगन प्रस्ताव दिया है जो जार्ज-फर्नांडीस ने ठीक ही कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में हमारे प्रतिनिधि ने एक बड़ा विश्वास-घात किया है और यहां तक कहा है कि इस विशेष करार को लागू करने के मामले में संसद को बाधा नहीं डालने दी जाएगी। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप यह तभी कह सकते हैं जब वह चर्चा चले कि क्या यह विश्वास-घात है अथवा नहीं। जब वह कहेंगे और आप कप्रगे तो हमें पता चलेगा कि क्या यह विश्वासघात है अथवा नहीं। (**व्यवधान**)

श्री के० पो० उन्नीकृष्णन : क्या आप इस बात को मानते हैं कि सभा विनियोग तथा कराधान के बारे में प्रभुसत्ता सम्पन्न है ? क्या यही संवैधानिक व्यवस्था है ? क्या आप उसे स्वीकार करेंगे ? क्या वित्त मंत्री को उस व्यवस्था को बिगाड़कर निर्णय लेने की प्रक्रिया को वाशिंगटन स्थित एक संस्था को हस्तांतरित करने का अधिकार है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर विचार कर चुके हैं। अब मुझे उनकी बात सुननी है।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नांडीस : यह संसद का पूर्ण अपमान है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप कह रहे है कि जब हम मन्त्री के प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लें तो उस समय हम किए गए करार के गुण दोषों के बारे में जो चाहे कह सकते हैं। हमारा प्रश्न वह नहीं है कि हम संसद की अवहेलना करके करार करने के लिए सरकार की निंदा करना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप उस प्रस्ताव का संशोधन लाये। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : इस बारे में हम लोगों का मोशन है। पहले सत्र में भी हमने विजिनेस एडवाइजरी कमेटी में मांग की थी इस पर लिसकशन करवाया जाए। जब सरकार ने सारा काम कर लिया पार्लियामेंट को अन्धकार में रखकर, देश को वेच कर, देश के एक एक बच्चे को गिरवी रख कर, जब आप इस पर डिसकशन करवा रहे हैं सरकार का वक्तव्य देने का राइट है, लेकिन हम लोगों का भी प्रस्ताव देने का राइट है।

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा के दौरान अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत यादव : आपने कहा है कि वित्त मिन्त्री ने सभा में एक वक्तव्य देकर यह आश्वासन दिया है कि वह इस बारे में एक वक्तव्य देंगे। यह आपकी दलील है लेकिन हमारा कहना है कि वित्त मन्त्री ने यह नहीं कहा कि करार करने के बाद और इसे अन्तिम रूप देने के बाद वह सभा के सामने आयेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। जब उन्होंने कहा कि वह संसद के सामने आयेंगे तो हमने सोचा कि वह समझौता का अन्तिम रूप देने से पहले संसद के सामने आयेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री इन्द्रजीत यादव : ये लोग मजाक उड़ायेंगे। उनके दिल में राष्ट्रीय एकता के लिये कोई भी आदर नहीं मैं। कहना चाहूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण करार हमारे राष्ट्रीय सम्पन्न के विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपको याद दिला सकता हूं कि उन्होंने यह कहा था :—

"मैं करार को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद इस बारे में आगे वक्तव्य देने का विचार रखता हूं।"

यह सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में है।

इन्द्रजीत यादव : उसका अर्थ यह नहीं है कि वे हस्ताक्षर करने के बाद ही सभा के सामने आयेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है प्रबन्धकों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद।

श्री इन्द्रजीत यादव : मैं आपको सूचना में यह बात लाना चाहता हू कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक निदेशक, जिसने जानबूझ कर दस्तावेज का रहस्योद्घाटन किया, ने कहा था, "यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, मैं भारतीय जनता तथा संसद को अन्धेरे मे नहीं रखना चाहता (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर देंगें। वह संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। इन्हें उत्तर देने दीजिये।

श्री इन्द्रजीत यादव : हमारा अनुरोध यह है कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी दलीलों द्वारा जो कुछ चाहें कह सकते हैं और इन्हें यहां उत्तर देना है। सरकार सभा के प्रति उत्तरदायी है।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : यह प्रश्न प्रक्रिया से सम्बन्धित है। बार बार उठाया गया प्रश्न यह है। कि जब हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई ऋण लेते हैं तो हमें संसद की अनुमति लेनी चाहिये, यह उसके लिये पहली शर्त है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह पहला अवसर नहीं है जब भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया हो। जनता शासन के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया गया था वे मन्त्री रहे हैं और इन्हें इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या उस समय भी संसद को विश्वास में लिया गया था अब इस बारे में विचित्र बात क्या है ? श्री गुप्त ऐसा कहें तो मैं समझ सकता हूं लेकिन जहां तक प्रो० मधु दंडवते तथा जार्ज फर्नान्डीस का सम्बन्ध है, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिये। अब ये क्या कहना चाहते हैं ? क्या हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पहली बार ऋण ले रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर० परमार : अध्यक्ष महोदय, देश में हरिजनों का जो सामूहिक कत्ल हो रहा है, उससे देश की एकता को खतरा है। यह सिर्फ प्रोसीजर का सवाल नहीं है। सरकार गंभीरता से सोचे कि हरिजन मुसलमान क्यों हो रहे हैं। वह उन लोगों को बचाए। होम मिनिस्टर इसमें असमर्थ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हरिजनों को बचाया जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : हम अपने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे कुछ बुनियादी समस्यायें जुड़ी हैं. समझौता होने के बारे में संसद को केवल सूचित करना ही काफी नहीं है···

अध्यक्ष महोदय : यह केवल मात्र सूचना ही नहीं है, इस बारे में पूरी चर्चा होनी वाली है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस प्रकार का समझौता आज तक कभी नहीं हुआ है। इस देश के लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते। संसद की अवहेलना की गयी है. (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप संसद की प्रतिष्ठा तथा अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा करने का प्रयास कर रहा हूं। इससे चर्चा के लिये पूरा समय मिल जायेगा।

प्रो० मधु दंडवते : यह संसद के अधिकारों के उल्लंघन का एक स्पष्ट मामला है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह संसद की शक्तियों का सौदा है।

अध्यक्ष महोदय : संसद सर्वोच्च है। मन्त्री तथा सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। इसके लिये मैं पूरी चर्चा की अनुमति दूंगा (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उस पर चर्चा की जायेगी ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि ऐसा है तो इस मामले में वित्त मन्त्रालय ने यह समाचार प्रकाशित करके इस बात से इनकार क्यों नहीं किया कि उनके प्रतिनिधि ने बादा किया है कि संसद की अवहेलना की जायेगी ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होगा । इस बारे में पूरी चर्चा होगी (व्यवधान)

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : पिछले सत्र हैं अविश्वास प्रस्ताव पर वाद विवाद के समय हमने आपत्ति की थी कि जिस ढंग से सत्र से पहले अध्यादेश जारी किये गये हैं और जिस ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से समझौते की बात चल रही है वह संसदीय प्रजातंत्र को उलट पुलट करता है और यह एक बड़ा अपमान है । हमने यह भी कहा है कि अनिवार्य सेवा अधिनियम उसी गुप्त समझौते का परिणाम हैं । अन्य लाखों लोग इस अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समझौते तथा अनिवार्य सेवा अधिनियम की निंदा करने के लिए बोट क्लब मैदान आये हैं । सरकार इसके लिये कूट निंदा के पात्र है । उस हेतु जिस चर्चा के लिए अनुमति मिले वह स्थगन प्रस्ताव के ही रूप में होनी चाहिए ।

श्री सत्या साधन चक्रवर्ती (कलकत्त-दक्षिण) : हम सरकार की निंदा करना चाहते हैं ।

श्री समर मुखर्जी : इसकी चर्चा स्थगन प्रस्ताव के रूप में होनी चाहिए किसी अन्य रूप में नहीं । यह संसदीय प्रजातंत्र को पूर्णतः उलट पुलट करना है हमने इस प्रश्न को नहीं उठाया, हमने इसे बहुत पहले उठाया था ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : इस सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को स्वीकार करके देश की आर्थिक गुलामी को स्वीकार किया है । इसी कारण हम इसका विरोध कर रहे हैं और हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है । हम निंदा करना चाहते हैं और हम आपके विचारार्थ इस स्थगन प्रस्ताव को लाये हैं । हम इस ऋण का पूर्णतः विरोध कर रहे हैं ।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : आपको इस बारे में निर्णय देने से पहले संविधान के दो प्रावधानों पर विचार करना चाहिये । सबसे पहले, हर वित्तीय वर्ष शुरू होते ही सरकार को अपनी सम्भावित आय के बारे में सभा को बताना होता है । यदि वे समझते हैं कि अगले वर्ष उनकी आय विदेशी ऋणों द्वारा होगी तो संसद को इस बारे में विश्वास में लिया जाना चाहिये । इसका सुझाव नहीं दिया जा सकता कृपया दो मिनट के लिये मेरी बात सुनिये । यह नहीं कहा जा सकता···कि अचानक ही वर्ष के मध्य में उन्होंने अनुभव किया है कि वे वित्तीय दृष्टि से दीवालिये हैं और उन्हें पैसा उधार लेना पड़ा है ऐसा नहीं हो सकता । अतः पहले बजट में प्रावधान किया जाना चाहिये···

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर चर्चा कर सकते हैं ।

श्री राम जेठ मलानी : कृपया बिना सुने 'नहीं' न कहें···

अध्यक्ष महोदय : आप ये सब दलीलें चर्चा के दौरान दे सकते हैं ।

श्री राम जेठ मलानी : ऋण लेकर सरकार सारे राष्ट्र की सम्पत्ति को सहन रख रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप इन सब बातों की चर्चा कर सकते हैं । ये दलीलें हैं ।

श्री राम जेठ मलानी : आप ऐसा नहीं कर सकते । जब आप उधार लेते हैं तो आप हर नागरिक के अधिकारों को रहन रखते हैं आप संसद के अधिकार तथा स्वीकृति बिना ऐसा नहीं कर सकते । अतः इस मामले में

अध्यक्ष महोदय : मैं सहमत नहीं हूं ।

श्री राम जेठमलानी : काम हो जाने के बाद आप हमारा सामना नहीं कर सकते । इस संसद को अपना निर्णय देने दीजिये ।

श्री घनिकलाल मंडल (झन्झारपुर) : मैं आपको दो उदाहरण देता हूं, जहां जहां पार्लियामेंट है, वहां पार्लियामेंट की इजाजत लेकर ही···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मै इस पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दूंगा । मैं कल की बैठक के बाद आश्वसन दे सकता हूं ।

कल आपकी मीटिंग है आप उसमे टाइम फिक्स कर लीजिएगा । (**व्यवधान**) मैं आपको पूरा अवसर दूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय आपको परसों पहले ही बताया जा चुका है कि हम एक स्थगन प्रस्ताव लायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सन्तुष्ट नहीं हूं (**व्यवधान**) श्री रामवतार शास्त्री ।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : आप एक सवाल का जबाव दीजिए । ये लोग शासन करने आए हैं या देश को बेचने आए हैं । इस बात का जबाब आप दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह विषयेत्तर बात है ।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : विपक्ष के कुछ सदस्य उच्चतम न्यायालय में यह तर्क देते रहे हैं कि संसार सर्वोच्च नहीं है । परन्तु यहां वे कह रहे है कि संसद सर्वोच्च है । (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत कर लीजिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : हम इस संसद के सम्मान को ठेस पहुंचाना सपन नहीं कर सकते हैं अतः हम सदन त्याग करना चाहते हैं । और सदन त्याग करते हैं ।

(प्रो० मधु दण्डवते और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे । श्री भीष्म नारायणसिंह ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) विवरण संख्या 14—	सोलहवां सत्र, 1976	पांचवी लोक सभा
(दो) विवरण संख्या 22—	सातवां सत्र, 1979	छठी लोक सभा
(तीन) विवरण संख्या 10—	आठवां सत्र, 1979	
(चार) विवरण संख्या 8—	पहला सत्र, 1980	
(पाँच) विवरण संख्या 10...	दूसरा सत्र, 1980	सातवीं लोक सभा
(छः) विवरण संख्या 14—	तीसरा सत्र, 1980	
(सात) विवरण संख्या 7—	चौथा सत्र, 1980	
(आठ) विवरण संख्या 6—	पाचवां सत्र, 1981	
(नौ) विवरण संख्या 7—	पांचवां सत्र, 1981	
(दस) विवरण संख्या 1—	छठा सत्र, 1981	

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—2881/81]

केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, नई दिल्ली और नेशनल इंस्टीच्यूट आफ हाइड्रालोजी रुड़की के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षाएं ।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव वीरेन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखिति पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1 भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1982 की धारा 31 की उपधारा 1) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—2882/81]

(3) (एक) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ हाइड्रालोजी, रुड़की वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ हाइड्रालोजी, रुड़की के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए सं० एल० टी० —2883/81]

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : मैं निम्नलिखिति पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र ।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए सं० एल० टी०—2884/81]

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड जयपुर की वर्ष 1979-80 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारणों का विवरण ।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति :—

(एक) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रण महालेखापरीक्षक टिप्पणियां ।

(2) उपरोक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०— 2885/81]

केरल के राज्यपाल द्वारा केरल के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को भेजी गई उद्घोषणा आदेश और प्रतिवेदन ।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत केरल राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 21 अक्तूबर, 1981 को जारी की गई उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 564 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(2) उपरोक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा दिए गये दिनांक 21 अक्तूबर, 1981 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 565 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) केरल के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गये दिनांक 20 अक्तूबर, 1981 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करक्ष) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2886/81]

31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, निक्षेप बीमा और ऋण गारन्टी निगम, बम्बई का 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष का कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन, असम वित्त अधिनियम, 1981 केन्द्रीय उत्पाद नियम, 1944 आयकर अधिनियम, 1961 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन अधिसूचनायें तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण आदि के सम्बन्ध में विवरण।

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भगन भाई बारोट) : मैं निम्नलिखित पत्र समापटल पर रखता हूं :

(क) (1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति पुनः सभा पटल* पर रखेंगे :—

(क) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ख) 31 दिसम्बर 1980 को समाप्त हुए वर्ष के बैंक आफ इंडिया के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकरण

* ये प्रतिवेदन पहले 13 सितम्बर, 1981 को सभा पटल पर रखे गये थे।

तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(घ) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के बैंक आफ बडौदा के कार्यक्रम तथा क्रियाकलापो सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ङ) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के यूनाइटेड कमर्शल बैंक के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरोक्षक का प्रतिवेदन ।

(च) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के केनरा बैंक के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(छ) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के देना बैंक आफ इण्डिया के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सेम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ज) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के सिंडिकेट बैंक के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(झ) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के सिंडिकेट बैंक के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ञ) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के यूनियन बैंक आफ इण्डिया के कार्यकरण तथा क्रिया कलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ट) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के इलाहाबाद बैंक के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ठ) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के इण्डियन बैंक के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ड) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के बैंक आफ महाराष्ट्र के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ढ) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के इन्डियन ओवरसीज बैंक के तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-2870/81]

(ख) (2) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के आन्ध्र बैंक के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ख) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के कारपोरेशन बैंक के कार्यकरण का प्रतिवेदन।

तथा क्रिया कलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक

(ग) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के न्यू बैंक आफ इण्डिया के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(घ) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ङ) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक के कार्यकरण और क्रिया कलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(च) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के विजय बैंक के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2871/81]

(3.) निक्षेप बीमा और ऋण गारन्टी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निक्षेप बीमा और ऋण गारन्टी निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1980

* वार्षिक प्रतिवेदनों में लाभ तथा हानि सम्बन्धी दो लेखे दिये गए हैं, पहला, 1 जनवरी, 1980 से 15 अप्रैल 1980 तक की अवधि (राष्ट्रीयकरण से पहले की अवधि) का और दूसरा 16 अप्रैल, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक की अवधि (राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि) का है।

को समाप्त हुए वर्ष के कार्य करण सम्बन्धी प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखें।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० -2411/81]

(ख) (1.) असम राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1981 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत असम वित्त अधिनियम, 1981 (राष्ट्रपति का 1981 का अधिनियम संख्या 1) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 25 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2888/81]

(2) केन्द्रीय नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(क) सा० सं० नि० 533 (ड.) (जो दिनांक 24 सितम्बर, 1981 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी जिसके द्वारा तांबे पर उत्पाद शुल्क के छूट के विस्तारण की मांग की गई है।

(ख) सा० सं० नि० 567 (ड.) जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो बन्ने की शीघ्र पिराई के लिए चीनी कारखानों को प्रोत्साहन दिये जाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-2889/81]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296) के अन्तर्गत अधिसूचनाओं निम्नलिखित (हिन्दी तथाअंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 के लिए "किंग जार्ज पांचवां स्मारक" को छूट के बारे में सां० आ० 2937 जो दिनांक, 31 अक्तूबर 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत "निर्धारण वर्ष 1976-77 से 1981-82 के लिए" राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की महाराष्ट्र शाखा को छूट के बारे में सां० आ० 2938 जो दिनांक, 31 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1882-83 के लिए महाराष्ट्र राज्यबाल कल्याण परिषद् को छूट के बारे में सां० आ० 2939 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

*प्रतिवेदन पहले 28 अगस्त, 1991 को सभापटल पर रखा गया था।

(चार) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1981-82 के लिए तिरुनेलवेली सोशल सर्विस सोसायटी फ्लाया-मकोट्टाई' को छूट के बारे में सां० आ० 2940 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1980-81 से 1982-83 के लिये 'दि सोसायटी फार, कम्परीहैन्सिव रूरल हल्थ प्रोजेक्ट आफ इन्डिया को छूट के बारे में सां० आ० 2941 जो दिनांक 31 अक्तूबर 1981 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण बर्ष 1979-80 से 1982-83 के लिये ,सोशल वेलफेयर सैन्टर इन्दौर' को छूट के बारे में सां० आ० 2942 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सात) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1975-76 से 1981-82 के लिये 'जर्मन लिप्रोसी रिलीफ एसोसिएशन की छूट के बारे में सां० आ० 2946 जो दिनांक, 31 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1981-82 के लिये 'असम राइफल्स ग्रुप इन्शोरेन्स स्कीम' की छूट के बारे में सां० आ० 2947 जो दिनांक, 31 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(नौ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिये 'हरियाणा एमलशामेटिड फंड फार दि वैलफेयर आफ एक्स-सर्विसमैन को छूट के बारे में सां० आ० 2948 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1981के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दस) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1981-82 के लिये 'इन्डियन काउंसिल आफ चाइल्ड वैलफेयर को छूट के बारे में सां० आ० 2949 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ग्यारह) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के लिये 'श्री नासिक पंचवटी पंजरपोल, नासिक' की छूट के बारे में सां० आ० 2950 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(बारह) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के लिये 'इन्डिया इन्टनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली' को छूट के बारे में सां० आ० 2952 जो दिनांक 31 अक्तूबर 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेरह) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1981-82 के लिए 'हरिजन सेवक संघ, दिल्ली' को छूट के बारे में सां० आ०2953 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी-2890/81]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) दिनांक 1 जुलाई, 1981 की अधिसूचना के अधिलंघन में कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने सम्बन्धी पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में सा० सां० नि० 529 (ड.) जो दिनांक 23 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) दिनांक 10 सितम्बर, 1981 की अधिसूचना के अधिलंघन में रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में बदलने सम्बन्धी पुनरीक्षित दरों के बारे में सा० सां० नि 530 (ड.) जो दिनांक 24 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) वनस्पति तेलों को आयात शुल्क के छूट देने के बारे में सा० सां० नि० 531 (ड.) जो दिनांक 24 सितम्बर, 1961 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) बिन पिटे ताम्बे पर सीमा शुल्क की अवधि को एक वर्ष तक और बढ़ाने सम्बन्धी सा० सां० नि० 532 (ड.) जो दिनांक 24 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तांच) कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्रा में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में सा० सां० नि० 545 (ड.) जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) दिनांक 1 अक्तूबर, 1981 की अधिसूचना के अधिलंघन में स्विस फ्रैंक को भार-

तीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को स्विस फ्रेंक में बदलने सम्बन्धी पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में सा० सां० नि० 562 (ड.) जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) मूंगफली की गिरि पर निर्यात शुल्क के बारे में सा० सां० नि० 563 (ड.) जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० सां० नि० 960 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा दिनांक 2 जुलाई, 1981 की अधिसूचना संख्या 132-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि भारत-नेपाल व्यापार संधि 1978 के अन्तर्गत भारत में वरीयता के आधार पर प्रवेश पाने योग्य एक और नेपाली मूल के उत्पाद को शामिल किया जा सके ।

(नौ) सा० सां० नि० 588 (ड:) जो दिनांक 12 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा काफी पर लगने योग्य निर्यात शुल्क की पूर्ण छूट को वापस लिया गया है और उस पर 85 रुपये प्रति क्विंटल की दर से निर्यात शुल्क लगाया गया ।

]ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०2891/81]

(5) लिये गये बाजार ऋण के सम्बन्ध में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और अक्तूबर 1981 में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए विशेष ग्राहक बन्धपत्र, 1981 की बिक्री सम्बन्धी अधिसूचना ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2892/81]

पेटेन्ट, डिजाइन और व्यापार चिह्न के महानियन्त्रक का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : मैं व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अन्तर्गत पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह के नियंत्रक के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-2893/81]

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा । श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला के देवली गांव में 15 नवम्बर, 1981 को 24 हरिजनों की सामूहिक हत्या का समाचार

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं गृह मन्त्री महोदय का ध्यान निम्न लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें।

"उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के देवली गाँव में 18 नवम्बर 1981 को 24 हरिजनों की सामूहिक हत्या का समाचार"

गृह मन्त्री श्री जैल सिंह : मैं उत्तर प्रदेश में जिला मैनपुरी के गाँव देवली में 18 नवम्बर 1981 को घटित उस भयंकर घटना जिसमें 24 हरिजन मारे गये के बारे में बड़ी वेदना और दुख के साथ समाचार दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दुश्मनी के कारण 8 आततायियों तथा उनके साथियों ने 18-11 1981 को शाम के लगभग 5 बजे जाटवों के मकानों पर हमला किया जबकि अधिकतर लोग बाहर खेतों में थे। आततायियों जो अग्नि-शास्त्रों से लैस थे, का नेतृत्व उसी गांव के ठाकुर सन्तोष और राधे कर रहे थे। दोनों व्यक्तियों की जिले के कई फौजदारी मामलों में जरूरत थी। वे बन्दूकें लिए हुए थे और उनकी संख्या लगभग बीस थी। अत्याचार के परिणाम स्वरूप उनकी बन्दूक की गोलियों से 9 पुरुष 6 महिलाएं और 9 बच्चे मारे गये और 6 व्यक्ति घायल हुए। सभी मृतक और घायल जाटवा परिवारों के व्यक्ति थे। 5000/- रुपये मूल्य की सम्पत्ति ले जाई गई। सूचना मिलते ही डी० आई० जी० आगरा रेंज और डी० एम०/एस० पी० पर्याप्त बल सहित मौके पर पहुंचे। अपराधियों को पकड़ने के लिए छापे मारे गये और छानबीन की कार्यवाइयाँ शुरू की गई। पुलिस ने एक फौजदारी मामला दर्ज किया है और जांच पड़ताल कर रही है। अपराधियों को पकड़ने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा घटना स्थल पर परिवार के सदस्यों में 10,000/-रुपये की रकम तुरन्त सहायता के रूप में वितरित की गई है।

2. जैसे ही प्रधान मन्त्री को इस घटना की सूचना मिली उन्होंने मुझ से उस गांव में जाकर इस अत्याचार पर अपना संत्रास व्यक्त करने तथा शोक संतप्त परिवारों के लिए राहत और सहायता की व्यवस्था करने के लिए कहा। मैं 20 नवम्बर को अपराहन देवली गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री और गृह मन्त्री भी वहां थे। उस रक्तरंजित दृश्य और आततायियों द्वारा की वई तबाही के विवरण देने की जरूरत नहीं इस अत्याचार पर भारत सरकार का शोक व्यक्त करने के अलावा मैंने अपराधियों के विरुद्ध अविलम्ब कार्रवाई करने और लोगों में फिर से विश्वास पैदा करने के वास्ते उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री, गृह मन्त्री और अन्य अधिकारियों के साथ प्रशासनिक उपाय करने के लिए विस्तार से विचार विमर्श किया। मैंने प्रधान के सहायता कोष से परिवार प्रत्येक मृतक व्यक्ति को 5,000 रुपये और प्रत्येक घायल व्यक्ति

को 2,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इसी तरह की सहायता देने की घोषणा की है।

3. मुझे विश्वास है कि सदन एकमत से कठोर शब्दों में ऐसे अमानवीय कार्य की भर्त्सना करेगा और उन सभी परिवारों के प्रति हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करेगा जो इस अमानवीय अत्याचार के शिकार हुए हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, श्री मन्त्री जी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के देवली गाँव में घटी दुःखद घटना से मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है।

श्रीमान, हमारे देश में गरीब हरीजनों पर अत्याचार का यह कोई एकाँकी मामले नहीं है।

मैं सभा का ध्यान उन घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं जो देवली पिपरी और बिहार हारीफ में घटी।

हम देखते हैं कि हमारे बहुत से देशावासियों को हीन दास्ता की दशा में रहना पड़ता है। इन बन्धुओं मजदूरों में 60 प्रतिशत हरिजन हैं। ये लोग युगों से पीड़ित हैं। और इस घटना से इस समस्या की गहराई का पता चलता है।

वे लोग गावों मे भूमिपतियों की दया पर रहते हैं उनकी महिलाएं कतई सुरिक्षत नहीं हैं। गावों के ये शक्तिशालो तत्व न केवल अपने मन में आने पर उनकी हत्या ही कर देते हैं। अपितु उनकी महिलाओं के साथ बलत्कार भी करते है, उनके मकानों को आग लगा देते है तथा उनके घरेलू समान को लूट लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटनाएं काफी समय से चल रही हैं ससद में जब हम इस बात पर चर्चा करते है तब हम सभी स्वीकार करते हैं कि अपराधियों को दण्ड दिया जाना चाहिए और बाद में वैसी ही घटनाएं देश के अन्य भाग में घटती हैं। यह कोई इस वर्षों की अकेली घटना नहीं है। एक ऐसी ही घटना और घटी थी जिसमें अपराधियों ने भूपतियों के समर्थन से 20 से अधिक हरिजनों को मौत के घाट उतार दिया था।

अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन अपराधियों द्वारा उपयोग में लायी गयी स्वचालित राइफलें, हलकी मशीन गनें आदि आधुनिकतम हैं। यह बात पुलिस की रिपोर्ट से पता चलती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर मैं, आश्चर्य चकित नहीं हूं। मैं भौचक्का हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उसी क्षेत्र के रघुबीर तथा जयवीर से कौन से हथियार बरामद हुए थे ? पुलिस द्वारा पाये गये शस्त्रों में गोला बारूद के अतिरिक्त एक स्वतः भरी जाने वाली राइफलें और उसके साथ चार भरी हुई मैगजीनें, हलकी मशीन गन की पूरी मैगजीन एक हैंड ग्रिनेड तथा एक .303 की राइफल है। अपराधियों से यह समान मिला है।

उत्तर प्रदेश मे पिछले 9 महीनों में 4200 व्यक्तियों को इन अपराधियों द्वारा मार दिया गया। श्रीमान मैं सरकारी आंकड़ों से उद्धृत कर रहा हूं। केवल उत्तर प्रदेश में पिछले 9 महीनो में 4000 से अधिक व्यक्ति इन अपराधियों द्वारा मारे गये जिनमें से 80 से अधिक व्यक्ति पुलिस के हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कुछ जिलों जैसे मैनपुरी एटा आदि में दिन छिपने के बाद पुलिस मैन भी अपने थानों से बाहर नहीं जा पाते। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की यह दशा है.

सरकार प्राय: सभा को बताती आई है कि पर्याप्त व्यय किये जायेंगे। इस बारे में मैं गृह मन्त्री महोदय का ध्यान उनके द्वारा मुख्य मन्त्रियों को भेजे गये पक्ष की ओर दिलाना चाहता हूं, जो मार्च तथा सितम्बर, 1980 में भी भेजा था जिसमें उन्होंने कुछ निवारक तथा सावधानी बरतने वाले उपायों का सुझाव दिया था। परन्तु श्रीमान, उत्तर प्रदेश में ऐसे कोई उपाय नहीं किये गये। सभा को यह जानकर हैरानी होगी कि जसराना पुलिस स्टेशन देवली से केवल 6 अथवा 7 मील दूर है, परन्तु तब भी पुलिस अगले दिन 1) बजे तक नहीं पहुंची जहां हत्याएं हुई थी यह लोग नितान्त असुरक्षा की स्थिति में रह रहे हैं। ये लोग माँग करते रहे हैं कि उन्हें शस्त्रों के लिए लाइसेंस दिये जायें ताकि वे लोग किसी भी सम्भावित खतरे का सामना कर सकें। जिला मजिस्ट्रट ने हरिजनों की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया क्योंकि ये गरीब लोग हैं। परन्तु शस्त्र किन लोगों के पास है ? ठाकुरों अहीरों तथा उच्च वर्ग के लोगों के और भूमिपतियों के पास हथियार हैं ये लोग वैधानिक तथा गैर-वैधानिक तरीके से हथियार रखते है परन्तु जब गरीब हरिजन प्राधिकारियों के पास जाते हैं। और उससे निवेदन करते हैं कि हमारे जीवन खतरे में है, आप हमें संरक्षण दें और यदि आप हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते तो हमें शस्त्र दें तो उन्हें अपनी सुरक्षा करने के वैध अधिकार से वंचित रखा जाता है। बात इतनी ही नहीं है बात हैरानी की ही नहीं अपितु इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि जिस दिन, इस महीने की 18 तारीख को देवली गांव में हरिजनों की निर्दयता पूर्वक हत्या की गई तथा वे बुरी तरह से चिल्ला रहे थे कि "हमें बचाओं, अपराधी लोग हमारा कत्ल और हत्या कर रहे हैं" तो वहां से केवल एक मील की दूरी पर लगे पी० ए० सी० के कैम्प से कोई भी उनकी सहायता करने के लिये नहीं आया। वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं थी। और पुलिस घटनास्थल पर कब पहुंची ? पुलिस वहां पर 19 नवम्बर को सुबह 11 बजे पहुंची जबकि वहां पर 24 निर्दोष व्यक्तियों की निर्मम हत्या कर दी गई उनमें से कुछ बच्चे थे तथा कुछ महिलाएं थी। बिना किसी अपराध के उन्हें अपनी जान गवानी पड़ी। उनकी रक्षा किसी ने भी नहीं की।

क्या हम सभ्य समाज में रह रहे है ? क्या यहाँ पर कोई कानून और व्यवस्था है ? क्या भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई सरकार है ? नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पर सीमा सुरक्षा बल की एक यूरिट थी परन्तु छः महीने पूर्व वापस बुला लिया गया। क्योंकि एक राजनीतिक नेता चाहते थे कि सीमा सुरक्षा बल वहां पर न रहे। जब तक सीमा सुरक्षा बल के लोग वहां पर मौजूद थे वहां कोई अप्रिय घटना नहीं

हुई। आततायियों के क्रियाकलाप बहुत कम रहे। जैसे ही सीमा सुरक्षा बल को वापिस बुलाया गया, उनके रास्ते साफ हो गये। स्थानीय पुलिस आततयियों के साथ मिली हुई है। भू-स्वामियों ने हरिजनों की हत्या के लिए गांव में धन एकत्र किया। आपको पता है उन्होंने कितना धन एकत्र किया ? उन्होंने गांव में 10000 रुपए एकत्रित किये। इस धन से उन्होंने शस्त्र खरीदे जो कि उन्होंने संतोष तथा राघे को दिये। ये दोनों उच्च जाति के हैं। इनके पास भूमि है, धन है, तथा शारीरिक बल है। ये हरिजन कौन है ? ये गरीब किसान हैं, ये कृषि मजदूर हैं ये मछुए हैं तथा उनकी दृष्टि में ये महत्वहीन लोग हैं। क्योंकि वे लोग हरिजन तथा कमजोर लोग थे अत: उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी इतनी चेतवानियों के बावजूद सरकार द्वारा बार बार की जाने वाली घोषणाओं ने बावजूद हरिजनों की हत्याएं होती रहती हैं। इसे कब तक चलने दिया दिया जा सकता है। यह सरकार कब तक चुप रह सकती है ? संविधान की धारा 46 के तहत यह केन्द्रीय सरकार का दायित्व है कि वह हरिजनों की आतातयिों के द्वारा किये जाने वाले शोषण से रक्षा करें। क्या मैं गृह मन्त्री से पूछ सकता हूं कि उन्होंने इस बारे में क्या किया है वहां पर पुलिस थाना है परन्तु वे लोग सहायता को नहीं पहुंचे। पी० ए० सी० के लोग वहां पर थे पर वे भी नहीं आये। हरिजनों के जीवन की रक्षा करने के लिए कौन है उनकी सम्पति की रक्षा कौन करेगा ? निर्दोश व्यक्तियों के जीवन की रक्षा के लिए कौन हैं ? कोई नहीं है।

उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की यह हालत है। 4200 से अधिक व्यक्ति मारे जा चुके हैं, 2,900 डकैतियां पड़ चुकी हैं। समाचार पत्रों की खबरों में आप देख चुके हैं कि अपराधियों ने लखनऊ दिल्ली मेल को लूटा। सभा को यह जानकर आश्चर्य होगा कि उसी गाड़ी में एक इन्सपेक्टर तथा चौबीस पुलिस के जवान भी चल रहे थे। उन्हें यात्रियो की जान की रक्षा करनी चाहिए थी। उस गाड़ी में हमारे दा संसद सदस्य भी थे। परन्तु हुआ क्या अपराधियों ने खुल्लमखुल्ला लूटपाट की और साफ बचकर निकल गये

एक माननीय सदस्य : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है या भाषण ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि एक माननीय सदस्य चिढ़ रहे हैं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, जब आदमी मर रहे हैं तो मैं इनको चिढ़ाता रहूंगा।

मैं श्री महाजना से पूछना चाहूंगा कि आप केरल में गये और वहां पर कानून और व्यवस्था के बारे में बात की, पश्चिमी बंगाल में गये और वहां पर कानून और व्यवस्था की बात की, परन्तु आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जाते और वहां पर आपने लोगों को कानून और व्यवस्था की दशा के बारे में क्यों नहीं बताते जहां पर अपराधियों ने 4200 से अधिक व्यक्तियों को कत्ल कर दिया है। और जहां पर साधारण व्यक्तियों की तो बात ही छोड़िये पुलिस के आदमी भी अपराधियों के कारण स्थानीय थानों में जाने से घबराते हैं। **(व्यवधान)**

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : श्री आरिफ मोहम्मद मैं इस राज्य में आपकी मनोदशा को समझता हूं वहां यह घटनायें इसी कारण हो रही हैं कि वहां इन अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि वे उत्तर प्रदेश के सत्तारूढ़ दल के विधायकों का पुलिस रिकार्ड बनाये। मैनपुरी से एक कांग्रेस (इ) के विधान सभा सदस्य ने सीमा सुरक्षा दल को क्यों हटवाया ? अध्यक्ष महोदय, सरकार ने दण्ड प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियमों, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बहुत शक्तियां ग्रहण करती हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कुछ अध्यादेश जारी किये हैं। हमारे मन्त्रियों के पास भी अब अधिक शक्ति हैं। परन्तु जितनी अधिक शक्तियाँ वे ग्रहण करते जा रहे हैं उतने ही अधिक अपराध हो रहे हैं क्या कारण है ? जब तक नौकरशाही और अपराधियों के बीच साँठ-गांठ बनी रहेगी, जब तक सत्तारूढ़ दल के नेताओं तथा अपराधियों के बीच सांठ-गांठ बनी रहेगी, तब तक अपराध नहीं रोके जा सकेंगे।

हमारे देश मे हरिजनों पर किए जाने वाले अत्याचार भूमि के प्रश्न के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हैं। ये भूमिहीन व्यक्ति ही भूमि को जोतते हैं परन्तु उनका शोषण किया जा रहा है और उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। क्या मैं माननीय गृह मन्त्री से पूछ सकता हूं कि उन्होंने भूमिहीन हरिजनों को भूमि देने के लिए भूमि सुधार के क्या कदम उठाये हैं। वे अपनी कमजोर आर्थिक दशा के कारण ही सभी प्रकार की अप्रतिष्ठाओं के शिकार हैं।

श्री मकवाना और श्री जैल सिंह केरल और पश्चिमी बंगाल में वहां की सरकार की निन्दा करने के लिए जाते हैं जहां कि भूमि सुधार हो चुका है तथा जहां पर वहाँ की सरकार की नीति के कारण समाज के कमजोर लोगों को भूमि दी जा चुकी है और वे उनकी रक्षा कर रहे हैं, परन्तु वे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जाते और वहां की सरकार से आमूलचूल भूमि सुधार करने के लिए क्यों नहीं कहते ताकि इन गरीब हरिजनों को भूमि का उनका हिस्सा दिया जा सके ? आप उनका आर्थिक रूप से पुनर्वास करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते आप के कुछ कार्यक्रम हैं परन्तु वे निष्फल हैं।

यह अच्छा है कि श्री जैल सिंह ने उस स्थान का दौरा किया है। परन्तु क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि क्या वह उत्तर प्रदेश सरकार की सार्वजनिक रूप से निन्दा करेंगे जिसने उनके मार्च 1980 तथा सितम्बर 1980 में जारी किए गए निर्देशों की अवज्ञा की है। आपने अपने निर्देश मार्च 1980 और सितम्बर 1980 में जारी किये। क्या-क्या निवारक उपाय सावधानियां तथा दण्डात्मक उपाय बरते गये ? ऐसा क्यों हुआ कि पुलिस स्टेशन के कर्मचारी चुप रहे। पुलिस दुर्घटना के कई घण्टे बीत जाने पर क्यों पहुंची ? ऐसा क्यों है कि पूरा प्रशासन अपराधियों तथा समाज विरोधी गिरोहों के साथ साँठ-गाँठ किये हुए है ऐसा क्यों है कि अवैध हथियार तैयार किये जा रहे हैं और इन गिरोहों द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं ? सरकार ने अपनी असमर्थता प्रकट क्यों की-क्योंकि स्वयं मुख्य मन्त्री ने कहा है कि मैं दोषी हूं ? उन्होंने इन सब पर नियंत्रण रखने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। ऐसा है, यदि एक प्रान्त का मुख्य मन्त्री खुल्लम-खुल्ला कहता है कि वह अपराधियों पर नियन्तण नहीं कर रहा है, यदि यह राज्य में कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है यदि वह हरिजनों की जानों और सम्पत्तियों की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो उसे एक क्षण के लिए भी सत्तारूढ़ रहने का क्या अधिकार है ? क्या केन्द्रीय सरकार या गृह मंत्री इस सभा को आश्वासन देंगे कि उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री-

मण्डल पदच्युत कर दिया जाएगा और नये चुनाव के लिए आदेश दिये जायेंगे जिससे जनता का निर्णय प्राप्त किया जा सके और जिससे हरिजन तथा समाज के गरीब वर्ग के लोग स्वयं अपनी पसंद की सरकार बना सके ? इसका उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश सरकार पर है जो कि पूरी तरह विफल रही है कानून और व्यवस्था का तन्त्र पूर्णतया विफल रहा है ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय गृहमंत्री से इन प्रश्नों का उत्तर देने का निवेदन करूंगा । ((व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है । (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा । (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा । (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप वास्तव में रुचि रखते हैं । गृह मंत्री को बोलने दीजिए । मंत्री की बोलने दीजिए । (व्यवधान)*

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या मंत्रीमण्डल का कोई पुनर्गठन किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : बैठिए-बैठिए ।

श्री जंल सिंह . सब बोल लें, फिर एक ही बार जवाब दे दूंगा ?

अध्यक्ष महोदय : बारी-बारी से लेना पड़ेगा ।

श्री जैल सिंह : स्वीकार साहब, में प्रोफेसर चक्रवर्ती के उन जज बातों के साथ जो हरिजनों के प्रति उन्होंने प्रकट किए हैं सेंट-पर-सेंट सहमत हूं और जिस जज बात के साथ वे बोले और उसके बाद इस बात का मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने आप से पता किया कि क्या कैबीनेट में कोई रीशफलिंग होने वाली है । मैं समझता हूं कि यह बात बिल्कुल असंगत है । हरिजनों का मसला हमारे सामने है और कैबीनेट की रीशफलिंग नहीं हो रही है और हो भी जाये तो इससे आपको क्या मिलेगा ।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आगे उन्होंने जिक्र किया कि वहां सफोस्टिकेटेड ओटोमेटिक वैपन्स का और हैड गिर्नेड का इस्तेमाल किया गया । मैं वहां पर दो-तीन घण्टे रहा तब हैण्ड गिर्नेड के इस्तेमाल की बात किसी ने नहीं कही, मगर शास्त्रों के मुत्तालिक अभी तकस टेट गवर्नमेंट जानकारी प्राप्त कर रही है कि फिस किस्म के शस्त्र इस्तेमाल किए जा गये थे । उसके आने पर ही हम कुछ बता सकते हैं ।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उनका यह ख्याल था कि लास्ट जनवरी से लेकर चार हजार कत्ल उत्तर प्रदेश में हुए हैं। यह गिनती उन्होंने कहां से ली में नहीं कह सकता हूं। इसलिए मुझे इस बात की चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है।

लोकल थाना उन्होंने कहा कि सिर्फ छः मील है इसमें भी मुझे शक है कि ज्यादा है या कम है। वहां के लोगों ने बताया था कि काफी दूर है और कोई रास्ता नहीं हैं, सड़क भी नहीं है, रेलवे स्टेशन भी नहीं है। इसलिए बहुत देर के बाद थाने वालों को पता चला और जब उनको पता चला तो उसी वक्त वे वहां पहुंच गए। दूसरे दिन वे पहुंचे और जो कुछ कर सकते थे किया। लेकिन मुझे भी इस बात का अफसोस है कि वे दूसरे दिन पहुंचे। पहले दिन उनको पहुंचना चाहिये था। लेकिन बात यह है कि जो जड़ थी लड़ाई की वह केवल हरिजनों और नान-हरिजनों की नहीं थी। बात यह थी कि वहां पर हरिजन भी हैं और उनके भी दो ग्रुप हैं। एक चमार है दूसरे वाल्मीकी है। वाल्मीकियों को आमतौर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ उनको मारा जो चमार थे जाटव थे और मारने वाले भी केवल राजपूत ही नहीं थे। ठाकुरों ने रहनुमाई की और उसमें एक मुसलमान भी था, नाई भी था, तेली भी था। वे सभी शामिल थे। बात यह थी कि जिन्होंने कत्ल करने की रहनुमाई की उनके खिलाफ इन हरिजनों ने जाटवों ने शहादत दी थी पुलिस के पास। शहादत देने के बाद उनको इस बात का खतरा था कि ये ठाकुर हम को मारेंगे। उन्होंने पुलिस से प्रार्थना की और पुलिस ने वादा किया कि हम आपको शस्त्र दें देंगे। लेकिन उन्होंने शस्त्र नहीं दिये। इसलिए उनका हौंसला बढ़ा। यह पुलिस का कसूर था। वहां मुख्य मंत्री प्राम्प्ट एक्शन लिया है और जो उस वक्त उस थाने में थे उनको ससपेन्ड किया है। इनक्वायरी वे कर रहे है और उनको सजा मिलेगी कि उन्होंने उनको शस्त्र क्यों नहीं दिए। मैने वहां भी कहा था और अब भी कहता हूं कि ऐसा मौका जहां हो वहां हरिजनों को शस्त्र सरकार की तरफ से कीमत लगा कर देने चाहिये ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें।

माननीय सदस्य कह रहे थे कि क्या हम सभ्य समाज में रह रहे हैं? यह बात उनके और हमारे बीच में एक जैसी है। सभ्य समाज नहीं बना उसके क्या कारण हैं, क्या वजूहात है उस पर कभी पार्लियामेंट में चर्चा करने का किसी ने यत्न नहीं किया। अब जब कोई चीज हो जाती है तब दूसरों को कहना बड़ा सुखल्ला होती है, मुश्किल नहीं होता लेकिन जिम्मेवारी जिन के सिर पर होती है उनको सही बात भी कहनी पड़ती है, बड़ा-चढ़ा कर वे बात नहीं कर सकते हैं।

बी० एस० एफ० का वहां कुछ दिन पहरा रहा। उसकी वजह से वहां शान्ति रही॥ लेकिन उनका कहना है कि बी० एस० एफ० को राजनीति की वजह से हटा दिया। यह सही नहीं है। राजनीतिक कोई कारण नहीं था। पुलिस को इस बात का ख्याल हुआ कि अमन और शान्ति है, वहां कोई झगड़ा नहीं है, इसलिए वहां से बी० एस० एफ० को वापिस ले लेना चाहिये और उनको वापिस ले लिया गया था।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि सरकार ने गृह मन्त्री ने क्या कदम उठाए हैं। मैंने

मुख्य मन्त्री और राज्य के गृह मन्त्री और बड़े अफसर जो आए थे उनके साथ बैठकर डिसकस किया था हमने पहले भी तमाम प्रान्तीय सरकारों को कहा था और अपनी सैंट्रल फोर्सिस को भी कहा था कि हरिजनों, गरीबों और माइनोरिटीज को पुलिस में ज्यादा भरती किया जाए ताकि वर्दी वाले लोग भी उनकी रक्षा कर सकें उनकी गिनती ज्यादा हो। कहीं कहीं यह बात सफल हुई है और कहीं कहीं नहीं भी हुई है। उसके कई कारण हो सकते हैं । तीन चार साल पहले ऐसा वातावरण हो गया कि यादव ने यादव को भरती किया, ब्राह्मण ने ब्राह्मण को किया। और जाट ने जाट को किया और उस वजह से पुलिस में ऐसी बीमारी आ गई कि वह जाति पांति के लिहाज से चलने लगी क्योंकि यहां आपने देखा हिन्दुस्तान में यह भी हो सकता है कि जो जाति-पांति को मानने वाले हों वह होम मिनिस्ट्र भी बन सकते है, प्रधान मन्त्री भी बन सकते हैं। तो ऐसी ही बीमारियों को रोकने के लिये मैं माननीय चक्रवर्ती के जज्बात से सहमत हूं कि हमारा एक कोड आफ कडक्ट होना चाहिये कि पोलिटिक्ल पार्टीज जो अपना प्रोग्राम बनाती हैं, जिस पर दस्तखत किये जाते हैं उस पर सब को चलना चाहिये और नियम नहीं तोड़ना चाहिये। जाति पांति और ठेकेदारी की बीमारी बहुत खतरनाक है और यह अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसको खत्म करने के लिये विरोधियों का भी फर्ज है कि इसमें सहयोग दें और इसको जितना हो सके कन्डम करें।

इसके साथ साथ हमने यह भी विचार किया है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत बदमाश रहते हैं, और उन डकैतों, बदमाशों को मारने के लिये उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश तीनों ने मिलकर जोंहूं टली एक प्रोग्राम बनाया और बहुत से लोगों को मारा भी । मगर अभी तक इस इलाके में लोग कुचे हुए हैं । और उनके बचने का जो कारण है वह इस वजह से है कि कोई शहादत नहीं देता है, लोग डरते हैं । जो शहादत देता है उसको मार देते हैं । इसके लिये भी हमने विचार किया है कि उन लोगों की रक्षा की जाय जो लोग कमजोर हैं और इस बात के लिये सहायक बनते हैं कि क्लप्रिट को मकड़ायें और पुलिस की मदद करें।

उन्होंने कहा कि भूमि सुधार का काम नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में काम हुआ है । जहां पर मैंने विजिट किया है उस गांव के लोगों ने मुझे बताया कि भूमि सुधार की वजह से 4, 4 एकड़ जमीन उन गरीबों को मिली। लेकिन वह जमीन बहुत कम है, ज्यादा पैदा वार नहीं देती उनका ख्याल था कि हम अभी भी कमजोर हैं। यह जो कत्लेआम होता है यह गरीबी और अमीरी के कारण नहीं है। यह तो एक नफरत का बीज बोया जाने के कारण है। गुलाम हिन्दुस्तान में गरीब ज्यादा थे और पौलिटिकली भी उसकी कोई हैसियत नहीं थी और समाज में भी उनका कोई स्थान नहीं था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, सोसाइटी में आज उसका स्थान बड़े से बड़े आदमी के बराबर है। पौलिटिकली उनका रिजर्वेशन है, उनकी शिक्षा के लिये आई० ए० एस० आई० पी० एस० तथा अन्य उंचे स्थानों को प्राप्त करने के लिये सरकार ने कोचिंग सेन्टर बनाये हैं, उनको आगे लगाया जाता है और इतना इन्तजाम किया जाता है कि मैं यह कह सकता हूं कि भारत में हरिजन कमिश्नर के पद तक पहुंच गये हैं चीफ सेक्रेटरी हो गये है और हम बड़े से बड़े ओहदे उनको प्राप्त हो रहे हैं ।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : हिन्दुस्थान अब भी हरिजनों के लिये जहन्नुम बना हुआ है।

श्री जैल सिंह : मेहरबानी करके आप धीरे से बोलें तो मैं समझ सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : आप हरिजन होते तो समझ जाते।

श्री जैल सिंह : यह सब नफरत के बीच बोये जाने के कारण हैं। लेकिन अतः हरिजन अपने पैर पर खड़े हो गये हैं। किसी की हिम्मत नहीं है आज इतना जमाना बदल गया है, जरा सोचिये। ...

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपने क्षेत्र से आ रहा हूं, नोवतपुर में कत्लेआम हो रहा है।

श्री जैल सिंह : आज हिन्दुस्तान में बड़े से बड़े कारखानेदार भी खड़े हो कर यही कहता है कि मैं तो मजदूर हूं, पेट के लिये काम करता हूं। अब कोई अपने को लैंड लार्ड नहीं कहता, मनीलैंड नही कहता। यह लोगों के दिलों में सम्मान हो गया है, इज्जत हो गयी है गरीब, मजदूर और हरिजन के लिये यह परिवर्तन है। इसमें जो कुछ कमियां हैं तो वह भी साथ साथ आती है। आपको मालूम हैं कि उनको मारने तक क्यों जाते हैं? उसकी वजह यह है, आपने भी ठीक कहा, कि हरिजन गरीब लोगों को जो खेती-बांड़ी में काम करते हैं, मिनियम वैज मुताबिक उनको वैज नहीं दिया जाता। जब वह मांगते हैं तो उनको पीटते हैं। पिपरा गांव में भी यही बात हुई थी, लोगों ने सिर्फ वेज मांगा था और उन्हें दिया नहीं गया।

आज भी मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेंट के इस कानून को गांवों में नहीं माना गया। जो लैंडलार्ड हैं, खेती करते हैं, नौकर रखते हैं, जो उसकी नौकरी मुकर्रर की गई होती है, वह नहीं देते हैं। जब वह मांगते हैं तो उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कोई जमाना था, कि ये लोग मांग भी नहीं सकते थे, लेकिन आज इतनी बात हो गई है कि वह मांगते है और मांगने की वजह से उन पर गोली और लाटी चलती है।

श्री राम विलास पासवान : (हाजीपुर) जो हरिजन अफसर मदद करेगा पिपरा कांड में उसको डिग्रेड किया जायेगा। आप वहां ,पर आकर बहादुरी का तमगा देते हैं कि तुमने अच्छा काम किया और इसलिए वहां उसको डिग्रेड किया जायेगा ?

श्री जैल सिंह ; पासवान जी, जिनको एवार्ड देना चाहिये था उनको डिग्रेड किया गया यह बात

श्री राम विलास पासवान : आपकी इटेंन्शन साफ है, आप चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार अपनी बात पर अमल नहीं करती। मेरा इतना ही कहना है। मैं आप पर दोषारोपण नहीं करता हूं। आप ईमानदारी पूर्वक चाहते हैं, लेकिन उनका इम्पलीमेटेशन नहीं होता है। इसको आप कैसे करवायेंगे ?

श्री जैल सिंह : यह तो पासवान जी की मेहरबानी है कि वह मुझे दोषी नहीं ठहराते, लेकिन साथ ही कमजोर ठहराते हैं। कि मेरा हुक्म नहीं माना जाता है।

श्री राम विलास पासवान : आप कमजोर है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरे पास आपके निर्देश है जो कि आपने मार्च और सितम्बर में जारी किये थे। उनमें ठीक वही है जो मैंने कहा है। परन्तु आपके मुख्य मन्त्री उनकी अवज्ञा कर रहे हैं। आपका प्रशासन आपकी अवज्ञा कर रहा है। आप कहते है कि हमने हरिजनों के लिए इतना किया परन्तु वह केवल कागज पर ही है। वस्तुतः उनमें से 80 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे हैं, क्या आप मुझे बता सकते है कि ऐसा क्यों है ?

श्री जैल सिंह : अब चक्रवर्ती सहाब भी मेरी शराफत को कमजोरी समझते हैं, तो मेरा कहना है कि शराफत कमजोरी नहीं होती। पोलाइटनेस में फर्मेनस मौजूद है, लेकिन कहां हमें इस्तेमाल करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, यह हम जानते हैं। आप इस बात का नाजायज फायदा न उठाइये, बैठे- बैठे न बोलिये।

चीफ मिनिस्टर को भी कायदे के मुताबिक ...

एक माननीय सदस्य : चीफ मिनिस्टर आपका कायदा नहीं मानता।

श्री जैल सिंह : कायदा क्यों नहीं मानते हैं। भारत के संविधान के सुताबिक ला एंड आर्डर की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को मजबूर करना, नाजायज-तौर पर तंग करना कोई कायदे की बात नहीं है। सारे चीफ मिनिस्टर इंकूलडिंग सी० पी० आई और सी० पी० एम० हमारी बात को मानते हैं। खामाखाह हम उनकी निन्दा क्यों करें, क्या फायदा ? आप हममें लड़ाई डालना चाहते हैं। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। समय-सीमा होती है। हमें किसी नियम का पालन करना चाहिए। मन्त्री महोदय भी केवल श्री चक्रवर्ती द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देंगे नये प्रश्नों का नहीं। (व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं परन्तु सभा में मुझे कोई गम्भीर दिखाई नहीं पड़ती।

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने कहा है कि सरकार इस मामले में बहुत गम्भीरता से, बड़े दुख से, बड़े अफसोस से सोचती है। श्री चक्रवर्ती प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर साहब से मैं यह आशा नहीं करता था कि वह मुझसे पूछेंगे कि वैस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। मैं वह भी बता दूंगा, लेकिन क्या फायदा ? मैं चाहता नहीं हूं।

आप एक बात मानेंगे कि संसार में ताकतवर और जोरावार हमेशा गरीबों को दबाते हैं

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित यहीं किया गया।

कमजोर करते हैं। और अब भी कर रहे हैं। यह सिर्फ हिन्दुस्तान की बात नहीं है, मजबूत कौमें और मुल्क छोटी कौमों को दबा रहे हैं। हर गांव में, हर परिवार में कमजोर को दबाया जाता है। लेकिन हम कमजोर के साथ खड़े हैं। हम कमजोर की मदद करेंगे और जोरावार को खत्म कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2 बजकर 15 मिनट म०प० तक मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 20 मिनट पर पुनः समवेत हुए :

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री रामावमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय जी, आप भी ट्रेड यूनियन के लीडर रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं। आज यहां पर इतना बड़ा डिमांस्ट्रेशन हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में शामिल नहीं है। श्री झार खंडे राय बोलें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसको उचित ढंग से उठाइये। वह एक गम्भीर समस्या है आप इसको उचित ढंग से उठायें। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री झारखंडे राय के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री झारखंडे राय (घोसी) : मान्यवर, मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार है ही नहीं। जनता पार्टी के शासन के दो वर्ष बीतने के बाद जो स्थिति आम जनता के मन में हो गई थी, करीब-करीब वही अब हो रहा है जैसे कि वहां पर कोई राज्य है ही नहीं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के चुनाव प्रचार में मुख्य रूप से दो वायदे किए गए थे—एक मंहगाई को सम्हालने का और दूसरा शांति-व्यवस्था को ठीक करने का। यह दोनों ही वायदे खोखले साबित हुए हैं।

घटनाओं की तालिका बहुत लम्बी है। देवली काण्ड तो उस जंजीर में एक बड़ी कड़ी है।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

यदि पीछे देखा जाए तो पिछले 35 वर्षों में चार शासन बदले हैं । तमिलनाडू में सम्भवत: एक गांव है जहां 46 आदमी मारे गए थे । हमारे प्रदेश में गाजीपुर में शेरपुर गांव में 300 घर हरिजनों के जला दिए गए थे—आपके ही कांग्रेस शासन में । 1970 में बस्ती जिले में मजगवां में, जोकि नैपाल के सीमान्त पर है हरिजनों के 30 घर लूटे गए और गिरा दिए गए थे । बेलची तो कुख्यात है ही । वहाँ पर इन्दिरा जी गई तो उसका बहुत नाम हो गया । नारायणपुर को भी सभी जानते हैं– वहाँ पर स्वर्गीय संजय गांधी गए थे और इन्दिरा भी गई थीं । मैनपुरी में ही 11 हरिजन आदमियों की एक गाँव में और हत्या की गई थी जिसके बाद अब यह देवली काण्ड है ।

ऐसी नृशंस घटनायें होने की मल कारण क्या है—इसका कुछ वर्णन यहाँ पर किया जा चुका है । इस सम्बन्ध में कुछ ज्ञानी जी ने भी कहा है और कुछ इधर बैठने वाले हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है । मैं उन पर नहीं जाऊंगा । मूल क्या है ? भारतीय समाज में वर्गभेद और हिन्दू समाज की वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ही इसके मूल कारणों में हैं । ऐसी घटनायें पहले भी होती रही हैं । ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी घटनायें नहीं होती थीं, अभी होन लगी है । पहले चूंकि उस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था इसलिए कि वह वर्ग एवं वर्ण समाज का स्वाभाविक क्रियाकलाप मान लिया जाता था । लेकिन अब हरिजन खेत मजदूर ऐसी घटनाओं का विरोध और प्रतिरोध करते हैं और अब वे जुल्म बर्दाश्त करने से इन्कार करते हैं इसीलिए ऐसी घटनाओ का प्रकाशन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है जो कि उचित और स्वागत-योग्य है । सामन्ती अवशेषों का देहाती जीवन में 35 साल की आजादी के बाद भी बना रहना, उनका समाप्त न होना बल्कि दूसरी शक्ल में उनका मजबूत हो जाना ही ऐसे अत्याचार होने का दूसरा मूल कारण है । यदि सामन्ती अवशेषों को देहाती जीवन से पूर्णरूपेण समाप्त नहीं किया गया तो ऐसी घटनायें होती रहेंगी और ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था से उसको सम्हाला नहीं जा सकता है । हमारी प्राचीन हिन्दू वर्ण व्यवस्था के शूद्र ही आज हरिजन है और भारत के दासयुग के दास-मानव ही आज हरिजन और आदिवासी हैं । आजादी के 35 साल के बाद भी इस समस्या को न सुलझाने की जिम्मेदारी 1947 से आज 1981 तक के हुकमरानों की है जिन्होंने 1947 से लेकर 1981 तक सारी पड़ती और बंजर जमीन तथा अच्छी किस्म की जमीन पर हदबन्दी लगाकर, फाजिल, जमीन को खेत मजदूरों एवं हरिजनों में बाँट नहीं सके । कानून बहुत बने हैं, लेकिन कानून से निकलने के रास्तों या झरोखों को छोड़ दिया गया । हजारों-हजार एकड़ के फार्म आज भी अनेकों प्रकार से हमारे देश में मौजूद है । पुराने राज-रजवाड़ों, सामन्तों भूस्वामियों, बड़े पूंजीपतियों, बड़े अधिकारियों और बड़े राजनीतिक नेताओं—पांचो प्रकार के लोगों के पास बड़े कार्य हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पर्याप्त भूमिका बना दी है, अब प्रश्न विशेष पर आइये । आप सरकार का ध्यान कुछ मामलों की तरफ आकृषित कीजिए । यह सामान्य भाषण नहीं है अधिकतर समय श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने ले लिया है ।

श्री झारखंडे राय : अगर यह सारी जमीन बाँट दी गई होती, हरिजन-आदिवासी में

आत्म-सम्मान का भाव पैदा हुआ होता, स्वावलम्बन पैदा हुआ होता, गौरव पैदा हुआ होता, तो वे इन अत्याचारों का विरोध कर सकते थे। कांग्रेस सरकार में उच्चतम पदों से लेकर नीचे तक हरिजन लोग वहां गए, बाबू जगजीवन राम जी तो देश की कांग्रेस एवं जनता पार्टी ही सरकार के ही कर्णधार रहे हैं, लेकिन हरिजनों की इस स्थिति को बदलने के लिए उनकी ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया। मैं नहीं जानता कि नेहरू जी के दरबार में या इन्दिरा जी के दरबार में जगजीवन राम जी ने किसी ऐसे क्रांतिकारी भूमि सुधार के कोई विषय को लेकर अंगद का पांव अड़ा दिया हो हां हरिजनों की स्थिति का लाभ अपने सत्ता में आने और बने रहने के लिए जमकर किया गया है। हरिजनों को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम के मेन-स्ट्रीम से अलग रखा गया, मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? अम्बेडकर साहब उनका रोल जंगे आजादी के जमाने में, रंगा जी शायद मुझे साक्षी देंगे, यही रहा है। उन्होंने अपने जीवन में गांधी जी को भुला दिया था। जंगे आजादी के मेन-स्ट्रीम से अलग होने के बाद हरिजन कटे-छटे बने रहे थे और समाज ने तो उनको पहले ही अलग कर रखा था। अम्बेडर जी न भगतसिंह की लाइन पर चले, जिस लाइन पर हम लोग थे, मैं था, न सुभाषचन्द्र बोस की लाइन पर चले, न गांधी जी की लाइन पर चले, उन्होंने उस युग में वही रास्ता अपनाया जो मुस्लिम लोग और श्री जिन्ना ने अपनाया था। राम मोहन राय, दयानन्द, गांधी जी और अनेकानेक सुधारवादी नेताओं ने, जो कि समाज सुधारक थे, दलित वर्ग में समाज एवं वर्ण व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह का भाव पैदा नहीं किया। वे उनको उच्च वर्ग के रहमोकरम, उनकी दया की भीख पर ले जाना चाहते थे, रखना चाहते थे। इसलिए हरिजनों में जो विद्रोह का भाव पैदा होना चाहिए था, वह नहीं हुआ न समाज व्यवस्था के खिलाफ, न वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, न वर्ग व्यवस्था के खिलाफ। हरिजनों में शिक्षित और बुद्धिजीवी पैदा हुए और इसमें भी कोई शक नहीं है आजादी के बाद भी और ज्यादा शिक्षित और बुद्धिजीवी पैदा हुए। उसी तरह के पैटी बुर्जुवा, जैसे अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग भारत में पैदा हुए जिन्होंने अपने समाज से घृणा करके अंग्रेजी समाज में ज्यादा लगाव रखने लगे। यह पैटी बुर्जुवा, की प्रवृत्ति हमारे हरिजन उच्च वर्ग समुदाय में पैदा हुई, पढ़े-लिखे लोग हुए, वे अपना वर्ग एवं जाति का सुधार, अपना समुदाय उद्धार, उनके अन्दर बगावत की भावना पैदा न करके उच्च जाति के लोगों के साथ, उच्च वर्ग के लोगों के साथ आने-जाने लगे और छोटी-मोटी नौकरियों में ही फंस गए तथा अपने दलित समाज का क्रांति दलिप बिकास का रास्ता छोड़ दिया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अब हरिजन समुदाय वर्ग-संघर्ष का पथ छोड़कर किसी की पूंजीवादी सत्ता का मुख्य आधार बन गया है। नारायण पुर और देवरिया कांड को लेकर श्री बनारसीदास की सरकार को बरखास्त कर दिया गया था, लेकिन अब इतनी बड़ी राष्ट्रीय घटना के बाद क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को बरखास्त नहीं किया जा सकता है— यह एक प्रश्न में माननीय गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं, जो सरकार एक उपचुनाव नहीं करा सकती है, उसमें स्वयं अपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार अक्षम है। एक नागरिक को मौलिक स्वतन्त्रता और जीवन-रक्षा का संरक्षण नहीं दे सकती है, क्या उसको सचमुच नैतिक अधिकार है सरकार में बने रहने

का अथवा कहलाने का ? यों ज्ञानी जी वह आपकी इच्छा है कि उस सरकार को बरखास्त करें या न करें, यह तो आपके हाथ में है।

गृह मन्त्री जी देवली गए, उन्होंने यह काम ठीक किया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, वहाँ पर नहीं जा सकती थी ? बेलछी तो इतनी दूर पर बसा है, वहाँ पर तो उनको हाथी पर चढ़कर जाना पड़ा, लेकिन यहाँ तो ऐसी बात नहीं थी अब तो राजकीय साधन उपलब्ध हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि प्रधान मन्त्री वहाँ पर गई होतीं ? तो आप कहते कि गृह मन्त्री क्यों नहीं गये ?

श्री झारखन्डे राय : ऐसा न कहिए। उससे उनको बल मिलेगा, नैतिक सहारा मिलेगा, उनके अन्दर जान आ जायेगी।

अब कुछ प्रश्न उठ रहे हैं—हमारे जो हरिजन—खेत मजदूर हैं, क्या अब उनका जुझारू-वर्ग-संगठन नहीं बनना चाहिए ? मैं खास कर उन मान्यवरों से पूछना चाहूंगा—जो संयोग से उसी बिरादरी में पैदा हुए हैं—क्या अब भी उनका जुझारू वर्ग संगठन नहीं बनना चाहिए ? क्या उन्हें भी अपनी रक्षा के लिए आर्म्ड-जत्था नहीं बनाना चाहिए जो ऐसे मौकों पर अपनी रक्षा कर सके ? कब तक वे पुलिस, सरकार और किसी नेता के रहमो-करम पर जिन्दा रहेंगे ? क्या अब समय नहीं आ गया है कि भारतीय राजनीति में जो आर्म्ड-फोर्सेज में हरिजन या अन्य दुर्बल वर्ग के लोग हैं, वे अपनी बन्दूकों का निशाना बदल दें ? इसलिये मैं कहना चाहता हूं—उत्तर प्रदेश की सरकार को सरकार में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। मैं बड़े आदर के साथ और विनम्र-भाव से अनुरोध करना चाहता हूं—इनको हटाने का असर पूरे देश पर पड़ेगा। यह आपकी पार्टी के हित में है, याद रखिये न हम वहां मुख्य मन्त्री बनेंगे और न हमारी पार्टी वहाँ सत्ता में आयेगी, लेकिन वहाँ पर परिवर्तन होने से एक नया भाव पैदा होगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने स्वयं इस बात को माना है और कहा है कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी को लेता हूं। मैं आंकड़ों में नहीं फसूंगा कि कितने प्रतिशत अपराध बड़े हैं, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। आंकड़ों से समाज को शान्ति नहीं मिलती है। मेरे पास उनके बयान की प्रतिलिपि है, मैं उसे पढ़कर सुना सकता हूं, हमें उनकी साहसिक स्वीकारोक्ति का सम्मान करना चाहिए। हरिजनों को बड़े पैमाने पर बिना उनकी प्रापर्टी का ख्याल किए हुए हथियार दिये जाने चाहिये। सरकारी पैसे से हर गांव और हर बस्ती में हरिजन नौजवानों को वे हथियार दिये जायें ताकि वे ऐसे मौकों पर स्वयं अपनी रक्षा कर सकें, अपने परिवार, धन और सम्पत्ति की रक्षा कर सकें।

मन्त्री जी का जो स्टेटमेन्ट आया है वह साफ नहीं है। झगड़ा क्या था—उन्होंने अपने बयान में इस बात को बड़ी बारीकी से डाइवर्ट कर दिया है, उसमें कह दिया है कि उसमें एक नाई था, एक तेली था, यह सब असली बात को डाइवर्ट करने के तरीके होते हैं, इस तरह से जो

असली कल्प्रिट होता है, जो वास्तव में शोषित जनता से शत्रुता कर रहा है वह आँख से ओझल हो जाता है। यह सही तरीका नहीं है, यह जातिवाद को मिटाने का नहीं, बल्कि उसको प्रीजर्व करने और बढ़ाने का तरीका है। इसलिए, श्रीमन, जो दो-तीन सवाल मैंने उठाये हैं—हरिजनों को हथियार दिया जाना उनका सशस्त्र रक्षात्मक जत्था बनाना और वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार को डिस्मिस करना, उसका वहाँ पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है—इन पर मन्त्री जी अपना साफ वक्तव्य दें। जहाँ तक घटना की व्यवस्था का प्रश्न है—उस पर उन्होंने काफी कह दिया है। वह वहाँ गए थे, मैं भी वहाँ गया था और मेरे पूर्व-वक्ता ने भी इस सम्बन्ध में काफी आँकड़े दे दिये हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी आ गई है, जिससे लगता है कि वहाँ पर कोई सरकार ही नहीं है।

श्री जैलसिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, झारखण्डे राय जी ने अपने विचारों को प्रकट करते हुए बहुत सुन्दरता से हरिजनों के हालात का नक्शा खींचा है। जहाँ तक हरिजनों की भलाई का सवाल है, उसमें हम सब इत्तिफाक करते हैं। उनका यह ख्याल की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है—यह निराधार है। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत से ऐसे काम हैं जिनको बहुत इफेक्टिव तरीके से कर रही है लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारे विरोधी दलों की सरकार नहीं है। मैं यह भी याद दिलाऊं···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जैलसिंह आपको यह मालूम होना चाहिए कि उन्होंने यह कह-कर कि सरकार को पदच्युत किया जाना चाहिए उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि वहाँ पर सरकार है।

श्री जैल सिंह : शास्त्री जी, आपको बहुत बड़ा अधिकार है कि आप बैठे हुए बोलते रहें, लेकिन यह तो पता ही नहीं लगता कि आप बैठे हैं या खड़े हैं···

श्री रामावतार शास्त्री : इस वक्त तो मन्त्री जी खड़े हैं।

श्री जैलसिंह : यह भी याद दिलाया कि इन्दिरा जी ने कहा था कि देश की शान्ति व्यवस्था को ठीक करेंगे क्योंकि वह बहुत बिगड़ रही थी और लोगों ने इसीलिए हम को वोट दिये थे। तो मैं राय साहब को यह कहूंगा कि आप को शान्ति व्यवस्था के मामले में आंकड़े ले लेने चाहिए हमारी सरकार के भी और पुरानी सरकार के भी और हर महीने के और हर मौसम के कि क्या-क्या आंकड़े हैं। अगर आंकड़ों को देखा जाये, तो मालूम होगा कि यह व्यवस्था बहुत हद तक सुधरी है और सुधरती जा रही है। ···(**व्यवधान**)···

श्री जैल सिंह : आप बैठे कमेन्टरी क्यों कर रहे हैं। यह खेल है क्या ?

श्री रामावतार शास्त्री : इन्टरप्शन का तो हमारा राइट है।

श्री जैलसिंह : मैं राय साहब का बहुत सत्कार करता हूं। वे एक इन्कलाबी देशभक्त हैं और निडरता से, हिम्मत से, दिलेरी से वे अंग्रेजों की सरकार के साथ लड़े थे और उनके जजबात की कद्र करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि उनका जो यह ख्याल है कि हरिजनों में

आत्म-सम्मान का भाव पैदा नहीं हुआ है, यह ठीक नहीं है। उनमें आत्म-सम्मान का भाव पैदा हुआ है। हरिजनों में इस बात का भाव पैदा ही नहीं हुआ है बल्कि इस बात का अहसास करके वे अपने हाथ, अपनी जबान और अपने कलम को उठा सकते हैं। अब उनमें इतनी दिलेरी है। अब वे ही लोग उनको मारने पर तुले हुए हैं, जो अपनी जाति और मान को अपने दिमाग से निकालना नहीं चाहते। उनका पहले यह ख्याल था कि क्या हरिजन हमारे सामने बोलेगा, क्या एक हरिजन पंचायत का मेम्बर होकर हमारे बराबर में बैठेगा, क्या एक हरिजन मिनिस्टर यहां आएगा ? उसको पहले यह अच्छा नहीं लगता था और इसलिए वह हरिजनों को डांटता था, मारता था और उनकी बहू-बेटियों की बेइज्जती करता था और जो गाली वह हरिजन को देता था, उसको लेकर वह अपने घर चला जाता था लेकिन आज हरिजन गाली ले कर घर नहीं जाता है। आज हरिजन मुकाबला करता है और इसलिए उसको बन्दूक की गोली खानी पड़ती है। यह चीज तरक्की की निशानी है और इस तरक्की में थोड़ा-बहुत नुकसान तो जरूर होगा। आपको यह मालूम है कि कोई भी चीज जब पैदा होती है, तो उसकी पैदाइश में थोड़ी पीड़ा तो सहनी पड़ती है। यह हरिजनों के आत्म-सम्मान का समय है क्योंकि आज वह हिम्मत से इस बात को देखता है कि उसके खिलाफ क्यों लोग चोरी के हथियार लेकर उठते हैं। इसलिए मैं यह समझता हूं कि इस बात के लिए आपको कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए। थोड़े दिन की बात है, हरिजनों को मारने की बात मिट जाएगी। अभी-अभी मेरे पास एक मेम्बर ने आकर बताया कि एक जगह पर—मैं उस जगह का नाम भूल गया हूं —ठाकुरों को हरिजनों ने मारा है और अब वे इतने कमजोर नहीं हैं लेकिन आम हिदायतें हम फिर से जारी कर देंगे।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : आप होम मिनिस्टर होकर यह बात कह रहे हैं कि हरिजन ने ठाकुरों को मारा है। आप एक गलत इम्प्रेशन मुल्क को देना चाहते हैं। इससे हरिजनों पर और अत्याचार होंगे। आप मुझे उस जगह का नाम बताइए जहां पर यह हुआ है।

श्री जैल सिंह : मैं बताऊंगा, आप चिन्ता क्यों करते हैं।

श्री सूरज भान : आप होम मिनिस्टर होकर एक गलत इम्प्रेशन दे रहे हैं।

श्री जैल सिंह : आत्म-सम्मान पैदा करने के लिए यह भी बताना है।

श्री सूरज भान : क्या आप ने ठाकुरों को चीफ मिनिस्टर नहीं बना रखा है। हिमाचल प्रदेश में है, यू० पी० में है, मध्य प्रदेश में हैं, गुजरात में है। राजस्थान में एक हरिजन चीफ मिनिस्टर था, उसको भी हटा दिया। ··· (व्यवधान) ··· आप देश पर गलत प्रभाव डाल रहे हैं।

श्री जैलसिंह : मैं एक बात कहता हूं कि किसी की बहू-बेटी की बेइज्जती करने के लिए अगर कोई आ जाए ऊंची जाति वाला, तो क्या उसको नहीं मारना चाहिए। अगर उसको मार दिया, तो क्या बुरा किया।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : जिन्होंने मारा, वे हरिजन नहीं थे, यह आपको मान लेना चाहिए।

श्री जैल सिंह : हरिजन नहीं होंगे । जो मुझे बताया गया, वही मैंने कहा है लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि आज हिन्दुस्तान में ऐसे एरियाज हैं, जहां पर हरिजनों को एजूकेशन प्राप्त हैं वे एजूकेशन, प्राप्त कर चूके हैं और उनकी एकोनामिक हालत भी ठीक हो गई है और पूरी हिम्मत से वे बराबरी पर जिन्दा हैं और उनको किसी का डर नहीं है और यह आजादी की देन है । ... (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभी को कार्यवाही में सम्मिलित न किया जाये ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि ऐसा है तो वे कष्ट क्यों सह रहे हैं ।

श्री जैल सिंह : चक्रवर्ती जी आप तो प्रोफेसर हैं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इसी कारण से मैं एक तर्क संगत उत्तर चाहता हूं यदि वे इतने मजबूत हैं तो वे कष्ट क्यों सह रहे हैं ।

श्री जैल सिंह : हमने तो प्रोफेसरों के मुत्ताल्लिक यही सुना है कि उनका जो सबजेक्ट होता है, उस पर वे लेक्चर देते हैं और जब उनका पीरियड खत्म हो जाता है, तो चले जाते हैं । आप हर बात में टांग बड़ाते हैं, क्या बात है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही ज्यादा समय ले लिया है ।

श्री जैलसिंह : राय साहब ने एक बात कही, जो मेरे से सवाल करने के लिए नहीं कही, बल्कि अपने विचार प्रकट करने के लिए कही कि पेटी बुर्जुआ टेण्डरी पैदा हुई है । यह किस हद तक ठीक नहीं है यह तो मैं नहीं जानता लेकिन जो मैं देखता हूं और जानता हूं कि यह भाव जो पैदा हुआ है यह बहुत से हरिजन अफसरों में भी मैंने देखा है कि वे अपने भाइयों के साथ भी अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं । मैंने एक ऐसा अफसर भी देखा जो कि गरीब घर में पैदा हुआ था लेकिन वह ऊंची जाति का था । वह पढ़ लिख कर आई० ए० एस० बन गया । जब उसका पिता जो कि गरीब आदमी था, उससे मिलने के लिए आया तो वह उसके दफ्तर के बाहर बैठ कर इन्तजार कर रहा था । उस आई० ए० एस० अफसर ने अपने पिता का अपने दोस्तों और साथियों से इंट्रोडक्शन नहीं कराया कि यह मेरे पिता जी हैं । ऐसी भावना अकेले हरिजनों में ही पैदा नहीं हुई है, यह टेण्डेंसी हर इन्सान में पनपी है । यह टेण्डेंसी इन्सानियत में है जो अपने साथियों और दोस्तों को अपने पिता के बारे में बताने से भी इंकार करते हैं ।

इसमें हम सबका कसूर है क्योंकि हम पूजा करते हैं दौलत की, हम पूजा करते हैं ताकत की । जिसके पास ताकय हो तो उसकी इज्जत करते हैं या जिसके पास दौलत हो तो उसकी इज्जत करते हैं । हम गरीब की कठिनाइयों की, कुर्बानी की, सेवा की, लियाकत की इज्जत नहीं करते, हम उसका स्टेट्स नहीं समझते । सोसायटी में जब तक यह भावना पैदा नहीं होती तक तब इन्सानों में से, उनके मनों से यह भावना दूर नहीं होगी । आज आदमी को उसके बैंक

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

बेलेंस से तोला जाता है, उसकी खूबियों से नहीं तोला जाता। यह बात केवल हरिजनों में ही नहीं है, यह बात सभी में है। इस बात से में सहमत हूं।

यह कहा गया कि बनारसीदास की सरकार गिरा दी। बनारसी दास की सरकार केवल इसी वजह से तो गिरी नहीं थी, उसके साथ कुछ और बातें भी थीं। आप तो इस देश की पोलिटिक्स को जानते हैं। हमारी 9 सरकारें गिराई गयीं थीं तब कौन-से कतल हुए थे, कौन-सी गिरावट आयी थी ? जो दलील चरणसिंह के पास थी, वही दलील मेरे पास भी है। कोई नई दलील तो मैंने दी नहीं।

श्री रशीद मसूद : ···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी। क्योंकि मन्त्री सभी बातों का उत्तर दे रहे हैं इसलिए ये फायदा उठा रहे हैं। यदि मंत्री इतनी छूट नहीं दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री जैल सिंह : उनका कहना था कि मेरी स्टेटमेंट में कुछ थोड़ा-सा डाईवर्शन पैदा हो गया है। मैंने खुद भी इस बात को सोचा था कि मैं नाई या तेली बताऊं या न बताऊं। लेकिन मैंने इसलिए यह बताया कि इस झगड़े के पीछे इतना प्रभाव ऊंच नीच का नहीं था क्योंकि किसी भी ठाकुर ने उन हरिजनों की हिमायत नही की। लेकिन उस गांव की जो आबादी है उसमें सभी जाति के लोग बसते हैं। उस गांव में 102 घर हैं। उनमें से 30 घर जाट के हैं, 25 घर ठाकुर के हैं, ब्राह्मण, खटीक, राय, धोबी, मुसलमान, तेली, नाई सभी रले-मिले वाकी के घर हैं। इस गांव में यह बात खास तौर पर इसलिए नहीं पैदा हुई कि नान-हरिजन और हरिजन की बात थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने दोनों ठाकुर के खिलाफ शहादत दी थी और उस शहादत का बदला लेने के लिए पांच आदमियों को मारने जा रहे थे। लेकिन उस वक्त वे उनके हाथ नहीं आये। वे गायब थे, बाहर थे। निर्दोष आदमी मारे गए। अब हम निर्दोष आदमियों के मरने के बाद असलियत निकालेंगे। तो हमको इस बात की गारन्टी करनी है कि आइन्दा के लिए हम कमजोर वर्ग को इस तरह से बेरहमी से मारने का मौका न दें और उसको रोकने के लिए हम यत्न करते हैं। इसके लिए पहली बात सोची गई है कि गांव में जितने अपर क्लास लोगों के पास लाइसेंस हैं उतने ही हरिजनों के पास भी लाइसेंस होने चाहिए, ताकि वे बराबरी का जीवन बसर कर सकें। इसके लिए तमाम प्रांतों के मुख्यमंत्रियो और यूनियन टेरिटरीज में सूचित किया जा रहा है कि वहां पर इस तरह का रिवाज पैदा किया जाए और साथ ही साथ केवल हरिजन ही नहीं बल्कि दूसरे भी जो कमजोर वर्ग हैं, उनकी रक्षा करनी है, अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हथियारों से ही बात खत्म नहीं होगी जब तक इन्सान की भावना ठीक नही की जायेगी।

यह जो घटना घटी है, इस पर कोई पत्थर दिल इन्सान भी अपने आंसू बहाए बगैर नहीं रह सकता। इतना जुल्म किया गया। क्या इन्सान इतना बेरहम हो सकता है कि मां के पास दो बेटे खड़े हों 14 वर्ष का और 8 वर्ष का और दोनों बगल में खड़े दाने खा रहे थे और वहां आकर पहले छोटे को और फिर बड़े को और इसके बाद मां को मारा। यानि इतनी नीचता

तक इन्सान पहुच गया है। क्यों पहुंच गया है? इसके लिए हमारे सामाजिक, धार्मिक और पोलिटिक्स नेताओं द्वारा जितनी निंदा इन्सान की जा सकती है, की जानी चाहिए। जानवर भी अपने समाज के जानवर को इस तरह से नहीं मारता लेकिन यह इन्सान इतना गिर गया है। इसके लिए अकेली सरकार ही नहीं, बल्कि समाज ज्यादा जिम्मेदार है। जब तक सरकार में ऐसे लोगों का सम्मान खत्म नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप ऐसी हवा पैदा करें कि जिन लोगों ने कत्ल किए हैं, उनको समाज से खारिज कर दिया जाए। शासन तो सजा देगा ही। ये लोग हिन्दुस्तान के वफादार नहीं हैं। और भाई चारे में विश्वास नहीं करते, हम इनको किसी पार्टी का मेम्बर नहीं बनाएंगे, न इनके यहां खाना खाएंगे और न ही रिश्तेदारी करेंगे। इस प्रकार से इनका सोशल बायकाट किया जाना चाहिए और इस तरह की आप लोगों को हवा पैदा करनी चाहिए और आप जैसे बुजुर्ग लोग यह काम कर सकते हैं। आजकल तो कोई ज्यादा काम भी आपके पास नहीं है।

मैंने यही कुछ कहना था। मेरा ख्याल है। कि राय साहब की बातों की सफाई हो गई होगी।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : श्री उत्तम राठौर।

श्री उत्तम राठौर : उपाध्यक्ष महोदय ···। (व्यवधान) ···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी और को अनुमति नहीं दे रहा। यह कोई सामान्य चर्चा नहीं है श्री उत्तम राठौर। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई स्पष्टीकरण नहीं। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं कृपया नियमों को अपने मस्तिष्क में ताजा कर लीजिए। क्योंकि अन्तर सत्रावधि दो महीने थी, आप नियमों को भूल गये हैं। कृपया उनको पढ़िये। अब श्री उत्तम राठौर

श्री जैल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ख्याल नहीं रहा। किसी मेम्बर ने कहा था कि मैं जब वहां गया था तो वहां पर मैंने मिठाई खाई। यह बिल्कुल झूठी बात है। आपको याद रखना चाहिए कि बेलची में इतना बड़ा वाक्या हुआ, वहां न होम मिनिस्टर गए न चीफ मिनिस्टर गए, और भी कई वाक्ये होते रहे हैं। मैंने पानी तक भी नहीं पिया। लानत है ऐसे पर जिन्होंने वहां पर जाकर मिठाइयां खाई।··· (व्यवधान) ···

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्री महोदय का भाषण बड़े ध्यान से सुना। काफी अच्छी चीजें उन्होंने कही हैं जैसी हर वक्त वे कहते हैं। "सब कुछ लुट के होश में आए तो क्या किया"?

"उपाध्यक्ष महोदय, बेहतर यह होता कि जब ये हरिजन प्रोटक्शन मांगने आए थे पुलिस के पास, उसी वक्त अगर सही समय पर प्रोटक्शन दी गई होती तो आज शायद मन्त्री महोदय को वहां जाना न पड़ता।

मैं सिर्फ दो-तीन चीजों की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं।

क्या यह सही है कि फूलन देवी की डकैती के बाद हमारी सरकार ने प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर को यह लिखा कि जहां जहां हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओं में झगड़े हैं, जो ऐसेंटिव एरियाज है वहां हरिजन अगर मांग करते है तो उनको आर्म्ज दिए जांए ? अगर ऐसा था और अगर देहली के लोगों ने आर्म्ज मांगे थे तो फिर उनको आर्म्ज क्यों नहीं दिए गए ?

क्या इन लोगों ने प्रोटेक्शन की मांग की थी ? अगर की थी तो कब और उनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई ? जो स्टेशन हाउस आफिसर था उसने तो देने की जरूरत ही नहीं समझी लेकिन जो सुपरवाइजरी स्टाफ था उन दिनों, वह क्या कर रहा था ?

हकूमत ने स्लान किया था कि आइंदा जातीय दगे रोकने के लिए हरिजनों, गिरिजनों, मुसलमानों और जितनी माइनोरिटी कम्युनिटीज हैं। उन सभी के लोगों को हम अपनी फौर्सिस में शरीक करेंगे। ऐसा हमने डेढ़-दो साल पहले कहा था। मैं जानना चाहता हूं कि इस पालिसी पर अब तक कितना अमल हुआ है ?

इस घटना को घटे हुए पांच दिन हो गए हैं। इन पांच दिनों में यह जो राधे और सन्तोषा आदि लोग हैं इनमें से कितनों को गिरफ्तार किया गया है और कौन कोन से हथियार उनसे बरामद किए गए हैं ?

यहां से पुलिस स्टेशन सिर्फ आठ किलोमीटर दूर है। जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया है लगभग 24 लोग मारे गए हैं और छः या आठ घायल हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कम से कर 30-32 मर्तबा गोलियां चली होंगी जिनमें से कुछ राइफलों से भी चली होगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो इनसे आवाज निकली वह बहुत दूर तक पहुंची होगी। क्या यह नहीं हो सकता था कि पुलिस फोर्स वहां जल्दी पहुंचती ? पुलिस ने इतनी देर आने में क्यों की ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री उत्तर दें माननीय सदस्य ने एक विशेष प्रश्न पूछा है।

श्री जैल सिंह : पुलिस फोर्स में उनको शरीक किया जाएगा यह बात मैंने कही थी और उस पर हम अमल कर रहे हैं। मैं पहले ही जवाब में यह कह चुका हूं कि कहीं कहीं से हमको शिकायतें मिलीं हैं कि इस पर अमल नहीं हो रहा है। अब हम सख्ती से इस पर अमल कराएंगे।

माननीय सदस्य ने सवाल किया है कि पुलिस प्रोटेक्शन उनको क्यों नहीं दी गई। दरहकीकत बात यह थी कि जब गवाही देने वाले पुलिस के पास गए कि हमको लाइसेंस दिये जाएं तो उसने लाइसेंस नहीं दिए। इसकी भी जानकारी हो रही है और जो उस वक्त के थानेदार थे उसके खिलाफ जानकारी करने के लिए उसको ससपैंड भी कर दिया गया है और उसके साथ-साथ और भी ससपैंड हुए हैं।

एक सवाल माननीय सदस्य ने यह भी किया है कि जब गोलियां चल रही थीं तो जल्दी

पुलिस को इत्तिला क्यों नहीं दी गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जल्दी इत्तिला वही जाकर दे सकते थे जो नहीं मरता या मारने वाला नहीं था। जो बेचारे खेत में जाकर छिप गए अपनी जान बचाने के लिए वे कैसे जा सकते थे और दूसरे लोग चाहते थे कि उनको मार दिया जाए। यह भी मैंने सुना है और इसकी मैं तस्दीक कर रहा हूं कि राधे और संतोष को असला लाने के लिए गांव के ठाकुरों ने चन्दा इक्ट्ठा करके दिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चन्दा इक्ट्ठा करके डाकुओं को सहायता देता है तो वह कोई कार्रवाही उनके खिलाफ कर सकता है या उनकी शिकायत करने वह जाता ?

एक और बात की भी जानकारी हो रही है। दो लाइसेंसदार और उस गांव के। उनकी ड्यूटी थी कि जहां कोई दंगा फसाद हो रहा हो वहां वे जाते। उनकी जानकारी भी पुलिस कर रही है। उस मामले में इन सारी बातों की हम देख रहे है। यह कहना कि उनकी सुनी जाती तो आज हमको वहां जाने की जरूरत नहीं थी, दुरुस्त है। मैंने इस घटना पर दुख प्रकट किया है। इसका इलाज करना चाहते हैं। जल्दी पुलिस के पास सन्देशा पहुंचता। उस गांव से जाने तक कोई रस्ता ही नहीं है, सड़क नहीं है। अगर पुलिस को जाना पड़े तो सात मील के बजाय 17 मील का रास्ता पड़ता है, यह मुझे लोगों ने बताया है। पुलिस को खबर नहीं हुई.

खबर हो गई तो वह उसी वक्त पहुंच गये।

श्री उत्तम राठौर : मैंने पूछा था कि आम्स लाइसेंस उन्होंने मांग थे कि नहीं और अगर मांगे तो उनको क्यों नहीं दिये गये।

श्री जैल सिंह : मैंने पहले भी कहा कि जब उन्होंने शस्त्र मांगे थे और उनको शस्त्र नहीं दिये गये, जिन्होंने ऐसा किया उनको सस्पेंड करके जानकारी की जा रही है उनको सजा मिलेगी कि क्यों नहीं शस्त्र दिये गये, और मैं तो और आगे जाना चाहता हूं कि जब उन्होंने गवाही दी डाकुओं के खिलाफ तो पुलिस का फर्ज था कि वह नहीं भी मांगते तब भी उनको शस्त्र दिए जाने चाहिए थे। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि कितनी उनको सजा दे सकेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री। उन्होंने मुझसे कहा है कि उन्होंने उनके साथियों को भी सस्पेंड कर दिया है और हम पूरी जानकारी कर रहे हैं। उनको भी सजा देंगे।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। मन्त्री महोदय उत्तर नहीं देंगे। किसी भी बात को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया आप सब बैठ जाइये। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। श्री राठौर बोलने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। केवल श्री सिंह द्वारा कही गयी बात को कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जायेगा।

श्री राठौर अब बोलेंगे।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री उत्तम राठोर : मैंने यह पूछा था कि पिछले 5 दिनों में कितने लोगों को गिरफ्दार किया गया है और कौन-कौन से उनके पास से आर्म्स बरामद हुए हैं ?

श्री जैल सिंह : मैंने जवाब दिया कि हमारे पास अभी यह फैक्ट्स और किगर्स नहीं हैं सरकार की तरफ से दिये हुए कि कितने आदमी उन्होंने पकड़ लिये हैं और कितने नहीं पकड़े हैं। यह अन्डर इन्वेस्टीगेशन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिंह अब बोलेंगे।

श्री धर्मवीर सिंह (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि सरकास विफल रही है। यह सरकार की निरन्तर असफलता रही है क्योंकि गृह मन्त्री महोदय ने जैसा कि अभी स्वयं कहा है कि अभी तक कोई गिरफ्दारी नहीं की गई है।

श्री जैल सिंह : मैंने ये बातें नहीं कहीं है मैंने कहा है कि हमारे पास कोई इत्तिला नहीं है कि आखिर कितने पकड़े गये हैं और कितने नहीं पकड़े गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

श्री धर्मवीर सिंह : मैं यह कह कर इसमें संशोधन करना चाहुंगा कि सरकार निरन्तर असफल रही है क्योंकि अभी अभी भारत के गृह मन्त्री ने हमें बताया है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या किसी को गिरफ्दार किया गया है अथवा नहीं। यह एक असफलता की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संसद में हमें हर सप्ताह हर समस्या और अत्याचारों के बारे में स्थिति पर चर्चा करने का अवसर मिलता रहा है हम इस समय देवली गांव में किये गए अत्याचारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव और संकल्पों जैसे विभिन्न संसदीय साधनों के माध्यम से हम निदर्यतापूर्ण कार्य की निन्दा की है। किन्तु गत दो वर्षों में हर सप्ताह ऐसा होता रहा है। मैं इस स्थिति को जानता हूं और यह समस्या कठिन है। मैं स्वयं भी इस देश के एक अत्यन्त अशांत और हिंसक क्षेत्रों का रहने वाला हूं। ऐसा क्यों होता है ? जैसाकि श्री ए० के० राय और मेरे मित्र श्री चक्रवर्ती ने भी अभी कहा है कि ऐसी बात हो ही क्यों। हम आपने भारतीय समाज में अधिक मानव बनने का प्रयास अवश्य करते हैं किन्तु आज राष्ट्र पिता की हत्या के 30 वर्ष के पश्चात हम देखते हैं कि गांधी भावना लुप्त हो रही है। जबकि इस देश से महात्मा बुद्ध की भावना के विलीन होने में कम से कम हजार वर्ष लग गये थे। मैं जानता हूं कि भारतीय समाज हिंसक रहा है किन्तु हमारे राष्ट्र जीवन एवं नेताओं के माध्यम से परिष्कार होता रहा है। दुर्भाग्यवश देश में हमारे यहाँ ऐसे परिष्कृत नेता नहीं हैं जो हमारे समाज में बढ़ते हुए तनावों को कम कर सकें। निम्नलिखित रूप से समाज का विनाश किया जा रहा है।

महोदय, केवल हरिजनों पर ही अत्याचार नहीं हो रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि

वर्ष 1980 के दौरान आदिवासी विकास सहकारी समिति और उड़ीसा वन निगम द्वारा एकत्र की गई साल के बीजों की कुल मात्रा के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा- पटल पर रख दी जाएगी। 1981 के लिए ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

(क) आदिवासी विकास सहकारी समिति तथा उड़ीसा वन निगम द्वारा एकत्रित किए गए एक साल के बीजों की कुल मात्रा 461 क्विंटल थी ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) उड़ीसा राज्य में साल के बीजों का एकत्र करने का कार्य गैर-सरकारी पट्टेदारों तथा सहकारी समितियों को दीर्घकालीन आधार पर पट्टे पर दिया गया है, ताकि वे इसका उपयोग अपने-अपने उद्योगों या सम्बद्ध उद्योगों में कर सकें। आदिवासी विकास सहकारी निगम तथा उड़ीसा वन निगम को अपने द्वारा एकत्र किए गए साल के बीजों की मात्रा को औद्योगिक एककों को बेचने की अनुमति है ।

कालोनियों को नियमित करना

10. **श्री के० ए० राजन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, और अक्तूबर, 1981 में दिल्ली में नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों के नाम क्या हैं ?

(ख) नवम्बर, और दिसम्बर 1981 में नियमित की जाने वाली कालोनियों के नाम क्या हैं ?

(ग) क्या सरकार ने 1980 के शुरू में प्रदर्शित अनाधिकृत कालोनियों के नक्शे के प्रारूप के बारे में कोई निर्णय ले लिया है ।

(घ) क्या इन कालोनियों को नियमित करने के लिए अन्तिम नक्शे बनाने के लिए नक्शों के प्रारूप को आधार माना जाएगा या बिल्कुल नये नक्शे बनाये जायेंगे । और

(ङ.) इन नक्शों को अन्तिम रूप देने में हुए अनावश्यक बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) ऐसी कालोनियों की एक सूची अनुलग्नक "क" पर दी गई है ।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने नवम्बर, 1981 के दौरान 8 कालोनियों के नियमितीकरण नक्शे पहले ही अनुमोदित कर दिये हैं इन कालोनियों की सूची अनुलग्नक "ख" पर दी गई है। दिल्ली नगर निगम ने अनुलग्नक "ग" के अनुसार 40 कालोनियों की एक सूची भी संकलित की जिनकी इसके द्वारा नवम्बर-दिसम्बर के दौरान नियमितीकरण के लिए जाने की सम्भावना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस तरह की कोई सूची संकलित नहीं की है ।

भी बद-अमनी पैदा होती है, जहां ऐसे तत्व हैं, हमको उनके खिलाफ राजनीति से ऊपर उठ कर फैसले करने चाहिए। उन लोगों को शह मिल जाती है। विरोधी दल में बैठ कर इन्सान का दिमाग और हो जाता है। और इधर आकर और हो जाता है। जब तक यह नहीं बदलता है, तब तक इस बात का इलाज करना बड़ा मुश्किल है। (व्यवधान) ज्यादातर हमारे वे दोस्त बोल रहे हैं, जो लोकदल के हैं। मैंने पहले भी कहा था कि चौधरी सिंह का जमाना देख लीजिए उसमें क्या होता रहा। उनका होम मिनिस्ट्री का जमाना भी देख लीजिए, कहां कहां वे जाते थे और कहां कहां नहीं जाते। (व्यवधान) तब बेलछी कांड हुआ। उस वक्त वहां लोकदल के मुख्य मन्त्री थे। अब तक उसका मुकदमा चलता रहा। किसी ने जाकर खबर नहीं ली, किसी ने उनको नहीं पूछा। कोई स्पेशल आदालत नहीं बिठाई गई, ताकि जल्दी से जल्दी मुकदमे का निपटारा हो जाए। मुझे खुशी है कि उनको अहसास हुआ। जब वे इधर बैठे हुए थे, उस वक्त नहीं हुआ। अब हो गया है, भगवान, की बडी कृपा हो गई है। (व्यवधान) हम पर तो पहले ही कृपा हो गयी थी हमें आपोजीशन का तजुर्बा हो गया है। यह सिर्फ उनकी बात है, जिनको कभी मौका नहीं मिला। अगर उनको कभी मौका मिले और वे इधर आ जाएं,··· (व्यवधान)··· अब ज्यादा शोर मचाने से फायदा नहीं है। लोगों ने यह फैसला किया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सारी दुनिया में हो रहा है।

श्री जैल सिंह : क्या हो रहा है ? मैंने कब कहा है कि नहीं हो रहा है। होता है। मैंने जो बात कही है, उसका इलाज करना चाहिए। जो दिमाग इधर बैठने के वक्त था, वही होना चाहिए।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : इस बिषय पर पूरा डिसकशन होना चाहिए। इसमें बहुत सी बातें अधूरी रह गई हैं। स्पीकर साहब ने कहा था कि इस पर डिसकशन होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था के बारे में वक्तव्य

उपाध्यक्ष महोदय : अब वित्त मन्त्री महोदय एक वक्तव्य देंगे।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : इस बिषय के सम्बन्ध में वित्त मन्त्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिये जाने से पूर्व में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं शनिवार को उस समय अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखा जब विरोधी दलों की बैठक हो रही थी। हमें यह बताया गया कि प्रासंगिक दस्तावेजों तथा करारों आदि की प्रतियों को ग्रंथालय में रख दिया गया है। मैं आज प्रातः ग्रंथालय गया और मैंने देखा कि केवल वित्त मन्त्री द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक को सम्बोधित दिनांक 28 सितम्बर के पत्र को हीं ग्रंथालय में रखा गया है। इसके अलावा ग्रंथालय में कोई और पत्र उपलब्ध नहीं है।

मैं इससे संबंधित स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं मैंने अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखा था। हमें रविवार को अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया था कि सभी दस्तावेजों को ग्रंथालय में रख दिया गया है। किन्तु ये दस्तावेज ग्रंथालय में उपलब्ध नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें ग्रंथालय में रख दिया गया है।

श्री सतीश अग्रवाल : नहीं ये वहां उपलब्ध नहीं हैं। वहां तो केवल एक पत्र उपलब्ध है जो 20 सितम्बर को वित्त मन्त्री द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक को लिखा गया था। इस पत्र के अतिरिक्त वहां कोई दस्तावेज अथवा हस्ताक्षरित करार की कोई प्रति नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) वह इस अपविक्रय के विक्रय पत्र के बारे में जानना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे को आज प्रातः ग्रंथालय में रखा गया था। पहले को शनिवार को रखा गया था।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं आज प्रातः ग्रंथालय गया किन्तु कोई अन्य दस्तावेज ग्रंथालय में नहीं रखा हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मन्त्री के व्यक्तव्य की प्रतीक्षा कीजिये।

श्री सतीश अग्रवाल : करार का क्या हुआ ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकट रामन) : आपको पूरे ब्यौरे का पता नहीं है और इसलिए आप वित्त मन्त्री बिना सोचे समझे सभी प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं।

1 अगस्त, 1981 को मैंने सदन को सूचित किया था कि सरकार कोष की विस्तारित सुविधा अर्थात एक्सटेन्डिड फैसिलिटी के अन्तर्गत 5 अरब एम० डी० आर० की राशि लेने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बातचीत कर रही है। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी बातचीत सफलतापूर्वक पूरी हो गयी है और कोष ने उस पूरी राशि के लिए विस्तारित व्यवस्था का अनुमोदन कर दिया है जिसके लिए हमने अनुरोध किया था। यह बड़े सन्तोष की बात है कि हमारे प्रस्ताव को विकासशील और विकसित दोनों प्रकार के देशों में व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है।

भारत को नवम्बर, 1981 से शुरू होने वाली तीन वर्षों की अवधि में किस्तों में 5 अरब एस० डी० आर० के बराबर की राशि लेने का अधिकार होगा। 30 जून, 1982 तक 90 करोड एस० डी० आर० तक की राशि निकाली जा सकती है। पहली जुलाई, 1982 से 30 जून, 1983 तक 180 करोड़ एस० डी० आर० एक और राशि उपलब्ध होगी शेष राशि पहली जुलाई, 1983 से विस्तारित व्यवस्था के अन्त तक की अवधि में निकाली जा सकती है।

ये राशियां कोष के साधारण साधनों और उधार किए गए साधनों अर्थात इन दोनों मिले जुले साधनों से कोष की सुस्थापित नीतियों के अनुसार उपलब्ध कराई जा रही हैं। कुल रकम में से 240.45 करोड एस० डी० आर० का वित्तपोषण कोष के साधारण साधनों से किया जाएगा और शेष की व्यवस्था उधार लिए गए साधनों से की जाएगी। साधारण साधनों से की जाने वाली निकासियां 6/1/4 प्रतिशत ब्याज की औसत पर उपयब्ध होंगी। प्रत्येक निकासी की वापसी अदायगी चौथे वर्ष में शुरू होगी और प्रत्येक निकासी के बाद 10 वर्ष में पूरी होगी उधार लिए गए साधनों से की जाने वाली निकासी पर बाजार से सम्बन्ध दर पर ब्याज लगेगा और प्रत्येक निकासी की वापसी अदायगी प्रत्येक निकासी की तारीख के साढ़े तीन वर्ष बाद शुरू होगी और प्रत्येक निकासी की तारीख से सात वर्ष में पूरी हो जाएगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए साधनों पर ब्याज की जो औसत दर बैठेगी वह ब्यूरो डालर बाजार की ब्याज की दर की अपेक्षा काफी कम होगी।

इस ऋण की आवश्यकता देश के सामने मौजूदा भुगतान शेष की स्थिति से निपटने के लिए है। मैंने 17 अगस्त, 1971 को जो वक्तव्य दिया था उसमें मैंने व्यापार के रूप में अपनी अत्यधिक बिगड़ती हुई स्थिति की ओर विशेषकर पिछले दो वर्षों में तेल की कीमतों के दुगना हो जाने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। तेल के आयात के बिल का मूल्य जो 978 79 में 1700 करोड़ रुपए का था 1980-81 में बढ़कर 5000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। इससे हमारे व्यापार का घाटा काफी अधिक बढ़ गया है जो 1980-81 में लगभग 5,500 करोड़ रुपए का हो गया क। जैसा कि हमारे विदेशी मुद्रा के हमारे प्रारक्षित भंडार में निरन्तर होनी वाली कमी से स्पष्ट होता है स्थिति बराबर चिन्ताजनक हो गई है चालू वर्ष के पहले साढ़े सात महीनों में विदेशी मुद्रा के हमारे भंडार में लगभग 1400 करोड़ रुपए की कमी हुई है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : शर्म की बात है। इन्होंने हमें दीवालिया बनाया है।

श्री आर० वेंकट रामन : यह काफी थोड़ी सी अवधि में हमारे विदेशी मुद्रा भन्डार में एक चौथाई से अधिक के ह्रास का द्योतक है।

इस कठिन परिस्थिति एक अल्पकालिक असन्तुलन कह कर नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। तथापि विदेशों से मंगाई जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देश में उन वस्तुओं का उत्पादन करने के कार्यक्रमों को बड़े जोर-जोर से कार्यान्वित किया जा रहा है लेकिन अर्थव्यवस्था की अत्यावश्यक आयात की जरूरतें बराबर काफी बनी रहेंगी। विदेशों में मन्दी की स्थिति के कारण हमारे सामान के निर्यात की मांग कम हो गई है। औद्योगिक देशों में बढ़ते हुए संरक्षणवाद के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई है। इसलिए जब तक बाहरी परिस्थितियों में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होता, जिसके दुर्भाग्यवश कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, तब तक कुछ वर्षों तक हमारे भुगतान शेष की स्थिति पर बराबर कड़ा दबाव पड़ता रहेगा। इसे आयोजना में स्वीकार

किया गया है जिसमें निबल विदेशी सहायता के प्रत्याशित प्रवाह के अतिरिक्त विदेशी वित्त का सहारा लिए जाने की परिकल्पना की गई है।

मुख्य रूप से भुगतान शेष की इस किस्म की स्थिति से निपटने के लिए ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत सहित अन्य विकासशील देशों के प्रबल समर्थन से कोष की विस्तारित सुविधा यानी एक्स्टेंडिड फण्ड फैसिलिटी का निर्माण किया गया था। यह सुविधा कोष की सामान्य आपाती सुविधाओं से भिन्न है जिनका उद्देश्य भुगतान शेष की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। विस्तारित सुविधा विशेष रूप से मध्यावधिक वित्त की व्यवस्था करने के लिए तैयार की गई है ताकि विकासशील देश अपने विकास प्रयासों में व्यवधान के के बिना भुगतान शेष की अपनी समस्याओं से निपट सकें। हम सुविधा से उधार लेने का हमारा प्रस्ताव ठीक इसी ढांचे के अन्तर्गत आता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य के रूप में इस सुविधा का उपयोग करना हमारा अधिकार है बशर्ते कि हमें हमारे अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप उचित शर्तों पर साधन उपलब्ध कराये जायें।

संसद के पुस्तकालय में अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक के नाम लिखे दिनांक 28 सितम्बर, 1981 के मेरे पत्र और उससे संलग्न ज्ञापन की प्रतियां रख दी गई हैं जिसमें हमारी आर्थिक नीतियों का विवरण दिया गया है ताकि इस व्यवस्था के मुद्दों पर सूचना के आधार पर बहस की जा सके। माननीय सदस्यों के यह ज्ञात है कि इस बारे में एक करार है। करार कोई नहीं बल्कि एक मानक पत्र है जो निधि के दस्तावेज के साथ लगा है हमें इसका केवल मसविदा ही मिला है। मैं अपने विभाग को कह रहा हूं कि मसविदे की प्रति भी ग्रंथालय में रखी जाये।

इन पत्रों को पढ़ने से यह पता चलेगा कि इनमें जिस समायोजन कार्यक्रम की रूपरेखा चलाई गई है यह छठी आयोजना का अभिन्न अंग है और आयोजना की नीतियों, कार्यक्रमों और पूंजी निवेश सम्बन्धी प्राथमिकताओं को यथार्थ रूप में प्रतिबिम्बित करता है। हम आत्मनिर्भरता के प्रति अपनी वचनबद्धता से पीछे नहीं हट रहे हैं। हमने समाज के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए बनाए गए विकास कार्यक्रमों के प्रति अपनी वचनबद्धता को बड़ी दृढ़ता के साथ व्यक्त किया है। केवल छठी आयोजना को कुशलता पूर्वक क्रियान्वित किए जाने से ही हमारी अर्थ-व्यवस्था को वह शक्ति प्राप्त होगी जिसकी भुगतान-शेष की सक्षम स्थिति तक पहुंचने के लिए आवश्यकता है। हमारे सामने दूसरा कोई और रास्ता नहीं है।

हमारे माध्यावधिक कार्यक्रमों की सहायता के लिए जिन नीतियों की रूप-रेखा बनाई गई है, वे भी छठी आयोजना से ली गई हैं। जहां तक भुगतान शेष संबंध है राष्ट्रीय आयोजना में तेल, इस्पात, सीमेंट और उर्वरकों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात प्रतिस्थापन को उच्च प्राथमिकता दी गई है। हमने नीतियों के विवरण में इस पहलू पर जोर दिया है। इसके साथ-साथ विकासशील अर्थ-व्यवस्था की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं और प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं और पूंजी निवेश के एक भारी कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से तथा तेजी से पूरा

किया जाना चाहिए । हमारी आयात नीति इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिये बनाई गई है । आयोजना में निर्यात के लिए भी एक शक्तिशाली प्रयास का आह्वान किया गया है और हमने इस वचनबद्धता को दोहराया है । अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जहां हम आयातों में बचत कर सकते हैं, आन्तरिक उत्पादन बढ़ा कर और पहले से अधिक गतिशील निर्यात के द्वारा अर्थात इन्हीं दोनों तत्वों के द्वारा ही छठी आयोजना की अवधि में भुगता शेष में सन्तुलन पैदा किया जा सकता है ।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मुद्रा स्फीति पर काबू पाने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक संयम की प्रासंगिकता पर सहमत होंगे । सदन को मालूम है कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस दिशा में कार्यवाही की जा रही है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस कार्यवाही के परिणाम सामने आने लगे हैं । साधन जुटाने की वे नीतियां जिनकी रूप-रेखा हमने विवरण में बताई है, उन्हीं नीतियों की अगली कड़ी हैं जिनका हम इस सदन के समर्थन से अनुपालन कर रहे हैं । ये नीतियां छठी आयोजना के लिए आवश्यक गैर-मुद्रा स्फीतिकारी वित्तपोषण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधन जुटाने के वास्ते तैयार की गई हैं ।

जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र की भूमिका का सम्बन्ध है हमारा विवरण जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति विषयक वक्तव्य, जो इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया था, में बताए गए मार्ग के पूर्णतः अनुरूप है।

मैं अब उस बात की चर्चा करता हूं जिन्हें शर्तें कहा गया है और जो स्वभावतः इस सदन के सदस्यों के लिए चिंता का विषय है । इस प्रश्न के दो पहलू हैं । पहले का संबंध समायोजन कार्यक्रम के समूचे स्वरूप से है । जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट किया है हमने जिस समायोजन कार्यक्रम की रूप-रेखा बनाई है वह कार्यक्रम हमारे सामाजिक और राजनैतिक उद्देश्यों के अनुसार तैयार किया गया है । यह हमारी प्राथमिकताओं को प्रतिबिम्बित करता है और हमारी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किया है । जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की आधार भूत योजना और नीति पूर्णतः छठी आयोजना के अनुरूप है ।

दूसरे कार्य-निष्पादन सम्बन्धी मापदण्ड हैं जो हर साल निर्धारित किए जाते हैं और मुख्य रूप से समाष्टि अर्थ-शास्त्रीय चरों अर्थात मैक्रो इकानामिक वेरीएबल से जुड़े होने चाहिए । ये कम से कम होने चाहिएं । वर्ष 1981-82 के लिए कार्य निष्पादन के मापदण्डउन उन नीतियों को प्रतिबिम्बित करतेहैं जिनपर मैंने चालू राजकोषीय वर्ष का बजट पेश करते समय जोर दिया था । मैंने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि अर्थ व्यवस्था पर मुद्रास्फीतिकारी दबाव बराबरविद्यमान हैं और मैंने इस सम्बन्ध में राजकोषीय तथा मौद्रिक सयम की आवश्यकयता पर जोर दिया था । नीति सम्बन्धी इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के अनुसार हम ऋण के विस्तार को युक्ति-युक्त सीमाओं के अन्दर रखने का प्रयास करते रहेंगे । अतः चालू राजकोषीय

वर्ष के लिए हमने इस इरादे का संकेत दिया है कि राजकोषीय वर्ष के अन्त में कुल आन्तरिक ऋण की बकाया राशिअधिक से अधिक 74,181 करोड़ रुपये होगी जबकि पिछले वर्ष के अन्त में यह राशि 62,126 करोड़ रुपये की थी। यह राशि 19,4 प्रतिशत की वृद्धि द्योतक है। मेरा प्रयास यह होगा कि कुल ऋण विस्तार को इस स्तर से नीचे ही रखा जाये। वर्ष 1981-82 के अन्त में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बैंकों के लिए जाने वाले कुल निवल ऋण की बकाया राशि को 30,981 करोड़ रुपये तक सीमित करने का प्रस्ताव है जबकि पिछले वर्ष के अन्त में 25, 806 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। सदन इस बात से सहमत होगा कि इन स्तरो से अधिक ऋण के विस्तार से मुद्रास्फीति पर काबू पाने का हमारा प्रयास खतरे में पड़ जाएगा।

वर्ष 1981-82 के लिए हमारा इरादा एक वर्ष और 12 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले औपचारिक रूप से गारन्टीशुदा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों को 1,4 अरब एस० डी० आर० तक सीमित करने का है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इस सीमा में न केवल सहायता ऋण शामिल नहीं होगे बल्कि 12 वर्ष से अधिक अवधि वाले ऋण भी इससे बाहर रहेंगे। इसके अलावा उड़ीसा में एक नए इस्पात कारखाने तथा एक सम्भावित विद्युत परियोजना के लिए जिन दो बड़े ऋणों की परिकल्पना की गयी है वे भी इस सीमा से बाहर होंगे। यह सीमा जो केवल चालू वर्ष के लिए है, विदेशी देनदारी के विवेकशील प्रबंध की हमारी नीति के पूर्णतः अनुरूप है।

कई देशों के साथ हमारे व्यापार और भुगतान सम्बन्धी करार रुपयों में हैं। मैं यह जोर देकर कहना चाहूंगा हूं कि करार बराबर जारी रहेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की जाने वाली व्यवस्थाओं का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस वर्ष अगस्त में संसद में बहस के दौरान मैंने यह कहा था कि रुपए के अवमूल्यन का कभी भी कोई सवाल ही नहीं है। न तो उस समय ही कोई सवाल था और न ही अब है।

मैं इस कार्य क्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए विस्तारित अवधि के संबंध में भारत सरकार और कोष के बीच समय-समय पर विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में यह एक सामान्य बात है। माननीय सदस्यों को मैं यह बताना चाहूंगा कि ऐसी विस्तारित व्यवस्था के बिना भी कोष के सभी सदस्य देशों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करार की शर्तों के अनुच्छेद IV के उपबन्धों के अधीन समय-समय पर कोष के साथ विचार-विमर्श करना अनिवार्य करना अनिवार्य होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की गई व्यवस्था सदन में और सदन के बाहर काफी अधिक दिलचस्पी का विषय रहा है। इस सदन को विश्वास में लेने से पूर्व मैंने इस प्रश्न पर जान-बूझ कर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं की है। मुझे विश्वास है कि हमने अब जो दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं उनका सावधानी-पूर्वक पाठ करने के बाद मानीय सदस्यों को यह

विश्वास हो जाएगा कि सरकार ने देश के महत्पूर्ण आर्थिक हितों की पूरी-पूरी रक्षा की है। मैंने इस सदन को विश्वास दिलाया था कि सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे देश के स्वाभीमान और राष्ट्रीय हितों पर किसी प्रकार की आंच आती हो। मेरा विश्वास है कि अपने-अपने बचन का पालन किया है। हमने कोष को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हम जिन उपायों का अनुपालन करेंगे वे संसद द्वारा स्वीकृत हमारी घोषित नीतियों के पूणतः अनुरुप होंगे। हमने संसद के और राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करने के लिए उसके उत्तरदायी सरकार के सर्वापरि अधिकार को किसी प्रकार घटने नहीं दिया और न ही भविष्य में हम इसे घटने देंगे।

मैंने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैंने कुछ प्रश्न सभा होने वाली चर्चा के लिए रखे हैं। मैं सभा द्वारा एक लाभदायक चर्चा की आकांशा रखता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) रानी खेत और लैंसडाउन क्षेत्रों के लिए नगरपालिका बोर्ड स्थापित करने हेतु छावनी अधिनियम में सशोधन करने की आवश्यकता

श्री हरीश चन्द्र रावत (अलमोड़ा) : मैं वर्तमान छावनी अधिनियम के कुछ उपबन्धों को संशोधित करने की आवश्यकता की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह अधिनियम तीसरी शताब्दी के आरम्भ में बनाया गया था। छावनियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश प्राधिकारियों के विभिन्न छावनियों में कुछ असैनिक लोगों को बसा दिया था। इस अधिनियम के उपबंध अधीन असैनिक क्षेत्र में बसे हुए लोगों को भूमि कुछ अवधि विशेष के लिए पट्टे पर दी जाती है। फिर भी यह खतरा बना रहता है कि पट्टे की अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही इस भूमि को सेना की आवश्यकता के लिए अधिग्रहण किया जा सकता है। छावनी बोर्ड की अनुमति के बीना इस भूमि पर किसी प्रकार का सदन आदि का निर्माण कार्य अथवा उसमें किसी प्रकार का फेर बदल नहीं किया जा सकता है। कुछ मामलों में उच्च सैन्य कमान की अनुमति की आवश्यकता होती है, जो कि शायद ही कभी हो जाती हैं। सड़कों और सरकारी भवनो आदि जैसे नये निर्माण कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सदैव कठिनाई आती है। छावनी बोर्ड में ऐसे सैनिक अधिकारी बड़ी संख्या में होते हैं जो कि असैनिक जनसंख्या की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं और अतिरिक्त उनका सेवा काल भी अल्पावधि के लिए ही होता है।

छावनियों में लसी असैनिक जनसख्या घुटन का अनुभव करती है। मुझे लोगों से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें रानी खेत और लैण्डसडाउन छावनियों में अलग से नगरपालिका बनाने की मांग की गई है। अतः मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि छावनी अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाए और रानी खेत तथा लैण्ठसडाउन में रहने वाली असैनिक जनता को अलग से नगर पालिका बोर्ड बनाने की अनुमति दी जाए।

(श्री गुलशेर अहमद पीटासीन हुए)

(दो) बिहार के कुछ भागों में पानी की कमी तथा अकाल की स्थिति को दूर करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता ।

श्री रणजीत सिंह: (चतरा) : बिहार के पलामऊ जिले में, विशेषकर पंकी, लेस्लीगन्ज, मनाटू, बालामठ लटेहर, चांदवा क्षेत्रों में, और हजारीबाग जिले के हन्टरगन्ज, प्रताप पुर, तथा इत्रा क्षेत्रों में तथा गया जिले के मोहनपुर, बाराछत्ती, इमामगंज, डुमरिया फतेहपुर और वीरगंज क्षेत्रों में पानी का भारी अभाव है और अकाल की स्थिति पैदा हो गई है । पलामऊ, हजारीबाग और गया जिलों के लोगों को भुखमरी और पानी के घोर अभाव का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो भारी वर्षा के कारण उनकी भदई फसलें खराब हो गई थीं और अब वर्षा की कमी के कारण धान की सभी फसलों को हानिपहुंची है और वे नष्ट हो गई है । इस क्षेत्र को अब अकाल का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी संख्या में ग्रामीणों को भुखमरी ने घेरा हुआ है। पशुओं की स्थिति भी बढ़ी ही दयनीय है और लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए सरकार की ओर से राशन वितरित नहीं किया जा रहा है ।

खेतीहरों और अन्य पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए तुरन्त उपाय किए जाने चाहिये तथा भूखों मर रहे लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु श्रम प्रधान कार्य आरम्भ किए जाने चाहिए । तपते, सूखे हुए खेतों में पानी देने के लिए नलकूप लगाये जाने चाहिये जिससे खरीफ की फसल उगाई जा सके । वर्षा के पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए बांध के निर्माण जैसी दीर्घावधि योजना इस क्षेत्र के लिए तैयार की जानी चाहिए जिससे इसको सिंचाई सुविधा मिल सकें ।

(तीन) रेशम के धागे के मूल्य में वृद्धि के कारण रेशम उद्योग में संकट

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : रेशम के धागे की कीमतों में वृद्धि के कारण, देश में और विशेषक वाराणसी में रेशम उद्योग को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है । जिस रेशम के धागे की कीमत जुलाई, 1981 मास में 400/-रुपये प्रति किलोग्राम थी, वह अक्तूबर, 1981 के अन्त तक अब तक की सर्वोच्च कीमत 775/- रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई । इसका रेशम बुनकरों पर बड़ा ही हानिकारक प्रभाव पड़ा है ।

अकेले वाराणसी में ही पांच लाख से अधिक रेशम के हथकरघा बुनकरों को अपने करघे बन्द करने के लिए बाध्य होना पडा है बुनकरों को अकथनीय कष्ट झेलने पड़ रहे है और लगभग पांच लाख लोग भुखमरी की चपेट में आने वाले हैं ।

रेशम के धागे के उत्पादद में कर्नाटक राज्य का ऊंचा स्थान है, परन्तु वहां पैदा हुए 60 प्रतिशत से अधिक रेशम के धागे का उपयोग वाराणसी में ही होता है । वाराणसी के बुनकर देश में सभी साधनों से उत्पन्न रेशम के 50 प्रतिशत से भी अधिक भाग को उपयोग करते हैं। जबकि 'ऊर्जा मक्खी' रोग के कारण रेशम के धागे के उत्पादन पर केवल 10 प्रतिशत ही कुप्रभाव पड़ा है, परन्तु कीमतों में असाधारण रूप से वृद्धि तो कर्नाटक सिल्क एक्सचेंज बोर्ड द्वारा चालू की गई नीलामी प्रणाली से धागे के बड़े व्यापारियों और पूजीवादियों को यह लाभ पहुंचा है कि

वे नीलामी में रेशम के धागे के बहुत सारे भाग को ले लेते हैं और स्टाक कर लेते हैं। सट्टे के व्यापारियों को तो रेशम के धागे में, पूंजीनिवेश करने और उसका भण्डार बनाने में स्वर्ग ही मिल गया है, जिसकी कि कीमतें गत दो मास ही में लगभग 100 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं।

रेशम उद्योग के सम्मुख जो संकट है उसे देखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है। अतः मेरा सुझाव है कि देशभर के, और विशेषकर वाराणसी के लाखों रेशम के धागे के बुनकरों को बचाने के लिए सरकार द्वारा निम्न कदम तुरन्त उठाने चाहिये :

1. रेशम के धागे का चीन, कोरिया और ब्राजील से भारी मात्रा में आयात करने के लिए तुरन्त प्रबन्ध करने हेतु एक त्वरित कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए और उस धागे को बिना किसी प्रकार का आयात शुल्क लगाये बुनकरों को दे देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ओपन जनरल लाइसेन्स तथा वास्तविक उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत रेशमी धागे के आयात के लिए प्रबन्ध किए जाने चाहिए जिससे कि आयातकों के साथ-साथ हरकरघा बुनकर संघठनों को भी धागे का सीधे आयात करने की सुविधा उपलब्ध हो सके।

2. क्रय के क्षेत्र में कर्नाटक राज्य रेशम विपणन्न बोर्ड तथा रेशम विपणन्न महासंघ के एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इन दोनों संगठनों की क्रय-नीति निर्धारित करने में उनका मार्ग दर्शन करने में भारत सरकार के हथकरघा विकास आयुक्त की भी बात सुनी जानी चाहिए। यह बात सभी राज्यों के सभी रेशम उद्योग विभागों पर लागू होनी चाहिये जहां हथकरघा विकास आयुक्त से सलाह करके न्यूनतम कीमतें इस प्रकार निश्चित की जानी चाहिए कि जब कभी भी धागे की कीमत न्यूनतम कीमत स्तर से कम हो जावे केवल तभी खरीद के लिए राज्य सरकारों के विपणन्न बोर्ड हस्तक्षेप करे, अन्यथा बाजार को स्वयं अपने ढंग से प्राकृतिक रूप में चलने देना चाहिए।

3. कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नीलामी प्रथा को पूर्णतया बन्द कर दिया जाना चाहिए तथा जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के रेशम उद्योग विभागों को नीलामी प्रथा को समाप्त करने के निर्देश दिए जाने चाहिए।

4. राज्य सरकारों द्वारा रेशम हथकरघा वस्तुओं और रेशम के धागे पर लगे सभी प्रकार के विक्रय कर को तथा महानगरीय नगर निगमों द्वारा रेशम की वस्तुओं पर लगाये गये चुंगीकर को तुरन्त हटा दिया जाना चाहिए।

5. आयातित धागे को निजी व्यापारियों द्वारा आवंटित नहीं किया जाना चाहिए, वरन, उसे वास्तविक बुनकरों को सहकारी अभिकरण के माध्यम से दिया जाना चाहिये जो कि करघों में कार्यरत है।

6. आयातित रेशम के धागे को विभिन्न राज्यों में बराबर-बराबर नहीं बांटा जाना चाहिये, अपितु इसका आवंटन विभिन्न राज्यों में इसके उपयोग के इतिहास के आधार पर किया जाना चाहिये ।

(चार) **गलगंड नियंत्रण के लिए उपाय करने की आवश्यकता ।**

(डा० वसन्त कुमार पण्डित (राजगढ़) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन, अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न मामले का उल्लेख करना चाहता हूं ।

राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम में अव्यवस्था फैली हुई है । गलगंड एक पोषण सम्बन्धी रोग है । इसकी रोकथाम और नियन्त्रण किया जा सकता है । फिर भी लगभग 30 वर्ष के बाद भी, गलगण्ड की बीमारी की समस्या केन्द्र और राज्य सरकारों की निर्दयता के कारण तथा प्रत्येक स्तर पर आने वाली प्रशासनिक अड़चनों के कारण जहां की तहां बनी हुई है ।

आज गलगण्ड से 4000 लाख लोग पीड़ित हैं । पांचवीं पंच वर्षीय योजना में गलगण्ड पर नियन्त्रण पाने के लिए केवल 56 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था । इस राशि में से कहीं कम थी, दस लाख रुपये तो कतई खर्च ही नहीं किए गये थे ।

देश के गलगण्ड ग्रस्त क्षेत्रों में इसकी रोकथाम और नियन्त्रण के लिए लगभग 7 लाख टन आयोडीन लवण की आवश्यकता है ।

परन्तु देश के सभी 12 आयोडीनीकरण संयन्त्रों—जो कि सभी यूनिसेफ ने उपहार में दिये हैं - की स्थापित क्षमता केवल 3.76 लाख टन प्रति वर्ष है, जबकि वास्तविक वार्षिक टन वर्ष हैं, जबकि वास्तविक वार्षिक उत्पादन एक लाख टन से कुछ ही अधिक है (1978-79 के आंकड़े) ।

आयोडीनीकरण एककों को आयोडीन लवण की ढुलाई के लिए पर्याप्त मात्रा में रेल-डिब्बे नहीं मिल पाते हैं ।

कार्यक्रम का राज्य स्तर पर उचचित ढंग से पर्यवेक्षण और मूल्यांकन नहीं हुआ है क्योंकि प्रभावित राज्यों के स्वास्थ्य निदेशालयों में गलगण्ड कक्ष नहीं है ।

गलगण्ड प्रभावित राज्य प्रायः लवण का अपना कोटा उठाते ही नहीं हैं । राज्य और स्वास्थ्य विभागों तथा नागरिक आपूर्ति विभागों के बीच कोई तालमेल ही नहीं हैं ।

गलगण्ड क्षेत्रों में सामान्य लवण की आपूर्ति पर इसलिए रोक नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि प्रशासनिक अड़चनों के कारण वहां आयोजिन लवण पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं ।

ग गण्ड नियन्त्रण के प्रति सरकार की भारी उदासीनता का अनुमान तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ वर्ष पूर्व जबकि आयोडीनीकरण संयन्त्रों की संख्या 12 से भी कम

थी, यूनिसेफ द्वारा उपहार में दिए गये दो आयोडीनीकरण संयंत्र, केवल कहीं न लगाये जाने के कारण, वर्षों गोदामों में सड़ते रहे ।

गलगण्ड खुराक में आयोडीन की कमी के कारण होता है । अवटुग्रंथि के फैलन और गर्दन में सामने तथा दोनों ओर से सूजन होना इसकी निशानी है । इसकी रोकथाम और नियन्त्रण गलगण्ड-प्रभावित लोगों तथा जिन लोगों को गलगण्ड होने का खतरा है, उनके द्वारा आयोडीन लवण का नियमित रूप से प्रयोग करने से हो सकता है ।

भारत वर्ष में गलगण्ड प्रभावित पट्टी जम्मू और कश्मीर, से लेकर हिमाचल-प्रदेश, पंजाब, हरियाणा (एक जिला), बिहार (नौ जिले) उत्तर-प्रदेश (14 जिले), पश्चिम-बंगाल (पांच जिले(, सिक्कम, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मनीपुर, नागालैण्ड, तथा अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है ।

गलगण्ड की यह बीमारी महाराष्ट्र के औरगाबाद जिले और मध्य-प्रदेश के शहडोल तथा सीधी जिलों में भी पायी गई है ।

इस पट्टी में गलगण्ड 3 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक व्याप्त है जिसका औसत 30 प्रतिशत पड़ता है ।

पोषण विशेषज्ञ, डा० सी० गोपालन का कहना है कि राष्ट्रीय गलगण्ड नियन्त्रण कार्यक्रम की असफलता से पता चलता है कि इस देश में स्वास्थ्य—कार्यक्रमों को किस प्रकार लागू किया जाता है ।

पोषणिक अन्धता (विटामिन 'ए' की कमी) निवारण कार्यक्रम को जिस असंतोषजनक ढंग से लागू किया गया था, उसका उल्लेख करते हुए भारतीय पोषण संस्था ने कहा है "गलगण्ड और इसी प्रकार की स्वास्थ्य तथा पोषणिक समस्याएं, गरीबों और उपेक्षित लोगों की बीमारियां हैं और इसलिए स्पष्टतया उन्हें 'उनकी' समस्याएं समझा जाता है 'अपनी' नहीं ।

इन समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है । इन समस्यओं की महत्ता और तत्परता के प्रति भारी सजगता होनी चाहिए और उनके नियन्त्रण एवं निवारण को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

छठी योजना में गलगण्ड नियन्त्रण के लिए 86 लाख रुपये रखे गये हैं । 1980-85 के दौरान यूनिसेफ़ द्वारा उपहार में दिए गये पन्द्रह आयातित संयन्त्रों को स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ।

अतः, मेरा सरकार से अनुरोध है कि गरीबों की इस मुख्य स्वास्थ्य समस्वा पर वह गम्भीरतापूर्वक ध्यान दे । नीचे के स्तर पर पर्याप्त सजगता की आवश्यकता है । केन्द्र और राज्य सरकारों की सम्पूर्ण उदासीनता का कारण है, अनुत्तरदायित्वता एवं संतोष की भावना ।

मुझे आशा है कि सरकार इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को पूरा करने के लिए एक वृहत योजना लेकर आगे आयेगी ।

(पांच) नई दिल्ली स्थित बोट क्लब पर कामगारों द्वारा विरोध रैली

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, आज संसद के बाहर बोट क्लब के मैदान में देश के विभिन्न भागों से आये लाखों श्रमिकों, कर्मचारियों, किसानों, कृषि मजदूरों तथा अन्य मेहनतकश वर्गों के लोगों ने आवश्यक वस्तुओं के ऊंचे मूल्यों, सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों और आवश्यक सेवा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आदि जैसे गैर-प्रजातांत्रिक दमनात्मक उपायों का विरोध करने के लिए तथा निम्नलिखित मांगों पर जोर डालने के लिए रैली की :

1. खाद्य तेल, कपड़ा, चीनी आदि जैसी सभी आवश्यक वस्तुओं की लोक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उचित मूल्यों पर बिक्री करना और इन वस्तुओं की पर्याप्त तथा निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित करना ।

2. किसानों को लाभकारी मूल्य देना तथा कृषि श्रमिकों को अधिक मजदूरी देना ।

3. चोरबाजियों, जमाखोरों, तस्करों, सहेबाजों तथा इन्हें आश्रय देने वाले अधिकारियों के के विरुद्ध कड़े कदम उठाना ।

4. आवश्यक सेवा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और अन्य दमनात्मक उपायों का निरसन ।

5. 15 वें श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित मानदन्डों के आधार पर आवश्यकता-आधारित न्यूनतम मजदूरी ।

6. जीवन निर्वाह की लागत में वृद्धि का पूर्णरूप से निष्प्रभावित करना । सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा मनमाने ढंग से निर्धारित की गई मूल्य सूचकांक (1960) में प्रति अंक की वृद्धि पर 1.30 रुपये की उच्चतम सीमा को हटाना ।

7. बोनस भुगतान अधिनियस में संशोधन करना जिससे सभी श्रमिकों को बिना किसी उच्चतम सीमा और पूर्व-शर्त के बोनस मिल सके ।

8. छंटनी और तालाबन्दी पर रोक, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देना आरम्भ करना ।

9. श्रमिकों तथा मजदूर संघों की कार्यवाहियों के विरुद्ध सभी उत्पीड़क उपायों को हटाना ।

10. जीवन-निर्वाह सूचकांक की गलत लागत को ठीक करना ।

11. मजदूर संघों की सदस्यता को गुप्त मतदान के द्वारा मान्यता दिया जाना ;

12. सामूहिक सौदेबाजी तथा मजदूर संघ के अधिकारों की बिना किसी भेदभाव के पूरी गारंटी ।

श्रमिकों और मेहनतकश लोगों की इन उचित और तर्कसंगत मांगों को स्वीकार करने के लिए सरकार की एकाधिकार समर्थक, जन-विरोधी और प्रजातंत्र विरोधी नीतियों में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक सहित विदेशी और स्वदेशी एकाधिकारियों के कहने पर पूरी तरह से विरोध करने तथा क्रूर दमन का रास्ता अपनाने के बजाए सरकार को इस विशाल एकतापूर्ण विरोध प्रदर्शन से सबक लेना चाहिए और इस विशाल रैली के माध्यम से केन्द्रीय मजदूर संघों तथा राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सयुक्त रूप से रखी गई मांगों को स्वीकार करने के लिए अपनी वर्तमान नीतियों को बदल देना चाहिए । यदि सरकार इन्हें स्वीकृति देने से इन्कार करती है तो अखिल भारतीय हड़ताल के माध्यम से इससे भी बड़ा विरोध किया जाएगा । और उसके लिए सरकार ही पूरी तरह से जिम्मेदार होगी ।

(छः) केन्द्रीय सरकार द्वारा रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय को अपने नियंत्रण में लेने की आवश्यकता

श्री रसीद मसूद (सहारनपुर) : रुड़की की इन्जीनियरिंग यूनिवर्सिटी हिन्दुस्तान की उन चंद यूनिवर्सिटियों में से एक है, जिसने इन्जीनियरिंग के मैदान में न सिर्फ हिन्दुस्तान में बल्कि दुनियां में नाम पैदा किया है । मगर वक्त के साथ-साथ उसकी वह पुरानी साख खत्म होती जाती है । इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि इस यूनिवर्सिटी को हुकूमते हिन्द अपने इन्तजाम में ले और इसको भी वही दर्जा दिया जाए जो हिन्दुस्तान में आई० आई० टीज को दिया गया है । सरकार के इस कदम से न सिर्फ यह कि रुड़की यूनिवर्सिटी और पेपर इन्स्टीट्यूट सहारनपुर मुल्क की तरक्की में बेहतर किरदार अदा कर सकेगा, बल्कि आई० आई० टीज से कपीटीशन होने की बिना पर रिसर्च के मामलात में भी सुधार आएगा । यूनिवर्सिटी के स्टाफ और स्टूडेंट्स की भी यही ख्वाहिश है कि इसको हिन्द सरकार अपने अख्तियार में ले ले ।

तेल उद्योग (विकास) संशोधन विधयक

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अधिनियम की धारा 15 में यह उपबंध है कि समय-समय पर जारी की गई केन्द्र सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार स्वदेशी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पादन-शुल्क के रूप में उपकर तथा शुल्क एकत्र किए जायेंगे । हम 60 रुपये शुल्क के रूप में एकत्र करते रहे हैं । जिसे हाल ही में बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है । स्वदेशी कच्चे तेल का मूल्य 11-7-1981 से समुद्र तट पर पाये जाने वाले तेल के मूल्य 305 रुपये और समुद तट से दूर पाये जाने वाले

तेल के मूल्य 439 रुपये से बढ़ाकर दोनों के लिए 1,182 रुपये कर दिया गया है। इसलिए, तेल उद्योग में और पूंजी निवेश के लिए शुल्क में संशोधन करना अपरिहार्य हो गया है। सरकार अधिसूचना के बाद, उपकर 300 रुपये तक बढ़ाने का अधिकार ले रही है। यह केवल समर्थकारी उपाय है। हमने इसके लिए वित्तीय स्वीकृति ले ली है। मुझे आशा है कि इस विधेयक को अधिक चर्चा किए बिना पारित कर दिया जायेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव यह है :

> "कि तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री रेणुपद दास (कृष नगर) : महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। यह एक छोटा सा विधेयक है, शायद इससे छोटा विधेयक कभी नहीं लाया गया। यह कुछ पंक्तियों का विधेयक है परन्तु यह जितना निष्कपट लगता है, उतना है नहीं। हालांकि यह तेल उद्योग के विकास के लिए है परन्तु आप देखेंगे कि यह एक आर्थिक विधेयक है।

यह मन्त्रालय अब से ने अधिक राजस्व कमाने वाला तत्र बन गया है। पिछले तीन वर्षों में इसने 6.000 करोड़ रुपये के कर वसूल किए हैं। अगस्त, 1979 में 1,150 करोड़ रुपए के कर लगाए गए, जून, 1980 में 2,100 करोड़ रुपए के कर लगाए गए। और जून, 1981 में 1,200 करोड़ रुपये के कर लगाए गए। जुलाई, 1981 में पुनः 1,500 रुपयों के कर और लगाए गए। यह सब मिलाकर 6,000 करोड़ रुपये के लगभग हो जाता है। ऐसा लगता है कि अभी भी 600 करोड़ रुपयों का बजटीय अन्तर रह जाता है।

अभी-अभी वित्त मन्त्री महोदय ने बजटीय अन्तर और अन्तरांष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ आवधिक विचार-विमर्श के पश्चात इसके द्वारा दिये गये मार्ग निर्देशों का उल्लेख किया था। मेरे पास अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ज्ञापन की एक प्रति है, जिसमें वित्त मन्त्री, श्री आर० वेंकटरामन का 19 सितम्बर, 1981 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक को लिखा हुआ पत्र है जिसके द्वारा उन्होंने भारत सरकार की आर्थिक नीति का विवरण उन्हें भेजा था।

महोदय ज्ञापन की सारणी संख्या 13 में आप पाएंगे कि यह बताया गया है कि भारत सरकार को 1981-82 में 6,600 करोड़ रुपये वसूल करने हैं और 1982-83 में इसे 12,400 करोड़ रुपये वसूल करने हैं तथा फिर 1983-84 में 144.00 करोड़ रुपये वसूल करने हैं। इसका अर्थ यह है कि 1981-82 से 1983-84 तक की अवधि में 33,400 करोड़ रुपये की कुल राशि वसूल की जानी है इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वर्तमान मन्त्रालय को और 600 करोड़ रुपये वसूल करने के लिए पुनः विवश किया गया है, क्योंकि अब इस विधेयक में प्रति टन कच्चे तेल के लिए और 200 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है। इसमें दरों को प्रति टन कच्चे तेल पर 100 करोड़ रुपये से बढ़कर 300 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे पूर्व वर्ष में लगभग 600 करोड़ रुपेप वसूल किए जाएंगे। अतः यह स्पष्ट हो गया कि ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कहने पर किया जा रहा है। अन्यथा, ऐसा कैसे हो सकता है कि

पिछले 30 महीनों में इस मन्त्रालय को तेल का मूल्य तीन बार बढाना पड़े ? अब तेल का मूल्य अत्यधिक बढ़ रहा है परन्तु ऐसा तो पहले नहीं था । यह प्रक्रिया जनवरी,1981 से शुरू हुई और यह दिनोंदिन स्पष्ट होता जा रहा है कि इसके पीछे कोई न कोई शक्ति है जो डोर खींच रही है और सरकार उसके अनुसार काम कर रही है यद्यपि यह विधेयक जैसा इसका मसौदा तैयार किया गयाहै, निष्कपट लगता है और विधेयक का उद्देश्य देश में तेल उद्योग का विकास करना है फिरभी आप देखेंगे कि शोधनशाला द्वारा तेल मूल्य का बाजार में तेल के वास्तविक मूल्य से जरा भी सम्बन्ध नहीं है । शोधनशाला तेल के एक लिटर पेट्रोल का मूल्य 3 रुपये से कम है, परन्तु बाजार में इसका मूल्य 5.58 रुपये से 6 रुपये प्रति लीटर तक है । अतः शोधनशाला द्वारा तेल मूल्य और बाजार में बेचे जा रहे तेल के मूल्य में कोई सम्बन्ध नहीं है । इसीलिए यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि यह मन्त्रालय सामान्य बजट के लिए राजस्व जुटाने का एक बड़ा साधन बन गया है ।

मैं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में एक और तथ्य बताना चाहता हूं ओ० एन० जी० सी० तेल उद्योग में सबसे बड़ा तथा समर्थ संगठन है । इसके पास अद्यतन जानकारी मौजूद है, परन्तु इसे स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी है जितनी कि होनी चाहिए थी । इसे सभी तेल क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति नहीं दी गयी । आज लगभग 32 क्षेत्र, समुद्र तट से दूर 17 और समुद्र तट पर 15 हैं । इन क्षेत्रों को विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों को तेल निकालने के दिया जा रहा है । वास्तव में उन्हें इन क्षेत्रों में कुछ नहीं करना है । अतः यह स्पष्ट हो गया है कि हमें अपनी सामान्य और विकास योजनाओं को किसी अन्य स्थान पर बेचना पड़ेगा । सारा काम हम स्वयं नहीं कर रहे हैं । फिर इसके साथ ही यह भी है कि स्वयं काम करने के लिए ओ० एन० जी० सी० के पास अपेक्षित संख्या में वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और तकनीशियन नहीं हैं सरकार भी ओ० एन० जी० सी० को पूरा विकास कार्य सौंपने की स्थिति में नहीं है इसलिए सरकार को विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों पर आश्रित रहना पड़ता है ।

पुनः मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ज्ञापन का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें यह कहा गया है:

> "अतीत में सरकार आयातित कच्चे तेल की लागत में हुई वृद्धि को नियोजित ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़कर घरेलू उपभोक्ताओं पर डाल देती थी इस उद्देश्य से पेट्रोलियम के मूल्य जून 1980 तथा पुनः जनवरी, 1981 में बढ़ाए गए । अभी हाल में सरकार ने घरेलू कच्चे तेल का औसतन मूल्य 391 रूपये से बढ़कर 1182 रुपये प्रति टन कर कर दिया है । मूल्यों में यह 200 प्रतिशत की वृद्धि संसाधनों को एकत्रित करने के प्रयास में एक बड़ा सहयोग देगी जो 1981-82 में लगभग 900 करोड़ रूपये होगा और कार्यक्रम की अवधि की समाप्ति पर कुल 47,00 करोड़ रुपये होगा । सरकार ने आर्थिक सहायता कम करने के लिए भी कदम उठाए हैं । कार्यक्रम की अवधि में उर्वरक आर्थिक सहायता की लागत में कुल 1,000 करोड़ रुपये की बचत करने के लिए 1980-81 में उर्वरक

के मूल्य बढ़ाए गए थे। उर्वरक के मूल्यों में हाल ही में जो वृद्धि की घोषणा की गई जिससे आर्थिक सहायता का भार 8.00 करोड़ रुपये और कम हो जाएगा। पेट्रोल और उवरक के मूल्य में इस वृद्धि ने बहुत छोटी अवधि में एक विशाल समायोजन कर दिया है। विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में पिछले 30 महीनों में 40 से 140 प्रतिशत की वृद्धि से अधिकांश उत्पादों और उर्वरकों के मूल्यों में लगभग 62 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। इस समयोजनों के कारण उपभोक्ता को अतिरिक्त भार सहन करना पड़ा वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 3 प्रतिशत से अधिक है"

इससे साफ तौर पर सिद्ध हो गया कि इस मन्त्रालय ने अपने हितों को विदेशी एकाधिकारों अमरीकी साम्राज्यवादियों को बेच दिया है। वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आड़ मे काम कर रहे हैं इसलिए मैं इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध करता हूं।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : मैं इस अवसर का लाभ दो तरह से उठाना चाहता हूं एक तो विधेयक का समर्थन करने के लिये और दूसरे मन्त्री महोदय को अत्यधिक काम करने तथा तेल उत्पादन के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देने के लिए। जबकि हम 1973 में भारत के तेल उद्योग की स्थिति की 1981 की स्थिति से तुलना करते हैं। तो यह कोई कम बात नहीं है।

इस विधेयक को लाते समय श्री देव कान्त बरुआ ने मूल विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन का उल्लेख करते हुए कहा था :

"यह आवश्यक है कि इस तरह की आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए शीघ्रता से कार्यक्रम चलाया जाये और ऐसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये। अत: कच्चे तेल और प्राकृतिक-गैस पर उत्पाद शुल्क के रूपमे कर लगाने का प्रस्ताव है जिनसे कि तेल उद्योग विकासनिधि का निर्माण किया जा सके।"

"इस निधि का उपयोग तेल उद्योग के विकास, तेल की खोज, कच्चे तेल के उत्पादन, उसके शोधण, और आगे परिष्करण, वितरण, विपणन आदि तथा अनुसन्धान और विकास कार्यों में लगे संगठनों को वित्तीय सहायता के लिए किया जाएगा।"

श्रीमान, 1973 में इस अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्देश्य यही था। परन्तु जब आप इस संशोधनकारी विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के कथन का उल्लेख करते, तो मुझे मूल अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार बोर्ड के क्रियाकलापों के बारे में एक प्रतिवेदन प्राप्त करने की आशा करनी चाहिये थी। यदि सभा को बोर्ड के विचित्र क्रियाकलापों और कार्यों के बारे में सूचित किया जाना तो निश्चिय ही हम इस विभाग का मूल्यांकन करने की अच्छी स्थिति में होते। उद्देश्यों तथा कारणों के कथन के पैरा 2 में कहा गया है :

''अब यह निर्णय लिया गया है कि कच्चे तेल पर उपरिलिखित अधिकतम शुल्क की दर 300 रुपए प्रति टन होगी''।

कहा गया है कि 13 जुलाई, 1981 को केन्द्रीय सरकार ने स्पष्ट किया था कि कच्चे तेल पर उत्पाद शुल्क की दर 100 रुपए प्रति टन होगी। इस प्रकार 13 जुलाई, 1981 के निर्णय की अपेक्षा 10 सितम्बर, 1981 के निर्णय द्वारा भारी बढ़ोतरी की गई है। इसलिए दो प्रश्न पूछे जाना स्वाभाविक है अर्थात उत्पाद शुल्क की वृद्धि का प्रभाव उपभोकता की दृष्टि से क्या होगा तथा इससे हमारे देश की आर्थिक और विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

मैं अधिक उत्पाद शुल्क के पक्ष में हूं। बशर्ते कि उपलब्धियों हमारे देश के आर्थिक विकास में परिलजित हों। अभी कुछ ही समय पूर्व वित्त मन्त्री ने बताया था कि हमारी विदेशी मुद्रा तेजी से घट रही है। यह स्थिति उनके लिए विस्मयकारी है कि हमारी 70 प्रतिशत से अधिक विदेशी मुद्रा तेल के आयात पर लग जाती है। इसलिए उनके द्वारा उत्पाद शुल्क बढ़ाया जाना स्वाभाविक है, परन्तु उपभोक्ता की दृष्टि से मैं मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या सरकार ने इन बातों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है कि (क) उत्पाद शुल्क में वृद्धि से कितने राजस्व की उपलब्धि होगी और (ख) आर्थिक दृष्टि से विशेषत: इस देश में मूल्य वृद्धि के संदर्भ में इसका समग्र रूपेण क्या प्रभाव पड़ेगा? 100 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कोई साधारण वृद्धि नहीं है। इसलिए यह दो प्रश्न अत्यन्त संगत हैं। अन्यथा मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं। हमारे प्राकृतिक संसाधनों विशेषरूप से तेल संसाधनों के समुचित विकास खोज और इस संदभ में कहा जाता है कि हम अभी भी अपने तेल के संसाधनों की खोज में बहुत पीछे हैं। जब तक हम तटीय एवं तट दूर खुदाई प्रारम्भ नहीं करते तब तक ह रूप से उसी तरह आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा जैसा कि हम विदेशी मुद्रा के स्वाभाविक मा मलेमें कर रहे हैं। उस संकट से बचने के लिए जैसा कि 1973 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है हमें आत्म निर्भर बनाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्त के लिए मैं मन्त्री महोदय द्वारा लाये गये इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं। तथापि, मेरी आशंका यह है, जो इस सभा से बाहर भी कई व्यक्तियों न बात की है, कि इससे हमारे देश के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह गम्भीर प्रश्न उत्तर के लिए हमारे समक्ष है।

श्रीमान, इन शब्दों के साथ, में विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं। तथा मन्त्री महोदय को सरकार की इस महान उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं, जोकि प्राकृतिक तेल संसाधनों के विकास तथा उनकी खोज के मामले में हुई है। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय संतोषजनक उत्तर देंगे। तथा मुझे यह भी आशा है कि यह विधेयक तेल तथा प्राकृतिक संसाधनों के मामले में आत्म निर्भरता लाने की दिशा में एक आगे कदम होगा।

धन्यवाद।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, सदन में जो आयल इन्डस्ट्री डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल, 1981 प्रस्तुत किया गया है उसका में समर्थन करता हूं। क्रूड आयल पर जो

एक्साइज ड्यूटि पहले 60 रुपये पर टन थी उसको बढाकर जुलाई 13, 1981 को 100 रुपये पर टन किया गया और अब 10 सितम्बर से वह रेट 300 रुपये पर टन करने के लिए यह बिल लाया गया है।

प्रश्न यह है कि आयल इन्डस्ट्री की प्रोग्रेस के लिए साधनों का बढ़ाना आवश्यक है, इस सिद्धान्त को तो सभी मन्जूर करेंगे क्योंकि हम सेल्फ-सफिश्येंट होना चाहते हैं और माडर्न टाइम में कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है जब तक कि वह आयल के मामले में सेल्फ-सफिश्येंट न हो। इसलिए इस सम्बन्ध में साधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। परन्तु साधन इस प्रकार बढाए जाएं जिससे कि ग्रामीण लोगों पर प्रभाव न पड़े और हमारे ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर उसका कुप्रभाव न पड़े। यह सौ रुपये से बढ़ाकर एकदम 300 रुपये सिर्फ दो महीने के अन्दर करने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से यह बढ़ाया गया है इसका बहुत ही कुप्रभाव ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर पड़ेगा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डबल क्राप एरिया है जैसे हमारे राजस्थान का गुदा और साचौर एरिया है या और गुजरात के इलाके हैं जहां डीजल का प्रयोग करते हैं खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए, इन सभी जगहों पर इसका ऐग्रीकल्चर की प्रोडक्शन पर बहुत ही कुप्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि 100 रुपये से लेकर अगर 200 नहीं रुपये तक पर यह एक्साइज ड्यूटि करते हैं तो उसका विशेष अन्तर पड़ेगा। इसलिए 100 रुपये से लेकर 200 रुपये पर टन यह एक्साइज ड्यूटी इन्क्रीज की जाय।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा एक्सप्लोरेशन का कार्य जिस गति से चल रहा है और आयल इंडस्ट्री के सम्बन्ध में जिस तरह से कार्य चल रहा है वह वास्तव में प्रशंसनीय है। एक्सप्लोरेशन के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र के बारे में भी मैंने माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन किया था कि जैसलमेर के अन्दर एक्सप्लोरेशन के कार्य को तीव्र गति से चलाया जाय। अभी तक वहां पर ड्रिलिंग का कार्य शुरू नहीं हुआ है। मेरी यह प्रार्थना है। कि ड्रिलिंग मशीनें लाकर तेजी से इस काम को वहां चलाया जाय। मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे और जल्दी से ड्रिलिंग का कार्य वहां चालू करेंगे क्योंकि डेजर्ट एरिया जितना भी है, जैसे ईरान या ईराक आदि सभी डेजर्ट एरियाज हैं और वहां पर इसमें सफलता मिली है, वहां क्रूड आयल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की प्राप्ति हुई है, तो हमें भी आशा है कि हमारे डेजर्ट एरिया के अन्दर भी क्रूड आयल नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की प्राप्ति होगी और उससे वहां की एकोनामी सुदृढ़ होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में यह निवेदन करता हूं कि मेरे सुझाव को मान कर 100 रुपये से लेकर 200 रुपये पर टन इसको किया जाय और हमारे डेजर्ट एरियाज के अन्दर एक्सप्लोरेशन का कार्य तीव्र गति से चलाया जाय।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष महोदय, सेठी जी इस सरकार के उन मन्त्रियों में से हैं जो बार बार इस देश के लोगों की मीठी गोली में जहर मिलाने का काम कर रहे हैं। इस काम में ये माहिर हो चुके हैं। अभी जो यह बिल लाए हैं, बिल तो है तेल उद्योग के विकास के नाम परलेकिन लगाने जा रहे हैं इस देश के लोगों पर टैक्स 16 हजार करोड़

रुपया पहले वह लगा चुके हैं। इस देश में मंहगई जो स्थिति है ह इनके सामने है और उसका मुख्य कारण भी यही है। कि जब भी यह पैसा तेल पर, डीजल पर, पैट्रोल पर या पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, किसी पर भी बढ़ाया गया है तो अपोजीशन के सारे लोगों ने यह कहा है कि पूरे देश की अर्थ व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा और वह पड़ा है। विकास के नाम पर आपकी कोई योजना नहीं। विकास आपने यह किया है कि जहां कहीं पर भी आपको जरा भी खुदाई की जरूरत पड़ती है तो विदेशी में जाकर हाथ फैलाते हैं।

आप विदेशों से इक्वीपमेन्ट लेते हैं। आपने 33 सालों में कोई विकास तो किया नहीं और अब राजस्व इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। आपने पहले 60 से 100 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी फिक्स की थी और कहा था कि मैक्सिमम 100 रखी जाएगी। लेकिन बीच में आपने विज्ञप्ति जारी की कि इसको 100 कर दिया जाना चाहिए। अब आप उसको 100 से 300 रुपए प्रति टन बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसका क्या प्रभाव होगा ? आज देश में डीजल और केरासीन आयल किस भाव पर मिल रहा है ? आप जो बार बार इसको छेड़ते हैं उससे पूरे देश की अर्थ व्यवस्था विगड़ती है। अब आप जो 300 रुपए तक बढ़ाने जा रहे हैं उससे पूरे देश का ट्रांसपोर्ट मंहगा होगा, टायर मंहगे होंगे, केरोसीन आवल मंहगा हो जायेगा और खाद मंहगी हो जायेगी। बार वार आप यही करते हैं।

इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसको वापिस ले लीजिए तो सबसे अच्छा होगा। यदि आप इसको वापिस नहीं ले सकते हैं तो आप कम से कम इस बात की गारन्टी दीजिए कि इस देश के किसान और हमारी मातायें-बहनें इससे प्रभावित नहीं होंगी। आज देश में मंहगाई की क्या हालत है ? आज इस देश के लोगों को रोटी के साथ प्याज खाने को नहीं मिल रही है। आज वे चटनी के साथ रोटी खा रहे हैं। जैसा कि आप कहते हैं सारी समस्याओं की जड़ जनता पार्टी और लोकदल की सरकार रही है लेकिन लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उस समय चीजों के क्या भाव थे। जो साबुन उस समय 4 रुपए किलो था उसको आपने 10 रुपए किलो कर दिया। चीनी उस समय 2 रुपए 85 पैसे में मिलती थी उनको आपने 18 रुपए किलो तक बिकवा दिया। ट्रांसपोर्ट और पैट्रोल डीजल की वजह से भी चीजें मंहगी हुई हैं। खाद में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उसमें 300 रुपए तक आप बढ़ोतरी करने जा रहे हैं जिसका मतलब होगा कि खाद और मंहगी हो जायेगी। ऐसी हालत में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसको वापिस ले लीजिए क्योंकि आज जो मंहगाई की हालत है उसमें सिवाय बगावत के और कोई रास्ता नहीं रह गया है। लेकिन जैसा कि मैं जानता हूं आप इसको वापिस नहीं ले सकते हैं। तो उस हालत में आप इस बात की गारन्टी दीजिए कि मध्यम वर्ग के लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए कि एक तरफ इस तरह से टैक्स बसूल करें। इन्टर्नेशनल मानेटरी फंड से पैसा लें और दूसरी तरफ एशियाई खेलों पर एक हजार करोड़ रुपया बर्बाद कर दें। आप विदेशी बैंकों से पैसा लेकर फाइव स्टार और फोर स्टार होटल बनाते जा रहे हैं, दिल्ली में सड़क के उपर सड़क बनाते जा रहे हैं। इसकी क्या जरूरत थी। आप इस तरह की एप्रोच अख्तियार न करके इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहां पर अच्छे साइन्टिस्ट्स और टेक्नीशियन्स तैयार करें। रेगिस्तान का इतना

बड़ा भू भाग आपके सामने है। दुनिया के वैज्ञानिकों ने कहा है कि अरब देशों में जो तेल निकल रहा है वह हमारे सागर से होकर वहां पहुंच रहा है। आपको इस पर खोज करानी चाहिए। यदि आप स्वयं तेल निकालेंगे तो उससे देश की अर्थ व्यवस्था ठीक होगी। इसलिए इस प्रकार की इनडायरेक्ट प्रयोग आप छोड़ दीजिए वरना आपको इसका परिणाम भुगतना होगा, जनता तो आज उसको भुगत रही है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 संशोधन विधेयक जो सदन में विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने पहले यह बताया था कि हम 60 रू० प्रतिटन से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी नहीं बढायेंगे, उसके बाद आपने 100 रू० कर दिया और अब 300 करने जा रहे हैं, जिस प्रकार का आश्वासन आपने पहले दिया था और अब उस आश्वासन को समाप्त करके बराबर इसको मंहगा करते जा रहे हैं, यह थोड़ा उचित प्रतीत नहीं होता है। आप इसके सम्बन्ध में कुछ गौर करें, क्योंकि बहुत सारी समस्यायें इससे और खड़ी हो जायेंगी। फर्टिलाइजर मंहगा हो जाएगा तो उससे किसानों को तकलीफ होगी। गैस आज कल एक ऐसी चीज है जिसके बिना काम काज घर का नहीं चल सकता है, उसको भी मंहगा करेंगे आप हर चीज के उपर इस प्रकार की ड्यूटी बढ़ाकर अगर आप उसको मंहगा करेंगे तो उसका सारा भार आज हिन्दुस्तान की जनता के उपर पड़ेगा, जो कि अब इस बोझ को उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए इस संबंध में कुछ-न-कुछ व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

हम यह जानते हैं कि आपकी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा पैसा एक्सप्लोरेशन पर खर्च करे सैल्फसफिशियेंट बने इस बात की नितान्त आवश्यकता है क्योंकि इतनी बड़ी राशि हम हर साल फॉरन एक्सचेंज की खर्च करें और अपने देश का विनाशीया करते रहे, तो इस परिस्थिति को हमें निश्चित तरीके से समाप्त करना चाहिए। इसलिए जितना ज्यादा हमारे देश में एक्सप्लोरेशन होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, सैल्फ सफिशियेंट होंगे उतनी ही ज्यादा तरक्की हमारे देश की निश्चित है। इसलिए इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा खर्च करके, जितने भी रिसोर्सेज हमारे देश को एवेलेबिल हो सकें, उन रिसोर्सेज को इक्कठा करके उनकी व्यवस्था की जाए, जिससे हम सैल्फ- सफिशियेंट हों। लेकिन इसके साथ-साथ हमको कुछ लोगों को सहूलियत देने की आवश्यकता है। टैक्स के रुप में आपने छः हजार करोड़ रुपया दो-तीन साल में बढ़ा दिया' तो सहूलियतें लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे गैस के सम्बन्ध में हो पेट्रोल या डीजल के सम्बन्ध में हो, फर्टिलाइजर के संबंध में हो या अन्य किसी प्रकार की सहूलियत हो। इन चीजों की एवेलेबिलिटी के सबंध में व्यवस्था होनी चाहिए. जिससे कि लोगों को वस्तुयें उपलब्ध हो सकें। आपने एक्सप्लोरेटरी वर्क स्टार्ट किए हैं. खास तौर से राजस्थान के सम्बन्ध में हमारे माननीय सदस्य श्री वृद्धि चन्द्र जैन ने भी कहा। बाड़मेर और जैसलमेर में आपने कई वर्षों तक कुवें खुदवाकर, तेल या गैस जो भी उपलब्ध हो सके, उसकी व्यवस्था की मगर समय समय पर, जैसे पाकिस्तान की लड़ाई के समय आपने उस काम को बन्द कर

दिया। उसके बाद भी वह काम फिर शुरू किया गया, मगर धीरे चलता रहा। हम यह चाहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, ताकि वहा जो कुछ भी चीजें उपलब्ध हो सके, उनको उपलब्ध करके अपने देश को, खास तौर से राजस्थान को भी लाभान्वित कर सकें।

दूसरे जहां पर एजेन्सीज और डीलर्स की नियुक्ति के सम्बन्ध में या उन वस्तुओं की जहां भी आवश्यकता है, जिस प्रकार की घोषणायें की हैं, उनको आप तुरन्त तय कीजिए, ताकि लोगों को लाभ मिल सकें। इस प्रकार की व्यवस्था जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, ताकि लोग लाभान्वित हो सकें.

इस शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री टी० आर० शमत्रा (बंगलौर दक्षिण) सभापति महोदय, श्रीमान, हमें अपने तेल उद्योग को विकसित करने की आवश्यकता है कोई भी इससे इन्कार नहीं करता। हर्ष का विषय है कि बंगाल की खाड़ी के पास तेल के नये स्रोतों का पता चला है हमारे देश के पूर्वोत्तर भाग भागों में भी तेल वाले क्षेत्रों का पता चला है। आयातित तेल के मूल्य में असामान्य वृद्धि को रोकने के लिए नये संसाधनों को खोजा जाना आवश्यक है। परन्तु साथ ही मामले के दूसरे पहलू पर भी हमें विचार करना है अर्थात वे कौन से लोग है जो उत्पादक प्रयोजनों के लिए पेट्रोल का उपयोग करते हैं। पिछले 18 महीनों में तीन बार मूल्य वृद्धि की गई। पिछलें दस वर्षों में पेट्रोल का मूल्य तीन गुणा हो गया है। पेट्रोल के मूल्य का प्रभाव सड़क रेल तथा विमान परिवहन पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि चूंकि पेट्रोल का मूल्य बहुत ऊंचा हो गया है, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसका मूल्य और न बढ़े। पिछले 15-16 महीनों में उत्पादक-शुल्क तीन बार बढ़ाया गया। अब मैं सरकार से दृढ़ता-पूर्वक आग्रह करता हूं कि विदेशी मुद्रा व्यय कम को पूरा करने के लिए पेट्रोल का मूल्य बढ़ाने की बजाय इसके उपयोग में बचत की जाये।

एक तर्क यह है कि क्या प्रेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से प्रेट्रोल की खपत में कमी आयेगी ? मैं देखता हूं कि मूल्य वृद्धि के बावजूद वाहनों का गमनागमन बढ़ रहा है। घट नहीं रहा। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि नागरिक उड़ानों में विशेष रूप से रक्षा उपयोग को छोड़कर अन्य सरकारी प्रयोजनों से की जाने वाली उड़ानों में ईंधन की खपत में कटौती की जाये तो कुछ नहीं विगड़ेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह बिल्कुल ठीक बात है।

श्री टी० आर० शमत्रा : ऐश्वर्य के लिए प्रेट्रोल की खपत में भी कटौती की जानी चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह सही बात है।

श्री टी० आर० शमत्रा : मेरा सरकार से निवेदन है कि यथा संभव उपभोक्ता के हित में प्रट्रोल के मूल्य में वृद्धि न की जाये जैसा कि पिछले तीन वर्षों में हुआ है।

इस समय सरकार करों के रूप लगभग 50 प्रतिशत उत्पाद शुल्क, चुंगी तथा बिक्री कर आदि के रूप में प्राप्त करती है। वे पर्याप्त धन एकत्र कर लेते हैं। इससे भी बढ़कर जब आयातित कच्चे तेल का मूल्य बढ़ता है तब स्वदेशी कच्चे तेल का मूल्य भी बढ़ा दिया जाता है। सरकार द्वारा इस प्रकार प्रतिवर्ष मूल्य बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। आपके पास अधिकार है तथा आप उसे बढ़ा सकते हैं। जब मैं लोक सभा के लिए चुना गया, उस समय बंगलौर से दिल्ली तक विमान द्वारा यात्रा के लिए मुझे अधिक से अधिक 800 रुपये देने पड़ते थे। अब मुझे 1100 रुपए देने पड़ते हैं। सरकार देती है इसलिए हम पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु उसके साथ ही हमें उदाहरण पेश करना चाहिए—उनसे निवेदन किया जाना चाहिए कि वे जहां तक संभव हो रेल द्वारा यात्रा करें। सबसे तेज गाड़ी दिल्ली से बंगलौर 36 घटे लेती है तथा विमान द्वारा यात्रा करने से 12-14 घंटे की बचत होती है। उसके लिये मुझे रेल भाड़े का तीन गुणा देना पड़ता है। सरकार न केवल सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपितु अन्यों द्वारा भी यात्रा व्यय को कम करने पर विचार क्यों नहीं करती ? मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी आवश्यकताओं पर ध्यान देगी तथा हम इस बात पर ध्यान देंगे कि प्रेट्रोल का उपयोग सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाये···

प्रो० ए० जी० रंगा : बहुत अच्छी बात है।

श्री टी० आर० शमत्रा : इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि यह बात निश्चित कर ली जाये कि किसी भी दशा में प्रेट्रोल का मूल्य और न बढ़ने दिया जाये तथा प्रेट्रोल की बचत के लिए सभी उपाय बरते जायें।

प्रो० एन० जी० रंगा : बिल्कुल ठीक।

श्री टी० आर० शमत्रा : आपकी सेवा में मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। कहा जाता है कि विश्व भर के प्रेट्रोल भंडारों में ह्रास के संकेत मिलते हैं।

विशेषज्ञों ने कहा है कि तेल के भडार 100 वर्ष से अधिक नहीं चलेंगे, इसलिये यदि हम अपने स्वदेशी स्रोत भी विकसित करले तो भी ऐसा समय आयेगा जब हमें उसका उपयोग अपनी नयी आवश्यकताओं के लिये करना होगा।

इसके अतिरिक्त प्रेट्रोल के विकल्प भी खोजने होंगे। हमें प्रेट्रोल के लिये पूरी तरह विदेशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। यदि तेल उत्पादक देश प्रेट्रोल के मूल्य बढ़ाते हैं तो इससे हमारे लिये अत्यन्त कठिनायी हो जायेगी। इसलिये मेरा सरकार से आग्रह है कि इस बात पर ध्यान दिया जाये कि प्रेट्रोल का मूल्य यथा संभव कम रखा जाये तथा साथ ही हमें विकास कार्यों के लिये प्रेट्रोल की बचत भी करनी चाहिये।

मैं एक बार फिर सरकार से आग्रह करता हूं कि प्रेट्रोल के मूल्य का अनावश्यक रूप से बार-बार न बढ़ाये आयें। धन्यवाद !

श्री राम सिंह यादव (अलवर): माननीय सभापति जी, माननीय पेट्रोलियम, रसायन

और उर्वरक मन्त्री ने जो यह बिल पेश किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं और इसके साथ ही मन्त्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस देश बजट में एक बहुत बड़ी बचत की है।

आप इस बात को जानते हैं कि गत वर्ष राष्ट्रीय गजट में 6 हजार करोड़ रुपया फोरेन एक्सचेन्ज में खर्च करके क्रूड आयल यहां पर आयात किया और इस वर्ष हमें प्रसन्नता है कि हमारे मन्त्री जी ने यह घोषणा की है कि मौजूदा बजट में, 1981-82 के बजट 1100 करोड़ रुपये की फोरेन एक्सचेन्ज की बचत वे कर सकेंगें और इसका मुख्य कारण यह यह कि यहां पर इन्डीजिनस प्रौडक्शन को अपने तरीके से बढ़ाया गया है और उसमें अपनी काबलियत और अपनी योग्यता का परिचय दिया है। इसके साथ-साथ आसाम-बरौनी पाइपलाइन को जो आपने शुरू किया है, उससे भी 250 और 300 करोड़ रुपये के बीच में राष्ट्रीय बचत होगी और बाहर से जो क्रूड आयल और उतना रिफाइन्ड मंगा कर हम अपने देश में इस्तेमाल करते थे, उतना क्रूड आयल और उतना रिफाइन्ड आयल हमें आसाम-बरौनी पाइपलान से मिल सकेगा।

यही नहीं, माननीय मन्त्री जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है, वह यह है कि करीब 32 ब्लाक, 15 औन-शौर और 17 आफ-शौर, को लिया गया है और विदेशी कम्पनियों से सहायता लेकर वे आयल एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, जिससे यहां पर ज्यादा क्रूड आयल निकल सके।

इसके साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक जो अभी भी मेकनमारा मार्च में आए थे, उनसे मन्त्री जी ने वार्तालाप,करके एक तरह का कमिटमेंट ले लिया है, जिससे 120 मिलियन डालर गोदावेसिन में आफ-शौर आयल के एक्सप्लोरेशन के लिए हमको मिल सकेगा। इससे हमारे देश में तेल की स्थिति में सुधार आएगा।

एक चीज मैं मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस डीजल को किसान अपने ट्रैक्टर में या दूसरे डीजल इन्जन में इस्तेमाल करेगा, उसमें सबसे बड़ा नुकसान यह है कि पहली बार देश के अन्दर डीजल की दरों में और केरोसियन आयल-की दरों में इतना बड़ा फर्क आ गया है कि उसमें एडलट्रेशन के बहुत ज्यादा चान्सेज हैं। इसलिए इस चीजको ध्यान में रखते हुए आप इस मुद्दे पर गहराई से विचार करें और अगर आप डीजल की कीमत कम कर सकते हैं, तो उसको कम करें। आज केरोशियल आयल की कीमत डीजल के मुकावले में बहुत कम है। इसलिए कोई भी आदमी, जिसको मौका मिलता है, वह डीजल में केरोसियन आयलका एडलट्रेशन करता है और उसमें एडलट्रेशन होने से मशीनरी को बहुत नुकसान होता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसकी सारे देश में चर्चा है। मन्त्री जी बहुत काबिल हैं और इन्होंने अपने समय में इस बात का परिचय दिया है कि जिस डीजल के लिए जनता पार्टी के राज्य में किसानों के रक्त में सर्दियों 3 पेट्रोल पम्पों पर सोना पड़ता था, वह आज आसानी से मिल रहा है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आज भी ऐसा है, देख लीजिए।

श्री राम सिंह यादव : आज ऐसा नहीं है। जितना डीजल चाहिये, उतना ले लीजिए। डीजल की कोई कमी नहीं है। बहुगुणा जी के टाइम में जरूर कमी थी और उन्होंने किसानों को इतना तंग किया कि वे रात भर पेट्रोल पम्पों पर डीजल लेने के लिए सोते थे। ···(व्यवधान)···इसलिए मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं और वे जो मौजूदा एमेंडमेंट लाए हैं, जिसमें बहुत सी जगह पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया है, वह भी राष्ट्रीय हित की बात है।

अन्त में यही कहना चाहता हूं कि मैंने जो केरोसियन और डीजल के बारे में सुझाव दिये हैं, उनको सरकार माने और आप चाहे कोई कैमिकस प्रोसेस या कोई ऐसा दूसरा तरीका निकालें, जिससे इस पर अमल हो सके और जो एडलट्रेशन होता है, वह खत्म हो जाए।

* **श्री हरिमोहन** (कोयम्बटूर) : सभापति महोदय मैं अपने दल द्रुमक की ओर से तेल उद्योग (विकास) संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिसके द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन शुल्क को 100 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति टन करने का प्रयास किया गया है।

मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है कि सरकार ने कच्चे टेल को प्रति टन उत्पादन शुल्क में इस प्रकार अत्याधिक वृद्धि करने के लिए विधेयक क्यों पेश किया है।मैं यह जानना चाहूंगा कि जिस समय उत्पादन मुल्क 100 रुपये प्रति टन था उस समय तेल विकास विधि में कुल कितनी राशि जमा थी और उसमें कमी के कारण यह विधेयक लाया गया है। मैं यह भी जानने के लिए उत्सुक हूं कि 300 रुपये प्रति टन की दर से कुल कितना उत्पादन शुल्क एकत्र होगा। चूंकि सभा को तेल उद्योग विकास बोर्ड के कार्यकरण के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं है, विशेषकर जबकि उसके पास इतनी अधिक धनराशि होगी, इसलिए जो सूचना मैं जानना चाहता हूं वह समस्या को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।

मैं तेल उद्योग विकास बोर्ड के वर्तमान गठन के बारे में जानना चाहता हूं। मुझे आशा है कि हम बोर्ड में सभी तेल उत्पादक राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

हाल ही में मुझे यह समाचार पढ़ने को मिला कि हमारे तेल के व्यय में लगभग 1000 करोड़ रुपये की कमी हो जाने की सम्भावना है। इन परिस्थितियों में ऐसी क्या बात है जिसने सरकार को इसके उत्पादन शुल्क में वृद्धि करने के लिए विवश कर दिया मैं यह नहीं जानता कि क्या इसके सत्तास्वरूप पैट्रोल, डीजल मिट्टी के तेल आदि के मूल्य में अनिवार्यतः वृद्धि हो जाएगी। इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि इसके फलस्वरूप पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। मुझे मंत्री महोदय कों यह बताने की आवश्यकता नहीं है पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य ढांचे में बार-बार होने वाले परिवर्तन के कारण लोगों को असंख्य कष्ट सहन करने पड़ते हैं। यदि इस उत्पादम शुल्क में वृद्धि के फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो जाती है तो स्वभाविक तौर से उर्वरकों और

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

अन्य उत्पादकों का मूल्य अधिक हो जायेगा और इसका प्रभाव लोगों पर ही पड़ेगा। मंत्री महोदय को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि इस विधायी उपाय से पैट्रोल आदि के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होगी।

हम सबको यस जानकर प्रसन्नता हुई है कि हाल ही में कावेरी बेसिन में और इसी प्रकार गोदावरी डेल्टा में भी गैस मिली है। इस खुशखबरी के पश्चात कावेरी बेसिन में हम नयी प्राप्ति को वाणिज्यिक उपयोग के लिए खोज कार्य में तीव्रता लाने के लिए कोई गहन उपाय नहीं किये गए हैं। मैं यह मांग करता हूं कि इस प्रयोजन के लिये अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिये। गैस को इस प्रकार की सभी नयी प्राप्तियों का यथाशीघ्र वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए हमें सभी तरह के प्रयास करने चाहिए। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि कावेरी बेसिन में एक तेल शोधन कारखाना अवश्य ही लगाया जाना चाहिए और इस दिशा में सभी प्रारम्भिक प्रयासों को शुरू किया जाना चाहिए।

मैंने एक समाचार पढ़ा है कि समारी समुद्रतट से दूर छिद्रण के लिए विदेशी सहयोग लिया जाएगा। मैं इस प्रयास के संबंध में भी वर्तमान स्थिति जानना चाहता हूं। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि लगभग 400 तेलकूप संकटग्रस्त हैं और केवल 6 संकटग्रस्त तेलकूपों को फिर से उपयोग के लिये लिया गया है। तेल सप्लाई की वर्तमान जटिल स्थिति में हमें सभी संकटग्रस्त तेलकूपों को फिर से उपयोग के लिए ले लेने के हेतु सभी तरफ के प्रयास करने चाहिये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्री महोदय सभा को इस दिशा में उड़ाए गए दंगों के बारे में सूचित करेंगे।

अपने स्थान पर बैठने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने जो बातें उठाई हैं उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करके मुझे प्रशन्नता होगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, मान्य मन्त्री जी ने एक बात कही थी कि अगर इस गति से तेल का उत्पादन नहीं बढ़ा तो हमें कम से कम 2.1 करोड़ टन तेल और 68 लाख टन तेल अन्य वस्तुओं का आयात करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अगर तेल की खोज बराबर जारी नहीं रही तो इसका प्रभाव हमारी आर्थिक स्थिति पर ठीक नहीं पड़ेगा।

तेल आज जीवन की आवश्यकता ही नहीं बल्कि अनिवार्यता बन गया है और इसके बिना विकास ठप्प हो जाएगा, यह मैं मानता हूं। माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि सौ से एक दम तीन सौ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने शेडयूल में ऐसा कर लिया है। वे 150 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने समझा है कि अब तो 300 बढ़ जाएगा। मेरा कहना है कि माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि उन्होंने पावर्स ले लिए हैं कि वाइनोटीपिकेशन हम लोग 300 तक बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी सदन के इधर और उधर बैठने वाले सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मूल्यों में ज्यादा वृद्धि नहीं करेंगे। नहीं तो इसका उत्तर काश्तकार पर पड़ेगा, डीजल पर इसका असर पड़ेगा और उर्वरकों पर इसका असर पड़ेगा। कैरोसीन पर भी इसका असर पड़ेगा।

मैं समझता हूं कि हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिए, लेकिन एक बात हमें मालूम नहीं हुई, जैसा कि अराकल सहाब ने भी कहा कि हमें मालूम होना चाहिए कि आयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की जो स्थापना हुई है, उसकी क्या प्रगति हुई है और उसने किस प्रकार से एचीवमेंट किया है। कितनी धनराशि उसके तहत प्रशासन कार्य पर खर्च की गई है और कितनी धनराशि अन्य कार्यों पर खर्च की गई है। कितनी धनराशि उत्पादन कार्यों पर व्यय की गई है। इन सब बातों को जानने के लिए सारा सदन इच्छुक है।

मुझे आशा है कि आप जवाब में इन सब बातों को बतलाएंगे और यह भी बतलाएंगे कि सौ से तीन सौ जो कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है और अभी फिलहाल कितना बढ़ायेंगे यह भी बतला दें।

आपने पावर्स ले लिए हैं, लेकिन इनका धीरे-धीरे इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम 300 कर दें। इतना वजन नहीं सहा जाएगा और दूसरी बात यह है कि पैट्रोल के आलावा दूसरे ऊर्जा के साधनों को बढ़ाया जाना चाहिए और इसके उपयोग में मितव्ययिता भी लाई जानी चाहिए। आज तेल की ज्यादा बड़ी उपभोक्ता सरकार स्वयं है। सरकार स्वयं पैट्रोल और डीजल का अधिक इस्तेमाल करती है इसमें मितव्ययिता लाई जानी चाहिए और उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं, उन पर अमल किया जाना चाहिए।

आज हम तेल पर इतने निर्भर हैं, जिसकी वजह से तेल निर्यातक देशों ने तेल का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसलिए ऊर्जा के दूसरे साधनों की आज अत्यन्त आवश्यकता है।

मैं चाहता हूं कि इन बातों पर विचार करना चाहिये।

श्री कमल मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : सभापति जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारे देश में तेल उद्योग का विकास होना चाहिए। देश में तेल उद्योग के विकास का एक इतिहास रहा है। मुझे याद है कि भारत सरकार ने अमरीकी विशेषज्ञों से करोड़ों रुपया क्या खर्च करके तेल के स्रोतों की जांच पड़ताल करने को कहा था और उन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद यह रिपोर्ट दी थी कि तेल हिन्दुस्तान में नहीं है लेकिन सोवियत विशेषज्ञों ने जांच पड़ताल करके बताया था कि वहां तेल है। हाल में सोवियत मिनिस्टर तक यहां आए थे। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि तेल के मामले में भारत आत्म निर्भर बन सकता है। अमरीकी विशेषज्ञों ने जो रिपोर्ट दी थी उससे भारतवासियों को धक्का पहुंचा था। लेकिन सोवियत विशेषज्ञों की रिपोर्ट से आशा बंधी है। मैं समझता हूं कि हमारा लक्ष्य तेल के मामले में शीघ्र ही आत्मनिर्भरता प्राप्त करना होना चाहिए। आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की पावर्ज अपने हाथ में ले रहे हैं। आपका उद्देश्य यह है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर तेल उद्योग को आप विकसित करें। लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या एक्साइज ड्यूटी बढ़ाये वगैर और साधन आप नहीं अपना सकते हैं ? आप जो विगमौनोपोली हाउसिस हैं उनके जो मुनाफे हैं, उनकी जो लूट है उसको खत्म करें। वहां से आपको साधन प्राप्त हो सकते हैं। उनको आप अपने हाथ में लेकर साधन प्राप्त

कर सकते हैं। ब्लैकमनी की जो पैरेलल इकोनोमी बनी हुई है, उसको आप खत्म कर सकते हैं। बड़ी-बड़ी सैलेरीज जो है एक्सट्रा एक्सपेंसिस हैं उनको कम करके आप साधन जुटा सकते हैं। आपने तेल की खोज के काम में विदेशी तेल कम्पनियों को भी अब शामिल कर लिया है। ये वे कम्पनियां हैं जो इंटरनेशनल मौनोपोली हाउसिस है। उनके वास्ते आपने क्या शर्तें रखी हैं, यह तो आप ही बतायेंगे। आप उनको कोई नाजायज रियायतें दी गई हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। ये जो जरिये हैं जिनको मैंने आपके सामने रखा है अगर इनसे आप साधन नहीं जुटा सकते हैं तो आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, तब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की बात समझ में आ सकती है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया और केवल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ही सहारा लिया तो इसका मतलब यह होगा कि झोपड़ी में रहने वाले खेतमजदूर से लेकर टेक्टर चलाने वाले मध्यम वर्ग के लोगों, छोटे-मोटे उद्योगपतियों पर ही आप इसका भार डालेंगे। क्या इस भार को बचाया नहीं जा सकता है ? मैं चाहता हूं कि इस ओर आप ध्यान दें।

हमारे साथी ने काफी आंकड़े दिये हैं, प्रथम वक्ता ने काफी आंकड़े आपके सामने रखे हैं। इस ओर और उस ओर दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने कहा है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से आम जनता पर बोझ पड़ेगा। वह बोझ उस पर नहीं डाला जाना चाहिये। इस बोझ से उसको बचाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं, यह आपको देखना चाहिये। जब कोई दूसरा रास्ता न रहे तभी आपको इस उपाय को अपनाना चाहिए।

हमारे माननीय डागा जी ने कहा कि जो आपने बोर्ड बनाया है वह किस तरह से सेकल्प कर रहा है इसको भी आपको देखना चाहिये। साथ ही साथ तेल के वैकल्पिक साधनों की भी आपको रिसर्च करवानी चाहिये। इन सभी चीजों पर ध्यान देना जारी है। तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये यह जारी है कि हम समाजवादी देशों से सहयोग लें और इन्टरनेशनलिस्ट मौनोपोलिस्ट जो हैं उनकी तरफ झुकते न चले जाएं। ब्लैकमनी की तो पैरेलल इकोनोम चल रही है, इसको खत्म करें। इससे हमारी सारी अर्थ व्यवस्था सत्य हो रही है। आई० एम० एफ से जो हम फंड ले रहे हैं उसकी चर्चा भी अभी हुई है। तल की इम्पोर्ट से हम पर जो भार पड़ रहा है, उसको हमको कम करना चाहिये और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहिये। आम जनता पर एक्साइज ड्यूटी का भार लादने के बजाय बड़े लोगों पर उस बोझ को हम लादें। ब्लैकमनी को निकालें। मुझे पता नहीं आपकी नीयत क्या है और क्या आप इसमें सक्षम होंगे। मौनोपोली हाउसिस की लूट को आप खत्म करेंगे या नहीं मैं नहीं कह सकता। आप सख्ती से उनके साथ पेश आयेंगे, इसमें मुझे सन्देह है। आपकी सरकार की नीतियों की जो दिशा है उससे मुझे लगता है कि आम जनता पर ही बोझ पड़ेगा, उसकी ही बरबादी होगी, उसकी ही परेशानियां बढ़ेंगी, वह विद्रोह करने पर मजबूर होगी। उसको आप बनाने के उपाय ढूंढें। एक्साइज ड्यूटी न बढ़ाकर तेल उद्योग के विकास के लिये आप दूसरे साधन खोजें यही मेरी आपसे प्रार्थना है। देश तेल के मामले में आत्मनिर्भर बने इसमें कोई दो मत नहीं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, यह सरकार पुरे तरीके से जन-विरोधी सरकार प्रतीत होती है क्योंकि इसकी गतिविधियां इस प्रकार की हैं जिससे आप जनता को केवल हानि ही होती है, लाभ के लिये एक भी काम नहीं कर रही है। अभी अधिक ऐक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के लिये मन्त्री जी अधिकार ले रहे हैं। यह बहुत ही विनाशकारी है और भविष्य में इसका परिणाम खतरनाक होगा। इसका असर जनता पर पड़ेगा और उन तमाम ऐसे लोगों पर पड़ेगा जो आज की वर्तमान मंहगाई की स्थिति से करार रहे हैं। इस सरकार ने अपने 21 महीने के शासन काल में, जिसके लिये कांग्रेस (आई०) मिसरुल शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, इस सरकार ने अपने 21 महीने के शासन काल में पैट्रोलियम प्रौडक्ट्स की तीन बार कीमतें बढ़ाई हैं। और नतीजा यह हुआ कि जनता पार्टी के जमान में जो डीजल 1 रुपय 47 पैसे लिटर था वह आज 3 रुपए से अधिक पर बिक रहा है। जो खाद 74 रुपए प्रति बोरी मिलती थी। और सर्वास देने पर किसान को 50 रु० प्रति बोरी के हिसाब से मिलती थी। वह आज 150 रुपए और ब्लैक में 200 रुपए प्रति बोरी से ज्यादा बिक रही है क्योंकि ब्लैक मारकेटिंग को रोकने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, क्योंकि मुख्य मन्त्री के स्तर तक के लोग यह काम कर लेते हैं।

आज मिट्टी के तेल की कीमत इतनी अधिक हो गई है कि आम आदमी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है केवल भोजन बनाते समय उसको जितने तेल की आवश्यकता है उतना भी किरोसिन आयल नहीं मिलता है। गांव से जो लोग आते हैं, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जानते होंगे कि इतना तेल भी लोग नहीं ले पा रहे हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से कीट नाशक दवायें, मनुष्यों की बीमारी में काम आने वाली दवाये सब की कीमतें कई बार बढ़ा दी गयी हैं। रेल के किराये बढ़े है। तीन बार, राज्यों में बसों के किराये दो, दो बार बढ़ गये हैं, और ऐसा पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ने की बजह से हो रहा है। इसलिए समझ में नहीं आता कि वजह क्या है जो सरकार कुछ न कुछ कीमतों की वृद्धि की दिशा में या ऐक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की दिशा में सोच रही है? इस काम से जनता को भारी क्षति होने वाली है। आज तो केवल अधिकार लिया जा रहा है, कल इसका दुरुपयोग होगा। इसलिए इस बिल को मन्त्री जी वापस ले लें।

जहां तक तेल उद्योग के विकास का सवाल है उसका कोई विकास पिछले कई सालों से नहीं हो रहा है। जो विकास करने का काम किया भी जा रहा है। उसमें मल्टी नेशनल्स को आमंत्रित किया जा रहा हैं और इसके लिए खुली छूट दी जा रही है कि यहां की अर्थ व्यवस्था में लूट मचायें अगर मल्टी नेशनल को इस प्रकार छूट दी गई और आई० एम० एफ० लौन के बाद और छूट मिलने वाली, है तो देश अर्थ व्यवस्था किधर जायगी, सरकार क्या सोच रही है? आज जो करोड़ों हजार रुपये का तेल बहार से खरीद रहे हैं उसको अगर कम करना है तो हमें अपने उद्योग का विकास करना पड़ेगा और आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा जिसकी दिशा में यह सरकार नहीं सोच रही है। इसलिए मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इसके विकास करने की दिशा में कार्य करें तेल उद्योग का।

मैं मन्त्री जी से यह कहूंगा कि वह इस जन विरोधी विधेयक को वापिस ले लें मैं इसका विरोध करता हूं और सारे देश की जनता इसका विरोध करती है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोत्रानी) : महोदय, यद्यपि यह विधेतक बहुत ही छोटा है परन्तु बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में है। बेशक आपने इस सभा के प्रत्येक वर्ग को सुना है। कोई भी तेल उद्योग के विकास की आवश्यकता के प्रति आपत्ति व्यक्ति नहीं कर सकता। सरकार द्वारा हम विशेष उद्देश्य के हेतु ईमानदारी से उठाये गए प्रत्येक पग का अवश्य ही सभी को स्वागत करना चाहिए और उसे समूचे देश समर्थन भी अवश्य ही प्राप्त होना चाहिए। ऐसा विशेषकर कि तेल के सम्बन्ध में दुखद स्थिति के कारण हैं।

हम जानते हैं कि हमने कुछ मिनट पहले अपने वित्त मन्त्री महोदय के वक्तव्य को भी सुना है कि वर्तमान वर्ष के दौरान हमारे तेल व्यय के 5,000 करोड़ रुपये तक बढ़ जाने की आशा है। दूसरी ओर स्थिति यह है कि हमारी तेल की आवश्यकता के 60 प्रतिशत को आयात के द्वारा पूरा करना होता है। दूसरी और यह अनुमान लगाया गया है कि तेल और प्राकृतिक गैस के लिए देश का केवल 35 प्रतिशत भू-क्षेत्र और 45 प्रतिशत तट दूर क्षेत्र में तेल की खोज की गई है। अतः हम सभी तेल उद्योग का विकास की भारी आवश्यकता को समझते हैं।

सरकार ने इस क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त की है उसकी मुझे सराहना अवश्य ही करनी चाहिये। हालांकि मुझे इस सभा के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखने हैं। फिर भी मै यह अवश्य कहूंगा कि इस विधेयक को जिसके द्वारा अधिकतम उत्पादन शुल्क को 100 रु० प्रतिटन से बढ़ा कर 300 रुपये प्रतिटन किया जा रहा है और जिसका सरकार उपयोग कर सकेगी एक सत्र पहले बहुत जल्दी पेश कर दिया गया है इसे आगामी सत्र, अर्थात बजट सत्र में पेश किया जाना चाहिए था। कराधान अर्थात उत्पादन शुल्कों की मात्रा के बारे में चर्चा करने का उपयुक्त समय तब होता है जब सम्पूर्ण रूप से बजट हमारे समक्ष होता है। कुछ प्राथमिक औचित्य का पालन तो किया जाना चाहिए।

हमारे समक्ष मिनी बजट नहीं रखे जाने चाहिए और जबकि बजट के पेश करते समय सरकार ने सभी प्रकार की प्रशंसा प्राप्त कर ली और इसके अतिरिक्त उसने वर्ष के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन शुल्क को 60 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिटन कर दिया गया उसके पश्चात शुल्क को 300 रु० प्रति टन तक बढ़ाने की अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त करने की सरकार की अनुचित परम्परा हमारे सामने अवश्य ही नहीं रहनी चाहिए। यदि सरकार इसमें और वृद्धि करना चाहती थी, तो यह प्रतीक्षा कर सकती थी हम कराधान के बारे में चर्चा कर सकते थे। जब गत वर्ष मैंने वित्त मन्त्री को अपना बजट पेश करते समय सुना था, तब मेरी धारणा यह बन गयी थी कि यह वास्तव में ही हमारे देश में लगाये गये उत्पादन शुल्कों की अधिकता के बारे में चिन्तित हैं और वह इन्हें कम करना चाहते हैं, किन्तु अब हम वर्ष के समाप्त होने पूर्व हमारे समक्ष ऐसे विधेयक रखे गए हैं।

दूसरी बात जो सभा के समक्ष मैं रखना चाहता हूं वह यह है कि शुल्क कों इस दर के में बारे समूचे प्रश्न पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया है और इसे अपेक्षाकृत मनमाने ढंग से निपटाने का प्रयास किया गया हैं । इस वृद्धि का क्या औचित्य है ? हमें केवल यह बताया जाता है कि बोर्ड को अतिरिक्त राशियों की आवश्यकता है । बोर्ड 1974 अथवा 1975 में बना था । 1974-75 में बोर्ड को केवल 16.01 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे । 1975-79 हमको मिलने वाला राशि बढ़कर 140 करोड़ रुपया हो गयी थी । अब जबकि बोर्ड अधिक राशियां चाहता है । तो सभा को विश्वास में लेकर बताया जाना चाहिए कि इसका क्या औचित्य है ?

इस बोर्ड के अधिकार में रखी राशियां योजना स्कीमों के हेतु नियत होती हैं । जब ऐसी परिस्थितियां मौजूद हो, तो हमें यह बताया जाना चाहिए कि बोर्ड की आवश्यकतायें क्या है। और इस समय उसे कितनी राशि मिल रही है और कितनी कमी है, आदि आदि । इन सभी आंकड़ो के बिना और इन सभी प्रश्नों के सम्बन्ध में सभा को विश्वास में लिये बिना मनमाने ढग से इस विधेयक सभा में तेजी से लाने का प्रयास किया जा रहा है । इसे कम से कम आगामी सत्र तक रोका जाना चाहिए जब हम बजट पर चर्चा करेंगे ।

इस बोर्ड के लिए अधिक राशियों की आवश्यकता के बारे में चर्चा कर रहे हैं । किन्तु सभा के समक्ष चर्चा हेतु, मुश्किल से कोई प्रतिवेदन रखा गया होगा । तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 में बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने के लिए व्यवस्था नहीं की गई है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विशेष सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करें ।

अपने भाषण को समाप्त करने से पूर्व मैं एक यह आवश्यक कहूंगा कि यद्यपि बहुत काम किया जा रहा है, फिर यह जिस गति से यह किया जा रहा है, वह बहुत ही धीमी है और इस गति को बढ़ाये जाने की आवश्कता है । विशाल तकनीकी समस्याये हमारे उत्पादन कार्यक्रमों में बाधा डाल रही हैं । उदहारणार्थ 544 कूपों को प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है क्योंकि इस मामले में बहुत से तकनीकी एवं भौगोलिक कारण है । हम यह जानते है कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है । तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए तेल उद्योग के विकास के कार्य की गति को बढ़ाया जाना चाहिए । मैं सभा का समय विभिन्न उदाहरण देकर स्पष्ट नहीं करना चाहता, किन्तु मैं यह आशा करता हूं कि इस प्रश्न पर सरकार द्वारा गम्भीरता पूर्वक विचार किया जायेगा । मैं यह भी आशा करता हूं कि सरकार इस विधेयक पर जोर नहीं देगी । हमें आगामी बजट सत्र तक प्रतीक्षा करनी चाहिये और समूची स्थिति को ध्यान में रख कर उत्पादन शुल्क सहित कटाघात को सीमा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों की सीमा का स्तर निश्चित करना चाहिए ।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं । उद्देश्यों और कारणों के कथन से पता लगता है कि 13 जुलाई, 1981 को यह दर 60 रुपये से बढ़कर 100 रुपये कर दी गई । उद्देश्यों और कारणों के कथन की तिथि 10 सितम्बर, 1981 है । मैं यह जानना चाहता हूं गत दो महीनों में ऐसी कौन सी बात हुई हैं जिसके कारण सरकार शुल्क को

200 प्रतिशत बढ़ाना चाहती है। मेरे द्वारा यह अनुरोध किये जाने का कारण यह है कि समाचार में यह प्रकाशित हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की एक शर्त यह है कि यदि भारत सरकार पिछले दो वर्ष के घाटे को पूरा करने के लिए पेट्रोल आदि के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए तैयार होगी केवल तभी वह ऋण दिया जायेगा और इस पत्र को व्यापक रूप से परिचालित किया गया है और यदि मैं गलती नहीं करता, तो आज तक और इसी क्षण तक सरकार द्वारा इसका खण्डन नहीं किया गया है। इस देश के लोगों की यह धारणा है कि ये पग इन शर्तों के कारण उठाये जा रहे है । अतः मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह एक वक्तवय दें कि यह सही नहीं हैं और इस इरादे से इस विधेयक को पुरःस्थापित नहीं किया गया है। मैं इसकी आलोचना करना पसन्द नहीं करूंगा। मैं मन्त्री के वक्तव्य को स्वीकार कर लूंगा इस देश के लोगों के मन में पैदा नहीं की गई गलत धारणा को समाप्म कर दिया गया है। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह वक्तव्य दें कि यह बात सही है या नहीं।

मैं दूसरी प्रार्थना यह करना चाहता हूं। इस विधेयक का नाम तेल उद्योग विकास (संशोधन) विधेयक है। इससे यह धारणा बन जाती है कि इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि उपकर में वृद्धि से प्राप्त होने वाली राशि तेल उद्योग के विकास पर खर्च की जायेगी। किन्तु यदि आप विधेयक के उन उद्देश्यों को पढ़े जिनका बनातवाला ने उल्लेख किया है, तो 1974 अधिनियम द्वारा तेल उद्योग के विकास की व्यवस्था की गई है और उस प्रयोजन हेतु यह बोर्ड शुल्क लगाया गया है अतः इस उपकर को बढा करके जो राशि एकत्र होगी वह बोर्ड के खर्च के लिए प्रयोग में लायी जायेगी। इसके अतिरिक्त आपने बोर्ड की गतिविधियों सरकार के खर्च अथवा बोर्ड के वित्तीय ज्ञापन के बारे में कुछ नहीं कहा है। उसके बिना आप चाहते हैं कि हम इस विधेयक को पारित कर दें।

मैं आपके एक स्थानीय प्रश्न के बारे में भी पूछना चाहता हूं। महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर कोई 50 मील दूर रत्नगिरि के पास तेल की खोज की गयी है, आप हमें तेल की खोज के पपिणामों के बारे में बतायें।

प्रो० मधु दंडवते (राजपुर) : मैं उस प्रश्न के लिये अपना समर्थन देता हूं।

श्री जी० एन० रंगा : गोदावरी के बारे में क्या स्थिति है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है, मेरे विचार में बहुत से भाषण नहीं दिये जाते यदि कुछ गलत धारणायें पैदा न होती, और गलत धारणा यह है कि इस उत्पादन शुल्क की वृद्धि का भार उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। बात यह नहीं है वास्तव में तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और अन्य तेल उत्पादक प्रतिष्ठानों की लाभप्रदता बढ़ गयी है और हम चाहते हैं कि इस लाभप्रदता का तेल क्षेत्रों में पुनः निवेश बढ़ाने के लिये कुछ सीमा तक प्रयोग किया जाये। अतः उद्देश्य यह है और हम अपने आपको ऐसे सक्षम बना रहे हैं जिससे हम 300 रुपये तक पहुंच सकें लेकिन हमने यह नहीं कहा कि हम 300 रूपये तक पहुंच रहे है, अतः इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बढ़े हुए उपकर उत्पाद-शुल्क का भार उपभोक्ताओं पर नहीं

पड़ेगा, इस कारण कोई भी वृद्धि नहीं, कृपया मेरे शब्द 'इस कारण' को नोट करें, अतः माननीय सदस्यों के मन में यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में इस उत्पाद शुल्क के कारण वृद्धि होगी।

अब जहां तक ··· (व्यवधान)

प्रो० मधुदंडवते : इन्होंने केवल इसी कारण कहा है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मान लो यदि तेल निर्यातक देशों के संगठन तेल मूल्यों में वृद्धि करें तो मूल्यों में वृद्धि की जायेगी। यह बात भिन्न है।

अब जहां तक बोर्ड का सम्बन्ध है, इसके बारे में भी गलत धारणा बनी हुई है क्योंकि बोर्ड का कुल व्यय वार्षिक व्यय 1.75 लाख रुपये है और मन्त्रालय में बोर्ड का चेयरमैन मन्त्री होता है और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय तेल निगम तथा आई० पी० सी० जैसे अन्य संगठन भी है जिनका वहां प्रतिनिधित्व है केवल 1.75 लाख रुपये है और यह बोर्ड खोज तथा उत्पादन के लिये धन देता है और यह तेल शोधन तथा विपणन के लिये भी धन देता है। यह पेट्रोल रसायन अनुसंधान के लिए धन देता है। यह तेल उद्योग के अनुसंधान तथा विकास के लिये भी धन देता है और फिर यह पेट्रोलियम ईन्धन संरक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यों के लिये भी धन देता है। अतः यह बोर्ड इस काम को करता रहा है, वास्तव में इस उत्पादन शुल्क द्वारा एकत्र धन सरकार के सामान्य राजस्व में जाता है। अतः मैं इस धारणा को ठीक करना चाहता हूं। श्री वनातवाला ने 1979-80 के लिये 140 करोड़ रुपये के आकड़े बताये हैं, बोर्ड ने ये उपकर एकत्र किये हैं 1974-75 में 30 करोड़ रुपये, 1975-76 में 50 करोड़, रु.1976-77 में 52 करोड़ रुपये 1978-79 में 68 करोड़ रुपये, 1979-80 में 69 करोड़ रुपये तथा 1980-81 में 60.40 करोड़ रुपये। यह धन सरकार के सामान्य राजस्व में गया। सामान्य राजस्व से सरकार ने तेल उद्योग पर खर्च के लिये अदायगी की। 19 4-75 में बोर्ड न 30 करोड़ रुपये में इसे 16.01 करोड़ रुपये प्राप्त किये लेकिन 1979-80 में यद्यपि सामान्य राजस्व 69.70 करोड़ रुपये क्या एकत्र हुआ, फिर भी बोर्ड को सामान्य राजस्व में से 140 करोड़ रुपये दिये गये। अतः 140 करोड़ रुपये की राशि इस शुल्क के कारण नहीं दी गयी है। यह अदायगी सरकार ने सामान्य राजस्व से बोर्ड को की है। अतः यह आशंका ठीक नहीं है कि बोर्ड अपनी गतिविधियों पर इसकी राशि खर्च कर लेगा बोर्ड ने पिछले चार वर्षों के दौरान विभिन्न तेल उद्योगों ने 467 करोड़ रुपये के ऋण दिये और इसने 3 से 4 करोड़ रुपये के अनुदान भी दिये है। अतः बोर्ड का काम इसी पहलू तक समीति है कि यह तेल कार्यों के विकास पर धन व्यय करता है। यह बोर्ड अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करता बल्कि तेल उद्योग के विकास पर करता है। नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक द्वारा प्रमाणित लेखों को संसद की प्रत्येक सभा के पटल पर रखना पड़ता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या इसे सभा पटल पर रखा जा सकता है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इसे रखा जाना अपेक्षित है। मैं पता करके आपको बताऊंगा।

चर्चा के दौरान कुछ अन्य प्रश्न भी उठाये गये। जो दास ने कहा कि विदेशी कम्पनियां इस काम में प्रवेश कर रही हैं और भारत के हितों को आघात पहुंच रही हैं। यह बात सही नहीं है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है और हाल में उसने पाक स्ट्रेटस और कावेरी घाटी में तेल खोज निकाला है। गोदावरी घाटी में वे खुद काम कर रहे हैं जिसके लिए एक नया खड़ा जहाज ले लिया गया है और वे खुदाई शुरू करने वाले हैं। उन्होंने गोदावरी बेसिन के तट पर भी खुदाई शुरू कर दी है। अतः तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है. बम्बई हाई के तेल क्षेत्रों के इलावा, बी- 57 में, जिसकी घोषणा मैंने पिछली बार संसद में की थी, एक नये तेल क्षेत्र का पता चला है। रतनगिरि में कोई ढांचों का पता चला है। मैं प्रो० रंगा को बताना चाहता हूं कि बोर्ड के वर्ष 1979-80 के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जा चुका है। अतः तेल और प्राकृतिय गैस आयोग तथा भारतीय तेल निगम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। साथ साथ, जैसे कि जो बनातवाला ने अभी कहा, वित्तीय दृष्टि से उनके लिये सारा काम हाथ में लेना सम्भव नहीं है : भूमि पर और तट दूर कुल क्षेत्र में से आंशिक क्षेत्र पर ही हम कार्य कर रहे हैं। शेष क्षेत्र पर भी खोज कार्य किया जाना है। इसलिये 320 लाख बनाकर विदेशी तेल कम्पनियों को उनका कार्य सौंपा गया है। मैं कुछ समय के बाद इस सभा को कुछ सूचना दूंगा। सभी क्षेत्रों में तेल कम्पनियों ने काम शुरू नहीं किया है क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका में तेल की एक नई मार्केट खुल गई है और बहुत सी कम्पनियों ने वहां काम करना शुरू कर दिया है। बात यह नहीं है कि तेल कम्पनियां भारत में आने के लिये उत्सुक है और हम अपने हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम अपने हितों को सुरक्षित रखे हुये हैं। हम विदेशी तेल कम्पनियों को तेल नहीं देंगे। यदि वे यहां आयें और काम करें भी, मान लो वे अपनी तकनिकी जानकारी लातें हैं और खोज कार्य तथा समुद्रिक सर्वेक्षण कार्यों के लिए पैसा खर्च करते हैं, तो ऐसा वे अपने ही जोखिम पर करंगे। जब तक वे तेल का पता नहीं लगायेंगे उस समय तक उन्हें अपने हिस्से का तेल नहीं मिलेगा। यदि उन्हें तेल मिल भी जाए तो इसे तो वापिस भारत को ही देना पड़ेगा। अतः तेल ले जाने के बारे में वे केवल कल्पना ही कर सकते हैं। अतः हम देश के हितों का सौदा नहीं कर रहे हैं, ब्रिटेन में भी जब वहां ब्रिटिश तेल निगम तथा अन्य स्थानीय कम्पनियो के पास इतनी तकनीकी जानकारी थी फिर भी विदेशी कम्पनियों को 694 ब्लाकों को देने की पेशकश की गई थी जिसमें से ऊनको 96 ब्लाक दिये गये। इसी तरह क्षेत्र में भी संयुक्त राज्य अमरीका सहित अनेक तेल कम्पनियां काम कर रही हैं। अतः अन्य देशों से, जहां से भी उपलब्ध हो औद्योगिकी लेने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। यह एक कठिन क्षेत्र है। इस बारे में हमें हठधर्मी का रवैय नहीं अपनाना चाहिए। हमें देश के हितों को ध्यान में रखते हुए सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। सही दृष्टिकोण यह है कि हमें अधिक तेल का उत्पादन करना चाहिए। हम तैल का उत्पादन कर रहे हैं। श्री हरकेश बहादुर ने कहा है कि इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। मेरे विचार में लगभग 1/1/2 वर्षों में इस बारे में काफी प्रगति हुई है और तेल का उत्पादन बढ़ गया है। अगले वर्ष तेल के उत्पादन में लगभग 30 लाख टन की वृद्धि होने के कारण हमें कई सौ करोड़ रुपये कम राशि का तेल आयात करना पड़ेगा।

इसी प्रकार खाद के उत्पादन में भी 400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। मुझे पूरी आशा है कि 1983-84 तक हम अपने विद्यमान तेल क्षेत्रों से ही 75 प्रतिशत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे। अतः तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा भारतीय तेल निएम के इन्जीनियरों तथा कर्मचारियों की यह कोई छोटी उपलब्ध नहीं है जिसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिये।

श्री यादव ने मिट्टी के तेल तथा डीजल की मिलावट की ओर मन्त्रालय का ध्यान दिलाया है। यह बात सच है क्योंकि मिट्टी के तेल के मूल्य कम रहने तथा डीजल के मूल्य ऊंचे होने से दोनों की मिलावट की प्रवृति भी बढ़ गयी है। इसका परिणाम आज यह है कि डीजल हमारे पास प्रचुर मात्रा में है और यह हर जगह आसानी से मिल जाता है। श्री हरिकेश बहादुर ने कहा है कि डीजल के लिये लम्बी लाईनें होती हैं, यह बात स्पष्ट नहीं है। वास्तव में मिट्टी के तेल की खपत इस मिलावट के कारण बढ़ गयी है और डीजल तथा पेट्रोल की खपत घट गयी है। हम पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत वृद्धि की आशा रख रहे थे लेकिन वास्तव में डीजल और पेट्रोल की खपत केवल 5 प्रतिशत बढ़ी है जबकि मिट्टी के तेल की खपत में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अतः इसका समाधान दोनों के मूल्यों में समानता लाना है। लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि मिट्टी का तेल ऐसी वस्तु है जिसकी खपत समाज का गरीब से गरीब वर्ग करता है। यदि हम डीजल के मूल्य में कमी करें तो इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अतः हम इनमें कोइ रंग डालने पर विचार कर रहे हैं ताकि मिलावट का पता आसानी से लग सके।

अतः जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसमें नया कुछ भी नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि इस उत्पाद शुल्क का किसी भी प्रकार का प्रभाव उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : जैसलमेर क्षेत्र में तेल की खोज के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जैसलमेर क्षेत्र को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया को सौंप दिया गया है। मुझे आशा है कि क्षेत्रीय मास में वहां खुदाई का सारा सामान पहुंच जाने के बाद हम खुदाई आरम्भ कर सकेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 को संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

> "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

श्री रामअवतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, सेठी जी के तर्कों के बावजूद मैं इस विधेयक से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि यह गलतफहमी है कि कीमत बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि स्वयं सेठी जी को गलतफहमी है कि कीमत नहीं बढ़ेगी। जब तक आपकी सरकार ने जितने कदम उठायें हैं उनसे कीमतें बढ़ी हैं। यदि एक भी उदाहरण आप देते कि आपके काम से कीमत कम हुई हैं तो मैं समझ सकता था कि कीमत नहीं बढ़ेगी। इसलिए मेरा कहना है कि करैसीन-आयल की कीमत बढ़ेगी और इस समय सब जगहों पर कैरोसीन-आयल लोगों को नहीं मिल रहा है, जहां मिलता है वहां बहुत मंहगा मिल रहा है। मैं अपने बिहार की बात आपको बतलाता हूं—बिहार सरकार की वितरण व्यवस्था जैसी है आप जाते हैं। इसलिए कीमतें अवश्य बढ़ेगी। डीजल की कीमत भी बढ़ेगी।

आपने कहा कि डीजल की खपत कम हो गई है। आप जानते हैं—क्यों कम हो गई है? इसलिए कम हो गई है कि लोगों के पास डीजल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। आपने यह भी कहा कि इस बार डीजल को कोई पूछने वाला नहीं था। मैं आपको बतला सकता हूं—हमारे बिहार में बहुत भयकर सूखा पड़ा और उस समय लोगों को सब जगह डीजल नहीं मिल सका। थोड़े से डीजल के लिए उनकी धान की फसल सूख गई, क्योंकि हथिया नक्षत्र में बारिश नहीं हुई।

दूसरी बात-आपने कहा कि बोर्ड वाले इस पैसे को अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे। आपने कुछ सूचनायें दीं कि इन कार्यों पर यह पैसा खर्च होगा। मैं आपके भाषण को बहुत ध्यान से सुन रहा था—आखिर में आपने चर्चा की कि हमारे इन्जीनियरों और मजदूरों ने बहुत शानदार काम किया है हमारे तेल उद्योग को बढ़ाने में। मैं जानना चाहता हूं कि आप इन मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सा काम करने जा रहे हैं, इस दिशा में आपने कुछ नहीं कहा है। जिनकी बजह से आपकी आपकी पूंजी बढ़ रही है, जिनकी वजह से हम तेल के मामले में धीरे-धीरे आत्म निर्भर बनने की तरफ जा रहे हैं, उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। मैं चाहता हूं कि आप मजदूरों के बारे में कुछ कहें क्योंकि हम लोग मजदूरों में काम करते हैं, उनकी हालत को देखते हैं···

सभापति महोदय : यह इस विधेयक के कार्य क्षेत्र में नहीं आता था।

श्री रामावतार शास्त्री : है । यदि आप ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा । उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि अमुक-अमुक कामों में यह पैसा खर्च होगा, इसीलिये मैं उठा रहा हूं कि क्या बोर्ड मजदूरों को भी कुछ दे सकता है या नहीं ? उनको कुछ तो दीजिए ।

आखरी बात—कुछ दिन पहले मैं गोहाटी गया था । वहां गोहाटी मजदूर यूनियन, ए० आई० टी० यू० सी० की यूनियन है । वहां के कारखाने की व्यवस्था यह है कि इतना बड़ा आन्दोलन आसाम में चला और फूटवादी शक्तियों ने आसाम में तोड़-फोड़ करने की कोशिश की लेकिन उस कारखाने में उनकी बात न चल सकी । वहां पर जो ए० आई० टी० यू० सी० की गोहाटी रिफाइनरी मजदूर यूनियन है, वह सैपरेटिस्ट लोगों के बिलकुल खिलाफ है और उनसे लड़ती रही है । वह डिविजिव फोर्सेज के साथ लड़ती रही है । फिर भी अफसोस है कि उस यूनियन को मतदान में सबसे ज्यादा मत मिलने पर भी, आप रिकमनाइज नहीं कर रहे हैं । इस अवसर का फायदा उठाकर मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उस यूनियन को आप मान्यता दें । आप इसका पता लगवा लें कि उसके पास सबसे ज्यादा मत आए हैं और वह यूनियन सेपरेटिस्ट लोगों के खिलाफ लड़ती रही है ।

इन शब्दों के साथ में इस बिल का विरोध करता हूं ।

सभापति महोदय : क्या आप इसका उत्तर दे रहे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इसमें उत्तर देने की कोई बात नहीं है, परन्तु मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक एक ऐसा संशोधन लाने के लिए लाया गया है, जिससे जो कुछ भी धनराशि एकत्र होगी वह तेल उद्योग के विकास में लगाई जायेगी ।

जहां तक कामगारों के कल्याण का सम्बन्ध है, इण्डियन आयल कम्पनी और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इसके लिए पहले से ही धन जुटा रहे हैं । हम बम्बई और देहरादून दोनों स्थानों पर, मकान बनाने का बड़ा और भारी कार्यक्रम चला रहे हैं । उनके सामाजिक कल्याण की अन्य गतिविधियों और उनकी मजदूरी पर भी ध्यान दिया जा रहा है ।

जहां तक गोहाटी का सम्बन्ध है, विगत में चाहे जो भी स्थिति रही हो, 19 तारीख को हमारे बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी गोहाटी तेल शोधक कारखाने में काम शुरु नहीं किया जा सका जबकि और सभी तेलशोधक कारखाने चालू थे । तथापि यह संतोष की बात नहीं है । परन्तु यदि श्रमिक संघ को मान्यता देनी ही है तो राज्य सरकार को ही मान्यता देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें ही तो श्रमिक संघ की सदस्यता पर विचार करना पड़ेगा । इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : सभा अब अगली मद पर विचार करेगी ।

———

सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार (रोजगार का विनियमन) विधेयक

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं !

"कि कतिपय सिनेमा कर्मकारों और सिनेमा थिएटर कर्मकारों के रोजगार की शर्तों का विनियमन करने और तत्संबंध मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह सभा पहले ही पिछले सत्र में दो विधेयक पारित कर चुकी है अर्थात "सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक, 1981" और "सिनेमा कर्मकार कल्याण कोष विधेयक, 1981" इन अधिनियमों को लागू करने के लिए हम नियम तैयार कर रहे हैं। उन अधिनियमों का उद्देश्य एक कल्याणकारी कोष के द्वारा, निर्माण क्षेत्र के कम वेतन भोगी अकिंचन सिनेमा कर्मकारों की कल्याण की आवश्यकताओं को पूरा करना है। वर्तमान विधेयक उससे कहीं अधिक व्यापक है। आपको याद होगा कि पिछली बार स्वयं सदस्यों का यह कहना था कि सिनेमा उद्योग में सेवारत कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु और अधिक व्यापक विधान लाया जाना चाहिए और मैंने ऐसा करने का वचन दिया था और अब इस सत्र में इस विधेयक द्वारा मैं अपना वचन पूरा कर रहा हूं।

वर्तमान विधेयक, यद्यपि इसमें भी एक बार फिर सिनेमा कर्मकारों के कल्याण को ही लक्ष्य बनाया गया है, इस अर्थ में विस्तृत क्षेत्र रखता है कि इसमें सिनेमाकारों की कतिपय श्रेणियों की सेवा-शर्तों के विनियमन का प्रावधान किया गया है और अन्य बातों के साथ ही साथ इसमें भविष्यनिधि आदि लाभ भी उनके लिए रखे गये हैं।

जैसा कि मैंने पहले भी, सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक, 1981 और सिनेमा कर्मकार कल्याण कोष विधेयक, 1981 को विचारार्थ प्रस्तुत करते समय उल्लेख किया था सिनेमा उद्योग में लगभग 3.5 लाख लोगों के सेवारत होने का अनुमान है जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत कर्मकार प्रदर्शन क्षेत्र में रोजगार पाये हुए हैं और शेष निर्माण तथा वितरण क्षेत्र में। इन तीन विधेयकों की सहायता से, सिनेमा उद्योग के निर्माण तथा प्रदर्शन क्षेत्र के निम्न वेतन भोगी कर्मकारों के एक बहुत बड़े वर्ग को, सरकार द्वारा सोचे गये कल्याणकारी उपायों के घेरे में लाने की हमें आशा है।

वर्तमान विधेयक के सीमाक्षेत्र में फीचर फिल्मों के निर्माण में जुटे वे लोग भी आ जायेंगे जिनको किसी फीचर फिल्म में कार्यरत होने पर 1,000/- रुपया मासिक पारिश्रमिक मिलता हो या उससे कम, जिसमें भत्ते या, सुविधाएं, सम्मिलित नहीं हैं, अथवा एक मुश्त भुगतान के मामले में, जिनका पारिश्रमिक 5,000/-रुपये प्रति फिल्म से अधिक नहीं है। इस सदन द्वारा पारित किये गये अन्य दो विधेयकों की तरह ही, इस विधेयक का भी अनिवार्य रूप से निम्न

वेतन-भोगी सिनेमा कर्मकारों के कल्याण का लक्ष्य है। सिनेमा उद्योग के निम्न वेतन-भोगी कर्मकारों की सेवा शर्तों को सुधारना ही इसका लक्ष्य है क्योंकि ये ही वे कर्मकार हैं जिन्हें और अधिक अच्छी सेवा शर्तें सुनिश्चित कराने के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करने की महती आवश्यकता है।

जैसा कि सभा सम्भवत: जानती है, आजकल चलचित्रों के निर्माण में स्टुडियो प्रथा लगभग बेकार हो चुकी है। अब मुश्किल से ही कोई स्टुडियो ऐसा होगा जिसके यहां नियमित वेतन पर बड़े पैमाने पर कलाकार, तकनीशियन और कर्मकार रखे जाते हों। आजकल तो चलचित्रों के आधार पर ही लोगों को रोजगार देने की प्रमुख प्रथा चलन में है। अनेकों बार, इस प्रकार का रोजगार देने हेतु किसी प्रकार के निश्चित करार नहीं किए जाते हैं। अत: सरकार यह अनुभव करती हैं कि निर्माण क्षेत्र में सिनेमा कर्मकारों की सेवा-शर्तों में सुधार लाने का प्रथम कदम, लिखित करारों को लागू करना होगा। सिनेमा कर्मकारों के किसी ठेकेदार द्वारा रोजगार में लगाए जाने पर, करार में एक यह विशिष्ट शर्त होगी कि यदि ठेकेदार कर्मकारों से किए गये करार के अनुरूप अपने दायित्वों को निभाने में असफल रहता है तो चलचित्र निर्माता को उन दायित्वों को निभाना होगा। विधेयक में यह प्रावधान रखा गया है कि ऐसे करार निर्धारित प्रपत्र पर किए जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराये जायेंगे।

अन्य बातों के साथ साथ विधेयक में समझौता अधिकारी का प्रावधान भी किया गया है, जिससे जहां कहीं भी सिनेमा कर्मकारों और निर्माताओं के बीच उठने वाले विवादों अथवा विवाद होने की आशंका को लेकर समझौता कार्यवाही शुरू की जा सके। हमें आशा है कि अधिकांश विवाद समझौते द्वारा दूर कर दिए जायेंगे। यदि समझौता अधिकारी विवाद नहीं समाप्त कर पाता है तो वह मामले से केन्द्रीय सरकार को अवगत करायेगा और तब केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि इसे कानून के अधीन गठित एकल-सदस्य "सिनेमा कर्मकार न्यायाधिकरण" के पास न्यायनिर्णय इस शर्त के साथ अन्तिम माना जायेगा कि इसे पुनर्विचारण के लिए उच्च न्यायालय के पास भेजा जा सकता है।

विवादों को समाप्त करने की प्रक्रिया औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के ही समान है। विधेयक में केवल ऐसे ही मामलों में दण्ड देने की बात कही गई है जहां किसी फीचर फिल्म का निर्माता कर्मकारों के साथ किये गये करार को पंजीकृत कराने में असफल रहता है अथवा जब वह बिना करार किए कर्मकारों से काम लेता है। जैसा कि आपने देखा होगा ऐसे सिनेमा कर्मकारों पर भी कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 को लागू करने का हमारा प्रस्ताव है जिन्होंने एक या अधिक निर्माताओं के नीचे कम से कम पांच फिल्मों में कार्य किया हो।

हम ऐसा अनुभव करते हैं कि तदर्थ रोजगार की जो विशेषतया प्रमुख रूपसे उत्पादन क्षेत्र में पाई जाती है, वह प्रदर्शन क्षेत्र के कर्मकारों पर लागू नहीं होती है। अधिकांश थिएटर कर्म-

कार नियमित स्थायी कर्मचारी होते हैं। इन कर्मचारियों को आमतौर से आनुतोषिक और भविष्य निधि सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। अतः हम ऐसा अनुभव करते हैं कि आनुतेषिक अधिनियम, 1972 और कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत भुगतान को सिनेमा थिएटरों के कर्मचारियों पर थोड़े से इस फेर-बदल के साथ लागू करना पर्याप्त होगा कि ये अधिनियम उन्हीं सिनेमा थिएटरों पर लागू होंगे जिनमें पांच या उससे अधिक कर्मचारी सेवारत होगे।

मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि फीचर फिल्मों के उत्पादन में लगे कम आय वाले कलाकारों और तकनीशियनों के हितों और रोजगार की शर्तों मजदूरी के भुगतान तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्थाओं के विषय में सिनेमाघरों के कर्मचारियों के अपने नियोजकों के साथ सम्बन्धों के बारे में कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल का सभी माननीय सदस्य स्वागत करेंगे। मैं माननीय सदस्यों से इस व्यवस्था पर जो इस उद्योग की काफी लम्बे समय से विचाराधीन आवश्यकता थी, उनके विचारों और सुझावों की अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद।

श्री अजित बाग (सीरमपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री वसन्त साठे द्वारा पेश किए गए सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार नियोजन का विनियमन) विधेयक पर अपने विचार रखता हूं।

आखिरकार माननीय मन्त्री सभा के समक्ष यह विधेयक ले आए हैं, जिसने सिनेमा कर्मकारों और सिनेमा घरों के कर्मकारों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के क्षेत्र में लाने का प्रस्ताव किया गया है। माननीय सदस्यों को सम्भवतः याद होगा कि 1 सितम्बर, 1981 को जब मैं सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक और सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि विधेयक पर बोल रहा था, तब मैंने माननीय मन्त्री से सिनेमाटोग्राफ को एक उद्योग के रूप में घोषित करने का अनुरोध किया था, ताकि सिनेमा कर्मकारों की सेवा की शर्तें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आ जाएं।

परन्तु इस विधेयक में बड़ी कमियां हैं। माननीय मन्त्री ने सिनेमाटोग्राफ को एक उद्योग के रूप में सीधे घोषित नहीं किया है। वह सिनेमा कर्मकारों तथा सिनेमा थियेटर कर्मकारों की सेवा की शर्तों को अप्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाना चाहते है। यह स्थिति हमें स्पष्ट नहीं है क्या माननीय मंत्री को इरादा इस विधेयक के माध्यम से सिनेमाटोग्राफ को एक उद्योग का दर्जा देने का हैं? उनसे इस मुद्दे को सभा के समक्ष स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, इस संबंध में मैं वह बात और कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में प्रयोगात्मक फिल्मों के, यहां तक कि हिन्दी में नैतिक शिक्षा देने वाली फिल्मों के क्षेत्रीय भाषाओं की तो बात ही छोड़िए—उत्पादन में लगे कर्मकारो की सेवा की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। अभिकांश

निर्माता वितरक हैं और वे अधिकांशत: भारी मात्रा में कालाधन रखने वाले हैं। अपनी असीमित धन लिप्सा के कारण वे यौन भावनाओं और हिंसा वाली फिल्में ही बनाते हैं जो बाक्स-आफिस पर हिट होती हैं। अत: हिन्दी की अच्छी फिल्मों को और विशेषकर प्रादेशिक भाषाओं में बनी फिल्मों को, रिलीज होने के लिए महीनों इन्तजार करना पड़ता है। उनमें से कुछ तो रिलीज ही नहीं हो पाती है। अत: धन-लोलुप लोग सिनेमा को जो जनमत बनाने का शक्तिशाली साधन है, देश के चरित्र के स्तर को बिगड़ने के लिए बुरी तरह से प्रयोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए जिसका सार्थक रूप से प्रयोग किया जा सकता है उसका उपयोग सरकार बड़े व्यापारिक घरानों को युवा पीढ़ी की नैतिकता के मूल्य पर लूट मचाने के लिए करने दे रही है। प्रादेशिक भाषाओं का उचित सरक्षण नहीं दिया जाता है। मैं यह बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक विधेयक पारित किया है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक सिनेमा थियेटर को वर्ष में कम-से-कम 13 सप्ताह प्रादेशिक भाषा की फिल्में अवश्य दिखानी पड़ेंगी। वह विधेयक महीनों से यों ही पड़ा है और उसे कभी राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिली है। इन फिल्मों से सम्बन्धित सिनेमा कर्मकारों के हितों की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है ?

महोदय, विधेयक में कई गम्भीर कमियां हैं। इस महत्वपूर्ण उद्योग से सबंधित कर्मचारियों के वेतन-ढांचे के बारे मे इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। विधेयक मे कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि नियोजकों को वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते जैसे चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता, समयोपरि भत्ता और विशेष व्यावसायिक भत्ते और भविष्य निधि, पेंशन और उपदान जैसी सुविधाएं कर्मकारों को देनी पड़ेगी। इस सम्बन्ध में कोई कानून न होने के कारण कर्मचारियों को पूरी तरह से नियोजकों की दया पर छोड़ दिया गया है।

और इस सबके ऊपर, प्रदर्शन और वितरण अनुभाग में नियोजकों के मामलों को ठेके पर लिए गए निरीक्षकों तथा प्रतिनिधियों के मामलों को छोड़ दिया गया है।

जो कुछ मैंने पहले कहा है उसको ध्यान में रखते हुए, मैं आपके माध्यम से इस सभा के समक्ष माननीय मंत्री की स्वीकृति के लिए कुछ सुझाव रखता हूं :

(1) सिनेमाटोग्राफ को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार एक उद्योग घोषित किया जाए।

(2) यह कानून पास होने के बाद सारे भारत वर्ष में एक साथ लागू हो।

(3) विभिन्न क्षेत्रों में समझौता अधिकारियों तथा न्यायाधिकरणों की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया जाए।

(4) केवल उत्पादन से सम्बन्धित कर्मकारों को ही नहीं अपितु सिनेमाटोग्राफ उद्योग में लगे सभी कर्मकारों को इसके क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किया जाये।

(5) नियोजक एम्पलायर कर्मकार (वर्कर) प्रतिष्ठान (एस्टाब्लिशमेंट) फ्रीलांस आर्टिस्ट

उत्पादक (प्रोडयूसर) नैमित्तिक कर्मकार (कैजुयेल वर्कर) आदि की उचित रूप से परिभाषा दीजिए ।

(6) प्रस्तावित अधिनियम का प्रशासनिक प्राधिकरण सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग होना चाहिए और नियम बनाने की शक्तियां भी इस विभाग को दी जानी चाहिएं ।

(7 आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी ढांचा सभी तीनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया जाए और लागू किया जाए ।

(8) कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के परामर्श से सभी तरह के कर्मकारों के तर्कसंगत तथा उचित वर्गीकरण के लिए सिद्धान्त निर्धारित किया जाए ।

(9) मिलों के उत्पादन तथा वितरण के लिये प्रतिष्ठान का प्रशासनिक विभाग के पास पंजीकरण करने की व्यवस्था की जाए, प्रदर्शन लाइसेंस कानून के अन्तर्गत प्रशासित रहे ।

(10) कर्मचारियों तथा कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षु योजना लागू की जाए तथा प्रशिक्षणार्थियों को वही रोजगार देने की व्यवस्था की जाए । प्रशिक्षण सुविधायें या तो वर्तमान संस्थानों में उपलब्ध कराई जायें या नए संस्थान खोले जाएं ।

(11) बीमार एककों और अनिश्चित काल तक चली तालाबन्दी और हड़ताल के कारण बन्द पड़े रहे एककों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए उपयुक्त प्रबंध किए जायें । कानूनी आवश्यकताओं, विशेषकर न्यूनतम भुगतान करने में विफलता और एकक का घोर कुप्रबंधक होने पर, दंड की व्यवस्था की जाए ।

(12) किसी भी क्षेत्र में कार्य आरम्भ करने जारी रखने तथा पुनः आरम्भ करने के लिए सूचना और सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा लाइसेंस तभी जारी किया जाए जब न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम तथा अन्य विनियम कारो उपबन्धों सम्बन्धी सिद्धान्तों का उचित क्रियान्वयन किया गया हो । किसी भी अधिनियम के उपबन्धों का उलंघन न हो यह सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं और वितरकों के बजट का 20 प्रतिशत प्राधिकरण के पास जमा किया जाये ।

(13) प्रस्तावित कानून के सामान्य मार्गनिर्देशन के लिए मैं समझता हूं कि :

(क) मजदूरी शब्द की परिभाषा मजदूरी भुगतान अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार होनी चाहिए ।

(ख) छटनी के मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्ध लागू होने चाहिए ।

(ग) उल्लंघन के लिए दंड के सम्बन्ध में फैक्टरी अधिनियम के उपबन्ध लागू होने चाहियें ।

(घ) उपदान की गणना श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार होनी चाहिए ।

(14) कार्य दशाओं के सम्बन्ध में :

(क) प्रदर्शनगृह दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत आने चाहिएं तथा उचित स्वास्थ्यकर कार्य दशायें सुनिश्चित की जानी चाहिएं ।

(ख) उपदान के सम्बन्ध में, उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अन्तर्गत उपदान की योजना तब ही लागू होती है जब कर्मचारियों की संख्या 10 से ज्यादा हो। प्रदर्शनगृही के सम्बन्ध में यह संख्या 5 या इससे अधिक होनी चाहिए ।

(ग) न्यूनतम आय का प्रावधान सभी मामलों में लागू होना चाहिए और फिल्म उद्योग के सम्बन्ध में इसका प्रकाशन राज्य सरकारों को सौंपा जाना चाहिए । कार्य के घन्टे, समयोपरि भत्ता आदि का निर्धारण इस अधिनियम के अन्तर्गत किया जाना चाहिये ।

(घ) कलाकारों, लेखकों, संगीतज्ञों, गायकों, नृतकों और तकनिशियनों की चाहे वे कुशल अकुशल शक्तियों श्रम करने वाले या पर्यवेक्षक किसी भी प्रकार के हों जिनकी भत्तों और सुविधाओं को छोड़कर कर एक फिल्म में मासिक आय 1000 रुपये या इससे कम हो या एक मुश्त आधार पर एक फिल्म में कुल 5000 रुपये से अधिक नहीं हो सेवा की शर्तें तथा रोजगार का स्वरूप भविष्य निधि प्रावधानों के अन्तर्गत आनी चाहिए ।

(ङ) सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू होनी चाहिये ।

(च) वेतन का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए । आकस्मिक छुट्टी, त्यौहार की छुट्टी तथा बीमारी की छुट्टी आदि का उचित निर्धारण किया जाना चाहिए । नैमित्तिक कर्मचारियों को छुट्टी के बदले में धन दिया जाना चाहिए ।

(छ) सभी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रावधान होना चाहिए । महंगाई-भत्ता निर्वाह-व्यय सूचकांक से सम्बद्ध होना चाहिए ।

(ज) न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत निर्धारित किया जाना चाहिए तथा बोनस की मात्रा की कोई अधिकतम सीमा नहीं होनी चाहिए ।

(झ) दुर्घटना में चोर का मुआवजा दिया जाना चाहिए ।

(ञ) सस्ती दरों पर कैण्टीन सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाना चाहिच । प्रबन्धकों की

ओर से मनोरंजन तथा पुस्तकालय की सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए ।

(ट) रात्री की पारी में काम करने वालेक र्मचारियों को रात्री भत्ता दिया जाना चाहिए । मकान-किराया वेतन, मजदूरी के 10 प्रतिशत की दर पर दिया जाना चाहिए ।

(ठ) असहवद्ध तथा कर्मकार तकनिशियन लिखित ठेके पर लगाये जाने चाहिए ।

(ड) मान्यता प्राप्त संघों को प्रबन्धकों द्वारा कार्यालय प्रदान किया जाना चाहिए । के अन्तर्गत बनाये कार्य के घन्टे प्रदर्शन क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या छुट्टीयों की संख्या, सप्ताहिक अवक श अवधि, सुविधओं के आधार पर प्रदर्शन गृहों श्रेणीकरण, सीटों की संख्या, चालू लाइसेंस के प्रतिवर्ष नवीनीकरण के वर्तमान प्रावधानों में छूट आदि के निर्धारण के लिए विभिन्न अधिनियमो के प्रभावी प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त स्थाई नियम बनाये जाने चाहिए ।

मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री मेरे सुझावों को लेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती कृष्णा साही (वेगूसराय) : सभापति महोदय, सबसे पहले में मन्त्री जी को धन्यवाद देती हूं कि वरसों बरस से फिल्म उद्योग में लगे हुए ऐसे काम जो बहुत ही लो पेड इन्कम आय रूप में थे और जिनकी आमदनी बहुत कम थी उनकी भावनाओं की इन्होंने कद्र की और कद्र ही नहीं, बल्कि उनकी जिन्दगी के भविष्य को सोचा जिनका भविष्य त्रिशंकू की तरफ लटका हुआ था कहां जायेंगे उनके बच्चे, उनका जीवन कैसे व्यतीत होगा, उनका परिवार किस स्थान पर जाकर ठौर ठिकाना आगे की जिन्दगी में लेगा, ऐसे लोगों के विषय में जो मन्त्री जी ने बिल रखा है उससे उनकी सुरक्षा होगी और सब से बड़ी बात है कि उनके लिये जो सुविधायें मिलनी चाहिये उनका प्रावधान इस बिल के अन्दर है ।

सभापति जी वैसे कलाकार जो फिल्म उद्योग में लगे हुए थे चाहे कलाकार हों या तकनीकी विभाग में काम करने वाले हों उन सभी की कोई सुरक्षा नहीं थी । और जो श्रम में लगे हुए लोग हैं उनके लिये लेबर लाज, इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट आदि हैं जिनमें लोग गाइड होते हैं । लेकिन ऐसे लोग, जो बहुत अधिक संख्या में फिल्म इन्डस्ट्रीज काम करते हैं, उनके लिये कोई भी ऐसा कानून नहीं था जिसके तहत उनको सुरक्षा दी जाती । मन्त्री महोदय ने इस बिल के उद्देश्य में दिखाया है कि इसमें एग्रीमेंट भी किया जायेगा और वैसे लोगों को, चाहे वह कन्ट्रेक्टर के साथ हों या प्रोड्यूसर के साथ हों, उनको नौकरी में स्थायित्व दी जायेगी, समय पर तनख्वाह मिलेगी और उन्हें नौकरी की अन्य सुविधाएं भी दी जा सकेंगी ।

संसार में फिल्म उद्योग में हमारे देश का दूसरा स्थान है और इस उद्योग में जो मैन-पावर लगी हुई है, उनकी संख्या के बारे में मैं अच्छी तरह तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जहां तक देखने और पढ़ने का मौका मिला है उसके अनुसान वह मैनपावर सबसे ज्यादा है और उसमें

भी जो कम आमदनी पाने वाले लोग हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। इस बिल में इन्होंने कहा है कि प्राविडेंड फन्ड दिया जायेगा, उनको जो पहले ग्रैच्युटि नहीं दी जाती थी, वह भी दी जायेगी। इससे उनके भविष्य की दिशा एक निर्दिष्ट स्थान पर जाकर रुकेगी और उनके बच्चों के लिये भी बहुत सुख-सुविधाएं मिलेंगी।

13 मिलियन लोग रोज सिनेमा देखते हैं। वह इन्डस्ट्रीज जुआ है लेकिन इन्सान की जिन्दगी के साथ जूआ नहीं खेला जा सकता है, उसके लिये कुछ ऐसा उपबन्ध होना चाहिये ताकि भविष्य में उनके परिवार और बच्चे भी बिल्कुल निश्चिन्त होकर काम कर सकें, तनाव-पूर्ण स्थिति और मानसिक अस्त-व्यवस्तता से ऊपर होकर वह अपना काम कर सकें। इसलिए मैं मन्त्री महोदय को बधाई देती हूं कि वह एक ऐसा बिल लाये हैं जिससे ऐसे सैक्शन्ज, जो कि अब तक नैगलेक्टेड थे, उनकी ओर ध्यान दिया जायेगा और इसमें उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

जो बडे पदों पर काम करते हैं, जिनकी तनख्वाह बहुत है, उनके बारे में आये दिन ही चर्चा होती है. उनके बारे में लोग सोचते हैं, और उनके लिये तरह तरह की तबदीलियां कानूनों में करते हैं, और उनकी मांगों पर सबसे पहले ध्यान दिया जाता है लेकिन यह तबका ऐसा था जिसकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं गया। इसलिए यह अच्छी बात है, इससे फिल्म उद्योग में लगे अधिकांश लोगों का मनोबल बनेगा और उनके सुख-सुविधाएं बढेंगी।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देती हूं। इस बिल में कुछ लूप-होल्स की चर्चा की गई है, लेकिन मेरी समझ में इसमें ऐसे लूप-होल्स नहीं हैं जिनका विरोध करना चाहिये। लेकिन चूंकि विरोध करना है, इसलिए कुछ कहना चाहिये, यह बिल्कुल उचित नहीं जान पड़ता है। जो अच्छी बात कही गई है, उसको तो कबूल करना चाहिये और इसके लिये उनको आभार प्रकट करना चाहिये कि ऐसा बिल वह कभी नहीं लाये, लेकिन हमारी सरकार ने यहां पर इस तरह के बिल को उपस्थापित किया है जो पहले कभी सदन में नहीं आया था।

*श्री ईश मोहन(कोयम्बटूर): सभापति महोदय मैं द्रविड मुन्नत्र कड़गम की ओर में सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) विधेयक का पूरे दिल से समर्थन करता हूं जिसे हमारे माननीय सूचना एवं प्रसारण मन्त्री श्री बसन्त साठे ने प्रस्तुत किया है।

वस्तुतः इस विधेयक की पूरी सभा द्वारा प्रशंशा की जानी है क्योंकि स्वतन्त्रा के चौंतीस वर्षों के बाद सिनेमा कर्मकारों तथा सिनेमा थियेटर कर्मकारों की भलाई के लिए पहली बार कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया है। फिल्म उत्पादन के मामले में भारत का संसार में सर्वोच्च

*तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्त्रण

स्थान है तो स्वाभाविक है कि सिनेमा कर्मकारों की संख्या भी यहां अधिकतम है इस वृहद उद्योग में इतनी भारी संख्या में कर्मकारों को असंख्य समस्याओं को बढ़ा चढाकर कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। जब तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नत्र कड़गम सत्तारूढ थी, तब द्र० मु० क० सरकार ने सिनेमा कर्मकारों और सिनेमा थियेटर कर्मकारों के कल्याण के लिए कई कानून बनाये थे।

मनोरंजन करके माध्यम से राज्य सरकारें काफी धन अर्जित कर रही है जो करोड़ों रु० वार्षिक बैठता है कच्ची फिल्मों पर केन्द्रीय सरकार उत्पादन-शुल्क के रूप में करोड़ों रु० प्राप्त करती हैं। फिर भी अभी तक न तो केन्द्र सरकार ने और न राज्य सरकारों ने ही स उद्योग के कर्मकारों की समस्याओ की ओर ध्यान दिया है। इससे यह शक होने लगता है कि क्या इस उद्योग पर नियन्त्रण रखने वाले चोर बाजारिये इस मामले पर अपना हाथ रखे हुये थे और सरकार उनके दबाने से बाहर नहीं आ सकी थी।

हमारे माननीय मन्त्री श्री बसन्त साठे न तो फिल्म अभिनेता हैं। और न ही फिल्म निर्माता, फिर भी उन्होंने इस क्षेत्र के कर्मकारों की समस्या को समझा है और इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। परन्तु तमिलनाडु में मुख्य मन्त्री स्वयं एक अभिनेता भी हैं तथा निर्माता भी है, फिर भी वह सिनेमा कर्मकारों की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहे। इसका कारण समझना कठिन नहीं हैं। उन्होंने स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना के अधीन 79 लाख रुपया का काला धन अच्छे धन में बदल लिया दूसरे शब्दों में वह भ्रष्टाचार और काला धन अर्जित करने के शीर्षस्थ व्यक्ति हैं। आप उनसे सिनेमा कर्मकारों तथा सिनेमा थियेटर कर्मगारों की भलाई करने की आशा कैसे करते हैं? इस विषय में केन्द्रीय सरकार ने उचित कार्य किया है।

सिनेमा घरों के मालिक भी अपने कर्मकारों के कल्याण में कोई रुचि नहीं दिखाते। कर्मकारों का कोई नियमित रोजगार नहीं है और न निश्चित आय ही है। उनके लिए न कोई उपदान है और न कोई पेंसन और न कोई भविष्य निधि ही मुझे विश्वास हैं कि यह विधेयक उनको कष्टों की दलदल से उबार लेगा।

माननीय मन्त्री ने इस विधेयक में कहा है कि निर्माता जब किसी कर्मचारी को रखेगा तब वह एक निर्धारित प्रपत्र पर एक करार तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय श्रमायुक्त के पास भेजेगा जहां तक मुझे पता है कोई निर्माता किसी कर्मचारी को नौकरी पर नहीं रखता वह अभिनेता निर्देशक संगीत निर्देशक तथा कैमरा मैन आदि को रख लेता है दूसरे कामों के लिए वह उस

स्टूडियो के कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करता है जहां पर वह फिल्म निर्माण के लिए एक या दो तल किराये पर लेता है। अत: मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस बात को स्पष्ट कर दें वह किसी निर्माता से किसी कर्मचारी को रखने से पहले करार तैयार करवाने की आशा कैसे करते हैं ?

मंत्री जी ने इस विधेयक में यह भी स्पष्ट किया कि क्या थियेटर कर्मचारी भी इस विधेयक के अन्तर्गत आयेंगे ? इस विधेयक में सिनेमा थियेटर कर्मचारी को उपदान, पेंशन, भविष्य निधि आदि के भुगतान को छोड़कर उनकी कहीं भी कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। सिनेमा कर्मकारों के विवादों के मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम के विस्तार का मैं स्वागत करता हूं दूसरे शब्दों में सरकार ने सिनेमा क्षेत्र को भी एक उद्योग के रूप में मान्यता दे दी है।

भ्रमणकारी सिनेमाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के उद्धर्व थियेटरों में हजारों व्यक्ति काम करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह कानून उन पर भी लागू होगा। अपनी पूरी ताकत के साथ यह मांग करता हूं कि यह कानून देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों भ्रमणकारी सिनेमा तथा अर्द्ध थियेटरों में कार्यरत हजारों कर्मगारों पर भी लागू होना चाहिए।

मन्त्री जी ने एक सदस्यीय न्यायाधिकरण गठित करने का उल्लेख किया है। मुझे इसमें संदेह हो रहा है कि क्या एक सदस्यीय न्यायाधिकरण उन समस्याओं को सुलझा सकेगा जिनका समाधान राज्य सरकारें नहीं कर सकी। क्योंकि यह एक अच्छा प्रावधान है, इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि इस न्यायाधिकरण की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जो सिनेमा कर्मचारियों तथा सिनेमा थियेटर कर्मचारियों की समस्याओंसे पूर्णतया परिचित हों औरवस्तुत: तो वह इन्हीं में से एक होना चाहिए।

समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि सिनेमा कर्मगारों का व्यवसाय दुर्घटना समझता है। समस्त सिनेमा कर्मचारियों के बीमे के लिए एक व्यापक योजना होनी चाहिए ताकि उनके आश्रित भुखमरी का शिकार न हो सके।

सभी सिनेमा कर्मकारों तथा सिनेमा थियेटर कर्मकारों की ओर से मैं इस अच्छे कानूनी उपाय का समर्थन करता हूं जो कि सभी सिनेमा कर्मगारों और सिनेमा थियेटर कर्मगारों के कल्याण को सुनिश्चित करेगा। तथा यहीं मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, विश्व में भारतीय सिनेमा ने जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है उसकी चर्चा और देशों में और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हो रही है और मैं समझता हूं उससे सब परिचित हैं। कम से कम 125 देशों के अन्दर हमारी फिल्में जाती हैं। आपने अभी बताया कि साढ़े तीन लाख कर्मचारी इसमें काम करते हैं। मैं पहले तो सूचना और प्रसारण मन्त्री को इस बात के लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आश्वासन उन्होंने पिछले सेशन में दिया था उसको उन्होंने पूरा किया और बड़ी ही तीव्र गति से इसके लिए यह नया बिल ले आए। मैं यह समझता हूं कि हमारे देश के म्यूजिसियन्स, संगीतज्ञ, डासर्स या और जो कलाकार हैं वह इसको देखेंगे तो उन्हें यह महसूस होगा कि अभी तक उनका जो शोषण किया जाता रहा है उस शोषण से बचने का यह बिल एक बड़ा अच्छा उपाय है।

मन्त्री महोदय ने बताया है कि एक ऐग्रीमेंट किया जायेगा और वह उन शर्तों के अधीन होगा जिसके लिए उन्होंने एक फार्म प्रेस्क्राइब किया है। उसके अन्दर दोनों पार्टीज को अपनी-अपनी शर्तें लिखनी होंगी और दोनों उसके अन्दर बाउन्ड डाउन होंगे। वह ऐग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा। तो इस प्रकार का जो आपने कार्य किया है यह बहुत ही सराहनीय है। आप हिन्दुस्तान के अन्दर कितने ही म्यूजिनियन, कितने डांसर और कितने कलाकार कम वेतन के कारण अपने जीवन के अन्तिम दिन किस प्रकार व्यतीत करते है यह हम सब जाते हैं। कई लेखक, कई विद्वमान इस तरह के हैं। यह सिनेमा की इन्डस्ट्री एक बड़ा माध्यम है जिसके द्वारा हम ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हिन्दुस्तान में आज भी केवल दस हजार सिनेमा घर हैं जबकि एशिया के अन्दर जहां की आवादी बाईस,साढ़े बाईस करोड़ ही है, 1 लाख 60 हजार के करीब सिनेमा घर हैं। उसके मुकाबिले हमारे देश में केवल दस हजार या ग्यारह हजार सिनेमा घर ही हैं। इतनी कम संख्या हमारे देश में है। उसमें भी ज्यादातर सिनेमाघर दक्षिण के अन्दर हैं। उत्तर में केवल पांच सौ या साढ़े पांच सौ सिनेमाघर हैं।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि आपने इस बिल को लाकर कलाकारों का और जो सिनेमा में काम करने वाले दूसरे लोग हैं उनका बहुत बड़ा हित किया है। सिनेमा को गवर्नमेंट इन्डस्ट्री का स्वरुप नहीं देती है। इन्डस्ट्री का स्वरुप दे तो उसे वह कर्जा उसी तरह दे जिस तरह और इन्डस्ट्री को देती है। लेकिन इसे वह इन्डस्ट्री का स्वरुप नहीं देती। इसके अन्दर कलाकारों के लिए जो नियम आपने बनाए हैं वह बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनमें संशोधन की आवश्यकता है। आपने कलाकारों की कीमत 1 हजार रुपया आंकी है और उसमें जो एक मुश्त रकम लेते हैं उनकी कीमत 5 हजार रुपये आंकी है। मैं समझता हूं कि यह बहुत कम है! सिनेमा के अन्दर एक कलाकार अपना जीवन लगाता है, अपने जीवन की गहराई तक जाकर सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देता है। तो यह तो कीमत आपने उसकी आंकी है यह बहुत ही कम है। सिनेमा वर्कर की आपके समय में प्रगति हुई है इसमें कोई दो राय नही हो सकती। लेकिन यह जो आपने रखा है, आज के जमाने में एक हजार रुपया आप उनको देने की बात करें, यह

मैं समझता हूं उन कलाकारों के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं। यह किसी ने भी आपको नहीं सुझाया होगा, हमारी जो नौकरशाही है उसने यह बात बसंत साठे जी के सामने नहीं रखी होगी कि एक हजार रुपया उनको देने की बात रखना उचित नहीं है। आज कोई भी साधारण कलाकार या गांव का पाने वाला आदमी भी दो ढ़ाई हजार कमा लेता है तो यह एक हजार कमाने वाला जो दिल्ली में रहेगा वह पांच सौ रुपये किराया देगा···

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

---

6 बजे म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 24 नवम्बर, 1981/3 अग्रहायण, 1903 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक— आर० आर० गुप्ता प्रैस, 472, पं० रामचन्द्र देहलवी मार्ग, दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित।